त्रयोदश माला, खंड 9, अंक 11

सोमवार, 7 अगस्त, 2000
16 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे०एस० वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 11, सोमवार, 7 अगस्त, 2000/16 श्रावण, 1922 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	201 से 203	2-26
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	204 से 220	26-86
अतारांकित प्रश्न संख्या	2193 और 2195 से 2422 . .	86-387
सभा पटल पर रखे गए पत्र		387-389
राज्य सभा से संदेश		389-390
जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ तीर्थयात्रियों सहित अनेक व्यक्तियों के मारे जाने की हाल की घटनाओं की न्यायिक जांच के बारे में		390-413, 420-438
मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक		313-314
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) महाराष्ट्र में वसई-दीवा रेल लाइन पर मुम्बई उपनगरीय रेल गाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता		
	श्री चिन्तामन वनगा	415
(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ली जा रही केपिटेशन फीस में कमी किए जाने की आवश्यकता		
	श्री अनादि साहू	415
(तीन) मध्य प्रदेश के नीमच में स्थित एल्कालाइड फैक्टरी की क्षमता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता		
	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	416
(चार) देश में आई.एस.आई. की बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता		
	श्री राधा मोहन सिंह	416
(पांच) पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की भारी समस्या को हल किए जाने की आवश्यकता		
	कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी .	416
(छह) चंडीगढ़ के लिए "मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम" की आवश्यकता		
	श्री पवन कुमार बंसल	417

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे०एस० वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 11, सोमवार, 7 अगस्त, 2000/16 श्रावण, 1922 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	201 से 203	2-26
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	204 से 220	26 86
अतारांकित प्रश्न संख्या	2193 और 2195 से 2422 . .	86 387
सभा पटल पर रखे गए पत्र		387-389
राज्य सभा से संदेश	. . . . .	389-390
जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ तीर्थयात्रियों सहित अनेक व्यक्तियों के मारे जाने की हाल की घटनाओं की न्यायिक जांच के बारे में	. . . . .	390-413, 420-438
मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक	. . . . .	313-314
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) महाराष्ट्र में वसई-दीवा रेल लाइन पर मुम्बई उपनगरीय रेल गाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता		
	श्री चिन्तामन वनगा	415
(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ली जा रही केपिटेशन फीस में कमी किए जाने की आवश्यकता		
	श्री अनादि साहू	415
(तीन) मध्य प्रदेश के नीमच में स्थित एल्कालाइड फैक्टरी की क्षमता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता		
	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	416
(चार) देश में आई.एस.आई. की बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता		
	श्री राधा मोहन सिंह	416
(पांच) पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की भारी समस्या को हल किए जाने की आवश्यकता		
	कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी .	416
(छह) चंडीगढ़ के लिए "मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम" की आवश्यकता		
	श्री पवन कुमार बंसल	417

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(सात)	केरल में अड्डूर में बीमा कंपनियों की शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री कोडीकुनील सुरेश	418
(आठ)	भविष्य निधि पेंशन योजना का लाभ परम्परागत उद्योगों के श्रमिकों के लिए सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी० राजेन्द्रन	418
(नौ)	आन्ध्र प्रदेश में पेद्दापल्ली में माइक्रोवेव टी.वी. ट्रांसमिशन टावर को शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी	418
(दस)	चमड़ा उद्योग को लघु उद्योगों की सूची में बनाए रखने की आवश्यकता	
	श्री रामजी लाल सुमन	419
(ग्यारह)	उड़ीसा की आंगबांध परियोजना को स्वीकृति दिए जाने और इसके निर्माण कार्य को शीघ्र कराने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रसन्न आचार्य	419
(बारह)	हिमाचल प्रदेश में शिमला में टी.वी. ट्रांसमीटर का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता	
	कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य	420

लोक सभा

सोमवार, 7 अगस्त, 2000/16 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 201 – श्री चंद्र भूषण सिंह।

(व्यवधान)

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं यह कहना चाहता हूं कि हैदराबाद-दिल्ली और दिल्ली-हैदराबाद की उड़ानों में लगभग हर रोज देरी होती है। आज, माननीय अध्यक्ष महोदय और संसद के अन्य तीस सदस्य हैदराबाद हवाई अड्डे पर हैं *(व्यवधान)* एक महीने से, हैदराबाद-दिल्ली और दिल्ली-हैदराबाद उड़ानें तीन और चार घंटे की देरी से उड़ रही हैं। मुझे सभा को यह सूचना देते हुए खेद हो रहा है। प्रतिदिन उड़ानों में देरी होती है। इसीलिए, आज माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं पहुंच पाए *(व्यवधान)* महोदय, माननीय मंत्री यहां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, मुझे इसकी जानकारी है। सिर्फ दस मिनट पहले मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से बात की। वह स्वयं और पच्चीस अन्य सदस्य वहां अटके हुए हैं। मुझे लगता है उन्होंने स्वयं माननीय मंत्री से बात की थी।

(व्यवधान)

श्री के० येरननायडू : यह आज नहीं बल्कि प्रतिदिन ऐसा ही हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी जानकारी है। उन्हें इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय यहां आने में और सभा का संचालन करने में असमर्थ हैं। सरकार द्वारा इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : महोदय, यह एक दिन का मामला नहीं है। ऐसा अक्सर ही हो रहा है *(व्यवधान)*

श्री सी० कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : ऐसा प्रतिदिन हो रहा है। यह रोज की बात है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पता है। श्री कुप्पुसामी, माननीय मंत्री को बोलने दीजिए। मैंने उन्हें अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, मैं अभी सारे इंतजाम करके आया हूं और मुझे अफसोस है कि जो फ्लाइट डिले हुई है, उससे स्पीकर साहब नहीं आ पाए। मैं आपकी बात मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : फ्यूचर के लिए आप ध्यान रखिये।

श्री शरद यादव : भविष्य में हम इसका ध्यान रखेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न संख्या 201 पर आते हैं। श्री चन्द्र भूषण सिंह।

(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : महोदय, आपकी अनुमति से, मैं यहां कहना चाहती हूं कि हवाई अड्डे की सुरक्षा सी०आई०एस०एफ० के सुपुर्द की गई है। ये लोग हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए एकदम नये हैं। चार बार तलाशी होने के कारण वायुयानों की उड़ानों में देरी होती है। उनमें से प्रत्येक बैग खोल कर प्रत्येक वस्तु देखते हैं। वे कहते हैं गृह मंत्रालय ने इसे सी०आई०एस०एफ० को देने का निर्णय किया है। सी०आई०एस०एफ० के लोग यह कार्य करने में पूर्णत: असमर्थ हो रहे हैं। देरी इसलिए हो रही है क्योंकि सी०आई० एस०एफ० के लोगों को अपने कार्य की जानकारी नहीं है *(व्यवधान)* केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का हवाई अड्डे की सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री माननीय सदस्य की अप्रसन्नता की ओर ध्यान देंगे। अब हम प्रश्न संख्या 201 पर आते हैं। श्री चंद्र भूषण सिंह।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

भारत में स्वास्थ्य देख-रेख

*201. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :**
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का स्थान 191 देशों में से 112वां है;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय के संबंध में भी भारत का 133वां स्थान है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली बंग्लादेश और इराक से भी खराब है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) वर्ल्ड हैल्थ रिपोर्ट, 2000 में मोटे तौर पर स्वास्थ्य प्रणाली के तीन लक्ष्यों पर बल दिया गया है :–

(i) सामान्य स्वास्थ्य में सुधार करना और जनसंख्या के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना;

(ii) व्यक्ति सम्मान तत्काल ध्यान देने आदि के रूप में स्वास्थ्य प्रणाली की अनुक्रियाशीलता के स्तर में वृद्धि करना; और

(iii) जनसंख्या में वित्त का समान (निष्पक्ष) वितरण।

उपर्युक्त पैरामीटर अनियत (आमॉरफस) और व्यक्तिनिष्ठ हैं। रिपोर्ट की आरम्भिक जांच से पता चलता है कि देशों के क्रम निर्धारण के प्रयोजन के लिए इन पैरामीटरों के आकलन में प्रयोग की गई प्रक्रिया अवैज्ञानिक, अनिरूपणीय और अयथार्थ है। उपरोक्त के मद्देनजर निष्कर्षों की विश्वसनीयता संदिग्ध है। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि भारत की स्वास्थ्य पद्धति बंगलादेश और इराक से बदतर है।

(च) राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए कई पहल की हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, संवर्द्धनात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए देश भर में (31.12.98 की स्थिति के अनुसार) ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है जिसमें 137006 उपकेन्द्र, 23179 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2913 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक से काफी धनराशि प्राप्त की गई है। केन्दीय सरकार ने भी मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ रोग, दृष्टिहीनता, एड्स को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों हेतु काफी बाह्य सहायता जुटायी है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने हमारे सवाल का जवाब दिया है कि डब्ल्यू०एच०ओ० रिपोर्ट देता है कि 191 में से हिन्दुस्तान का 112वां नंबर है। मंत्री जी जवाब देते हैं कि डब्ल्यू०एच०ओ० के जो भी पैरामीटर्स हैं, वह गलत हैं और हम बेहतर स्थिति में हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हिन्दुस्तान का स्वास्थ्य ठीक है लेकिन मैं विशेषकर दो बातों पर जवाब चाहता हूं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में टोटल जी०डी०पी० का 1.93 ऐक्सपेन्डीचर था जो नौवीं योजना में आकर 2.25 हो गया। ठीक है, कुछ ऐनहैन्स हुआ।

लेकिन क्या आपको जानकारी है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनमें 7 परसेंट से लेकर 15 परसेंट जी०डी०पी० का पैसा हैल्थ पर खर्च होता है। आपका जवाब यह है कि डब्ल्यू०एच०ओ० ने जो रिपोर्ट दी है, वह यथार्थ नहीं है बल्कि गलत है। मेरा सीधा सवाल है कि हम पैसा भी अनुपात से कम खर्च कर रहे हैं, आबादी भी बढ़ा रहे हैं और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक है। इस बारे में मैं आपकी व्याख्या चाहूंगा। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

डॉ० सी०पी० ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, डब्ल्यू०एच०ओ० का रिपोर्ट निकालने का प्रथम प्रयास है। उनकी जो मैथेडोलॉजी है, उसमें खामियां हैं। उन्होंने सैम्पल बहुत छोटा सैलेक्ट किया है और किसी गवर्नमैंट बॉडी से कहीं कंसल्ट नहीं किया है। इसके लिए हमने डिपार्टमैंट से स्टडी करके उनसे कम्पलेंट भी की है। उस पर डिस्कशन भी दो राउंड हो चुका है। केवल हम ही नहीं बल्कि अन्य देश भी हैं जैसे अभी हाल में ब्राजीलियन डेलीगेशन आया है। उनका भी परसेंटेज बहुत नीचे कर दिया है। इस पर वे बहुत क्रोधित थे कि यह पैरामीटर कहां से लिया है, किस पैरामीटर से किया है। हमने इसकी रिप्रैजेंटेशन भी उन लोगों को दी है। उस पर डिस्कशन चालू है।

माननीय सदस्य का यह कहना कि हमारा हैल्थ एक्सपेंडीचर बढ़ा है, हम मानते हैं कि बहुत से देशों में हैल्थ एक्सपेंडीचर बहुत ज्यादा है, इसमें दो मत नहीं हैं। लेकिन ऐट्थ प्लान की जगह नाइंथ प्लान में बहुत इनक्रीज हुआ है और सब सैक्टर पर हमारा इनक्रीज है। हमारी परफोर्मैंस इम्प्रूव कर रही है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इम्प्रूव कर रही है। चिल्ड्रन मॉर्टेलिटी घट रही है। हैल्थ का पैरामीटर्स इम्प्रूव कर रहा है। टयूबरक्लोसिस में हमारी थोड़ी प्रगति है। हमारा लैप्रोसी इरैडिकेशन प्वाइंट बढ़ा है। हमारा गिन्नी वॉर्म इरैडिकेट हुआ है। हम आलमोस्ट पोलिया को इरैडिकेट कर रहे हैं। हम लोगों की प्रगति हुई है।

आपने जो कहा, उसको हम मानते हैं लेकिन जितना अमेरिका का एक्सपेंडीचर है उतना हम अभी नहीं कर सकते लेकिन हम बढ़ाये जा रहे हैं। इसमें भी बढ़ाये जा रहे हैं।

श्री चन्द्र भूषण सिंह : आप यह कहते हैं कि हमारा हैल्थ ठीक हो रहा है तो यह ठीक बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या सुविधायें उपलब्ध करा रहे हैं। मेरे पास कुछ आंकड़ें हैं जो कि मैं बता देता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख

की आबादी पर आप 20 बेड देते हैं जबकि अर्बन में आप 218 बेड देते हैं। क्या आपके यहां एक लाख प्राइमरी हैल्थ वर्कर्स कम हैं ? उसी के साथ मेरा सवाल जुड़ा हुआ है कि 10 परसेंट डाक्टर रूरल एरिया में आज भी कम हैं। आपके प्राइमरी हैल्थ सैंटर भी बंद हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है?

इसी के साथ मेरा यह सवाल भी जुड़ा हुआ है कि अमूमन डाक्टर और नर्सेस का नारमल यूनीवर्सल नार्म 1.3 है यानी एक डाक्टर और तीन नर्सें हैं जबकि आपके यहां इसका अनुपात 1:09 है यानी नर्सें कम हैं और डाक्टर ज्यादा हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरी इन बातों का जवाब दें। यदि आप आंकड़ों के हिसाब से हमको स्वस्थ बता रहे हैं तो सारे हिन्दुस्तान के लोग स्वस्थ हैं लेकिन ये सारी व्यवस्थायें कम होती दिखाई दे रही हैं। फिर भी हम स्वस्थ हैं, इसमें ताज्जुब होता है। जरा आप इसकी भी व्याख्या दें।

डॉ० सी०पी० ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, हैल्थ स्टेट सब्जैक्ट है। जब स्टेट से डिमांड होती है तब केन्द्र सरकार समय-समय पर उनकी नीड को देखते हुए मदद करती रहती है। हमने 1998 तक सारे भारतवर्ष में 13,706 सब सैंटर, 23,179 प्राइमरी हैल्थ तथा 2973 कम्युनिटी सैंटर खोले हैं। हम यह भी चाहते हैं ... *(व्यवधान)*

श्री शंकर सिंह वाघेला : वे चालू भी है या नहीं?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : उस बारे में मैं बता रहा हूं। *(व्यवधान)* उसको चालू रखना है तो हमारा जितना इन्फ्रास्ट्रक्चर है। *(व्यवधान)* जबसे मैं मिनिस्टर बना हूं तब से मैं घूम रहा हूं। हमारा जितना हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसको सही ढंग से चालू कर दिया जाये तो हमारा बहुत काम निकल जायेगा।

श्री चन्द्र भूषण सिंह : गांव के सब प्राइमरी हैल्थ सैंटर बंद हैं। आप बिहार से हैं और मैं उत्तर प्रदेश से हूं। सारे के सारे बंद हैं, एक भी चालू नहीं है। *(व्यवधान)*

डॉ० सी०पी० ठाकुर : उसी प्रयत्न में मैं घूम रहा हूं। ... *(व्यवधान)* अभी जितना इन्फ्रास्ट्रक्टर है, मैं एक मीटिंग कर चुका हूं। इसके अलावा 21 तारीख को मैं सारे हैल्थ मिनिस्टर्स को भी बुला रहा हूं कि जितना इन्फ्रास्ट्रक्चर है, पहले उसको चालू कीजिए, उसके बाद हम उसे बढ़ाने की बात करेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने डब्ल्यू०एच०ओ० की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर पहले ही प्रश्नचिन्ह लगाया है। मैं उनसे यह नहीं पूछना चाहता कि किस आधार पर उन्होंने इस रिपोर्ट पर प्रश्नचिन्ह लगाया है। परन्तु मैं अपने राज्य से एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में बात नहीं कर सकता। मेरे राज्य में, मैं उत्तरदायित्वपूर्ण कह रहा हूं, 35 प्रतिशत राजसहायता प्राप्त ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर एक्स-रे सुविधायें और ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की तुलना में बिस्तरों की सुविधायें नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ग्रामीण और साथ ही साथ शहरी इलाकों में बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में बिस्तरों की व्यवस्था को बढ़ाने के बारे में सोच रही है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय लोगों में फैल रही चार बीमारियों जैसे, हृदय रोग, हृदय वाल्व की समस्या इत्यादि के बारे में जानते हैं।

[हिन्दी]

हमारे नार्थ बंगाल में चार-पांच साल के बच्चों में न जाने क्यों, अभी तक उसे कोई जज नहीं कर पाया, बिलो पावर्टी लैवल पौपूलेशन में खासकर शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राईब्स, वीकर सैक्शन के लोगों में मैंने देखा, हार्ट की प्रोबल्म स्टार्ट होती है। सांगवान जी बैठे हुए हैं। इनके वहां मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा हो रही है। उनके इलाज के लिए स्टेट गवर्नमैंट के अस्पताल में एक लाख रुपये से कम नहीं है, नर्सिंग होम्स में 1.5 लाख रुपये से कम नहीं है। प्रधानमंत्री की तरफ से मदद के लिए 20-30 हजार रुपये मिलते हैं। किडनी के लिए नर्सिंग होम्स में ढाई लाख रुपये, 1.75 लाख रुपये स्टैट होस्पीटल में, ब्रेन के लिए टॉप नर्सिंग होम्स में 2.5 लाख रुपये, नार्मल स्टेट होस्पीटल में 1.2 लाख रुपये कौस्टिंग आती है क्योंकि वे लोग कहते हैं कि इसके बिना नहीं हो सकता। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गांवों और शहरों की आबादी के संतुलन को देखते हुए राशि बढ़ाने की सोचेगी और नर्सिंग होम्स का जो ग्रोथ हो रहा है, उसे हम रुपये कहते हैं, उसके साथ कम्पीट करके सरकार के हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को ऊंची प्रॉयरिटी का दर्जा देने का काम करेगी ? तीन बीमारियों के बारे में जो कहा है, उनके इलाज के लिए आपने क्या पॉलिसी बनाई है?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि पांचं साल के बच्चों में जो बीमारी होती है, ऐसा लगता है कि रूमैटिक हार्ट डिसीज़ की बीमारी गरीबों में ज्यादा होती है। उनका हार्ट वॉल्व इफैक्ट होता है। उन्होंने जो यह कहा है कि कम से कम डेढ़ लाख रुपये खर्च हो जाते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में रीजनल बेसिस पर, आर०एम०एल० में भी तुरंत हम खोलने जा रहे हैं। 4-5 सैंटर्स बनाकर सरकार की तरफ से सुविधा बढ़े, रूमैटिक हार्ट डिसीज़ को रोका जा सकता है। हम इन्क्वारी के लिए यहां से टीम भेजेंगे। अगर पैनीसिलीन का प्रोफाइल ऐक्सैस शुरू हो जाए तो रूमैटिक हार्ट डिसीज़ को रोका जा सकता है। यह बहुत सिम्पल है, महीने में एक सुई लेनी है। उसका वही मैथड है। वह नहीं देते होंगे। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : गांवों में है ही नहीं। मेरे वहां डिस्ट्रिक्ट होस्पीटल में नहीं है, आप गांव की बात छोड़िए।

डॉ० सी०पी० ठाकुर : वॉल्व चेंज करने या ट्रीटमैंट करने के बनस्पत इसकी रोक-थाम बहुत आसान है। जहां तक सहायता की बात है, प्राइम मिनिस्टर फंड से 20,000 से 30,000 रुपये मिलते हैं और हैल्थ मिनिस्टर फंड से 10,000 से 20,000 रुपये मिलते हैं। आपका कहना सही है कि औपरेशन की जितनी डिमांड प्राईवेट और यहां तक कि सरकारी अस्पताल में है और जितना हम देते हैं, दोनों में गैप बहुत है। हम कोशिश करेंगे कि इसे कैसे बढ़ाएं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, यह विषय अपने आप में बड़ा हृदयविदारक है। मैं अगर छोटे से उदाहरण से शुरू करूं, माननीय मंत्री जी उसी राज्य से आते हैं। छपरा मेरा कमीश्नरी मुख्यालय है और आज पचास वर्ष की आजादी के बाद भी उसके औपरेशन थियेटर में स्टोव से स्टैरलाइज किया जाता है और औपरेशन टेबल ईंट के ढेर पर खड़ा है। पिछले दस वर्षों से उस अस्पताल में बिजली की सुविधा नहीं है। जो जनरेटर आया है, डीजल के अभाव में वह सिविल सर्जन के घर में चलता है। बीस साल से एक ब्लॉक में ऐक्स-रे की मशीन आज भी *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूडी, सीधा सवाल पूछिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह विषय ऐसा है कि हम यहां जो भी विमर्श कर रहे हैं, अगर दस मिनट के समय के बाद हम कोई ऐसा रास्ता निकाल सकें कि जो अरबों-खरबों रुपया खर्च हो रहा है जिसमें से सत्तर फीसदी लोगों के वेतन में खर्च हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मात्र 30 फीसदी दवाओं पर खर्च हो रहा है। यदि इस संबंध में यहां कोई चर्चा करके इस देश के कोने-कोने में बसे लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सेवाएं सुलभ करा सकें, तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा कार्य होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आपके यहां गया था। जब मेरी बेटी की तबियत खराब हुई, तो मैं उसे एम०पी०एल०ए०डी० की एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल में गया। वहां मुझे यह देख कर अपार हर्ष हुआ कि वहां अस्पताल में डाक्टर और नर्स उपस्थित थीं, लोगों को दवाएं मिल रही थीं। यह उल्लेखनीय विषय है। ऐसी स्थिति बिहार में नहीं है। यदि पूरे देश में ऐसी व्यवस्था हो जाए, तो यह बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन महोदय, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे प्रान्त भी हैं जहां बुखार के लिए एक साधारण सी क्रोसिन की गोली के लिए रात में तीन बजे से लोग चार-चार और आठ-आठ किलोमीटर पैदल चलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : राजीव जी, आप प्रश्न पूछें।

श्री राजीव प्रताप रूडी : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत हृदय-विदारक है। हम इस विषय पर सदन में विचार-विमर्श न करके इस बात को टाल सकते हैं। माननीय मंत्री जी, स्वयं डॉक्टर हैं। यह बात सत्य है कि इस बात को हम मानते हैं कि इस क्षेत्र में धन का अभाव है और जिस प्रकार से निजी क्षेत्र से लोग इस क्षेत्र में आकर अपना बिजनैस बढ़ा रहे हैं और जिस प्रकार की आज स्थिति है कि छोटे से छोटे स्थान पर नरसिंग होम मिल जाएगा, ग्लूकोज चढ़ाने की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन डॉक्टर की सुविधा नहीं मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यानी आप यह प्रश्न करना चाहते हैं कि क्या डॉक्टरों की सुविधा उपलब्ध कराएंगे?

श्री राजीव प्रताप रूडी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि इस क्षेत्र में क्या आप ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे पूंजी निवेश निजी क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हो सके और उसके साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी निजी क्षेत्रों से लोग आकर अपने संसाधन लगाना चाहें या निवेश करना चाहें, तो क्या उसके लिए मंत्री महोदय व्यवस्था करना चाहेंगे या नहीं?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य की चिन्ता से स्वयं चिन्तित हूं और उन्होंने जो छपरा अस्पताल की स्थिति बताई है, उससे भी चिन्तित हूं। इन हालात में हैल्थ मिनिस्टर कान्फ्रेंस में इस विषय को हम लोग रखने जा रहे हैं कि जो इन्फ्रास्ट्रक्चरल विकास है वह जल्दी हो। वैसे विश्व बैंक की एक परियोजना के तहत सात राज्यों में इन्फ्रास्ट्रक्चरल डवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। जिस स्टेट से माननीय सदस्य आते हैं, उस स्टेट में सब कुछ खराब रहते हुए भी, अभी तक कोई प्रपोजल नहीं आया। मैंने स्वयं अपनी ओर से डिपार्टमैंट को कहा है कि जो कमजोर स्टेट हैं वे इसीलिए कमजोर हैं क्योंकि वे समय पर प्रपोजल ही नहीं भेज पाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से बात करेंगी, तो मैं आपको बोलने के लिए वक्त नहीं दूंगा। आप रनिंग कमेंट्री करते रहेंगे, तो मंत्री जी जवाब कैसे देंगे। कृपया बैठ जाइए।

मेरी मंत्री जी से भी गुजारिश है कि यदि प्रश्न बहुत लम्बा पूछा गया है, तो यह जरूरी नहीं कि उत्तर भी उतना ही लम्बा दिया जाए।

डॉ० सी०पी० ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में हैल्थ सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करना है उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चरल डिवेलपमेंट को इम्प्रूव करने हेतु यहां से एक प्रोजैक्ट तैयार करके बिहार सरकार को भेज रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वे उस पर दस्तखत करके भिजवा दें ताकि उस पर हम आगे कार्रवाई कर सकें।

[अनुवाद]

डॉ० वी० सरोजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य कानूनी अधिकार नहीं है। नीति के निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों की तरह कानूनी प्रक्रिया से लागू नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान, में अनुच्छेद 39, राज्यों को स्वास्थ्य संबंधी नीतियों को बनाने का निर्देश देता है और अनुच्छेद 47 के अंतर्गत यह राज्यों के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है कि वे स्वास्थ्य और पोषाहार स्तर को सुधारें।

हालांकि भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई है, चूंकि 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है; बजट बनाने और उसे लागू करने का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। मैं स्वास्थ्य मंत्री से ठोस उत्तर चाहती हूं कि क्या भारत सरकार राज्य सरकार पर एक निश्चित स्वास्थ्य नीति बनाने पर ज़ोर डालेगी जिसमें संबंधित राज्य का संबंधित वर्ष का लक्ष्य निर्धारित हो। दूसरा, क्या ऐसा कोई विधान लाने संबंधी विचार किया जा रहा है जिससे भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को ठीक करने संबंधी नीति को लागू करने की नीति बनाई जा सके ?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : हम इस पर विचार कर रहे हैं कि विभिन्न राज्यों की स्वास्थ्य प्रणाली को किस प्रकार सुधारा जाए और किस प्रकार भारत की क्षेत्रीय असमानताओं को ठीक किया जाए। जैसा कि माननीय मंत्री ने सुझाव दिया, हम अपना कार्य कर रहे हैं *(व्यवधान)*

श्रीमती कृष्णा बोस : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया, ऐसा लगा कि हमारे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है और डब्ल्यू०एच०ओ० कि रिपोर्ट गलत है। हम निश्चित रूप से बंग्लादेश और इराक से पीछे नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि हमारे देश में मातृत्व स्वास्थ्य सेवा कैसी है।

हाल ही में, प्रो० अमृत्य सेन दिल्ली में ही भाषण दे रहे थे। जहां उन्होंने कहा था कि मातृत्व स्वास्थ्य सेवा में, हम सब-सहारा देशों से पीछे हैं। जैसा कि आप जानते हैं महोदय, कि विश्व में पुरुष-महिला का अनुपात 100:107 है और हमारे देश में यह 100:93 है, जो एक प्रभावशाली उदाहरण है कि क्या हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि, मातृत्व स्वास्थ्य सेवा की स्थिति क्या है और वे मातृत्व स्वास्थ्य सेवा को सुधारने के लिए क्या करने जा रहे हैं।

डॉ० सी०पी० ठाकुर : महोदय, सम्माननीय सदस्या ने पुरुष महिला के अनुपात की ओर ठीक इशारा किया है। वास्तव में हमारे देश में केरल के अलावा, इसका उल्टा है। केरल ही ऐसा राज्य है जहां महिलाएं पुरुषों से अधिक हैं। अन्य राज्यों में यह कम है। इसके कई कारण हैं, और मातृत्व स्वास्थ्य सेवा इनमें से एक है। इस वर्ष, एक कार्यक्रम के माध्यम से, हम मातृत्व स्वास्थ्य सेवा और बाल उत्तरजीविता पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, मैं भी वही प्रश्न पूछना चाहती हूं जो प्रो० बोस ने अभी उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : 33 प्रतिशत।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, हम जनसंख्या का 50 प्रतिशत हैं, पर जहां तक महिलाओं के स्वास्थ्य का प्रश्न है, इसे सिर्फ गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था के बाद की सेवा के साथ जोड़ा गया है, जैसे हमें गर्भकाल से जुड़ी बीमारियों के अलावा और कोई बीमारी नहीं हो सकती।

श्रीमती रेणूका चौधरी : यह पुरुषों से जुड़ा हुआ नहीं है, अन्यथा कोई समस्या नहीं होती।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, गांवों में, परंपरागत रूप से दाई ही वह व्यक्ति है जो प्रसव कराती है उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में मातृत्व संबंधी मामलों को संभालने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि गांवों में कोई अस्पताल या कोई सहायता का आधार नहीं होता। क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि दाई के प्रति शिशु जन्म का या दिए गये उपकरण का मूल्य 60 पैसे है। इसमें एक धागे का टुकड़ा, एक ब्लेड और काफी जद्दोजहद के बाद, अब एक साबुन हाथ धोने के लिए देते हैं। यही उपकरण एक दाई को एक ग्रामीण प्रसव कराने के लिए मिलता है। यदि यही एक महिला के स्वास्थ्य के लिए दिए जाने वाला आबंटन है, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या वे आधारभूत सुविधाओं को सुधारने का विचार कर रहे हैं। जहां तक इस आबंटन का सवाल है महिलाओं के साथ जानवरों से बुरा बर्ताव किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती आल्वा, अपना प्रश्न पूछिए।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, क्या माननीय मंत्री को पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति जन्म पर दी जाने वाली राशि 60 पैसे है यदि हां, तो क्या वे इस राशि को बढ़ाने और महिलाओं के स्वास्थ्य सेवा के सुधार के लिए कुछ सोच रहे हैं?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : महोदय, इस समय हमने महिलाओं की देखभाल के संबंध में भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है और हमने यह निर्णय लिया है कि इसे जन्म से पहले से लेकर बुढ़ापे तक बढ़ाया जाए न कि केवल यह उसके गर्भधारण काल तक सीमित रहे। महोदय, बालिका भ्रूण हत्या देश के कुछ भागों में इतनी प्रचलित है, इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि हम गर्भधारण से ही इस बात का ध्यान दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से सहमत हूं जो कुछ उन्होंने दाई प्रथा के बारे में कहा। हम उसे बदलने जा रहे हैं और उनका आबंटन बढ़ाएंगे।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि ये प्रति जन्म केवल 60 पैसे हैं?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : जी हां और हम इसे बढ़ाएंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : मैंने पूछा कि 60 पैसे है क्या ?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : जी हां, उसको बढ़ाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आंसर दिया है कि आपका आंकड़ा ठीक है, उसको सुधारने के लिए काम करेंगे। आपने जो 60 पैसे का आंकड़ा दिया है, वे कह रहे हैं यह ठीक है और वह यह भी कह रहे हैं कि वे इसे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : इसे 65 पैसे बढ़ाएंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में पता नहीं है। श्री किरीट सोमैया।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : एक क्वश्चन को इतना टाइम न दिया जाये, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसे कम समय दिया जाये, जिससे कम से कम 3-4 क्वश्चंस तो आ जायें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई सदस्य इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : महोदय, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं।

श्री किरीट सोमैया : महोदय, पहली जनवरी से, देश में समान बिक्री कर प्रणाली को लागू किया गया है। परन्तु हुआ यह कि समान

बिक्री कर प्रणाली के लागू होने से विभिन्न राज्यों, जिन्होंने जीवनावश्यक औषधियों को बिक्री कर के दायरे से बाहर रखा था अब उसे वापस ले लिया है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस मामले को वित्त मंत्री और मुख्य मंत्रियों की स्थाई समिति में उठा रहे हैं जिससे जीवनावश्यक औषधियों की सूची को और व्यापक किया जाए और जीवनावश्यक औषधियों से सभी राज्यों में बिक्री कर हटा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से जुड़ा नहीं है।

डॉ० सी०पी० ठाकुर : परंतु मैं इस मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा करूंगा।

[हिन्दी]

एड्स पर "यूनिसेफ" की रिपोर्ट

+

*202. **श्री जयभान सिंह पवैया :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों द्वारा की गई प्रगति के संबंध में "यूनिसेफ" द्वारा हाल में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक एड्स संक्रमण प्रभावित देश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय भारत में एड्स रोगियों की संख्या कितनी है और सबसे अधिक एड्स रोगी किस-किस राज्य में हैं और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एड्स संक्रमित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस घातक बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ० सी०पी० ठाकुर) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ङ) यूनिसेफ रिपोर्ट "प्रोग्रेस ऑफ नेशन्स 2000" में अफ्रीकी और एशियाई देशों में एच०आई०वी०/एड्स के आंकड़ों का सार दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के एच०आई०वी० संक्रमित लोगों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भारत में है। रिपोर्ट में युवा लोगों, पुरुषों और महिलाओं के 15-24 के आयु वर्ग में संक्रमण की व्यापकता दर भी दी गई है। मूल रिपोर्ट में महिलाओं में 0.6 प्रतिशत और पुरुषों के 0.4 प्रतिशत दर का उल्लेख है। एक शुद्धि पत्र में महिलाओं की प्रतिशतता बदलकर 0.4 प्रतिशत और पुरुषों की 0.6 प्रतिशत कर दी गई है। रिपोर्ट में आंकड़ों का स्रोत 2000 के लिए यूएनएड्स रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है।

2. यूएनएड्स की विश्वव्यापी (ग्लोबल) एच०आई०वी० महामारी पर जून, 2000 में जारी हुई रिपोर्ट में 1999 के अंत तक के एच०आई०वी०/एड्स आंकड़े दिए गए हैं। इसमें एच०आई०वी०/एड्स से ग्रस्त वयस्कों और बच्चों के संबंध में अलग-अलग अनुमान दिए गए हैं जो 21 लाख से 43 लाख के बीच हैं। रिपोर्ट में युवा लोगों, पुरुषों और महिलाओं में एच०आई०वी० व्यापकता दर का अनुमान दिया गया है और यह पुरुषों के संबंध में 0.14 प्रतिशत से लेकर 0.58 प्रतिशत तथा महिलाओं के संबंध में 0.40 प्रतिशत से लेकर 0.82 प्रतिशत है। औसतन दर पुरुषों के लिए लगभग 0.36 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 0.61 प्रतिशत बैठता है जो यूनीसेफ द्वारा सूचित मूल एच०आई०वी० व्यापकता दर के अनुरूप है। लेकिन बिना कुछ कारण बताए यूनीसेफ की रिपोर्ट में एक शुद्धि पत्र दिया गया है जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच आंकड़ों को बदला गया है। पुरुषों और महिलाओं के बीच दरों में ऐसे तदर्थ परिवर्तन के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

3. जहां 15-49 आयु वर्ग के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा किए गए वार्षिक प्रहरी सर्वेक्षण के आधार पर एच०आई०वी० व्यापकता दरों का अनुमान लगाया गया है, वहीं विशिष्ट रूप से 15-24 आयु वर्ग के लिए एच०आई०वी० व्यापकता दर का अलग अनुमान उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यूएनएड्स और यूनीसेफ ने 15-24 आयु वर्ग के युवा लोगों में व्यापकता दर किस प्रकार निकाली हैं और आंकड़ों को अपनी वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित किया है। अत: सरकार 15-24 आयु वर्ग के युवा लोगों में एच०आई०वी० व्यापकता दरों के आंकड़ों को अधिप्रमाणित नहीं मानती है क्योंकि वे प्रहरी निगरानी प्रणाली के माध्यम से क्षेत्र (फील्ड) में किए गए वास्तविक अध्ययन पर आधारित नहीं हैं।

4. भारत सरकार के एच०आई०वी०/एड्स पर अनुमान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा देश भर में स्थित 180 प्रहरी स्थलों के माध्यम से किए गए वार्षिक प्रहरी सर्वेक्षण पर आधारित हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के प्रहरी आंकड़े अक्तूबर, 1998 और अक्तूबर, 1999 में किए गए वार्षिक सर्वेक्षणों के लिए हैं। सर्वेक्षण का अगस्त से अक्तूबर, 2000 तक का अगला दौर चालू है।

5. वर्ष 1998 में किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर भारत सरकार ने अनुमान लगाया है कि देश में लगभग 3.5 मिलियन एच०आई०वी० संक्रमण वाले व्यक्ति हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर में देश में सबसे अधिक एच०आई०वी० संक्रमणों की व्यापकता दर वाले राज्य हैं। वर्ष 1998 में की गई प्रहरी निगरानी के अनुसार एच०आई०वी० संक्रमणों के राज्यवार अनुमान संलग्न उपाबंध में दिए गए हैं।

6. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का दूसरा चरण नवम्बर, 1992 में आरम्भ किया गया था जिसमें प्रथम चरण (1992-99) की तुलना में वित्तीय परिव्यय के रूप में चौगुनी वृद्धि करके देश में एच०आई०वी०/एड्स के रोकथाम और नियंत्रण कार्यकलापों का

विस्तार किया गया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1425 करोड़ रुपए की राशि का अनुमोदन किया है।

7. इस कार्यक्रम में एच०आई०वी०/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तथा एच०आई०वी०/एड्स से पहले से संक्रमित हो चुके लोगों के लिए सही वातावरण बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई गई हैं :–

(i) निर्धन और सामाजिक रूप से पृथक लोगों, जिन्हें संक्रमण का अधिक खतरा है, में यौन संचारित रोगों के उपचार, कण्डोम के प्रयोग को बढ़ावा देने और लक्षित जागरूकता और परामर्शी कार्यक्रमों के द्वारा एच०आई०वी० के फैलने में कमी लाना।

(ii) निम्नलिखित के द्वारा आम लोगों में सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से जागरूकता पैदा करना – (क) गांवों और शहरी मलिन बस्तियों में आवधिक परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना (ख) स्कूल और कालेज शिक्षा कार्यक्रम (ग) सुरक्षित रक्ताधान सेवाएं (घ) स्वैच्छिक परीक्षण और परामर्श को बढ़ावा देना।

(iii) एच०आई०वी०/एड्स से संक्रमित लोगों को सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में संयोगिक संक्रमणों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करके परिचर्या और सहायता प्रदान करना तथा एच०आई०वी०/एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले सामुदायिक परिचर्या केन्द्र खोलना।

(iv) राज्य एड्स नियंत्रण समितियों की स्थापना करके राज्य और जिला स्तरों पर कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण और राज्य, जिला और नगर निगम स्तरों पर पर्याप्त तकनीकी और वित्तीय सहायता से प्रदाय प्रणाली को सुदृढ़ करना और उसका उन्नयन करना; तथा

(v) केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों और अभिकरणों, प्राइवेट क्षेत्र और स्वैच्छिक क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्रों की सहभागिता प्राप्त करना और उनमें अपनत्व की भावना का विकास करना।

उपाबंध

वर्ष 1998 के मध्य में अनुमानित एच०आई०वी० संक्रमण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य	शहरी पुरुषों में एच०आई०वी० संक्रमणों की संख्या	शहरी महिलाओं में एच०आई०वी० संक्रमणों की संख्या	ग्रामीण पुरुषों में एच०आई०वी० संक्रमणों की संख्या	ग्रामीण महिलाओं में में एच०आई०वी० संक्रमणों की संख्या	आई०डी०यू० में एच०आई०वी० संक्रमणों की संख्या	कुल एच०आई०वी० संक्रमण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	महाराष्ट्र	350.123	272.689	80.360	43.878		747.050
2.	कर्नाटक	134.665	107.517	44.469	23.122		309.773
3.	आन्ध्र प्रदेश	234.395	189.507	94.825	48.351		567.078
4.	तमिलनाडु	137.668	111.248	40.215	18.863		307.994
5.	मणिपुर	1.702	1.358	0.644	0.374	34.500	38.578
6.	गोवा	4.433	3.578	0.972	0.456		9.439
7.	दिल्ली	13.504	5.605	0.231	0.072		19.412
8.	हिमाचल प्रदेश	0.942	0.471	1.306	0.600		3.319
9.	गुजरात	44.322	20.746	12.186	4.620		81.874
10.	पश्चिम बंगाल	60.060	27.542	20.638	8.841		117.081
11.	नागालैंड	1.310	0.582	1.062	0.310	1.560	4.824
12.	मिजोरम	0.973	0.450	0.158	0.063		1.644
13.	पांडिचेरी	2.122	1.047	0.197	0.065		3.431
14.	अंडमान निकोबार	0.342	0.094	0.127	0.032		0.595
15.	अरुणाचल प्रदेश	0.415	0.118	0.390	0.097		1.020

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	असम	10.725	3.303	11.941	3.184		29.153
17.	चंडीगढ़	3.330	0.879	0.064	0.012		4.285
18.	दमण और द्वीव	0.051	0.016	0.010	0.002		0.079
19.	हरियाणा	18.691	5.443	8.145	2.008		34.287
20.	केरल	92.427	32.028	34.156	10.729		169.340
21.	मध्य प्रदेश	71.354	22.138	35.484	8.839		137.815
22.	मेघालय	0.350	0.110	0.261	0.059		0.780
23.	उड़ीसा	17.867	5.783	16.623	4.503		44.776
24.	पंजाब	25.665	7.591	8.296	2.182		43.734
25.	राजस्थान	24.444	7.416	15.575	3.035		50.470
26.	सिक्किम	0.040	0.012	0.069	0.014		0.135
27.	त्रिपुरा	1.851	0.582	1.393	0.388		4.214
28.	उत्तर प्रदेश	53.105	15.594	32.314	7.618		108.631
29.	बिहार	46.831	14.228	41.605	11.347		114.011
30.	जम्मू और कश्मीर	7.817	2.407	3.437	0.926		14.587
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0.045	0.015	0.076	0.021		0.157
32.	लक्षद्वीप	0.161	0.048	0.017	0.004		0.230
	कुल	1361.730	860.145	507.246	204.615	36.060	2969.796

20 प्रतिशत के अन्तर को मानते हुए भारत में एच०आई०वी० अनुमान 98 के मध्य में 2.3 मिलियन से 3.5 मिलियन है। तथापि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रयास में सभी समूहों को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया है, 3.5 मिलियन के अनुमान को स्वीकार किया गया।

[हिन्दी]

श्री जयभान सिंह पवैया : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एड्स एक विश्वव्यापी संकट के रूप में हमारे सामने आया है। यह एक चिंतनीय बात है कि यूनीसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सर्वाधिक एड्स पीड़ित लोग हैं। हमारे लिए और भी इसमें एक चिंतनीय विषय है कि 15 से 24 वर्ष की आयु के बीच एड्स का भयंकर रोग तेजी से बढ़ रहा है। एड्स के सम्बन्ध में जो सबसे बड़ा कारण बन रहा है, मैं उसकी ओर ध्यान खींचना चाहता हूं। देश के समाचार पत्रों में बंगलादेशियों के पकड़े जाने के समाचार आते हैं, एक बाढ़ सी आ गई है। इन लोगों में बेरोजगारी और दरिद्रता के कारण वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। इन बंगलादेशियों के कारण ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में एड्स की दर, खास कर मणिपुर में, तेजी से बढ़ रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है और गया है तो इसके लिए क्या उपाय सोचे जा रहे हैं ?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह जो यूनीसेफ की रिपोर्ट एड्स के विषय में प्रकाशित हुई है, जैसा मैंने पहले ही रिपोर्ट के विषय में कहा, इसके विषय में भी हम लोगों का रिजर्वेशन है। हम लोगों की फिगर इनसे थोड़ी भिन्न है। इन्होंने कहा लार्जेस्ट है, हमारा बड़ा देश है, बड़ा प्रतिशत है इसलिए ज्यादा कहा होगा, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा एड्स साउथ अफ्रीका में है, इन्होंने कोरिगजेंडम में एड कर दिया, जबकि हमारे यहां मेल-फीमेल रेशो बदला है। उसका भी बेस मालूम नहीं पड़ता कि क्यों कर दिया। इनके जो आंकड़े लिए हैं, हमारे मंत्रालय की संस्था है नाको, वही आंकड़े एकत्र करती रही है। इनका कोई मैथेड मालूम नहीं पड़ा कि फिगर्स कैसे बढ़ाए। माननीय सदस्य ने जो बंगलादेशियों के विषय में कहा है तो उसके सम्बन्ध में यू०एस० स्टेट डिपार्टमेंट से एक इंफार्मेशन निकली थी कि भारतवर्ष में एड्स इसलिए बढ़ने वाली है, क्योंकि बगल के देश से जो लड़कियां हैं, उनको भारत के बड़े शहरों में स्मगल किया जाता है। उसके चलते यहां सैक्स वर्कर्स के इंसीडेंट बढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस ओर हम लोग अवेयर हैं और गृह मंत्रालय से भी वार्ता कर रहे हैं कि इसको कैसे रोकें।

श्री जयभान सिंह पवैया : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि समस्या की तुलना में प्रयास कुछ कमजोर दिखाई देते हैं।

इसकी दो प्रमुख औषधियां हैं, ए०जेड०डी०ओ०, डी०डी०वाई० ये ऊंची रकम की दवाएं होने के कारण आम आदमी की पहुंच से परे हैं। इसलिए स्वयंसेवी संगठनों की मदद इस क्षेत्र में जरूरी है। मैं जानना चाहता हूं कि एड्स की रोकथाम के लिए गैर सरकारी संगठनों को अपनी परियोजनाएं मंजूरी कराने में कठिनाई आती है, उनको सरल बनाने के क्या उपाय सोचे हैं और भारत तथा अमेरिका के सहयोग के आधार पर एक एड्स निरोधक कार्यदल बनाया गया है, उसने देश में किन क्षेत्रों की पहचान की है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इनके द्वारा जन-जागरूकता के क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो इंसीडेंट्स के हिसाब से उन राज्यों को अलग-अलग कैटेगेराइज किया है कि किसमें ज्यादा है या किसमें कम है। उस हिसाब से अभी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और मणिपुर में 'ऐड्स' के ज्यादा इंसीडेंट्स हैं और अन्य राज्यों में कम है। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि अवैयरनैस प्रोग्राम भी काफी जोरों से चल रहा है। ऐड्स पर हम लोगों का एलोकेशन भी बहुत बढ़ गया है। साल में दो बार सर्वे भी कराते हैं और इसकी रोकथाम के भी इंतजाम करते हैं। माननीय सदस्य ने दवा की बात कही है। अभी दवा हमारे प्रोग्राम में नहीं है और इसकी संभावना भी नहीं है क्योंकि दवा कराने में एक साल में एक आदमी पर पांच लाख रुपये से लेकर छः लाख रुपया खर्च आता है, इसलिए वह अभी संभव नहीं है। कुछ कंपनियों ने कहा कि वे दवा के दाम बहुत घटाएंगीं और उसके बाद हम विचार करेंगे कि कैसे इसे अपने प्रोग्राम में हम इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन मदर से चाइल्ड के जो इस डिजीज के ट्रांसमिशन की बात है, उसे रोकने के लिए कुछ दवा एक ही डोज मदर को या चाइल्ड को दी जाती है, उससे इसकी संभावना बहुत घट जाती है। हम उसे एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर कर रहे हैं और मार्च में इसका रिजल्ट आ जाएगा फिर उसे हम प्रोग्राम में ले लेंगे।

[अनुवाद]

डा० (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा : महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार शादी से पहले एच०आई०वी० एड्स के अनिवार्य परीक्षण का विचार कर रही है। इससे एड्स के मामलों, विशेषकर महिलाओं में, कमी आएगी। मैं अनिवार्य एड्स के जांच की बात कर रही हूं जिससे जो भी विवाह करना चाहता है के पास 'हम एड्स मुक्त हैं' का प्रमाण पत्र होगा।

[हिन्दी]

डॉ० सी०पी० ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, कम्पलसरी टैस्टिंग को लेकर महिला ऑरगेनाइजन ने इतना हंगामा किया कि यह डिगनिटी ऑफ वूमन के खिलाफ है और सबको कम्पलसरी टैस्टिंग से तो और समस्याएं आ जाएंगी। इसीलिए यह संभव नहीं हो पाया। अगर मैरिज के पहले करेंगे तो और मुश्किल होगी।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एड्स के फैलने के कारणों में से एक – आपने मणिपुर का उल्लेख किया–है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई ढाबे हैं ··· *(व्यवधान)*

श्री चरकला राधाकृष्णन : महोदय, आप मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं ··· *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप की ओर इस बार निश्चित ही ध्यान दूंगा।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, इस संबंध में श्री सुनील दत्त ने गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिल कर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक यात्रा की थी। वे यहां रुकते थे और लोगों को शिक्षित करते थे। यह काफी अच्छा कार्य था। मैं इस बात को समझता हूं ये अब बंद हो चुका है। इस तथ्य को देखते हुए, क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि इस कार्य को बंद करने का क्या कारण था जो स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से शुरू की गई थी ? इसे क्यों बंद किया गया ? यदि नहीं तो, तो सरकार इसे जारी रखने के लिए क्या उपाय करने जा रही है क्योंकि यह बहुत अच्छा सामूहिक कार्य था ?

आपने मणिपुर का उल्लेख किया। यह तथ्य सच है कि जब आप मणिपुर जाते हैं, यदि आप विश्राम गृह में भी रुकते हैं तो आपको यह सुझाव दिया जाता है कि आप अपनी चादर और तकिये का गिलाफ़ साथ में रखें। जागरुकता कार्यक्रम को विश्वविद्यालय ने हाथ में लिया है। यह काफी अच्छा कार्य है। वहां भी, आपने अनुदान देना बंद कर दिया। उन्हें कुछ अनुदान मिलना चाहिए।

डॉ० सी०पी० ठाकुर : महोदय, मैं इसकी जांच करूंगा कि अनुदान क्यों बंद कर दिया है फिर मैं माननीय सदस्य को इसकी जानकारी दूंगा।

श्री चरकला राधाकृष्णन : महोदय, हाल ही में कुछ प्रेस रिपोर्ट एच०आई०वी० के संक्रमण से संबंधित आई थी। अब, यह प्रेस रिपोर्ट भ्रम में डालने वाली है। विरोधाभासी रिपोर्टें भी आई हैं। एच० आई०वी० संक्रमण के मामलों में भारत को दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश ठहराने की यह एक कोशिश है। यह सही नहीं है, इससे मैं सहमत हूं। यह रिपोर्टें भ्रम पैदा करने वाली हैं। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार निश्चित स्थिति को स्पष्ट करने के लिए क्या कदम उठाने का इरादा रखती है। जो संगठन इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्होंने दावा किया है कि रिपोर्ट गलत है। अन्य लोग यह दावा कर रहे हैं कि रिपोर्ट सही है। लोगों के मन में डर की भावना उत्पन्न की जा रही है।

इसलिए लोगों में ऐसी भावना को रोकने के लिए और हमारी सभ्यता के लिए भी, यह अच्छा है कि प्रेस रिपोर्ट का स्पष्टीकरण किया जाए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा सर्वेक्षण कराएगी जिससे एच०आई०वी० संक्रमण के सही तथ्य प्रकट हो जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अच्छा प्रश्न है।

डॉ० सी०पी० ठाकुर : वास्तव में स्वास्थ्य विभाग ही ऐसा विभाग है जो सर्वेक्षण कराता है; और वह सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किए जाते हैं। इस वर्ष, यह पुनः 1 अगस्त से शुरू होने वाला है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, सर्वप्रथम, मैं दिए गए जवाब पर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। उन्होंने मध्य-1998 के अनुमानित एच०आई०वी० संक्रमण की क्रमबद्ध सूची दी है। अब, आपने कर्नाटक का नाम दूसरा सर्वाधिक प्रभावित राज्य के रूप में लिया है जबकि तथ्य है कि यह आंध्र प्रदेश है। आपके आंकड़े भी यह बताते हैं कि सबका जोड़ भिन्न है। आंध्र प्रदेश में 567 और कर्नाटक में 309 है। आंध्र प्रदेश का आंकड़ा 567.78 है। इसलिए इसे ठीक किया जाना चाहिए।

मैं तीन मुद्दे उठाना चाहती हूं जो निम्नलिखित हैं :–

(क) हमारे देश में वैसे ही रोगरोधी चीजों की कमी हैं। हमें निरोध कहीं भी और किसी भी स्थान पर नहीं मिलते। पहले यह प्रस्ताव रखा गया था कि निरोध बेचने वाली मशीनों को लगाया जाएगा जिससे एच०आई०वी० के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस परियोजना का क्या हुआ ?

(ख) एड्स जागरुकता संबंधी शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य बनाना चाहिए क्योंकि हमारे देश में बच्चे के प्रति यौन शोषण और बाल यौन गतिविधियां बढ़ रही हैं।

(ग) यह आंकड़े सच नहीं हैं क्योंकि हमारे देश में जिस प्रतिशत में एच०आई०वी० के रोगी हैं वे अधिकतर बिना जांचे या बिना सूचना के रह जाते हैं। मेरे समय में चार अंकों के टेलीफोन न० स्थापित किए गये थे जिसके लिए हमने कहा था कि ये राष्ट्रीय नम्बर बनने चाहिए जैसे पुलिस को बुलाने के लिए होते हैं; आप डायरेक्ट्री की पूछताछ के लिए टेलीफोन नम्बर मिला सकते हैं। एच०आई०वी० के लिए चार अंकों का नम्बर दिया गया था चूंकि इस रोग के साथ सामाजिक कलंक जुड़ा है, जिससे कोई भी नागरिक यह नम्बर मिलाकर, ऐच्छिक जानकारी ले सकता था, और जिसके भी पास उचित जानकारी नहीं होती तो उसे एक संक्षिप्त नम्बर दिया जाता जिससे वह दुबारा फोन कर सकता। मेरा यह प्रश्न उठाने का कारण यह है कि ये सब बहु-आयामी नीति है जिसे हमें तात्कालिक रूप में करना है क्योंकि 14 से 40 साल की आयु, नागरिक की उत्पादक आयु होती है। अगले पांच वर्षों में सरकार का क्या करने का प्रस्ताव है ? लाखों भारतीय एच०आई०वी० एड्स और उससे संबंधित रोगों जैसे टी०बी०, चर्म रोगों, ब्रोंको-न्यूमोनिया इत्यादि से मर रहे होंगे। सभी संबंधित बीमारियां फैलने लगेंगी। लोग कीड़े-मकोड़े की तरह मर रहे होंगे। मैं बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बोल रही हूं। लोग अस्पतालों में आएंगे और पड़े रहेंगे *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सुन लो, आप लोगों को पता नहीं है। *(व्यवधान)* आपके स्टेट का कितना है, आप पहले पता करिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वे इतना जानते हैं। अगर उन्हें बहुमूल्य सुझावों को सुनने में एतराज है तो फिर ठीक है। यही मैं जानना चाहती हूं। यह सब खुद करने दो। हमारे सभी अस्पताल एच०आई०वी० रोगियों को संभालने के लिए पूरी तरह सुसज्जित नहीं हैं। एक आदमी एक से पांच और पांच से पंद्रह साल तक बीमार रहकर अस्पताल में पड़ा रहेगा और इसका कोई फायदा भी नहीं होगा।

[हिन्दी]

डॉ० सी०पी० ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पोजीशन का सवाल है, एनैक्सचर में एक्चुअल नंबर दिया गया है। उसके मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर आन्ध्र प्रदेश में है। एक्चुअल नंबर दिया गया है न कि यह कि कितनी परसेंटेज कहां है। तीसरा नंबर कर्नाटक को है और चौथा तमिलनाडु का है तथा पांचवा नंबर केरल का है। इन पांच स्टेट्स में सबसे ज्यादा एड्स के केसेज हैं। जो टेलीफोन नंबर की बात आपने की, वह 35 जगह पर कार्यरत है, काम चल रहा है। जहां तक एवैलेबिलिटी ऑफ कंडोम्स की बात कही है, अभी पोपुलेशन पॉलिसी में ऐसा हुआ है कि इस बार हम लोग जितनी भी अनमैट नीड्स हैं, खासकर कंडोम्स हैं, हम लोग इसमें बढ़ोतरी करेंगे और कंट्री की जितनी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करेंगे।

श्रीमती रेणूका चौधरी : आप जब तक फैमिली प्लानिंग को एड्स से अलग नहीं करेंगे तब तक यह समस्या आपके सामने आती रहेगी, अनमैट नीड्स की डिमाण्ड बढ़ती जाएगी क्योंकि जो आदमी एड्स के मुताबिक कंडोम इस्तेमाल करता है, वह फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोच रहा है।

डॉ० सी०पी० ठाकुर : आजकल कंडोम्स इस तरह से बनाया जा रहा है कि वह एड्स के भी काम आए।

श्रीमती रेणूका चौधरी : आप एड्स कमीशन सैपरेट शुरू कीजिए ताकि प्रीवेंशन ऑफ एड्स हो सके। आप इसे शुरू कीजिए।

डॉ० सी०पी० ठाकुर : वह शुरू है।

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : इस समय स्वस्थ समाज बनाए जाने की आवश्यकता है इससे पहले कि हम धनाढ्य समाज के बारे में सोचें। जहां तक स्वास्थ्य का संबंध है, प्रत्येक नागरिक इससे चिंतित है कि इसमें बहु-दूरस्थ गिरावट आई है, वह भी गरीब वर्ग में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

आंकड़े यह दर्शाते हैं कि लगभग सभी राज्य जो समुद्र तट पर स्थित हैं, महाराष्ट्र से लेकर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तक, सभी राज्य जहां तक एच०आई०वी०, एड्स रोग का संबंध है, सर्वोपरी है। इसके कुछ निश्चित कारण हैं कि जहां कहीं भी बंदरगाह है वहां एच०आई०वी०, एड्स का रोग अधिक है और कुछ विशेष राज्यों में जहां राष्ट्रीय राजमार्ग लंबा है वहां एच०आई०वी० और एड्स रोग अधिक है। इसलिए, यहां, राष्ट्रीय राजमार्गों पर और बंदरगाहों के इन कुछ क्षेत्रों में विशेष सावधानी की आवश्यकता है, और विशेष कार्यक्रमों को अत्यावश्यक रूप से चलाने की आवश्यकता है।

क्या सरकार राज्यों का और उसमें व्याप्त एच०आई०वी०, एड्स से संबंधित विश्लेषण कर रही है, और क्या सरकार आने वाले समय में बनने वाली नीति में इस विशेष पहलू को सम्मिलित करने का विचार कर रही है?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : मैं माननीय सदस्य को यह मामला उठाने के लिए धन्यवाद देता हूं। सच तो यह है, एड्स की महामारी के व्यापक होने से पूर्व, शारीरिक-संबंधों से फैलने वाली बीमारियां भारत में ही नहीं वरन् पूरे विश्व के बंदरगाह के क्षेत्रों में आम थी। इसलिए, यह एड्स भी बंदरगाह के आसपास के क्षेत्रों में और इसलिए तटीय क्षेत्रों में आम है। हम विचार कर रहे हैं कि इसे हमारी नीतियों में शामिल किया जाए और दूसरे जैसा कि माननीय सदस्य ने भी यहां इंगित किया है ...*(व्यवधान)*

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : राष्ट्रीय राजमार्ग ?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : जी हां, राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले ट्रकचालक इसका एक अन्य जरिया है। हमन इन बातों को भी हमारी नीतियों में सम्मिलित कर रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कागजी आंकड़ों के आधार पर चलती है। माननीय मंत्री जी एशिया के प्रमुख डाक्टरों में रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अलावा जो हकीकत है, उसके बारे में सदन को जानकारी दें। 7-8 जुलाई के इंडियन एक्सप्रैस में निकला है, यूएन एड द्वारा बताया गया है कि भारत में वर्ष 1999 में 3 लाख 10 हजार लोगों की मृत्यु हुई, जबकि नाको द्वारा बताया गया है कि मात्र 11 हजार लोगों की मृत्यु हुई। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, अगर विदेशी कम्पनी नाको का प्रतिवेदन गलत है और जिस तरह से भारत में गलत प्रचार चल रहा है, उसके लिए सरकार अपने स्तर पर क्या कार्यवाही कर रही है ? दूसरा प्रश्न — चार-पांच रोज पहले नाको के निदेशक का बयान आया था और उनके बयान से लगता है कि स्वयं उनको इस संक्रामक रोग की जानकारी नहीं है। यह संस्था पिछले कई वर्षों से देश में चल रही है और इसने विश्व बैंक से ऋण भी लिया हुआ है। अखबारों में उनके द्वारा दिए गए बयानों से लगता है कि ऋण का सदुपयोग नहीं हो रहा है और कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, अगर नाको द्वारा सही ढंग से कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है ? अगर वे ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो सरकार क्या एन०ए०सी०पी०-II की रिपोर्ट पर समीक्षा कर, कार्रवाई करना चाहेगी?

डॉ० सी०पी० ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि यूएन एड्स का फीगर गलत था। यूएन एड्स की अपनी कोई एजेंसी नहीं है, वे सर्वेक्षण कराते हैं कि उसके पास क्या फीगर है। वही नाको की फीगर लेकर उसे जोड़ देता है और घटा देता है। नाको के अलावा कोई एजेंसी नहीं है, जिसने कोई सर्वेक्षण कराया हो, इसलिए उनका फीगर गलत है, हम लोगों ने कंटेस्ट किया है। दूसरा, जहां तक माननीय सदस्य ने बताया है कि नाको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर संस्था है, डिसेंट्रलाइज इसका वर्किंग कर दिया। हरेक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से इसका काम होना है और पैसा लेकर उन लोगों के यहां भेज देना नाको का काम है। उन्होंने ठीक सजेशन दिया है कि नाको का वर्किंग कैसे इम्प्रूव करेगा और कैसे एड्स प्रोग्राम अच्छा चलेगा। ...*(व्यवधान)* इस पर हम लोग प्रयत्नशील हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : आपने रिपोर्ट की समीक्षा पर नहीं बताया।

डॉ० सी०पी० ठाकुर : वह भी हम लोग कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

कई गैर-सरकारी संगठन लोगों में जागरुकता पैदा करने और इस खतरनाक बीमारी को रोकने के लिए इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। यह गैर-सरकारी संगठन कैसा कार्य कर रहे हैं ? इन्हें कितनी वित्तीय सहायता प्रतिवर्ष दी जा रही है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास सर्वेक्षण की कोई प्रणाली है और कितने गैर-सरकारी संगठनों को अभी तक काली-सूची में डाला गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय, कृपया छोटा उत्तर दें।

डॉ० सी०पी० ठाकुर : जी हां, महोदय, जहां तक उनको काली सूची में डालने और उनके कार्य का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को उत्तर भिजवा दूंगा। कई गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

+

*230. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** 17 अप्रैल, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3487 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष मरम्मत कार्यक्रम के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत कार्य में गुणवत्ता लाने हेतु तैयार किए गए कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ख) मध्य प्रदेश में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणता में सुधार के लिए 573 करोड़ रु० की अनुमानित लागत मे लगभग 3700 कि०मी० की लम्बाई हेतु एक विशेष मरम्मत कार्यक्रम 1999-2000 में अनुमोदित

किया गया था। तथापि, 362 करोड़ रु० की लागत से लगभग 2400 कि०मी० की लम्बाई में ही यह कार्य पूरा किया जा सका। शेष कार्य चालू वित्त वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

इसके अतिरिक्त, लगभग 900 करोड़ रु० की लागत से लगभग 5500 कि०मी० अतिरिक्त लम्बाई में सड़क गुणता सुधार कार्य मार्च, 2001 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों सहित समग्र राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की गुणता को चरणबद्ध रूप में मार्च, 2003 तक सुधारने की योजना है। यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। उचित गुणता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी कार्यों में हाट मिक्स प्लांट और पेवरों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : महोदय, विगत वर्षों में जो देश में आर्थिक विकास को गति मिली और औद्योगिक गतिविधियां जिस तरह बढ़ी हैं, उसके कारण उत्पादों में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मार्ग का जो माल परिवहन है, उसकी बहुत सीमित क्षमता होने के कारण, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण जो दबाव राष्ट्रीय राजमार्गों पर पड़ा है, उसके कारण वाहनों की संख्या में भी वृद्धि हुई है तथा वाहनों की भार क्षमता में भी वृद्धि हुई है। इन तमाम कारणों से देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति आज चलने योग्य नहीं रह गई है, बहुत बुरी दशा है। महोदय, अनेक जगह राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह उखड़ चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। मैंने इस संबंध में जो प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में मंत्री जी ने बताया है कि 573 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 1999-2000 में 3,700 किलोमीटर लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, उसमें से इन्होंने कुछ कार्य पूरा किया है, शेष अभी बाकी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सहित देश में क्या आपने कोई योजना बनाने के पहले कोई सर्वेक्षण कराया कि कितने और कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग किन जगहों पर क्षतिग्रस्त हैं और उनकी गुणवत्ता में, क्षमता में सुधार आवश्यक है। इसके ही दूसरे भाग में दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश में आपने जो इस वर्ष काम 1999-2000 में कराया, उसमें से मध्य प्रदेश में कुल कितनी लागत से, कितने किलोमीटर राजमार्ग का गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम अभी तक पूरा किया जा चुका है।

श्री राजनाथ सिंह : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैफिक डेंसिटी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है और वाहनों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। सारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 52 हजार दस किलोमीटर है। हमारे जल भूतल मंत्रालय ने उसका सर्वेक्षण भी कराया है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पिछले वर्ष जनवरी माह तक लगभग 27 हजार किलोमीटर ऐसे राजमार्ग हैं, जिनकी स्थिति सुधारना आवश्यक है, इम्प्रूवमेंट करना आवश्यक है। हम सब ने यह भी फैसला किया है कि अधिकतम 2003 मार्च तक जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी गुणवत्ता में सुधार ला दिया जाएगा। माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न पूछा है, वह मध्य प्रदेश के बारे में है कि सन् 1999-2000 में मध्य प्रदेश को कितना एलोकेशन हुआ था, कितना सैंक्शन हुआ और कितना एक्सपेंडीचर हुआ। मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि आईआरक्यूपी स्कीम के तहत और स्पेशल रिपेयर प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश सरकार को 44.84 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने केवल 7.50 करोड़ रुपये ही खर्च किये। मध्य प्रदेश का टार्गेट सन् 1999-2000 के लिए 328 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत में सुधार करने, स्ट्रेथनिंग करने अथवा राइडिंग क्वालिटी का बना देने का था। लेकिन यह विडम्बना ही है कि 328 किलोमीटर के टार्गेट के स्थान पर केवल मध्य प्रदेश में 80 किलोमीटर ही अचीवमेंट रही।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 44.84 करोड़ रुपया जो मध्य प्रदेश के लिए अनुमोदित किया गया, उसमें से 7.50 करोड़ रुपया व्यय हो चुका है। लेकिन जो यह राशि आपने अनुमोदित की उस फंड की रिलीज की तारीख मैं जानना चाहता हूं और दूसरा यह कि जो कंक्रीट के राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की योजना थी शासन ने इस सिलसिले में क्या निर्णय लिया है, क्योंकि कोलतार से बनने वाले राजमार्गों के बारे में यह पाया गया कि ये टिकाऊ और सक्षम नहीं हैं। क्या जो नये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जायेंगे वे कंक्रीट से बनाए जायेंगे, अगर हां तो उसके बारे में आप विस्तार से जानकारी दें।

श्री राजनाथ सिंह : श्रीमन्, इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 44.84 करोड़ रुपया जो अनुमोदित हुआ, उसमें से 7.50 करोड़ रुपये जनवरी 2000 में रिलीज हुए थे। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य पूछेंगे कि अगर जनवरी 2000 में रिलीज हुए थे तो काम इतनी जल्दी कैसे होता ? लेकिन दूसरे राज्यों को भी जनवरी 2000 में ही राशि अनुमोदित हुई थी क्योंकि प्रोजेक्ट तैयार करने का काम तो राज्य सरकारें पहले से ही करती हैं और वह अप्रूवल के लिए हमारे मंत्रालय के पास आता है। अन्य राज्यों को भी जनवरी महीने में ही राशि रिलीज की गयी क्योंकि जो सेस अप्रूवल से हमें वित्त मंत्रालय से पैसा मिलता है वह जनवरी में ही मिल पाया था। राज्य सरकारों को पहले से ही इस बात की सूचना दे दी गयी थी कि वे अपने प्रोजेक्ट्स तैयार रखें और जैसे ही हमें पैसा मिलेगा हम वह पैसा उनको रिलीज कर देंगे। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य जो राज्य हैं जैसे कर्नाटक का उदाहरण मैं देना चाहूंगा। कर्नाटक में टार्गेट 397.6 किलोमीटर था और उसको भी जनवरी महीने में धनराशि मिली थी लेकिन उनकी अचीवमेंट 315 किलोमीटर है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। जनवरी में आपने पैसा रिलीज किया और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का इलाका व्हीट ग्रोइंग है और वहां पर फरवरी महीने में एक भी लेबर किसी भी कीमत पर उपलब्ध नहीं होता। कर्नाटक का एरिया पैडी ग्रोइंग एरिया है और जनवरी माह में वहां पर कृषि के संबंध में कोई बड़ा काम नहीं होता। यह बात आप छिपाना क्यों चाहते हैं?

श्री राजनाथ सिंह : श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने पूछा है कि क्या सीमेंट-कंक्रीट के द्वारा भी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जायेगा ? कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण तो सीमेंट-कंक्रीट के द्वारा होगा लेकिन सभी राष्ट्रीय

राजमार्गों का निर्माण फिलहाल सीमेंट-कंक्रीट से नहीं होगा। लेकिन नेशनल हाइवे डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत इस देश की 13 हजार किलोमीटर से अधिक की सड़कों को हम चार से छः लेन की बना रहे हैं। उसमें अधिकांश सड़कों का निर्माण सीमेंट कंक्रीट द्वारा हो रहा है। जैसे माननीय सदस्य ने पूछा कि यदि जनवरी महीने में इतना पैसा दिया गया तो फिर कैसे इतनी सड़कों का निर्माण हो जायेगा या इतनी जल्दी टारगैट एचीव किया जा सकता है। इसके लिये मैंने माननीय सदस्य को एक उदाहरण द्वारा बताया कि जब कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और अन्य सभी राज्य अपना टारगेट एचीव कर सकते हैं तो क्या कारण है कि मध्य प्रदेश ने इस टारगेट को एचीव नहीं किया है?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : व्हीट और पैडी ग्रोइंग ऐरियाज का शेड्यूल अलग-अलग होता है *(व्यवधान)* अच्छा आप उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दीजिये कि आपने वहां कितना सैंक्शन किया और कितना उपयोग हुआ?

श्री राजनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का निश्चित रूप से उत्तर दूंगा। माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार पड़ोसी राज्य हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का टारगेट 229 किलोमीटर था और हमने 202 किलोमीटर का निर्माण कर लिया है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य नहीं है कि माल एवं यात्रियों के तीव्र तथा लाभकारी बुलाई के लिये इन राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है? इन्होंने क्रैस प्रोग्राम के माध्यम से रख-रखाव का कार्यक्रम प्रारम्भ किया है और हर वर्ष लगभग 20 प्रतिशत सड़कों को लेने की योजना बनाई है जिसे आप 4-5 साल में पूरा कर देना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि क्या केवल सड़कों की मरम्मत से यात्रियों या माल को तीव्र गति से गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जा सकेगा? मैं बताना चाहूंगा कि राजमार्ग बहुत सी जगहों पर बड़े-बड़े शहरों के बीच में से निकल कर जा रहे हैं जिसके कारण वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने "नो एंट्री" का बोर्ड लगा रखा है और बड़े वाहन शहर के बाहर 4-4, 6-6, 8-8 और 10-10 घंटे खड़े रहते हैं। फलतः राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का मूल उद्देश्य फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वह पूर्ण नहीं होता है। इन सब के लिये शहरों में बाई पास मार्ग बनाये जाने की योजना है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या इस कार्य के लिये अधिक धनराशि उपलब्ध कराकर उन शहरों में बाई पास बनाने के लिये सरकार रुचि लेगी?

श्री राजनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम फेण्ड मैनर में कई जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्गों की कंडीशन इम्प्रूव करेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं कि धन की कमी है। फिर भी हमने तय किया है कि जो धन हमें बजट ऐलोकेशन से प्राप्त होगा, उसके अतिरिक्त इतने में ही हम पूरे राष्ट्रीय राजमार्गों की कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसके लिये हमने मेनटिनेंस और रिपेयर में प्राइवेट सैक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का फैसला किया है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या बाई पास बनाने के लिये धन उपलब्ध कराने की कोई योजना है?

श्री राजनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यदि राज्य सरकार से बाई पास बनाये जाने के लिये कोई प्रस्ताव आता है तो निश्चित रूप से हम उस पर विचार करेंगे। मैं पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यह सरकार सड़कों के इम्प्रूवमेंट के लिये काफी गंभीर है। हालांकि इसमें फाइनेंशियल कांस्ट्रेंट्स हैं। 1993-94 में जितने धन की रिक्वायरमेंट थी, उतना धन हमें प्राप्त नहीं हुआ। पिछले सात साल में औसतन यह कमी 44.38 परसेंट रही है। 1994-95 में यह कमी 48.52 परसेंट रही है, 1995-96 में 46.8 थी। लेकिन उसके बाद 1997-98 में यह परसेंटेज घटकर 34 हो गयी है। यह जानकारी मैं पूरे सदन को देना चाहता हूं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बॉर्डर रोड आर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित मुगलसराय-रामनगर-वाराणसी रोड गुणवत्ता के अभाव में अभी-अभी खराब हो चुकी है। इसमें दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और यह रोड कब तक ठीक करा दी जायेगी।

श्री राजनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पेसिफिक क्वश्चन है। लेकिन फिर भी मैं इसकी जानकारी माननीय सदस्य को देना चाहूंगा। यह बात सच है कि जिस मार्ग का उन्होंने उल्लेख किया है इस मार्ग का निर्माण बॉर्डर रोड आर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है और उसके संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्हें मैं दिखवा लूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

नई नौवहन नीति संबंधी पिंटो समिति

*204. **श्री राव्जी सिंह :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई नौवहन नीति तैयार करने के लिए गठित पिंटो समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर कोई निर्णय ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) और (ख) संभवतः इन प्रश्न का आशय सरकार द्वारा मार्च, 1997 में गठित

राष्ट्रीय नौवहन नीति समिति से है। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1997 में सरकार को पेश की और कुल मिलाकर उसने 31 सिफारिशें कीं। प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :–

(i) नौवहन को निर्यात उद्योग के रूप में मान्यता दी जाए तथा अन्य निर्यात उद्योगों को प्राप्त सभी आर्थिक और वित्तीय लाभ दिए जाएं।

(ii) नौवहन उद्योग उसी दर पर मूल्यह्रास का हकदार हो जो परिवहन के अन्य साधनों अर्थात् ट्रक, कार, वायुयान आदि पर लागू है।

(iii) आयकर अधिनियम की धारा 33 क ग को उसके मूल रूप में बहाल कर दिया जाए।

(iv) किसी भारतीय जलयान पर सेवारत नाविकों द्वारा बिताई गई अवधि आयकर के प्रयोजन के लिए विदेशी सेवा में बिताई गई अवधि मानी जाए।

(v) एल०एन०जी० और एल०पी०जी० की ढुलाई भारतीय ध्वज पोतों के लिए आरक्षित की जाए।

(vi) तटीय नौवहन को अवसंरचना उद्योग घोषित किया जाए।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा गठित एक अधिकार प्राप्त समिति ने इन सिफारिशों की जांच की तथा सभी 31 सिफारिशों में से 26 सिफारिशें स्वीकार करने की सिफारिश की। सरकार ने इनमें से 15 सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और उनपर कार्रवाई की गई है। शेष 11 सिफारिशों के बारे में निर्णय इस संबंध में अंतरमंत्रालयी परामर्श पूरा होते ही ले लिया जाएगा।

[अनुवाद]

शिकार पर रोक

*205. **श्री दलपत सिंह परस्ते :**
श्री जयभद्र सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दुर्लभ पक्षियों के शिकार की जानकारी है, जिससे वे लुप्त होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा किन-किन राष्ट्रीय पक्षियों/पशुओं के शिकार पर रोक लगाई गई है; और

(घ) अभयारण्यों में इन राष्ट्रीय पक्षियों/पशुओं की अभयारण्य-वार संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) गुलाबी सिर वाली बतख और पहाड़ी बटेर पक्षियों की ऐसी दो प्रजातियां हैं जो 50 वर्षों से भी अधिक समय से लुप्त हो चुकी हैं। उसके बाद शिकार के कारण किसी भी पक्षी की प्रजाति विलुप्त नहीं हुई है।

(ग) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत कौआ, गादुर, चुहिया और चूहे के सिवाय सभी प्रजातियों के जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार पर रोक लगा दी गई है।

(घ) विभिन्न जैव भौगोलिक मण्डलों में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में पाई गई प्रजातियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विभिन्न राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों में पाए जाने वाली प्रजातियों के नाम

क्रम सं०	जैव भौगोलिक जोन	अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क	बड़े पक्षी
1	2	3	4
1.	हिमालय – पार	कराकोरम, सिधवा, किंबर, छंगथांग, पिन वैली, हेमिस कंचनजंगा	स्नोलेपर्ड, मस्क डियर, भरल, सेरो, आई बेक्स, घोरल, तहर, ब्राऊन बियर, तिब्बती गजेल, हिमालयी मर्मोट, स्नोपैड्रिज, हिमालयी स्नोकाक, तिब्बती जंगली गधा, नायन, उरियल ब्लैकनेक्ड क्रेन
2क.	नार्थ वेस्ट हिमालयी, डचिंगम किश्तवाड़	डचिंगम, किश्तवाड़, बालताल, थाजवास, गुलमर्ग, हीरापोड़ा, लछिपोड़ा, ओवेरा, ओवेरा-ओरू, ग्रेट हिमालयी राष्ट्रीय पार्क, बंडली, गामगुल, सियाबेही, काइस कालाटोप खजियार, कनवर, कुजटी, खोखान, मनाली, सेचु तुआ नाला, शिकारी देवी, टुंडा, तीर्थन, सैंज, लिप्पा असरांग, नारगू, रूपी भाभा	हांगुली, मस्क डीयर, भरल, स्नो लेपर्ड, हिमालयी ब्लैक डीयर, हिमालयी ब्राऊन बीयर, पश्चिमी ट्रागोपान, मोनाल, स्नोकाक चकोर, मरखोर, इबिक्स

1	2	3	4
2ख.	पश्चिमी हिमाचल	चूरधार, चायल, दारांघाटी, मजाथल, सांगला, शिली, शिमला कैचमेंट, तालरा, अशोक मस्क डीयर, बिनसार, गोविन्द पशुविहार, केदारमठ, मसूरी, गंगोत्री, गोविन्द, नन्दा देवी, फूलों की घाटी	स्नोलेपर्ड, हिमालयी, ब्राउन बियर, ब्लैक बीयर, मरल, नायन, जंगली भेड़, स्नो पैट्रिज, स्नोपिजन, वेस्टर्न, ट्रागोपान, चियर फेजेन्ट, रेड बिलेड और यलो बिल्ड कफ
2ग.	केन्द्रीय हिमाचल	सैंचाल, नेकोरा, सिंह लीला	लाल पांडा, काला भालू, क्लाउडेड तेंदुआ, सेरो, घोरल, बार्किंग डियर, तेंदुआ, मार्मोट
2घ.	पूर्वी हिमायल	फाम्बोंग, लो ख्योंग्नोस्ला अल्पाइन, माएनाम बारसे रोडोड्रेम मार्डलिंग, नामदाफा, डेरिंग मेमोरियल, दिबांग, ईगलनेस्ट, इटानगर, कामलांग, मेहयो, पाकुई, सेसा आर्चिड, टेले वैली, काने	मलाया सन बियर, बिन्टुरॉग, मस्कडियर, ताकिन, हिमालयी ताहर, सेरो, घोरल, हिमालयी पाम सिवर्ट, क्लाउडेड लेपर्ड, ब्लाइथ ट्रैगोपान, पीकाक फेजेन्ट, स्पाटेड लिनसांग
3.	डेजर्ट	ताल छप्फर, डेजर्ट नेशनल पार्क, कच्छ डेजर्ट, नारायण सरोवर, वाइल्ड एस, कच्छ बस्टर्ड	वाइल्ड एस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक, चिकारा, डेजर्ट फाक्स, नीलगाय, डोमिसाइल क्रेन, फ्लेमिंगो, हौबारा बस्टर्ड, इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, ओरामसटिक्स, मानिटर लिजार्ड, सास्केल्ड वाइपर, किंग प्रान्स, टानी इगल, कैस्पियन टर्न, सारस क्रेन, पेटेड स्टाक, इंडियन कर्सर, रोजी पेलिकत, भेड़िया, स्माल केथिट बिल्ली, बड़े कान वाला हेडगाग, गीदड़, खरगोश, कैशसेल
4क.	अर्द्धशुष्क पंजाब	अबोहर, कालेसर, अबुशेहर	काला हिरन, नीलगाय, चिकारा, ब्लैक पैट्रिज, ग्रे पैट्रिज, सियार, लोमड़ी, जंगली सुअर, सारस, सीकर, फिनशिंग उल्लू, गिद्धराज, सितारा कछुआ, खरगोश, मोर, साही, रस्टी स्पाटेड बिल्ली
4ख.	अर्द्धशुष्क गुजरात	बेलराम अम्बाजी, बरदा, गिर जेसोर, जम्बो गोधा, शूलपाणेश्वर रणथम्भौर, सरिस्का, नेशनल चम्बल, म०प्र०, पालपुर, सैलाना, खेसोनी, रालमंडल, ओरछा, बंद बारथ, बसी, मैंसरोड गढ़, दाराह, फुलवाड़ी की नाल, जयसमन्द, जामवा रामगढ़, जवाहर सागर, केलादेवी क्रंबलगढ़, माउन्ट आबू, नाहरगढ़, नेशनल चम्बल, रामगढ़ विषधारी सज्जनगढ़, सरिस्का, सवाई मानसिंह, रामसागर, नेशनल, चम्बल, राजस्थान, नेशनल चम्बल, उ०प्र०	गिर सिंह, सांभर चीतल, लकड़बग्घा, जंगली सुअर, तेंदुआ, रूडीभंगोज, जंगली बिल्ली, रस्टी स्पाटेड बिल्ली, चौसिंगा, चिकारा, काला हिरण, मगरमच्छ, मोर, फिशिंग, उल्लू, गिद्धराज, शिकारा, भेड़िया, भारतीय पंगोलिन, रूडी मंगोज, जंगली बिल्ली, फ्लैपशेल, कछुआ, कोबरा, अजगर, रसल वायपर, सा स्केल्ड् वायपर मनीटर छिपकली, भारतीय चमेलिओं, मगर, सैंड बोआ, सांप, पेले हाग हाग, रट्टल, भारतीय गर्बल, फ्रूट बैट, हनुमान लंगूर
5क.	मालाबार समुद्र तट	कुद्रेमुख, बंसदा, नेयर, पीछीवझानी, पीपर, थट्टेकेड्ड	स्लाथ बीयर, तेंदुआ, चीतल, गौर, सिंहपूछ वानर, स्लैंडर
5ख.	पश्चिमी घाट पर्वत	आंसी, नागरहोल, बांदीपुर, इरावीकुलम, साइलेंट वैली, पेरियार, मेद्रा, ब्रह्मगिरि, दांडेलि, पुष्पागिरि, वायनाडु, भीमशंकर, चांदोली, कोयाना, राधानगरी, मयूरेस्वर सूपे, इंदिरागांधी, कालाक्कड, मुदुमलाई, मुंडनथुराई	हाथी, गौर, बाघ, तेंदुआ, स्लाथ बियर, शेरपूछ बंदर, नीलगिरि लंगूर, जंगली भैंसा, सियार, लोमड़ी, गीदड़, चीतल, सांभर, हाग डियर, माउस डियर, फिशिंग कैट, स्मूथ इंडियन आटर, ग्रे जंगल फाउल

1	2	3	4
		कलाक्कड़, श्रीविल्लि पुथूर, कुथंकुलम् कदंकुलम्, इंदिरा गांधी, कैमूर, अचानकमार, बागदारा, ब्रह्मगढ़, बोरी, केन घड़ियाल, नाओरादेही, पचमढ़ी, पानपथा, फेन, सतपानी, सजय सिंहोरी, सन घड़ियाल, पन्ना, वीरागन, मेलघाट, यावलवान अनेर बांध, चंद्रप्रभा, कैमूर, महावीर स्वामी, रानीपुर, विजय सागर, बांधवगढ़, फोसिल, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, बंधल खोल, सेमरसाट, तामोरपिंगला, चंडक, दमपारा, डेब्रिगढ़, हदगढ़, खलसुनी, कुलधीरा, सताकोसिया, जोर्ज, सिमलीपाल, बदरामा, भीमबंद गुगामल, नक्टीडम, पालामऊ पालकोट, पारसनाथ, राजगीर, तोपधांची, बेतला, सिमलीपाल, डालमा, गौतमबुद्ध हजारीबाग, कोडेरमा, लावालोंग, महावधर, नागीडैम, बर्नवापाड़ा, गोमर्छ, पामेड, सीतानदी, उड़ान्ती, सुनबेडा, नंदन कानन बैसीपल्ली, करियापाट, कोटगढ़, लखारी घाटी, इंद्रावती, कांगेर वैली, दोरजी बीयर, कासु, ब्रह्मानंद रेड्डी, मृगवाणी, महावीर हरिणा वनस्थली, पपीकोंडा, इटुनगिररम्, कवाई, रंगथिट्टो	
6.	दक्कन पठार	किन्नेर सानी, कोल्लेरू, लांजु, मडुगु सिवराम, सागरेश्वर, मजीरा, नागार्जुन सागर, श्रीसाइलाम पाखल, पोछराम, प्राणहित, पेंछ छपराला, कालीसुबाई, ब्रह्मराध, अंधारी, बोर, देओलगांव रेखुरी, गौताला, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जायकवाड़ी, कटेपूर्णा, नागजीरा, नन्दूर, पैंगांग, ध्यानगंगा, अंबा-बारवा, नैगांव मयूर, नारनाला, तिपेश्वर, येदसी रामलिंघाट, ताडोबा, पेंच, बानेरघाट, गूंडिया ब्रह्मेश्वरम्, श्री लंकामामल्लेश्वरम्, नेल्लपट्टू, रोल्लपाडु, श्री वेंकटेश्वर, कौंडीन्य, श्री पेंनुसील नरसिंह नागु, आदि चुंचुनगिरि, अर्मिथिट्टु, कावेरी, घाटप्रभा, नेलकोटे मंदिर, रानेबेन्नूर, करईकाली, चित्रनदी, वेल्लनाडु, वेदान्तगल, वेल्लोर चिड़िया, किलासेल, वनूर मेलासेल वानूर, करावेट्टि	बाघ, तेंदुआ, गौर, एंटीलोप, हरिण, काला हरिण, सांभर, गीदड़, जंगली हिरण, साही, ग्रीन बी ईटर, हरा कबूतर, गोल्डैन ओरिओल, मार्श हैरियर, पाइड हैरियर, पेंटेड, गौरैया, वार्बलर, माउसडियर, पैंगोलिन, पहाड़ी मुनिया
7 क.	उपरि गांगेय मैदान	राजाजी, कोरबेट, दुधवा, हस्तिनापुर, किशनपुर, सोहागी बारवा, सोना नदी, सोहेल्वा, विक्रमशिला, कबरझील, उदमपुर, बाल्मिकी, बुक्सा, बल्लवपुर, बेथोडाहरी, विधुतिभूषण, छपरामारी, जलदपाड़ा, महानन्दा, रैगंज, रामनबागन, बाल्मिकी, बुक्सा, गोरूमारा	बाघ, चीता, गोरल, स्वाम्प हरिण, होग डीयर, जंगली बोर, ब्ल्यू बुल, ब्लैक बक, जैकाल, लोमड़ी, ब्लैक पोर्टिज, स्वाम्प पोर्टिज, ग्रेट जंगल फॉल, मोर, बर्डस आफ प्रे, स्लोथ बियर, ब्लैक हिमालयन भालू, पैंगोलिन, पोर्क्यूपइन, ही
7 ख.	निचले गांगेय मैदान	विक्रम शीला, बाल्मिकी, बुक्सा, गुरूमारा, जलदपाड़ा, महानंदा	गैंडा, बाघ, हाथी, स्लोथ बीयर, लियोपार्ड कैट, फिशिंग कैट, तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, चीतल,

1	2	3	4
			सांभर, होग डियर, बार्किंग डियर, ग्रेट इंडियन होम बिल्स, मोर, एडुर्टेट स्टोर्क
8.	तट	समुद्री (माल्वान) फडम, कच्छ की समुद्री खाड़ी, सुन्दर वन, मन्नार मेरीन की खाड़ी, मीहरकनिका कोरिंगा, कण्णा, पुल्लीकैट, झील, बालुखंडकोणार्क भीटर कनिका, गहीरमाथा, वेटेंगुडी, कान्जीरंकुलम, प्वाइंट केलिमेरी, पुलिकेट झील, उदयमार्थन्दुपुरम झील, वाडुवूर, नरेन्द्र पुर, हेलीडे स्लेंड, लोधियां द्वीप सजनखली	डोल्फिन, ओलिव रिडले कच्छप, लेदर बैक कच्छप, होजबिल कच्छप, ग्रीन सी कच्छप, साल्ट वाटर मगरमच्छ, शार्क, पफर फिश, रोबर्स क्रेब, वोल्फ क्रेब, सी गुल्स ओक्टोपस, सी एनीमोनस, कोरल्स, फ्लेमीगोस
9.	पूर्वोत्तर	बारनाडी, डिबू-सैखोवा, लाओखोवा, ओरेंग, पबिटरेरा, डीपोर, बील, गिब्बन, सने-रूपई, बुराचापोरी, चक्रसिला, बार्डोखम, बेलमुख, पेमीथिंग गरमपानी, काजीरंगा, मानस, नेमेरी, कैवुल-लेमनेओ, बाल्फेक्रम, लोक्रेक रिज, मुरीलेन फांगपुई, यांगोपोक्पी-लोकचेओ, नोंखेलिम, साजू, बाग्मारा पिटेचर, प्लांट डाम्पा, नेंगपुई, क्वांग्लेंग, तवी, फकिम, पुलीबड्ज, रंगापहर, गुमटी, रोवा, सिपाहीजाला, तृष्ण, इटांकी	बाघ, गैंडे, धब्बेदार तेंदुआ, शंगाई, हाथी, गौड़ स्लोथ बीयर, स्वाम्प डीयर, जंगली भैसा, लेग डीयर, स्लो लोरिस, पिग टेल्ड मेकाकू, हूलोक गिब्बन, मानीटर लिजार्ड, डोल्फिन, पिग्मी होगा, स्टम्प टेल्ड मकाकू, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर, लीफ मंकी, फ्रोम माउथ, टोपीदार लंगूर, सुनहरी लंगूर, चीनी पैगोलीन, रेड पंडा, होग बेजर, मार्बल्ड केट, हिस्पिड हेयर, पिग्मी होग
10.	द्वीप	बेरन द्वीप, एरियल द्वीप, बम्बू द्वीप, डोट द्वीप, चिंकू द्वीप, डिफेंस द्वीप, कोन द्वीप, कर्तन्यू (बीपी) द्वीप, ईस्ट ऑफ इंग्लिस द्वीप, इलेट द्वीप, इंटरव्यू द्वीप, बेनेट द्वीप, बिंघम द्वीप, बिएस्टर द्वीप, बल्फ द्वीप, बॉडौविल्ले द्वीप, ब्रश द्वीप, बुचानन द्वीप, चेनल द्वीप, क्लाइड द्वीप, डोट्रेल द्वीप, डंकन द्वीप, पूर्वी, एग, एन्ड्रेन्स, किड, गेंडर, गूस, गिर्जन, हम्प, लेंडफाल, जेम्स, जंगल, स्वांग तुंग, लोक बेरैक, नारकोंडम, नोर्थ रीफ, ओइस्टर, ओइस्टर-II, ओक्स, पेगेट, शीर्मे, पेसेज, पेट्रिक, मोर, पिटमेन, प्वाइंट, पोटान्मा, रेंजर, रीफ, रोपर, रोस, सर हुघ, रोस, रोव, मेयो, मास्क, मेनग्रोव, लोटोच, सैडी, सी स्नटपैट, पार्किसन, ओर्डियड, ओलीवर नोर्थ ब्रदर, नोर्थ, मोन्टोगेमरी, साउथ सेटीनल, शार्क, सिस्टर, स्नेक, स्नेक-II, साउथ रीफ, साउथ ब्रदर, स्पाइक-I, स्पाइक-II, स्टोट, सूरत, स्वाम्प, टेबल (डेल्गानौं), टेबल (एक्सेल्सियर), तालबेचिया, टेम्पल, ट्री, ट्रिली, टफ्ट, कच्छप, वेस्ट, वर्फ द्वीप समूह और व्हाइट क्लिफ द्वीप समूह, मिडल बटन द्वीप समूह, माउंट हेरोट, नोर्थ बटन द्वीप समूह, सेडल पीक, साउथ बटन, महात्मा गांधी मेरीन, केम्पबेल, बेट्टीमाल्व, मेगापोड, टिलॉंगचैम द्वीप समूह रानी झांसी मेरीन, गलथिया	अण्डमान पिग, दुर्गौंग, निकोबार पिजन, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, डोल्फिन, रोबर, क्रेब, कच्छप, क्रेब इटिंग मकाकू

नम भूमि के प्राणीजात

क्रम सं०	नम भूमियां	बड़ी चिड़ियां
1.	प्वाइंट केलीमर (तमिलनाडु)	फेलेमिन्गों पेलिकन, प्वाइंट स्टॉर्क, ग्रे हेडिड, केविटज, सी सेलो
2.	केवलादेव-भरतपुर (राजस्थान)	साइबेरिया क्रेन, पर्पल हेरोन, ग्रे हेरोन, पेलिकन, बागटेट गाडवल, लाल क्रेस्टीड पोचर्ड
3.	चिल्का (उड़ीसा)	बुज्जा, पेलिकन, फेलेमिन्गों, ब्रहमिनी बतख, सफेद बेलाइड सी ईगल, कोरमोरेन्ट क्रेन्स
4.	नल सरोवर (गुजरात)	फेलेमिन्गों पेलिकन, सॉरस क्रेन, वर्जिन क्रेन
5.	सुलतानपुर (हरियाणा)	सॉरस क्रेन, प्वाइंटिड स्टोक, स्पूनबिल्स, टिकरी
6.	नीलापत्तु (आंध्र प्रदेश)	फेलेमिन्गो, बतख
7.	कावेर झील (बिहार)	बतख, सारस, स्टोक्स

बाघों की मौत

*206. **श्री राजीव प्रताप रूडी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गलत निदान और उपचार के कारण देश के विभिन्न चिड़ियाघरों में बाघ शावकों और अन्य लुप्तप्राय: पशुओं की मौत हुई है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के रिकार्डों के अनुसार देश के विभिन्न चिड़ियाघरों में वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान मरे बाघ शावकों की संख्या क्रमश: 14 और 12 है। बाघ शावकों की मृत्यु दर का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। बाघ शावकों की मृत्यु के मुख्य कारण माता बाघिन द्वारा अपने बच्चों को अस्वीकार करना तथा डायरिया और न्यूमोनिया आदि जैसी बीमारियां हैं। आम तौर पर मृत्यु जन्म से 6 महीने के भीतर होती है। 1997-98 और 1998-99 के दौरान अन्य संकटापन्न प्रजातियों के जिन प्राणियों की मृत्यु हुई उनकी संख्या क्रमश: 440 और 1398 है। इन प्राणियों की मृत्यु का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। 1999 और 2000 के ब्यौरे का अब तक संकलन और मिलान नहीं किया गया है।

बीमारी के गलत निदान और उपचार के कारण मरे किसी प्राणी का कोई भी मामला केन्द्रीय सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य का नाम	1998-99 शावक	1999-2000 शावक	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	1	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	0	2
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0
5.	दिल्ली	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	0	4	4
8.	हरियाणा	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10.	कर्नाटक	6	0	6
11.	केरल	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	0	1	1
13.	महाराष्ट्र	0	0	0
14.	मणिपुर	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0
17.	नागलैंड	0	0	0
18.	उड़ीसा	6	6	12
19.	पंजाब	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
20.	राजस्थान	0	0	0
21.	सिक्किम	0	0	0
22.	तमिलनाडु	0	0	0
23.	त्रिपुरा	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	0	0	0
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
26.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
	कुल	14	12	26

विवरण-II

क्रम सं०	राज्य का नाम	1997-98	1998-99
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	28	44

1	2	3	4
2.	अरूणाचल प्रदेश	6	4
3.	असम	21	15
4.	बिहार	22	25
5.	दिल्ली	9	23
6.	गोवा	0	2
7.	गुजरात	46	71
8.	हरियाणा	7	4
9.	हिमाचल प्रदेश	1	6
10.	कर्नाटक	9	13
11.	केरल	10	9
12.	मध्य प्रदेश	18	20
13.	महाराष्ट्र	17	48
14.	मणिपुर	6	4
15.	मैघालय	0	3
16.	मिजोरम	7	0
17.	नागालैण्ड	0	0
18.	उड़ीसा	25	37
19.	पंजाब	8	16
20.	राजस्थान	69	64
21.	सिक्किम	0	0
22.	तमिलनाडु	80	*919
23.	त्रिपुरा	9	4
24.	उत्तर प्रदेश	22	28
25.	पश्चिम बंगाल	19	32
26.	जम्मू और कश्मीर	0	0
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	7
	कुल	440	1398

*इस संख्या में मद्रास मगरमच्छ बैंक में संकुलता और लड़ाई के कारण मरे मगरमच्छ भी शामिल हैं।

वन्यजीवों के अवैध शिकार

*207. **श्री एम० चिन्नासामी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इमारती लकड़ी के तस्करों और वन्यजीवों का चोरी-छिपे शिकार करने वालों के संगठित गिरोह बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) हाल में की गई जब्ती से ज्ञात होता है कि काफी अधिक मात्रा में वन्यजीवों का अवैध शिकार वृक्षों की अवैध कटाई की गई है। पिछले एक वर्ष के दौरान की गई महत्वपूर्ण जब्तियों में 21 बाघ की खालें, 249 तेंदुए की खालें, 18080 तेंदुए के नाखून, 137 बाघ के नाखून, 221 काले हिरण की खालें, 11000 छिपकली की खालें और लगभग 200 वैगन इमारती लकड़ी शामिल हैं।

वन्यजीवों के अवैध शिकार और वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। परन्तु मंत्रालय वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध कटाई को कारगर ढंग से रोकना सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय करता रहा है। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और अन्य विनियामक अधिनियमों के उपबंधों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के उपाय किए गए हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ककको वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत वन्य जीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने की शक्ति दी गई है। वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए केन्द्र में एक विशेष समय और प्रवर्तन समिति का गठन किया है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि राज्य और जिला स्तर पर इसी प्रकार की समितियां गठित करें। मंत्रालय ने अन्वेषण, जब्ती और पूर्वोत्तर राज्यों में इमारती लकड़ी को अवैध तरीके से लाने ले जाने की जिम्मेदारियों का निर्धारण, आदि करने के लिए एक विशेष अन्वेषण दल गठित किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे के माध्यम से इमारती लकड़ी को लाने ले जाने को विनियमित करने के लिए समेकित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

अभयारण्यों का रख-रखाव

*208. **श्रीमती रेनु कुमारी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन अभयारण्यों के नाम क्या हैं जहां पशुओं के पालन-पोषण के संबंध में तिमाही, अर्द्धवार्षिक और वार्षिक समीक्षा की जाती है;

(ख) उन अभयारण्यों के राज्यवार नाम क्या हैं जहां ऐसी कोई समीक्षा नहीं की जाती है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का तिमाही

अर्ध-वार्षिक या वार्षिक रूप से कोई पुनरावलोकन नहीं किया जाता है। तथापि, प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में किए गए विकासात्मक कार्यों पर खर्च की गई धनराशि का वार्षिक तौर पर पुनरीक्षण किया जाता है। केन्द्र सरकार के विभिन्न अधिकारी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का दौरा करते हैं तथा राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य विशेष की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण करते हैं। बाघ परियोजना और हाथी परियोजना की संचालन समिति भी बाघ आरक्षित क्षेत्रों और हाथी आरक्षित क्षेत्रों के संबंध में किए गए विभिन्न कार्यों का पुनरीक्षण करती है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 1997-98 के दौरान "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास" नामक स्कीम के क्रियान्वयन का पुनरीक्षण करने का कार्य निम्नलिखित संस्थाओं को सौंपा था :–

भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल
गिर प्रतिष्ठान, गुजरात
भारतीय वन्यजीव अनुसंधान सोसायटी, कलकत्ता
एम०एस० स्वामिनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान, चेन्नई
डेवलपमैंट आल्टरनेटिव, दिल्ली

वन संस्थानों ने जिन चुनिंदा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का पुनरीक्षण किया, उनके नाम निम्नलिखित हैं :–

(i) बालपाकर्म राष्ट्रीय उद्यान
(ii) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
(iii) डालमा अभयारण्य
(iv) जलदपाड़ा अभयारण्य
(v) पंचमढ़ी अभयारण्य
(vi) चांदका अभयारण्य
(vii) चिल्का अभयारण्य
(viii) श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान
(ix) केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान
(x) पेंच राष्ट्रीय उद्यान
(xi) गिर राष्ट्रीय उद्यान
(xii) मांउट आबू अभयारण्य
(xiii) समसपुर अभयारण्य
(xiv) समसपुर अभयारण्य
(xv) कतरनियाघाट अभयारण्य
(xvi) ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान
(xvii) पिन वैल्ली राष्ट्रीय उद्यान
(xviii) नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान
(xix) बादरा अभयारण्य
(xx) इन्दिरा गांधी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान
(xxi) पारम्बिकुलम अभयारण्य

विदेशी एयरलाइन कम्पनियों के साथ 'कोड शेयरिंग'

*209. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न देशों के साथ विमान सेवाओं से संबंधित द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत सीटों की संख्या का पूरा लाभ उठाने में सफल नहीं हो सकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ विदेशी विमान कंपनियों के साथ 'कोड शेयरिंग' करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विदेशों में कार्यरत एजेन्ट भी यात्रियों को आकर्षित करने में पूरी तरह विफल रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) वर्तमान में, भारतीय राष्ट्रीय विमान सेवाएं वायुसेवा करारों के अधीन उपलब्ध अपने अंतरराष्ट्रीय विमान यातायात अधिकारों का लगभग 39 प्रतिशत का उपयोग कर रहे हैं। कम उपयोगिता का मुख्य कारण, विमान क्षमता की अनुपलब्धता तथा कुछ मार्गों पर अपर्याप्त यातायात संभाव्यता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय वाहकों को अपने विमान के प्रयोग किए बिना अपनी बाजार अवस्था को बनाए रखने तथा विस्तार करने के लिए विदेशी एयरलाइनों के साथ कोड-शेयर के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान में, एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के पास विभिन्न सेक्टरों पर 17 एयरलाइनों के साथ कोड-शेयर/संयुक्त उद्यम की व्यवस्था है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। वर्तमान में, एअर इंडिया की लगभग 80 प्रतिशत सेल्स पूरे नेटवर्क में यातायात एजेन्टों की माध्यम से होता है और ये एजेन्ट एअर इंडिया के बिजनेस प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं।

[अनुवाद]

हेपटाइटिस-बी के मामले

*210. **श्री आर०एल० भाटिया** :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान आज तक हेपटाइटिस-बी से प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बीमारी से होने वाली मृत्यु से लोगों को बचाने और इसे फैलने से रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (घ) विषाणु यकृतशोथ, यकृतशोथ बी विषाणु सहित बहुत से कारणों से हो सकता है। अकेले यकृतशोध बी के कारण हुई मौतों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, पिछले 3 वर्षों में विषाणु यकृतशोथ के कारण हुई मौतों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है।

यकृतशोथ बी को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

– रक्त बैंकों में रक्त की अनिवार्य जांच।

– राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित यौन आचरण को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यकलाप।

– प्रत्येक इन्जेक्शन के लिए पृथक विसंक्रमित सिरिंजों और सुईयों के उपयोग के लिए सभी स्वास्थ्य प्राधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

– जोखिम वाली स्थिति में कार्य कर रहे केन्द्र सरकार अस्पताल के कार्मिकों को रोगप्रतिरक्षित किया जाता है और राज्य सरकारों को भी उनके अस्पताल के कार्मिकों के संबंध में ऐसा करने का परामर्श दिया गया है।

विवरण

1997-99 के दौरान विषाणु यकृतशोथ के कारण सूचित किए गए रोगी और मौतें

क्रम सं०	राज्य का नाम	1997		1998		1999	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	23514	93	19309	101	34673	108
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	0	–	–		
3.	असम	10038	7	15519	4		
4.	बिहार	–	–	–	–		
5.	गोवा	144	0	157	1	151	0
6.	गुजरात	3562	44	2928	30	2676	9
7.	हरियाणा	1632	17	1034	10		
8.	हिमाचल प्रदेश	1946	9	1606	4	1717	2
9.	जम्मू और कश्मीर	1479	3	1658	●	5874	2
10.	कर्नाटक	4452	61	6353	72	5897	46
11.	केरल	19013	7	14983	17	7197	4
12.	मध्य प्रदेश	11836	135	5291	31	1841	25
13.	महाराष्ट्र	20531	515	11057	419	29221	297
14.	मणिपुर	1492	0	1625	1	690	3
15.	मेघालय	1271	0	498	6	374	5
16.	मिजोरम	320	1	243	2	514	6
17.	नागालैंड	466	0	435	2	32	0
18.	उड़ीसा	22459	125	18145	125		
19.	पंजाब	–	–	1604	27		
20.	राजस्थान	1774	19	1152	14	2415	46

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	449	2	264	0	35	0
22.	तमिलनाडु	1679	6	528	9	504	18
23.	त्रिपुरा	400	3	317	0	122	0
24.	उत्तर प्रदेश	355	10	2779	25	1289	31
25.	पश्चिम बंगाल	1727	93	—	—		
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	382	7	230	2	247	3
27.	चंडीगढ़	215	1	—	—		
28.	दादरा व नगर हवेली	153	6	76	3	3	0
29.	दमण व दीव	346	0	124	0	37	0
30.	दिल्ली	1799	52	2972	30	2081	56
31.	लक्षद्वीप	15	0	120	1	319	1
32.	पांडिचेरी	132	2	203	1	578	21
	योग	133594	1218	111210	937	98487	683

— = आंकड़े प्राप्त नहीं हुए। @ = आंकड़ों की सूचना नहीं दी गई।

स्रोत : केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो।

नागर विमानन सुरक्षा में सैन्य बल

*211. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री सुरेश चन्देल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागर विमानन सुरक्षा के प्रबंधन में सैन्य बलों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस संबंध में सेना प्रमुखों/रक्षा मंत्रालय के विचार प्राप्त कर लिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विमानन सुरक्षा संकट से स्थायी रूप से निपटने के लिए किसी व्यापक आपात योजना को अंतिम रूप दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सभी हवाई अड्डों पर और देश में अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी, हां।

(च) सुरक्षा कारणों से विवरणों का खुलासा करना जनहित में नहीं होगा।

(छ) देश के हवाई अड्डों पर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(i) प्रचालनात्मक हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटी के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों की चरणबद्ध रूप में तैनाती।

(ii) स्टेरिल क्षेत्र में प्रवेश के समय यात्रियों तथा हाथ के सामान की जांच-पड़ताल को कड़ा करना।

(iii) हवाई अड्डों की पहुंचों पर कठोर नियंत्रण।

(iv) उड़ानों में रैंडम आधार पर स्काई मार्शलों की तैनाती।

(v) प्रचालनात्मक हवाई अड्डों पर पेरीमीटर दीवार को ऊंचा करना।

(vi) जहां आवश्यक हो, वहां नए रंगीन एक्स-रे मशीनों का प्रतिस्थापन।

(vii) लैडर-प्वाइंट पर सेकेण्डरी सुरक्षा जांच।

(viii) हवाई अड्डों की मॉनिटरिंग तथा निरीक्षण में वृद्धि।

(ix) हवाई अड्डों पर सुरक्षा से संबंधित तकनीकी ढांचे का चरणबद्ध रूप से आधुनिकीकरण तथा अपग्रेडेशन।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सहायता

*212. **डॉ० सुशील कुमार इंदौरा :**
श्री जोरा सिंह मान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए अनुमानत: कितने डाक्टरों की आवश्यकता है;

(ग) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक राज्यवार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ङ) राज्यों द्वारा राज्यवार शेष धनराशि को उपयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश के आम नागरिकों को सस्ती चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (घ) स्वास्थ्य एक राज्य का विषय होने की वजह से राज्य सरकारें लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया गया है। केंद्रीय सरकार मलेरिया, क्षय रोग, दृष्टिहीनता, कुष्ठ, एड्स, कैंसर, आयोडीन अल्पता विकार के नियंत्रण तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत भी राज्य सरकारों की मदद कर रही है।

देश के आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपेक्षित डाक्टरों के बारे में कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार एलोपैथिक डॉक्टरों का डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात लगभग 1:1980 है। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के चिकित्सकों को भी साथ मिला लिया जाए तो यह अनुपात बेहतर हो जाएगा।

देश भर में चल रहे केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं की सूची और इन योजनाओं के संबंध में 1997-98 से 1999-2000 के दौरान राज्य-वार आबंटन और व्यय को दर्शाने वाले विवरण संलग्न हैं।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक वर्षों के दौरान योजना व्यय में कुछ कमी हो रही है। योजनावधि के शुरू के भाग में नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जाना था। राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम और राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के मामले में विभिन्न घटकों के कारण खरीद वैसी नहीं की जा सकी जैसी कि परिकल्पित थी। इन कारणों में खरीद के अभिकरणों और औषध आपूर्ति आदेशों को अंतिम रूप न दिया जाना और इस कार्यक्रम का देरी से शुरू होने जैसे घटक शामिल थे। तब से विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पृथक अभिकरण नियुक्त किए गए हैं। समय बीतने के साथ-साथ विभिन्न कार्यक्रमों की नियमित और गहन मानीटरिंग के माध्यम से व्यय के रूझान में काफी सुधार हुआ है।

(च) सरकार एड्स, मलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता नियंत्रण और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभिकरणों से बाह्य सहायता एकत्र करके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्रों के लिए संसाधन बढ़ाने हेतु पूरा प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त, चुनिंदा राज्यों में ग्रामीण अस्पतालों के उन्नयन के लिए विश्व बैंक की सहायता का लाभ उठाया जा रहा है जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाय में आगे और सुधार होगा।

विवरण

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के लिए राज्यवार आवंटन और व्यय

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000	
		आंवटन	व्यय	आंवटन	व्यय	आंवटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	539.07	391.83	291.10	538.63	374.11	334.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	47.00	57.85	163.09	132.35	59.86	97.24
3.	असम	292.65	252.87	240.50	245.96	194.30	188.84

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	455.21	335.25	493.70	707.76	844.44	821.52
5.	गोवा	8.80	4.22	10.00	1.94	0.49	6.28
6.	गुजरात	196.27	197.47	120.15	153.85	119.14	209.20
7.	हरियाणा	22.57	16.66	20.00	53.73	38.35	36.86
8.	हिमाचल प्रदेश	18.00	46.18	101.77	90.72	54.34	70.81
9.	जम्मू और कश्मीर	89.83	46.30	141.00	92.51	54.79	47.25
10.	कर्नाटक	379.01	245.56	284.50	349.86	226.44	157.95
11.	केरल	199.24	210.39	231.40	226.63	130.41	122.61
12.	मध्य प्रदेश	649.77	350.68	597.13	1210.57	643.54	527.15
13.	महाराष्ट्र	391.15	447.22	398.50	284.77	312.44	290.03
14.	मणिपुर	35.22	45.47	129.86	137.61	95.71	332.51
15.	मेघालय	19.00	42.55	69.72	62.84	40.84	46.68
16.	मिजोरम	61.00	62.93	75.43	91.81	49.60	17.64
17.	नागालैंड	128.49	139.28	48.50	70.38	106.09	78.53
18.	उड़ीसा	444.65	411.94	322.10	42.30	447.67	271.73
19.	पंजाब	37.00	96.04	131.00	117.32	98.46	238.81
20.	राजस्थान	35.00	233.30	485.51	263.37	148.37	116.88
21.	सिक्किम	48.40	49.99	64.00	94.58	71.36	22.82
22.	तमिलनाडु	117.00	179.22	285.00	635.76	231.18	147.31
23.	त्रिपुरा	20.00	9.90	74.35	39.41	47.98	18.23
24.	उत्तर प्रदेश	779.95	414.01	608.00	1110.29	1311.54	884.79
25.	पश्चिम बंगाल	397.81	185.91	252.80	724.07	444.33	713.55
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6.50	8.88	6.50	6.47	2.00	4.46
27.	चंडीगढ़	0.50	3.01	6.00	6.79	9.21	3.00
28.	दादरा और नगर हवेली	6.46	0.50	1.00	7.47	1.00	4.52
29.	दमण और दीव	4.50	13.73	9.50	15.63	0.50	1.93
30.	दिल्ली	0.50	0.11	52.65	8.12	11.00	37.87
31.	लक्षद्वीप	2.00	0.00	11.53	54.29	1.00	0.00
32.	पांडिचेरी	16.45	8.40	1.85	4.42	9.50	3.01
	कुल	5449.00	4507.65	5728.14	7960.21	6179.99	5854.32

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
		आंवटन	व्यय	आंवटन	व्यय	आंवटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	482.00	172.01	198.62	521.06	482.76	350.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.00	1.45	1.66	1.66	2.54	18.37
3.	असम	251.00	44.20	51.03	91.55	114.13	196.15
4.	बिहार	626.00	258.76	298.79	357.63	1054.73	589.93
5.	गोवा	13.00	1.80	2.07	2.07	3.17	2.87
6.	गुजरात	270.00	86.23	99.58	184.30	1203.88	252.68
7.	हरियाणा	122.00	44.86	51.80	63.69	79.13	118.20
8.	हिमाचल प्रदेश	33.00	7.84	9.06	39.47	133.64	52.58
9.	जम्मू और कश्मीर	60.00	21.15	24.42	26.65	37.30	63.12
10.	कर्नाटक	315.00	102.93	118.85	214.00	701.35	315.01
11.	केरल	182.00	38.48	44.43	165.04	885.69	95.71
12.	मध्य प्रदेश	485.00	174.33	201.30	222.54	418.17	578.11
13.	महाराष्ट्र	538.00	171.76	198.34	361.94	852.84	857.43
14.	मणिपुर	14.00	0.28	0.32	8.67	31.66	16.38
15.	मेघालय	21.00	4.88	5.63	5.91	8.60	15.45
16.	मिजोरम	7.00	1.97	2.28	2.31	3.48	5.15
17.	नागालैंड	14.00	1.57	1.81	1.81	2.77	15.79
18.	उड़ीसा	238.00	73.69	85.09	215.52	325.38	262.24
19.	पंजाब	152.00	54.41	62.83	96.11	95.98	64.22
20.	राजस्थान	325.00	107.62	124.27	158.91	397.40	435.75
21.	सिक्किम	6.00	1.08	1.24	1.51	1.90	8.14
22.	तमिलनाडु	403.00	138.22	159.61	258.94	660.48	273.16
23.	त्रिपुरा	34.00	7.57	8.75	8.75	13.36	21.19
24.	उत्तर प्रदेश	1021.00	349.35	403.39	660.42	897.57	1130.63
25.	पश्चिम बंगाल	459.00	133.56	154.22	381.33	2083.18	386.94
26.	दिल्ली	45.00	56.69	2.77	2.77	0.00	100.00
27.	पांडिचेरी	99.00	3.31	1.82	1.82	2.78	2.61
28.	अंडमान और निकोबार	18.00	14.27	0.82	0.82	1.25	1.17
29.	चंडीगढ़	66.00	39.67	2.27	2.27	3.47	3.52
30.	दादरा और नगर हवेली	9.00	7.70	0.44	0.44	0.67	0.63

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	दमण और दीव	7.00	5.51	0.32	0.32	0.49	0.45
32.	लक्षद्वीप	4.00	2.85	0.16	0.16	0.25	0.23
	एक्स-रे फिल्मों का प्रापण				82.00		23.00
	परामर्शी सेवाएं			0.00	35.55		
	कुल	6330.00	2130.00	2317.99	4177.94	10500.00	6257.54

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किया गया धन और किया गया व्यय

(रु० लाख में)

राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000	
	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
विश्व बैंक परियोजना राज्य						
आंन्ध्र प्रदेश	461.34	534.63	533.50	423.49	434.40	273.25
मध्य प्रदेश	593.40	884.09	976.67	654.32	740.81	933.61
महाराष्ट्र	412.27	477.35	449.25	738.12	664.88	1097.35
उड़ीसा	516.20	263.26	551.08	353.46	420.25	513.47
राजस्थान	289.60	261.37	324.50	560.51	314.18	209.95
तमिलनाडु	663.47	715.07	866.85	1050.43	1,009.82	454.08
उत्तर प्रदेश	702.28	790.35	806.75	593.81	789.32	636.58
उप–योग	3,638.56	3,926.12	4,508.60	4,374.14	4,373.66	4,118.29
अन्य राज्य						
अरुणाचल प्रदेश	9.04	6.41	9.50	5.64	18.00	6.43
असम	90.04	88.69	107.15	43.69	86.75	52.74
बिहार	174.94	225.83	204.00	171.42	165.00	110.15
दिल्ली	12.75	11.68	24.70	6.89	42.52	15.14
गोवा	8.75	10.84	63.15	21.04	14.50	9.30
गुजरात	129.51	139.39	154.14	125.76	396.52	153.66
हरियाणा	57.47	54.50	101.00	73.32	170.27	33.15
हिमाचल प्रदेश	32.47	49.64	83.53	38.59	86.25	47.79
जम्मू और कश्मीर	39.66	19.00	92.00	14.31	40.75	8.17
कर्नाटक	170.78	151.72	258.01	201.44	352.20	225.67
केरल	61.34	152.19	91.57	105.83	222.59	143.39
मणिपुर	10.27	14.81	25.91	10.30	7.00	6.72

1	2	3	4	5	6	7
मेघालय	22.06	18.93	26.83	19.81	24.00	18.76
मिजोरम	6.54	9.96	25.75	19.05	29.50	19.54
नागालैंड	6.35	12.75	64.10	12.99	14.00	2.27
पंजाब	56.65	55.50	56.60	34.22	199.61	44.26
सिक्किम	7.92	11.61	38.30	4.82	18.25	6.35
त्रिपुरा	20.27	22.97	50.89	34.77	35.39	23.14
पश्चिम बंगाल	57.25	90.41	141.70	125.66	204.10	85.97
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.00	4.50	7.80	3.71	10.67	0.50
चंडीगढ़	7.00	3.49	10.60	6.45	11.24	6.58
दादरा एवं नगर हवेली	7.00	4.14	6.70	0.91	2.50	0.50
दमण और दीव	4.00	4.00	7.70	0.87	9.40	5.09
लक्षद्वीप	7.04	1.17	17.70	0.18	5.72	0.00
पांडिचेरी	4.00	0.95	5.30	0.55	20.82	14.39
उप-योग	1,010.10	1,165.08	1,674.63	1,082.22	2,187.55	1,039.66
कुल योग	4,648.66	5,091.20	6,183.23	5,456.36	6,561.21	5,157.95

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
राज्यों और संघ क्षेत्रों के धन का उपयोग

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000	
		जारी किया गया अनुदान	सूचित व्यय	जारी किया गया अनुदान	सूचित व्यय	जारी किया गया अनुदान	सूचित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	425.00	425.39	650.00	843.51	1219.67	1024.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.00	50.86	30.00	4.78	159.00	103.07
3.	असम	100.00	103.60	100.00	155.60	322.00	314.78
4.	बिहार	50.00	1.21	110.00	60.37	55.00	124.03
5.	गोवा	50.00	17.20	35.00	28.00	98.00	69.11
6.	गुजरात	250.00	271.06	230.00	333.66	721.00	673.46
7.	हरियाणा	75.00	65.79	160.00	73.62	270.00	194.29
8.	हिमाचल प्रदेश	225.00	196.77	115.00	58.24	318.00	210.38
9.	जम्मू और कश्मीर	25.00		25.00		25.00	0.00
10.	कर्नाटक	175.00	218.42	335.00	391.94	801.67	555.03
11.	केरल	100.00	229.37	65.00	233.97	280.00	301.65
12.	मध्य प्रदेश	150.00	185.40	315.00	147.28	352.31	335.50

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	महाराष्ट्र	950.00	844.67	800.00	439.15	998.35	1111.37
14.	मणिपुर	150.00	42.17	245.00	212.84	352.38	567.33
15.	मेघालय	25.00	34.76	30.00	17.35	70.14	43.88
16.	मिजोरम	100.00	67.98	100.00	115.99	168.00	170.55
17.	नागालैंड	155.00	176.59	227.00	251.96	380.00	379.07
18.	उड़ीसा	75.00	59.80	100.00		200.00	34.47
19.	पंजाब	75.00	324.54	150.00	150.91	312.39	258.26
20.	राजस्थान	225.00	186.57	100.00	133.85	150.00	120.91
21.	सिक्किम	50.00	26.76	50.00	36.71	25.00	44.37
22.	तमिलनाडु	2000.00	1681.71	800.00	1642.37	883.09	1762.32
23.	त्रिपुरा	50.00	40.00	20.00	20.09	50.00	36.60
24.	उत्तर प्रदेश	495.00	307.96	200.00	192.47	851.00	992.23
25.	पश्चिम बंगाल	100.00	158.58	350.00	354.20	425.00	581.00
26.	दिल्ली	25.00	135.15	110.00	144.12	283.00	369.54
27.	पांडिचेरी	0.00	34.11	40.00	14.14	25.00	46.96
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	31.09	6.05	20.00	13.38	50.00	64.84
29.	चंडीगढ़	28.00	39.97	60.00	48.90	115.00	122.02
30.	दादरा एवं नगर हवेली	16.00	7.92		5.25	25.00	25.00
31.	दमण और दीव	24.22	17.82	15.00	14.98	95.00	26.02
32.	लक्षद्वीप	15.42				25.00	25.00
33.	एम०डी०ए०सी०एस०, मुंबई			350.00	110.12	670.00	728.92
34.	अहमदाबाद न०नि०			5.00		75.00	37.43
35.	चेन्नई न०नि०					125.00	43.65
	कुल	6239.73	5958.18	5942.00	6249.75	10975.00	11498.03

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के लिए मलेरिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम (डी०वी०एस०) के अंतर्गत राज्यवार आवंटन (नकद और वस्तुगत) और व्यय को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
		बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	779.03	617.00	464.91	482.93	322.86	663.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	258.74	297.50	270.42	186.61	303.27	229.22
3.	असम	2207.29	2618.00	2435.18	2170.42	2267.01	2616.72

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	588.52	348.98	508.90	403.05	481.35	578.66
5.	गोवा	10.26	5.18	21.72	7.72	10.93	4.54
6.	गुजरात	684.25	726.77	998.62	611.11	489.04	349.95
7.	हरियाणा	448.17	291.08	293.13	260.39	259.03	160.95
8.	हिमाचल प्रदेश	112.06	90.84	62.33	51.47	46.11	92.45
9.	जम्मू और कश्मीर	92.78	78.62	48.55	72.57	52.73	103.39
10.	कर्नाटक	542.97	568.62	494.50	264.47	662.66	229.29
11.	केरल	86.30	63.60	122.58	102.73	117.72	49.63
12.	मध्य प्रदेश	1115.47	1072.77	335.81	454.49	893.40	443.28
13.	महाराष्ट्र	913.05	1028.44	680.47	260.26	282.97	181.51
14.	मणिपुर	324.52	273.91	435.75	377.34	403.05	219.53
15.	मेघालय	239.15	196.96	261.44	231.55	306.70	212.27
16.	मिजोरम	195.47	132.00	286.17	172.53	309.56	190.05
17.	नागालैंड	193.37	212.62	192.53	183.34	240.83	308.33
18.	उड़ीसा	421.84	233.43	392.47	385.14	329.67	436.17
19.	पंजाब	356.58	183.26	437.50	290.67	288.96	148.45
20.	राजस्थान	1449.38	1799.74	2015.38	1994.15	1146.16	1075.71
21.	सिक्किम	0.94	1.77	10.06	8.47	11.65	7.90
22.	तमिलनाडु	427.25	204.88	268.29	240.72	392.31	114.19
23.	त्रिपुरा	322.71	414.05	413.64	356.97	375.89	379.31
24.	उत्तर प्रदेश	881.62	505.73	825.01	1121.92	622.18	527.80
25.	पश्चिम बंगाल	465.28	125.71	454.92	330.90	296.36	501.99
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	126.19	93.83	99.44	155.68	116.46	111.28
27.	चंडीगढ़	23.81	48.53	43.15	44.30	47.25	34.35
28.	दादरा एवं नगर हवेली	76.42	24.75	24.93	24.90	25.94	34.85
29.	दमण एवं दीव	34.15	12.37	15.80	10.08	16.42	12.97
30	दिल्ली	49.16	66.04	69.56	37.21	75.40	20.10
31.	लक्षद्वीप	12.55	3.48	4.96	5.24	5.81	5.82
32.	पांडिचेरी	7.72	12.48	11.08	6.15	10.32	11.28
	कुल	13447.00	12352.94	12999.20	11305.48	11210.00	10055.44

[अनुवाद]

दूरसंचार सुविधाएं

*213. **वैद्य विष्णु दत्त शर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना हेतु और सभी गांवों और पंचायतों को एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ० नेटवर्क से जोड़ने के लिए आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए छोटे तथा मध्यम क्षमता के एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई है। ये एक्सचेंज सी डॉट डिजाइन पर आधारित अत्याधुनिक (स्टेट ऑफ आर्ट) डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे एक्सचेंजों को विश्वसनीय संपर्कता प्रदान करने के लिए पर्याप्त क्षमता के पारेषण माध्यम की भी योजना बनाई गई है।

विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफल संस्थापना के लिए एक्सचेंज के उपस्करों तथा अन्य आवश्यक उपस्करों जैसे पॉवर प्लांट, बैटरी, एम०डी०एफ० और भूमिगत केबल आदि की आपूर्ति के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई कर ली है। ये एक्सचेंज गांवों तथा पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन, वी०पी०टी० तथा एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ० प्रदान करेंगे।

सरकार ने मौजूदा वर्ष के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में 14.2 लाख डी०ई०एल० (सीधी एक्सचेंज लाइनें) प्रदान करने के लिए 25.82 लाख लाइनों की स्विचन क्षमता वाले 3431 एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2001-2002 के लिए 19.0 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार, मार्च 2002 तक ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में मांग पर टेलीफोन प्रदान करने, और 6.07 लाख गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

सड़कों के रख-रखाव के लिए विश्व बैंक ऋण

*214. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :**
डा० जसवंत सिंह यादव :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सड़कों की दशा सुधारने हेतु विश्व बैंक द्वारा राज्य-वार कितनी ऋण राशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या विश्व बैंक की रिपोर्ट में सीमेन्ट से बनी सड़कों पर बल दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति पर अपनी चिंता जाहिर की है और वह देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए सहायता उपलब्ध करा रहा है। विश्व बैंक ने अब तक तीन ऋण उपलब्ध कराए हैं जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

क्रम सं०	ऋण पैकेज	ऋण राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	हस्ताक्षर का वर्ष	समाप्ति वर्ष	परियोजना राज्य
1.	विश्व बैंक-I	200	1985	1993	तमिलनाडु, उ०प्र०, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा और पंजाब
2.	विश्व बैंक-II	306	1992	2001	हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
3.	विश्व बैंक-III	516	2000	2006	उ०प्र० और बिहार

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए उन जगहों पर सीमेंट कंकरीट पेवमेंट का निर्माण कर रही है जहां कहीं भी इन्हें बेहतर विकल्प के रूप में पाया गया है।

[हिन्दी]

प्रसूति मौतों की रोकथाम

*215. **श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में प्रसूति के समय गर्भवती महिलाओं और बच्चों की मृत्यु दर क्या थी; और

(ख) सरकार द्वारा भविष्य में महिलाओं की प्रसूति के दौरान होने वाली मौतों और बालमृत्यु को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) गर्भवती महिला की मृत्युदर और खासकर प्रसव के समय होने वाली बच्चों की मृत्यु-दर के आंकड़े परिकलित/

उपलब्ध नहीं हैं। भारत के महापंजीयक, मातृ मृत्युदरों और प्रसवकालीन मृत्युदरों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराते हैं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

मातृ मृत्यु दर

यह गर्भावस्था, शिशुजन्म के कारण होने वाली मातृ मौतों अथवा प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर शिशु जन्म के 42 दिनों के अन्दर होने वाली मातृ मौतों की संख्या के रूप में परिभाषित की गई है। मातृ मृत्यु दर के अनुमान केवल 1992-93 में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से और वर्ष 1997 के लिए भारत के महापंजीयक के नमूना पंजीयन पद्धति से उपलब्ध हैं। ये नीचे दिए गए हैं :–

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (1992-93)	:	प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 437
नमूना पंजीयन पद्धति (भारत के महापंजीयक-1997)	:	प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 408

प्रसवकालीन मृत्यु दर

यह प्रति 1000 जीवित जन्मों के लिए मृतजातों (मृत पैदा) और सात दिनों से कम की शिशु मौतों की संख्या जमा, वर्ष के दौरान हुए मृतजातों की संख्या के रूप में परिभाषित की गई है।

वर्ष 1995 व 1996 के लिए प्रसवकालीन मृत्युदर के अनुमान भारत के महापंजीयक के नमूना पंजीयन पद्धति से उपलब्ध हैं। ये हैं :–

1995	45
1996	44

मातृ स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य, प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं और इसका लक्ष्य मातृ, शिशु और बाल मृत्यु तथा रूग्णता को कम करना है। 1997 में पांच वर्षों के लिए प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न उपचार-व्यवस्थाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ये हैं :–

माताओं के लिए

1. आवश्यक प्रसूति परिचर्या।
2. आपाती प्रसूति परिचर्या।
3. संवदेनाहारकों, स्त्री रोग विशेषज्ञों, सुरक्षित मातृत्व परामर्शदाताओं और तकनीकी स्टाफ जैसे प्रयोगशाला तकनीशियन, जन स्वास्थ्य नर्सों, इत्यादि की संविदा के आधार पर अथवा अंशकालिक नियुक्ति की व्यवस्था।
4. उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य, केन्द्रों/प्रथम रेफरल एककों में मातृ स्वास्थ्य के लिए औषधों व उपकरणों की व्यवस्था।
5. चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24 घंटे प्रसूति सेवाओं की योजना।
6. पिछड़े जिलों के लिए अतिरिक्त सहायक नर्स धात्रियां (ए०एन०एम०)।
7. गर्भवती महिलाओं को रेफर करने हेतु वाहन। इसे प्रारंभ में आठ पिछड़े राज्यों में कार्यान्वित किया गया था और अब इसका सभी राज्यों में विस्तार किया जा रहा है।
8. सुरक्षित गर्भपातों के लिए गर्भों के चिकित्सीय गर्भ समापनों के लिए सुविधाएं एवं प्रशिक्षण।
9. प्रजनन मार्गीय संक्रमणों/यौन संचारित संक्रमणों का निवारण, प्रबंध एवं नियंत्रण।
10. मास मीडिया तृणमूल स्तर पर विकेन्द्रीकृत स्थान विशिष्ट क्रियाकलापों के जरिये मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यक्रम का तीव्रीकरण।
11. जहां सरकारी सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं, वहां गैर-सरकारी संगठनों को जागरूकता पैदा करने तथा सेवा की प्रदानगी में शामिल करना।
12. चिकित्सा/परा-चिकित्सा तथा अन्य सेवाएं प्रदान करने वालों का प्रशिक्षण।
13. दाइयों का प्रशिक्षण।

बच्चों के लिए

1. छह वैक्सीन निवारण योग्य रोगों का प्रतिरक्षण।
2. अतिसारीय रोगों से होने वाली मौतों को नियंत्रित करना।
3. तीव्र श्वसनीय संक्रमणों के कारण होने वाली मौतों को नियंत्रित करना।
4. पोलियों का उन्मूलन।
5. विटामिन ए की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता का रोग-निरोधन।
6. नवजात शिशु देखभाल।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए यूनिसेफ की सहायता से विशेष कार्यक्रम 16 राज्यों के 46 जिलों में शुरू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, उप-केन्द्र एवं ग्रामीण स्तर पर आउटरीच सत्रों (सेशन) के दौरान 50 जिलों को मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी में सुधार के लिए निधियां प्रदान की जा रही हैं।

सामान्यतः मातृ, प्रसवकालीन तथा नवजात शिशु मृत्युदर को काफी नीचे लाने तथा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य को सुधारने की जरूरत पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में अत्यधिक जोर दिया गया है जिसे सरकार ने हाल ही में अनुमोदित किया है। यह नीति तृणमूल स्तर पर सम्पूर्ण अन्तरक्षेत्रीय समन्वय को जुटाने तथा साथ ही, गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी, पंचायती राज संस्थाओं तथा महिला समूहों इत्यादि

को शामिल करने के लिए एक समग्रतावादी कार्यनीति की संस्तुति करती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा

*216. श्री अनंत गुडे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में चल रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन/कार्यनिष्पादन की हाल में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यों द्वारा कार्यान्वित किये गये कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त की गयीं;

(घ) चालू वर्ष के दौरान और नौवीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े/समस्या वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन करने और उन्हें सुदृढ़ करने की कार्य योजना का साधारण रूप से राज्य-वार और विशेष रूप से महाराष्ट्र का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं और घातक बीमारियों से निपटने के लिए अब तक प्राप्त विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि देने का वचन मिला है/उपलब्ध होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और विभिन्न अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई की केंद्र और राज्य स्तरों पर नियमित रूप से समीक्षा और अनुवीक्षण किया जा रहा है। यह एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

(ग) प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों में 1997-98 से 1999-2000 तक के दौरान हुई राज्यवार उपलब्धियां विवरण-I पर हैं।

(घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी मूलरूप से राज्य सरकारों की है। तदनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निवारक, संवर्धक और रोगहर स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की दृष्टि से 1,37,006 उपकेंद्रों 23,179 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 2,913 समुदाय स्वास्थ्य केंद्र वाली ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना (31.12.1998 तक की स्थिति के अनुसार) का एक व्यापक नेटवर्क न्यूनतम बुनियादी सेवा के अंतर्गत समग्र देश में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय एड्स, मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभिकरणों से बाह्य सहायता जुटा करके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्रों के लिए संसाधनों में बढ़ोतरी करने हेतु सरकार हर संभव प्रयास करती रही है। इसके अलावा विश्व बैंक की सहायता से चुनिंदा राज्यों में ग्रामीण अस्पतालों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी में और सुधार किया जा सके।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कुछेक गतिविधियां हैं :– रक्तबैंकों का आधुनिकीकरण; यौन संचारित रोग निदानालयों का सुदृढ़ीकरण; निरापद रक्त आधान सेवाओं का प्रबंध; उच्च जोखिम वाली जनता के लिए विशेष परामर्श देकर कंडोम सुरक्षा तथा निवारण के लिए जागरूकता पैदा करना। ये सभी राज्यों में हैं। कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बहु औषधि चिकित्सा देश के सभी जिलों में नि:शुल्क प्रदान की जाती है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 500 मिलियन जनता को 2002 तक कवर करने का प्रस्ताव है। इसमें महाराष्ट्र के 27 जिले सम्मिलित किए गए हैं। निदान स्पूटम सूक्ष्मदर्शिकी के जरिए, उपचार प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण द्वारा किया जाता है, औषधें मुफ्त दी जाती हैं। 80% रोगमुक्ति दर प्राप्त हो रही है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकलाप हैं :– जिला स्तर पर नेत्र वार्डों तथा ओ०टी० का निर्माण और सज्जित करना, निर्धन लोगों की मोतियाबिंद की सर्जरी मुफ्त कराने हेतु गैर सरकारी संगठनों को सहायता, स्कूली बच्चों को चश्मों की प्रदानगी आदि। इसे देश के तमाम जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना में 7 राज्यों के 100 जनजातीय हार्डकोर मिले आते हैं तथा महाराष्ट्र के 15 जिले भी सम्मिलित हैं।

(ङ) प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए विदेशी सहायता का ब्यौरा विवरण-II पर है।

विवरण-I

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1997-2000 के दौरान लक्ष्य और की गई मोतियाबिन्द सर्जरी

महायोग

राज्य	(1997-98)		(1998-99)		(1999-2000)		(1997-2000)		प्रतिशत
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
विश्व बैंक परियोजना									
आंध्र प्रदेश	246400	295735	271050	340478	296000	337980	813450	974193	120
मध्य प्रदेश	280000	254138	308000	287201	300000	275108	888000	816447	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	336000	389701	369600	404738	400000	381929	1105600	1176368	106
उड़ीसा	112000	74713	123200	79271	125000	63391	360200	217375	60
राजस्थान	179200	157243	197200	176955	194000	188417	570400	522615	92
तमिलनाडु	308000	329773	338800	373690	350000	356953	996800	1060416	106
उत्तर प्रदेश	392000	419865	413200	472029	435000	558326	1240200	1450220	117
उपयोग	1853600	1921168	2021050	2134362	2100000	2162104	5974650	6217634	104
अन्य राज्य									
अरुणाचल प्रदेश	672	437	750	475	900	516	2322	1428	61
असम	36000	26366	40000	19588	42000	16800	118000	62754	53
बिहार	175000	124586	192500	110121	210000	117869	577500	352576	61
दिल्ली	56000	64150	61600	60389	70000	50194	187600	174733	93
गोवा	5600	4767	6150	4472	6500	4743	18250	13982	77
गुजरात	229160	274248	252000	291030	290000	414580	771160	979853	127
हरियाणा	89600	78505	98600	87757	100000	89000	288200	255262	89
हिमाचल प्रदेश	11200	13075	12300	12652	14500	14213	38000	39940	105
जम्मू और कश्मीर	10080	7109	11100	21805	12500	3524	33680	32438	96
कर्नाटक	168000	165000	184800	172569	200000	164033	552800	501602	91
केरल	61600	59358	67800	65728	80000	79446	209400	204532	98
मणिपुर	1680	567	1850	1020	2000	555	5530	2142	39
मेघालय	1680	897	1850	1053	2000	512	5530	2462	45
मिजोरम	560	392	600	556	750	573	1910	1521	80
नागालैंड	336	373	360	324	450	224	1146	921	80
पंजाब	134400	126182	147850	144885	150000	108240	432250	379307	88
सिक्किम	672	948	750	675	950	572	2372	2195	93
त्रिपुरा	5600	6504	6160	6165	7000	7378	18760	20047	107
पश्चिम बंगाल	168000	146405	184800	169397	200000	205790	552800	521592	94
अंडमान और निकोबार	448	277	500	402	500	473	1448	1152	80
चंडीगढ़	3080	3717	3400	3802	3600	5391	10080	12910	128
दादरा और नगर हवेली	224	188	250	286	350	255	824	729	88
दमण और दीव	224	240	250	261	350	360	824	861	104
लक्षद्वीप	56	22	60		50	5	166	27	16
पांडिचेरी	4480	4632	5000	5033	5600	6297	15080	15962	106
अन्य		4509		5498		3466	0	13473	
उप-योग	1164352	1113449	1281280	1185943	1400000	1295009	3845632	3594401	93
महायोग	3017952	3034617	3302330	3320305	3500000	3457113	9820282	9812035	100

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम–राज्यवार और वर्षवार (1997–98 से 1999–2000)

क्रम सं०	राज्य/क्षेत्र	1997-98					
		पहचान		उपचार		डिस्चार्ज	
		टी	ए	टी	ए	टी	ए
1.	आंध्र प्रदेश	20000	53418	20000	52205	25000	55410
2.	अरुणाचल प्रदेश	80	58	80	58	100	75
3.	असम	2500	1765	2500	1765	3000	3099
4.	बिहार	50000	104478	50000	104438	55000	106320
5.	गोवा	200	436	200	436	300	380
6.	गुजरात	15000	15567	15000	15563	20000	18014
7.	हरियाणा	100	148	100	148	150	162
8.	हिमाचल प्रदेश	300	258	300	258	600	768
9.	जम्मू और कश्मीर	250	739	250	739	300	1447
10.	कर्नाटक	6000	17766	6000	17766	13000	21236
11.	केरल	5000	4699	5000	4695	7500	6606
12.	मध्य प्रदेश	25000	31449	25000	31449	40000	50638
13.	महाराष्ट्र	40000	62473	40000	62473	55000	51229
14.	मणिपुर	200	243	200	243	300	392
15.	मेघालय	50	23	50	23	80	162
16.	मिजोरम	50	43	50	43	80	36
17.	नागालैण्ड	100	53	100	53	150	981
18.	उड़ीसा	25000	99341	25000	99341	35000	57641
19.	पंजाब	900	1198	900	1198	1200	1250
20.	राजस्थान	1000	3037	1000	3037	2000	2748
21.	सिक्किम	50	39	50	39	80	51
22.	तमिलनाडु	55000	29649	55000	28623	60000	43205
23.	त्रिपुरा	1000	201	1000	201	1600	481
24.	उत्तर प्रदेश	50000	55859	50000	56044	65000	63549
25.	पश्चिम बंगाल	25000	38134	25000	38134	45000	60199
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	80	90	80	90	100	120
27.	चंडीगढ़	100	260	100	260	150	353
28.	दादरा और नगर हवेली	100	180	100	180	150	263
29.	दमण और दीव	50	124	50	124	75	178
30.	दिल्ली	200	2170	200	2170	250	2304
31.	लक्षद्वीप	30	0	30	0	50	0
32.	पांडिचेरी	300	513	300	513	400	678
	योग	323640	524411	323640	522309	431215	549975

रोगी पहचान, उपचार और डिस्चार्ज के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियां

1998-99						1999-2000					
पहचान		उपचार		डिस्चार्ज		पहचान		उपचार		डिस्चार्ज	
टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए
36000	65966	36000	63232	55000	71197	24000	56501	24000	49374	50000	45383
100	331	100	331	400	232	100	169	100	155	350	272
7200	6732	7200	6732	9000	6931	1000	3087	1000	3005	5500	4508
64700	277336	64700	277322	120000	201392	50000	78065	50000	76864	185000	138635
300	658	300	658	400	542	100	329	100	295	600	359
4000	12848	4000	12850	17000	17301	3500	10490	3500	8880	11300	8749
200	823	200	823	600	533	150	452	150	462	600	564
400	371	400	371	1000	731	200	321	200	321	1000	634
200	951	200	951	1500	1634	100	520	100	478	1400	811
13000	26524	13000	25566	20000	25904	10000	21797	10000	17276	14000	15145
6650	5676	6650	5673	8000	6044	3000	3826	3000	2597	6000	3727
52000	56319	52000	56319	60000	53588	35000	27849	35000	25802	50000	29106
10000	52236	10000	52236	55000	65949	30000	59785	30000	43663	48000	36396
200	197	200	197	400	195	100	226	100	190	500	425
50	275	50	275	400	196	40	106	40	69	390	365
50	75	50	75	100	69	40	31	40	31	100	54
200	71	200	71	700	123	15	79	15	65	100	43
10000	41534	10000	41534	70000	91271	25000	54703	25000	45283	45000	35168
1000	2049	1000	2049	2000	1738	500	1100	500	1061	2000	1299
850	2797	850	2797	8000	3538	2500	2091	2500	2041	12000	5000
100	85	100	85	150	73	25	24	25	24	120	83
10000	46429	10000	46572	43000	56910	30000	37561	30000	22661	50000	27154
100	490	100	491	400	313	50	101	50	101	300	478
65000	107632	65000	107417	100000	97309	50000	101681	50000	97236	70000	73217
40000	71728	40000	71728	70000	57138	20000	28251	20000	27423	45000	51111
80	54	80	54	100	86	50	41	50	42	100	44
150	332	150	278	400	173	50	150	50	131	3500	72
100	328	100	328	250	276	100	283	100	273	350	314
80	64	80	64	150	126	30	7	30	6	80	28
500	1464	500	1460	8000	10973	500	2870	500	2116	8000	1032
30	42	30	42	50	56	15	1	15	0	26	40
400	700	400	700	400	649	200	703	200	452	350	430
323640	783117	323640	779281	652400	773190	286365	493200	286365	428377	611666	480646

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम—राज्यवार कुल रोगी पहचान—लक्ष्य/उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1996-97			1997-98			1998-99		
		लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	78,620	65,660	83.5	98,495	74,137	75.27	96,488	78,467	81.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,500	2,880	192.0	1,374	3,801	276.64	1,374	5,748	418.34
3.	असम	23,500	20,106	85.6	33,952	18,625	54.86	33,952	19,847	58.46
4.	बिहार	153,000	112,710	73.7	127,805	11,133	8.71	127,805	27,770	21.73
5.	गोवा	2,000	2,974	148.7	1,844	2,610	141.54	1,844	2,748	149.02
6.	गुजरात	133,900	116,158	86.7	62,369	104,635	167.77	62,369	125,534	201.28
7.	हरियाणा	29,000	35,267	121.6	25,530	37,668	147.54	25,530	33,384	130.76
8.	हिमाचल प्रदेश	9,000	12,084	134.3	7,893	5,347	67.74	7,893	5,768	73.08
9.	जम्मू और कश्मीर	6,240	11,014	176.5	11,734	26,993	230.04	11,734	18,258	155.60
10.	कर्नाटक	68,370	71,776	105.0	67,582	78,883	116.72	67,582	68,149	100.84
11.	केरल	33,800	36,829	109.0	42,314	19,711	46.58	42,314	13,808	32.63
12.	मध्य प्रदेश	87,220	90,858	104.2	101,487	77,045	75.92	101,987	78,390	76.86
13.	महाराष्ट्र	140,000	190,630	136.2	118,639	202,299	170.52	118,639	195,246	164.57
14.	मणिपुर	2,700	6,645	246.1	2,908	3,469	119.29	2,908	2,820	96.97
15.	मेघालय	2,560	4,618	180.4	2,809	3,080	109.65	2,809	2,788	99.25
16.	मिजोरम	1,000	1,223	122.3	1,098	1,332	121.31	1,098	1,390	126.59
17.	नागालैण्ड	1,250	1,350	108.0	1,934	1,626	84.07	1,934	2,380	123.06
18.	उड़ीसा	36,860	40,850	110.8	47,014	24,912	52.99	47,014	21,850	46.48
19.	पंजाब	41,900	48,260	115.2	30,652	42,121	137.42	30,652	39,520	128.93
20.	राजस्थान	45,000	69,344	154.1	68,475	46,071	67.28	68,475	52,072	76.05
21.	सिक्किम	1,000	2,800	280.0	645	1,861	288.53	645	2,104	326.20
22.	तमिलनाडु	99,000	104,823	105.9	81,128	114,065	140.60	81,128	116,195	143.22
23.	त्रिपुरा	2,880	2,528	87.8	4,366	2,601	59.57	4,366	3,340	76.50
24.	उत्तर प्रदेश	247,000	279,789	113.3	215,478	289,431	134.32	215,478	262,739	121.93
25.	पश्चिम बंगाल	69,000	74,352	107.8	102,287	65,018	63.56	102,287	62,428	61.03
26.	पांडिचेरी	3,200	3,401	106.3	446	711	159.42	1,281	3,863	301.56
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	500	635	127.0	1,023	1,819	177.81	446	720	161.43
28.	चंडीगढ़	1,000	1,711	171.1	220	506	230.00	1,023	1,801	176.05
29.	दादरा और नगर हवेली	250	300	120.0	161	0	0.00	220	266	120.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	दिल्ली	42,000	42,951	102.3	13,500	43,313	320.84	13,500	13,000	96.30
31.	लक्षद्वीप	100	180	180.0	82	145	176.83	82	100	121.95
32.	दमण और दीव	150	244	162.7	1,281	3,417	266.74	161	150	93.17
	योग	1,363,500	1,454,950	106.7	1,276,525	1,308,385	102.50	1,275,018	1,262,643	99.03

20 सूत्रीय कार्यक्रम के आधीन एन०टी०पी० के राज्य/संघ क्षेत्रवार लक्ष्य और उपलब्धियां : 1999-2000

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	थूक जांच कराने वाले रोगी			पहचाने गए नए थूक पोजिटिव रोगी		
		लक्ष्य	उपलब्धियां		लक्ष्य	उपलब्धियां	
			संख्या	प्रतिशत		संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	373,090	296603	79.50	37310	24892	66.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	5,240	7693	146.81	520	400	76.92
3.	असम	129,390	3770	2.81	12940	209	1.62
4.	बिहार	490,610	12447	2.54	49060	1255	2.56
5.	गोवा	7,020	13632	194.19	700	278	39.71
6.	गुजरात	237,760	261754	110.09	23780	34911	146.81
7.	हरियाणा	97,730	53206	54.44	9770	2327	23.82
8.	हिमाचल प्रदेश	29,690	5064	17.06	2970	512	17.24
9.	जम्मू और कश्मीर	44,050	25016	56.79	4400	533	12.11
10.	कर्नाटक	257,180	211110	82.09	25720	20202	78.55
11.	केरल	159,910	0		15990	0	
12.	मध्य प्रदेश	391,730	364475	93.04	39170	23683	60.46
13.	महाराष्ट्र	450,600	683987	151.79	45060	60222	133.65
14.	मणिपुर	11,070	8741	78.96	1110	1012	91.17
15.	मेघालय	10,700	3787	35.39	1070	476	44.49
16.	मिजोरम	4,190	3497	83.46	420	282	67.14
17.	नागालैण्ड	7,400	2253	30.45	740	643	86.89
18.	उड़ीसा	177,680	51245	28.84	17770	4906	27.61
19.	पंजाब	116,380	155849	133.91	11640	8706	74.79
20.	राजस्थान	263,200	60066	22.82	26320	20178	76.66
21.	सिक्किम	2,460	7190	292.28	250	417	166.80
22.	तमिलनाडु	306,280	464963	151.81	30630	25756	84.09
23.	त्रिपुरा	16,630	15306	92.04	1660	981	59.10
24.	उत्तर प्रदेश	831,820	872173	104.85	83180	65596	78.86

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	पश्चिम बंगाल	389,860	43135	11.06	38990	4006	10.27
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.700	2831	166.53	170	88	51.76
27.	चंडीगढ़	3,910	612	15.65	390	23	5.90
28.	दादरा और नगर हवेली	840	947	112.74	80	187	233.75
29.	दमण और दीव	620	620	100.00	60	41	68.33
30.	दिल्ली	60,910	62993	103.42	6090	19264	316.32
31.	लक्षद्वीप	310	143	46.13	30	0	
32.	पांडिचेरी	4,880	21506	440.70	490	1303	265.92
	योग	4,884,840	3,716,614	76.08	488480	323,289	66.18

मलेरिया के लिए जांची गई जनसंख्या और पहचाने तथा उपचारित रोगी

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997		1998		1999(पी)	
		जांची गई जनसंख्या	पहचाने तथा उपचारित रोगी	जांची गई जनसंख्या	पहचाने तथा उपचारित रोगी	जांची गई जनसंख्या	पहचाने तथा उपचारित रोगी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8231594	129577	8423564	118800	8451290	124806
2.	अरुणाचल प्रदेश	348246	53196	332748	49554	384719	58243
3.	असम	2688224	123650	2441084	94645	2872859	131048
4.	बिहार	1059514	74676	1165798	114958	1156488	131898
5.	गोवा	243910	21025	295375	25975	298611	15380
6.	गुजरात	7730639	159652	7121759	106825	6522453	64130
7.	हरियाणा	2594981	69710	2282924	12115	2223638	2604
8.	हिमाचल प्रदेश	591289	5320	627661	1433	626847	700
9.	जम्मू और कश्मीर	333087	9412	363056	5451	859814	3574
10.	कर्नाटक	7613013	181450	7568155	118753	7320327	93651
11.	केरल	1378112	8265	1402521	7439	1645311	5141
12.	मध्य प्रदेश	10038159	451552	10682551	475098	11203749	527510
13.	महाराष्ट्र	13526640	204969	14687438	165985	15248274	137712
14.	मणिपुर	99567	1742	134012	1306	163153	2662
15.	मेघालय	252997	22237	237868	17618	217925	14798
16.	मिजोरम	222685	11021	204472	10137	284209	14437
17.	नागालैण्ड	50250	2825	57334	1989	47972	3482
18.	उड़ीसा	3683930	421928	3937133	478056	3730664	423777
19.	पंजाब	2720174	27632	2791026	5316	2736578	1113

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	राजस्थान	6000754	272670	4977977	76438	5223301	53154
21.	सिक्किम	14980	38	14313	15	12853	14
22.	तमिलनाडु	6891722	72426	7576907	63915	7366564	54067
23.	त्रिपुरा	251903	18122	231487	12595	212056	14408
24.	उत्तर प्रदेश	8809921	134362	7779535	112291	4181000	99362
25.	पश्चिम बंगाल	2417132	155209	2426247	132088	2829818	222158
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	236202	972	229416	1247	248551	937
27.	चंडीगढ़	122478	4944	88387	1675	86344	456
28.	दादरा और नगर हवेली	50079	12007	30750	6225	32384	3303
29.	दमण और दीव	31510	1062	30445	625	27735	352
30.	दिल्ली	1007347	8194	1001771	4050	994517	3702
31.	लक्षद्वीप	4028	2	3034	4	3775	1
32.	पांडिचेरी	200494	210	220414	168	254629	149
	अखिल भारत	89445561	2660057	89376162	2222789	87E+07	2208729

(पी) अनन्तिम

1997-98 से 1999-2000 तक की उपलब्धियां

रक्त बैंकों, आंचलिक रक्त जांच केन्द्रों, रक्त घटक पृथक्करण यूनिटों, निगरानी स्थलों, यौन संचारित रोग क्लिनिकों और रक्त जांच केन्द्रों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	जैडबीटीसी	बीसीएसयू	बीबी	बीटीसी	संदर्भ-प्रयोगशाला	एसटीडी	निगरानी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	1	60	11		30	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	6	1		2	3
3.	असम	3	0	18	3		5	4
4.	बिहार	9	3	51	10		17	11
5.	गोवा	2	0	3	1		4	5
6.	गुजरात	6	4	55	5		15	12
7.	हरियाणा	4	1	18	1		8	7
8.	हिमाचल प्रदेश	2	0	9	1		66	9
9.	जम्मू और कश्मीर	3	1	13	3		7	5
10.	कर्नाटक	10	1	52	7		30	14
11.	केरल	5	4	35	6		24	6
12.	मध्य प्रदेश	10	3	49	8		50	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	महाराष्ट्र	17	6	71	19	2	38	18
14.	मणिपुर	1	0	3	1	1	9	10
15.	मेघालय	1	0	3	1		6	5
16.	मिजोरम	1	0	4	1		4	4
17.	नागालैंड	3	0	3	2		7	6
18.	उड़ीसा	4	0	45	5		19	6
19.	पंजाब	3	1	32	3		7	4
20.	राजस्थान	6	1	18	6		14	8
21.	सिक्किम	1	0	2	1		1	3
22.	तमिलनाडु	13	3	93	9	2	47	11
23.	त्रिपुरा	1	0	6	1		3	1
24.	उत्तर प्रदेश	13	6	68	10		44	13
25.	पश्चिम बंगाल	10	1	74	7	2	30	10
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1		2	1		1	4
27.	चंडीगढ़	1		3	2		2	3
28.	दादरा और नगर हवेली	0		1	1		0	1
29.	दमन और द्वीव	0		1	1		0	2
30.	दिल्ली	10	4	14	4	2	10	7
31.	लक्षद्वीप	0		1	1		0	3
32.	पांडिचेरी	1		2	2		4	4
33.	एमडीएसीएस							10
34.	अहमदाबाद एमसी							
35.	चेन्नई एमसी							
	कुल	154	40	815	135	9	504	232

विवरण-II

1992-93 से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों से जुटाई गई बाहरी सहायता

कार्यक्रम		(करोड़ रुपयों में)
कुष्ठ		302.00
दृष्टिहीनता		558.00
मलेरिया		726.29
एड्स	चरण-I	222.00
	चरण-II	1425.00
क्षयरोग		745.88

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का निजीकरण

*217. श्री भेरूलाल मीणा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लाभ अर्जित करने वाली हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयरों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रहित में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) जी, नहीं। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में विनिवेश के बारे में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

[अनुवाद]

पोलियो पर यूनीसेफ की रिपोर्ट

*218. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री शिवाजी माने :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में नई दिल्ली में जारी किए गए यूनीसेफ के विश्वस्तरीय प्रकाशन-राष्ट्रों की प्रगति "प्रोग्रेस आफ नेशन्स (पी०ओ०एन०) 2000" रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व में पोलियो, एच०आई०वी०/एड्स मामले और कुपोषित बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या भारत में है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए गए हैं/सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ङ) सरकार यूनिसेफ प्रकाशन – प्रोग्रेस आफ नेशन्ज - 2000 के बारे में जानती है जो कि सार्वभौमिक प्रकाशन है और यह देश विशिष्ट सिफारिशें नहीं करती। इस प्रकाशन में स्वास्थ्य से संबंधित कई विषयों जिनमें एक्वायरड इम्यूनो डिफीसिएन्सी सिन्ड्रोम (एड्स), बच्चों में कुपोषण, शिशु स्वास्थ्य और उत्तरजीविता को बेहतर बनाने में प्रसववूर्व परिचर्या की भूमिका, तीव्र श्वसनी संक्रमण के नियंत्रण, पोलियो के उन्मूलन के लिए सार्वभौमिक प्रयासों सहित प्रतिरक्षण सेवाओं के विशेष संदर्भ में बच्चों के लिए उचित प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या का प्रावधान और जल और स्वच्छता शामिल हैं, पर टिप्पणियां और सामान्य सिफारिशें दी गई हैं। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ बाल मजदूरी, अनाथों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं, महिला जननांगी छिन्नभिन्नता और युवा आयु समूहों में धूम्रपान की व्यापकता के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की गई है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए दाता सहायता में कमी के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की गई है।

भारत, विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और यहां मानव जाति का 1/6 हिस्सा रहता है। यद्यपि भारत में कुपोषित (कम वजन वाले) बच्चों की सबसे अधिक संख्या है परन्तु भारत की अपेक्षा कई देशों में कम वजन के बच्चों की अधिक व्यापकता है। अपनी जनसंख्या के मात्र आकार के कारण देश में रोग भार का परम परिमाण काफी अधिक है। "प्रोग्रेस आफ नेशन्ज - 2000" रिपोर्ट के अनुसार विश्व के पोलियो रोगियों में से सबसे अधिक रोगी भारत में हैं और विश्व के एच०आई०वी०/एड्स संक्रमित लोगों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भारत में है।

भारत हमेशा से पोलियो के रोगियों की बड़ी संख्या वाले देशों में से एक रहा है। तथापि 1995 से पल्स पोलियो कार्यक्रम के माध्यम से पोलियो के उन्मूलन और अत्यधिक प्रभावी और देशव्यापी पोलियो निगरानी प्रणाली के विकास की समीक्षा संबंधी देश के प्रयासों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वागत हुआ है। 1998 के दौरान भारत, विश्व में 68% पोलियो मामलों के लिए जिम्मेदार था। जैसा कि "प्रोग्रेस आफ नेशन्ज - 2000" में बताया गया है, 1999 के दौरान सूचित किए गए मामलों में लगभग 40% की कमी आई। वास्तव में अब पोलियो संचरण दो बड़े राज्यों - उत्तर प्रदेश और बिहार तक यथार्थ रूप से सीमित रह गया है। वर्तमान वर्ष (2000-2001) के दौरान, सरकार राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवसों के माध्यम से पोलियो पर अंतिम हमला करने और जहां आवश्यक हो बचे-खुचे पोलियो के रोगियों को प्रतिरक्षित करने संबंधी कार्यक्रम चलाने के लिए कृतसंकल्प है।

भारत में एच०आई०वी०/एड्स के फैलाव को रोकने और नियंत्रित करने के लिए देश भर में एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य घटकों में लक्षित जनसंख्या जिसे परामर्श, कंडोम सवंर्धन और यौन संचारित संक्रमणों का उपचार जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, की पहचान करके उच्च जोखिम वाले समूहों में एच०आई०वी० के फैलाव में कमी करना शामिल है। सामान्य जनता को गहन और जागरूकता अभियान के जरिए निवारक उपायों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। स्वैच्छिक जांच और परामर्श, सुरक्षित रक्ताधान सेवाओं और व्यावसायिक प्रभाव की रोकथाम करने के लिए व्यवस्था की गयी है। एच०आई०वी०/एड्स वाले लोगों को घरेलू और समुदाय आधारित परिचर्या प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। एड्स नियंत्रण कार्यकलापों के लिए सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बच्चों में कुपोषण की व्यापकता को कम करने के लिए भारत सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई है। नीति में कुपोषण की समस्या को नियंत्रित करने और लोगों के पोषण में सुधार करने के लिए एक बहुक्षेत्रीय एप्रोच की हिमायत की गई है। राष्ट्रीय पोषण नीति में अल्पकालिक प्रत्यक्ष उपाय और दीर्घकालिक अप्रत्यक्ष उपाय निहित हैं। राष्ट्रीय पोषण नीति के घटकों को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्यढांचे के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए पोषण पर एक राष्ट्रीय कार्ययोजना विकसित की गई है। पोषण को बढ़ावा देने के लिए 14 विभागों और मंत्रालयों की भूमिका की पहचान की गयी है।

सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपायों में बच्चों की जनसंख्या सहित जनसंख्या की पौषणिक स्थिति में सुधार करने के साथ-साथ

कृषि उत्पादन में वृद्धि करना; आय अर्जन की योजनाओं के जरिए लोगों की क्रय शक्ति में सुधार करना; सार्वजनिक संवितरण प्रणाली के जरिए रियायती लागत पर आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना; नवजातों और युवा बच्चों में विशेष स्तन्य पान और उपयुक्त सम्पूरक आहार पद्धतियों सहित जागरूकता में वृद्धि करने और आहार पद्धतियों में व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए पोषण शिक्षा शामिल है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, विशेष पोषण कार्यक्रम, बाल बाड़ी पोषण कार्यक्रम और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम सहित अनुपूरक आहार कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोडीन की विशिष्ट सूक्ष्म पोषक कमी के निवारण के लिए एक कार्यक्रम और विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता और लोहे और फालिक एसिड की कमी के कारण होने वाली पौषणिक रक्ताल्पता की रोकथाम करने के लिए बचाव कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन औषधों (विटामिन ए और आयरन फालिक एसिड की गोलियां) की उपकेन्द्र और आंगनबाड़ी स्तरों पर आपूर्ति की जा रही है। सूक्ष्म कुपोषण के नियंत्रण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

सरकार लोगों विशेष रूप से जनसंख्या के कमजोर वर्गों और देश के अल्पसेवित क्षेत्रों के लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवा के मानकों में सुधार करने को अधिकतम महत्व प्रदान करती है।

[हिन्दी]

खेलकूद में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन

*219. **श्री अशोक ना० मोहोल** : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलकूद में भारत का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार खेलकूद के लगातार गिरते प्रदर्शन को देखते हुए खेल संगठनों पर नियंत्रण करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में राष्ट्रीय खेल नीति में कोई प्रावधान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) खेलकूद में हमारा प्रदर्शन निराशाजनक नहीं हुआ है। पिछले 2 से 3 वर्षों के दौरान, अधिकांश प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों/खेलों में भारत का प्रदर्शन सुधर रहा है – यद्यपि न्यूनतम रूप से। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के प्रदर्शन में और अधिक सुधार की गुंजाइश है। 1998 एशियाई खेलों, भारत ने 7 स्वर्ण पदकों सहित 35 पदक जीते। इस खेल में, पुरुषों की हाकी टीम ने 32 वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद एक स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यह प्रदर्शन, निश्चित रूप से, 1994 एशियाई खेलों में, भारत के प्रदर्शन से बेहतर है जब भारत केवल 23 पदक ही जीत सका था। 1998 राष्ट्रमण्डल खेलों में, भारत ने 25 पदक प्राप्त किए जिसमें 7 स्वर्ण पदक शमिल थे जो पुन: 1994 राष्ट्रमण्डल खेलों से बेहतर था जब भारत ने 24 पदक प्राप्त किए थे। दक्षिण एशियाई परिसंघ खेलों (सैफ) में, भारत का प्रदर्शन शानदार था जिसमें हमने 197 पदक जीते जिसमें 102 स्वर्ण पदक थे। सितम्बर-अक्टूबर 2000 में सिडनी, आस्टेलिया में आयोजित किए जाने वाले 2000 ओलम्पिक खेलों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से योग्यता प्राप्त करने के पश्चात्, भारत 12 खेल विधाओं में भाग ले रहा है।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा किसी भी खेल संगठन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राष्ट्रीय खेल नीति के मसौदे में, जो कि तैयार किया जा रहा है, राष्ट्रीय खेल परिसंघों की गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह प्रस्ताव है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय ओलम्पिक संघ (आई०ओ०ए०) और राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से खेलों को "विस्तृत आधार" प्रदान करने और खेलों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर "उत्कृष्टता हासिल करने" के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करेगी। सरकार और संबंधित एजेंसियों को नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करना होगा। खेल निकायों को परिणामों की उपलब्धियों की दिशा में अवस्थिति प्रदर्शित करनी होगी और खेलों के क्षेत्र में वास्तविक प्रगति सुनिश्चित करनी होगी ताकि खेल निकायों/परिसंघों के कार्यकरण को पारदर्शी, पेशेवर तथा जिम्मेवार बनाया जा सके।

[अनुवाद]

भारतीय महिला भारोत्तोलकों का प्रदर्शन

*220. **श्री माधवराव सिंधिया** :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995 में एशियाई चैंपियनशिप में 65 से भी ज्यादा पदक जीतने वाली महिला भारोत्तोलकों की भारतीय टीम का प्रदर्शन का स्तर वर्ष 1996 से तेजी से कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और बाद में आयोजित की गई एशियाई और अन्य अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उनका तुलनात्मक प्रदर्शन कैसा रहा और इनमें भारतीय महिला भारोत्तोलकों का कौन-कौन सा स्थान रहा;

(ग) इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं; और

(घ) वर्ष 1995 से 2001 तक के वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए महिला खेलकूद के लिए कितना केन्द्रीय वार्षिक आबंटन किया गया?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) जी, नहीं। विगत वर्षों में महिला भारोत्तोलकों के समग्र प्रदर्शन में सामान्यतः सुधार दिखाई दिया है तथा एशियाई चैंपियनशिपों में प्रथम पांच स्थान प्राप्त करने वाली महिला भारोत्तोलकों की संख्या 1995 में 4 और 2000 में 7 के बीच रही है। प्रदर्शन का एक तुलनात्मक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, नवंबर, 1999 में एथेन्स में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में प्रदर्शन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था। इसका एक कारण टीम के तत्कालीन प्रशिक्षक द्वारा की गई कुछ तकनीकी त्रुटियां और कार्यनीति संबंधी गलतियां थीं। भारत ने 1999 में हुई एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीत कर प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा मई, 2000 में आयोजित 13वीं एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीत कर पुनः प्रथम स्थान प्राप्त किया।

(ग) सरकार, भारोत्तोलन के सवंर्धन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, महिला भारोत्तोलकों को महत्व देते हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने की उनकी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सभी स्वीकार्य सहायता प्रदान कर रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण (एस०ए०आई०) सीनियरों के लिए एक वर्ष में 300 दिनों के लिए तथा जूनियरों के लिए 200 दिनों के लिए अनुशिक्षण शिविरों का आयोजन कर रहा है जिसमें भोजन/आवास, प्रशिक्षण किट तथा वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन तथा सर्वश्रेष्ठ भारतीय एवं विदेशी अनुशिक्षकों/विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण की सभी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा, विदेशों में प्रदर्शन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन, उपस्कर और सीनियर, जूनियर तथा सब-जूनियर स्तरों पर राष्ट्रीय चैंपियनशिपों के आयोजन के लिए "*राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए सहायता के मार्गनिर्देशों*" के प्रावधानों के अनुसार, सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) सरकार की सभी योजनाएं, पुरुष और महिला खिलाड़ियों, दोनों के लिए हैं और दोनों को समान स्तरों की सुविधाएं दी जाती हैं। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एजेंसी आधार पर कार्यान्वित की जा रही महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव नामक योजना है। 1995-2000 के दौरान इस महोत्सव के आयोजन पर हुए व्यय के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :-

वर्ष	व्यय
1995-96	31,58,000/- रुपये
1996-97	15,13,489/- रुपये
1997-98	27,42,723/- रुपये
1998-99	24,17,106/- रुपये
1999-2000	33,56,804/- रुपये

विवरण

एशियाई चैंपियनशिपों में भारत की महिला भारोत्तोलकों की स्थिति – 1995-2000

स्थान	1995	1996	1997	1998	2000
स्वर्ण	2	–	1	–	1
रजत	–	1	2	1	1
कांस्य	1	1	1	2	1
चौथा	1	4	–	–	2
पांचवां	–	–	1	–	2
कुल	4	6	5	3	7

लंबी दूरी की सेवाएं

2193. **श्री ताराचन्द भगोरा :**
श्री भैरूलाल मीणा :
श्री तूफानी सरोज :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंबी दूरी की सेवाओं में ऑपरेटरों को लाइसेंस और प्रवेश-शुल्क के लिये बोली लगाने से पहले सरकार ने सभी शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है, ताकि पहले की गलती को दुहराया न जाए और बोली लगाने का युद्ध पुनः न शुरू हो जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय स्तर की लंबी दूरी के क्षेत्र में प्रवेशकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इसलिए लंबी दूरी की सेवाओं में आपरेटरों को लाइसेंस देने के लिए बोली लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य डाकघर, लखनऊ द्वारा की गई खरीद

2195. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1997 से फरवरी 2000 के बीच लखनऊ सर्किल के महा डाकपाल द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करके औषधियों की खरीद की गई है;

(ख) क्या ऐसे मामले भी प्रकाश में आए हैं जहां खरीद केवल कागजों पर ही दर्शाई गई और उसका पैसा अधिकारियों ने हड़प लिया;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच सतर्कता विभाग से कराने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) ऐसी खरीद के लिए मुख्य डाकघर के कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) निर्धारित मानदण्डों के अनुसार खरीद सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। 1997 से 2000 तक दवाईयों की खरीद में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने का ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भाग (ख) दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) डाक-तार औषधालयों के लिए दवाइयों की खरीद करने में जी०पी०ओ० के कर्मचारियों की कहीं कोई भूमिका नहीं होती। ये औषधालय सर्किल कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं।

(ङ) उत्तर प्रदेश सर्किल में डाक-तार औषधालयों के लिए दवाइयां सर्किल क्रय समिति के अनुमोदन के आधार पर खरीदी जाती हैं। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश सर्किल इस समिति के अध्यक्ष हैं तथा इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। अनुमोदन मिलने के बाद मांगपत्र गवर्नमेंट मैडिकल स्टोर डिपो, करनाल को भेजे जाते हैं जो महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। जो दवाइयां सूची-बद्ध नहीं हैं, उनकी उत्पादकों से अस्पताल दरों पर सीधी खरीद की जाती है। दवाईयों की रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए दवाइयों की खरीद मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, लखनऊ अथवा संबंधित पोस्टमास्टर जनरल द्वारा अनुमोदित स्थानीय प्राधिकृत कैमिस्टों से की जाती है।

भारत और पाकिस्तान के बीच बस-सेवा

2196. श्री टी० गोविन्दन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच की बस सेवा को रद्द करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी०एस० एन०एल०) का लाभ

2197. श्री बसुदेव आचार्य : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी०एस०एन०एल०) के कुल लाभ में 39 प्रतिशत की कमी आई है और 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में यह 799 करोड़ रुपये था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई०सी०ओ० ग्लोबल कम्यूनिकेशन (होल्डिंग) लिमिटेड में 513 करोड़ रुपये का निवेश करने के कारण शुद्ध लाभ में कमी आई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। वी०एस०एन०एल० के अपरीक्षित लेखा परिणामों के अनुसार 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष में 799 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है।

(ख) 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष में वी०एस०एन०एल० का प्रचालनात्मक शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के 1325 करोड़ रुपए प्रचालनात्मक शुद्ध लाभ की तुलना में 1352 करोड़ रुपये है। तथापि, आई०सी०ओ० ग्लोबल कम्यूनिकेशन में किए गए 512.76 करोड़ रुपये के निवेश के ह्रास के कारण वर्ष 1999-2000 के लिए शुद्ध लाभ कम होकर 840 करोड़ रु० हो गया (परीक्षित लेखाओं के अनुसार)।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) वी०एस०एन०एल० ने आई०सी० से ग्लोबल कम्यूनिकेशंस में वर्ष 1994-95 तथा 1998-99 के बीच 517.94 करोड़ रुपये का व्यावसायिक निवेश किया था। आई०सी०ओ० ग्लोबल कम्यूनिकेशन ने 27 अगस्त, 1999 को डेलावेयर स्थित यू एस बैंक रूप्टसी कोर्ट अपने ऋणदाताओं से सुरक्षा के लिए अध्याय II के तहत स्वैच्छिक याचिका दायर की। आई०सी०ओ० ने मौजूदा निवेशकों के इक्विटी स्टेक को लगभग 1 प्रतिशत कम करने के लिए पुनर्गठन योजना का भी प्रस्ताव किया है। तद्नुसार वी०एस०एन०एल० ने पूंजी निवेश के वर्तमान मूल्य को दर्शाने के लिए 512.76 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश को बट्टे खाते में डाल दिया।

[हिन्दी]

विशेष दल का गठन

2198. श्री ए० नरेन्द्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फ्रीक्वेंसी को आबंटित करने के कार्य हेतु कोई विशेष दल गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) दिनांक 4 जुलाई, 2000 को 'फ्रीक्वेंसी-क्लीयरेंस'-संबंधी मुद्दों की पहचान करने के लिए एक दल का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

एम०टी०एन०एल० द्वारा निःशुल्क ई-मेल सेवा

2199. श्री सी० कुप्पुसामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम०टी०एन०एल० का विचार अपने मोबाइल सेल्यूलर टेलीफोनों पर कुछ निजी "आई०एस०पी०" की भांति निःशुल्क ई-मेल सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यह सेवा कब तक शुरू होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो दूरसंचार-क्षेत्र में निजी ऑपरेटरों से वे किस प्रकार मुकाबला करते हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) एम०टी०एन०एल० ने अभी तक अपनी सेल्यूलर टेलीफोन-सेवा शुरू नहीं की है। इसलिए मुक्त ई-मेल सेवा उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पार्कों का विकास

2200. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकार के अधीन राज्य-वार कितने राष्ट्रीय पार्क हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) क्या सरकार इस धनराशि के उपयोग के संबंध में कोई निगरानी करती है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित करने की शक्ति और उसका नियंत्रण संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार के पास होता है। अलग-अलग राज्यों संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय पार्कों की सूची विवरण-I में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों "राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यरणों का विकास" तथा बाघपरियोजना के अन्तर्गत अलग-अलग राज्यों के लिए अनंतिम आवंटन का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) रिलीज की गई राशि के उपयोग पर नियमित निगरानी उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति के द्वारा रखी जाती है। इसे अलावा, उन क्षेत्रों के लिए निधियां रिलीज की जाती हैं, का फील्ड निरीक्षण क्षेत्रीय उप निदेशकों (वन्यजीव परिक्षण/सहित भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

विवरण-I

भारत में राष्ट्रीय पार्कों की राज्य/संघ शासित प्रदेशवार सूची

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय पार्क
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	9
2.	आन्ध्र प्रदेश	4
3.	अरुणाचल प्रदेश	2
4.	असम	5
5.	बिहार	2
6.	चन्डीगढ़	—
7.	दमन एवं द्वीव	—
8.	दिल्ली	—
9.	गोवा	1
10.	गुजरात	4
11.	हरियाणा	1
12.	हिमाचल प्रदेश	2
13.	जम्मू और कश्मीर	4
14.	कर्नाटक	5
15.	केरल	3
16.	मध्य प्रदेश	11
17.	महाराष्ट्र	5
18.	मणिपुर	1
19.	मेघालय	2
20.	मिजोरम	2
21.	नागालैण्ड	1
22.	उड़ीसा	2
23.	पंजाब	—
24.	राजस्थान	4
25.	सिक्किम	1
26.	तमिलनाडु	5
27.	त्रिपुरा	—
28.	उत्तर प्रदेश	7
29.	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	88

विवरण-II

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों "राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यरणों का विकास" तथा "बाघपरियोजना" के अन्तर्गत अलग-अलग राज्यों के लिए निधियों का अनन्तिम आवंटन

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य के नाम	राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यरणों का विकास	बाघपरियोजना
1.	आन्ध्र प्रदेश	130	50
2.	अरुणाचल प्रदेश	235	75
3.	असम	165	100
4.	बिहार	40	100
5.	गोवा	15	—
6.	गुजरात	125	—
7.	हरियाणा	40	—
8.	हिमाचल प्रदेश	130	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	90	—
10.	कर्नाटक	110	200
11.	केरल	90	75
12.	मध्य प्रदेश	210	600
13.	महाराष्ट्र	130	75
14.	मणिपुर	50	—
15.	मेघालय	50	—
16.	मिजोरम	50	5
17.	नागालैंड	50	—
18.	उड़ीसा	180	125
19.	पंजाब	20	—
20.	राजस्थान	80	200
21.	सिक्किम	50	—
22.	तमिलनाडु	75	20
23.	त्रिपुरा	50	—
24.	उत्तर प्रदेश	150	350
25.	पश्चिम बंगाल	85	200
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	—
27.	चण्डीगढ़	10	—

[हिन्दी]

बैटरी चालित टेलीफोन

2201. **श्री रामानन्द सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सतना जिले में ब्लॉक-वार कौन-कौन से गांवों में बैटरी-चालित टेलीफोन टावर प्रणाली स्थापित की गयी है;

(ख) 30 जून, 2000 तक उक्त जिले में कितने टेलीफोन खराब थे;

(ग) क्या यह प्रणाली सफल नहीं रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) मध्य प्रदेश के सतना जिले के 644 गांवों में बैटरी चालित टेलीफोन टावर प्रणाली उपलब्ध है। गांवों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) 30 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार ऐसे 241 टेलीफोन खराब पड़े हैं।

(ग) यह प्रणाली बहुत विश्वसनीय नहीं पायी गयी है।

(घ) कारण निम्नलिखित हैं :–

- बेस स्टेशनों की अस्थिर तथा अविश्वसनीय विद्युत आपूर्ति;
- पुर्जों में बार-बार खराबी;
- आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा माल बेचने के बाद अच्छी सेवा प्रदान करना।

(ङ) सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :–

- उड़ने दस्ते गठित किये गये हैं।
- एनालॉग एम०ए०आर०आर० प्रणाली पर कार्यरत खराब वी०पी०टी० के स्थान पर डब्ल्यू०एल०एल० प्रणाली स्थापित करना।
- उपचारात्मक उपाय के रूप में एक्सचेंजों को वी०पी०टी० का बार-बार परीक्षण।
- प्रत्येक सर्किल में मरम्मत केन्द्र खोले जा रहे हैं।
- आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ ए०एम०सी० करार किया जा रहा है।

विवरण

सतना जिले में ब्लॉक-वार बैटरी चालित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की सूची

रामपुर बघेलन	उंचेहरा	नागौद	सोहावल	मझगांव	अमरपाटन	मैहर
1	2	3	4	5	6	7
रिच्छाहारी	अकौना	करहियाखुर्द	पुर्वा	बारो	ओरहकी	गुगदी
अटारहर	पंगारी	बरकछी	चौड़ा	कारीगोही	शाहपुरा	भरौली
खेरिया कुठार	लालपुर	खैरआ	माझाटोलबा	हरिसरपुर	बंदरखा	लुधोली
खगौरा	सेमरिहा	वीरादुली	उमरी	शुकवाह	अजामें	लुघोटी
सूनौरा	दुबाहा	टिकूरी	मंडी	मझियार	कुल्लुहा	हिनोटकाल
खमरिया	तररी	बरकोनिया	झारी	लखनावा	जोधापुट	नकतारा
नेमुवा	अटारिबिंदिया	भुलनी	खोखली	प्रतापपुर	कारा	खेरा
गुडुहुरू	आमिलिया	करहियाखुर्द	तुररी	जमुवानी	सामोगढ़	धतूरा
बाड़ादीह	इटामाकला	बेला	खमहरिया	करौदी खुरा	पुटरिहा	बिनौका
मरौहा	दरहिया	बायोहारी	मठबरिया	देवरा	सिलपाड़ी	बेरमा
करपवा कोठी	पिपरोखर	बाबूपुर	साहा	बिटामाविजयापुर	इटामा	अमुवा
बिहाराकलो	कोलुहा	लालवधा	कुंची	बैराहना	पी०टोला	रूहनियाखुर
मोहनिया	देवार	खखरोधा	कठवाड़िया	बरकुंडी	कुटारा	इटहारा
खामहा	आमिलिया	हड़हा	घुघुवाट	सिल्हा	खुटाहा	कांसा
पगारखुर्द	अटारहर	लुहादर	हटिया	वितमा	पौंडी	मटोलवा
गोलाहाटा	मारहाटा	सेमरीबाड़ी	चिरदुली	खांच	धतुवा	करौदीदुबे
कलवालिया	बराहा	राजा	महुटी	हौधा	बधारा	रेल्हा
लॉनलेज	चाकादही	कटकोनकला	करमारा	मिसेरगांव	देयू	अमटोला
पागरकला	लखाहा	कुदार	सर्वा	झोटा	बिगौरी	झाली
पाटनकला	सरैन	हाहकोना	बमहरौली	उर्खली	झिरिया	हरदासपुर
देवरा	बाड़ी	पाकर	पटारी	पटना खुर्द	येरा	बेलहारा
राजखाड़ा	मटारी	इटोरीकला	चम्पुर्वा	शकारी	महादेर	खरौदीनर्व
घोरकाट	मझियारकला	सतनारधुना	क्रशियाटी	हार्दी	टुटाहरा	कुंधीरा
चिटगढ़	गोबरावकला	अमीलिया	सुसुवार	बहेरा	बाड़ा	पटसोखा
अकौना	जनेह	खमरोही	नचनौरा	टिगरा	कराला	गोबरिया
बीहरा	गुधवा	धौराहाड़ा	जैरोहा	अमुआ	स्नेही	करैय्यादेवर्र
झांद	मटारीपटौडा	अजनेही	इटामा	जरीगा	धटुई	करसारा
खाहखारी	साहीजाना	मादै	तुररा	कदेला	करौड़ी	करूआ
केटिया	पारसमणिया	बसुधा	टीकर	सदुरा	धुरामा	मगरौरा
चुल्ही	भरहुट	कचनार	कैलाशपुर	हेरसीद	जुहीशी	धनवहीकला
बगाह	माणिकपुर	हिलौधा	सेमरिया	पिपरीटोला	चकौरा	तिंदुहटा

1	2	3	4	5	6	7
पिपानी	पराहटी	खैरई	करशारा	बिहारिया	इटमा	जूरा
मझियार कोटा	पथराटा	अमराहाटी	दिदौध	मचखाड़ा	(किरही)	इतमा
कुदिया	पोंडी गर्दा	एसटीएचिड़ीपाट	पैकोरी	सुदामापुर	हार्टी	मटवाड़ा
भटिया	करहीखुर्द	रेरूआ	पदरौध	भैदनटोला	बछरा	हिनोटागजग
बेला	करहीकला	नौवस्ता	भरगवां	पिपरावेन	सरबाका	देवरा
मलगांव		हीरदुआ	लालपुर	बाड़ीअमरई	खुसाम	उमारीफिफर
कूंद		बाड़ा	झाली	बरूआ	बीडा	बरेठी
बैरिहा		बंधार	रायपुर	नगौड़ा	बुधौर्वा	अमीलियाकला
किटाहा		बमौरिया	चकदई	दुमहई	भटगांव	बंशीपुर
झहिदलकला		हिनौटा	कोलगवां	गुडवां	असरार	बुधागर
बरछ		कलपा	टिकुरी खुर्द	करूदी	पाल	दूंडी
देगराहाट		रौंद	मंद	पिपरा	मौहाट	बुरी
रमनागढ़ (मझ)		चन्द्रकुनिया	पुरैनी	वाला	जरमोहरा	कुठीलगवा
बिहारा न० 2		दुबरिया	सरभाना	गुप्तगोदावरी	सिमरा	उरादनी
मझयार		कलावाल	लहारा	हनुमानधारा	तिवारी	रूपगंज
तापा		रेरआखुर्द	माटीहाना	मयामऊं	इटमाकिराही	उदयपुर
जमुना		रामपुरा	मझियार	नरदाह	दुही	आमांदरडी
पटराहई		बराह	खमरियापाया	कंडर	दुहीं	धनेड़ी
लिलाहा		फुरतलखुर्द	बामहोरी	चुनवा	भराड़ी	तिसिगलीकलां
सोनवरशा		पथरौंधा	जामोड़ी	पथरकोचर	बरहा	गोरैयाकलां
देवमऊ		रेरूवकाला	खजूराहारा	सतीअनसुय्या	बरतौना	भौंसासुर
रामनगर		उरदन	छिपियाडाडी	खोही	प्रतापगढ़ी	सोनवरशा
दवारी		जाधवपुर	सेमारा	पालदिओ	बरखुरा	हरदुआसनी
खारी		शाहपुर	इटारा	चाअबेपुर	इटमाकोथर	रोहनियाकलां
सगौनी		मझगावानाखू	अटराहारा	हरदुआ	बकैना	सेमरा
गजन		सेमरी	मोहन्ना	चुंदखुर्द	बीरडाट	गढ़वा
रधुनाथपुर		तुरकाहा	बेला	पिपरीटोला	इटमा	कानीवारा
सलेहना		माड़ा तोला	उमरीशरादानाग	बारा	मोहारिआ	तिसजीसीखुर
महीदलखुर्द		गुनहर	कैमा उन्मूलन	बंका	जैंमताल	गूगढ़
शिवपूर्व		खुबड़	बथिआ	बारखेड़ा	जीरहा	कुटाई
जनार्दनपुर		मजहगवाना	खमोहरिया	झंखौरा	बिछिया	भामराहा
बारनी		मुंघर	तिरूरीकोथर	बीरपुर	भड्डा	पथराधा
कृष्णगढ़		कचलोहा	शिपुखा	बाराहा	बिधुरीकला	सुरमा
करमाऊ		लखमन	भरजुनकला	खुदहारी	धवराहारा	खीरावाकलां

1	2	3	4	5	6	7
माधी		पटवाड़ा	लालपुरा	ऊन्दाना	इटामाखाजौरी	सागमनिया
सोनवर्स		उमारी	पुथौड़ा	बाहमौरी	कुमीहारी	बेलहा
दओमाऊन्दल		चन्द्रकुनावा	पोयाकलां	गोरसारी	धमाना	लोही
दल		ग़्महा	पुथोदी	मालमाऊ	अमझर	तिघरा
डबोरा		घाटेहा	निमी	खोदारी	जुड़मनिया	
चोरमारी		अमकुई	देवरीकला	रेहन	बारी	
बारीकला		कमलापुर	कुंची	सेमरा	नलीगामा	
भरजनखुर्द		राधेपुर	भावनर	बदुआर	जगदीशपुर	
पवैया		बिलौंधा	हरखर	सोनवरसा	तला	
टिकूरी कलां		अमा	चोखारी	बिजाईहरा	छयान	
पूटैनधा		बंडी	जामुनीहाई	बुझवा		
फुटौन्धी		दुर्गापुर	महूरा	मटोवा		
लिलौरी		देवरी	खानगढ़	बरेहना		
पटौरा		खमहरियाखऊ	रामपुरा	बांधी		
संगमा		दवरीखुर्द	पैकोरा	करारिया		
पेंधाकलां		नुनगारा	उजरौधा	सुजावलखुर्द		
कैमकोथर		पंनारा	गौरैया	मारवा		
		पीपरी	खामाहरैयत	सलैया		
		शिवराजपुर	जगनाहाट	सिसरसाहा		
		मजहागावन	सकरिया	खुबरी		
		नौनिया	भरजुनाकलां	चनैनी		
		पवौंया	भूमकहर	बाबूराहा		
		रिंजहुल	बिहारा	पुरारीचुआ		
		पासी	अबेर	पटानाकला		
		दुरेहा	गौरैया	चौराहा		
		सिजाझाटी	दलौरा	अर्जुनपुर		
		झियोदर	बरदादीह	भाटवा		
		कोटा	मुधाकलां	किलहौरा		
		अम्कुया	महादेवा	बरोधा		
		चुनहा	रामस्थान	सिंहपुर		
		ग़तनहा	खारवाही	झारी		
		सुरदहाकालां	बाराकलां	आकिला		
		उमारी	बंधी	मथाईन		
		सेमरी कोठार	गोबराओ	मलगोउसा		

1	2	3	4	5	6	7
		भिटारी	खुर्द	शाहपुर		
		धनखेर	बाबूपुर	पादरी		
		मोहारी	गुलुआ	सांदा		
		दिलाउरी	सोहाश	हीरापुर		
		अहरगांव	रागाउली	लागी		
		मझोकर	तिहाई	राहोनिया		
		नकटी	बांधी मौहर	मोहानी		
		दिलौरा	घुंनचिहाई	खहारी		
		खमारियाकला	कुआन	करौला		
		खमरियाखुर	दागदिहा	मट्टी नेबी		
		पड़ीया	कुदिया	जीरवार		
		शामी	बेर कला	बारहा		
			मझगावन	रामपुर		
			बीएच	गढ़ी		
			खाइरा	बानहारी		
			गौरा (बाबा)	माचिट		
			करही (कोठार)	किशुनपुर		
			करडी	ब्राम्हीपुर		
			पवाई	चौरेही		
			गिरडी	कानपुर		
			चाकबंदी	बदबुदा		
			हरदुआ	छुल्हा		
			बाचबाई	हरदीकोटार		
			घनखेर	उंचामहार		
			खुर्द	पद्मनिया		
			तुमेन	पटना खुर्द		
			खामा	हीरापुर बैर		
			खुजा	मुदखोहा		
			रेवरा	मोठरिओन		
			मुधा खुर्द	हरदीजागरी		
			बडखेर	खेरा		
			मेहदेवी	मझगाव		
			भेरीं			
			खोरगवन			

1	2	3	4	5	6	7
			देवरा			
			देवीपुर			
			देहूरा			
			सेमरी			
			कला			
			दादेहुरा			
			हेरमाल्ला			
			मानीकवार			
			पवाईया			
			लोखारिया			
			गोपालपुर			
जोड़	85	35	111	139	132	74	68

आवश्यक सेवाओं की घटिया गुणवत्ता

2202. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार में डाक-तार विभाग और दूरसंचार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही आवश्यक सेवाओं की घटिया गुणवत्ता से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो बिहार सर्किल में डाक-तार और दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने हेतु जारी किए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) *डाक सेवाएं* : बिहार डाक सर्किल में आवश्यक सेवाओं की गुणवत्ता सामान्यतया संतोषजनक है। तथापि, डाक सेवाओं के संबंध में यदा-कदा शिकायतें प्राप्त होती हैं। इनकी तत्काल जांच की जाती है तथा तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाता है।

तार सेवाएं : बिहार में तार सेवा की गुणवत्ता काफी संतोषजनक है। इस सेवा की गुणवत्ता, नीचे दिए गए लक्ष्यों/उपलब्धियों के संदर्भ में, पिछले 5 वर्षों के दौरान '12 डे लाइट आवर्स' के भीतर वितरित तारों के प्रतिशत से मापी जा सकती है :–

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3
95-96	93	93.5
96-97	94	92.4
97-98	93	95.6
98-99	94	94.7
99-2000	93	92.6

दूरसंचार सेवाएं : बिहार में दूरसंचार क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की गुणवत्ता काफी संतोषजनक है।

(ख) और (ग) *डाक सेवाएं* : डाक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है तथा इस संबंध में, बिहार सर्किल में किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) डाक वितरण की क्षेत्रीय तथा मुख्यालय स्तर पर सूक्ष्म मानीटरिंग की जाती है और जहां कहीं कमियां पाई जाती हैं, आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(ii) डाक कार्यालयों में डाक संचालन का आधुनिकीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। अब तक बिहार में 11 डाक कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जा चुका है तथा दो कार्यालयों में पंजीकरण कार्य का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

(iii) वर्ष 1999-2000 के दौरान जनजातीय क्षेत्र में दो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों सहित 51 नए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों, 40 नए पंचायत संचार सेवा केन्द्रों, 6498 नए लैटर बॉक्सों, डाक लाने-ले-जाने के लिए तीन नए रनिंग सैक्शनों तथा डाक काउंटरों पर 64 बहुउद्देशीय काउंटरों मशीनों की स्थापना के माध्यम से डाक नेटवर्क का विस्तार तथा बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की गई हैं।

(iv) लोक शिकायतों का शीघ्र निपटान करने के लिए, प्रभावी अभियान चलाए गए। वर्ष 1999-2000 के दौरान चार कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सुविधा केन्द्र खोले गए।

तार सेवाएं : बिहार में तार सेवाओं को माइक्रो-प्रोसेसर आधारित स्टोर एंड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम (एस०एफ०एम०एस० एस०) और इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड कंसंट्रेटर्स (ई०के०बी०सी०) जैसी इलेक्ट्रानिक मैसेज स्विचिंग की शुरूआत करके आधुनिक बनाया गया है। तारों के त्वरित संचारण के लिए तारघरों को जोड़ने और नेटवर्क एस०एफ०एम०एस०एस०, छह 16 लाइनों वाले कंसंट्रेटर्स तथा 5 इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड कंसंट्रेटर्स प्रदान किए गए हैं। तारों का तेजी से वितरण करने के लिए तार संदेशवाहकों की प्रोत्साहन राशि की दरों में भी वृद्धि की गई है। सेवा की गुणवत्ता में सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है। सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

दूरसंचार सेवाएं :

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सेवाओं में और सुधार करने के लिए, विभाग ने निम्नलिखित उपाए गए हैं :–

(i) बाह्य संयंत्र का उन्नयन तथा पुनर्स्थापन।

(ii) भूमिगत केबिल नलिकाओं में बिछाना।

(iii) ओ०एफ०सी०/डिजिटल यू०एच०एफ० का विश्वसनीय माध्यम प्रदान करना।

(iv) उपभोक्ता परिसरों में 5 पेयर पी०आई०जे०एफ० केबिल की शुरूआत।

(v) दोष सुधार और उपभोक्ता सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

(vi) शिकायतें दर्ज करने के लिए आई०वी०आर०एस० प्रणाली की शुरूआत।

(vii) बहुमंजिली इमारतों में आंतरिक डी०पी० खोलना।

(viii) लाइन स्टाफ को पेजर देना।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में विकास कार्यक्रम

2203. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में दूरवर्ती शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संचार और आई०टी० नेटवर्क और नई के०यू० बैंड प्रौद्योगिकी के विकास हेतु आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में दूरवर्ती शिक्षा, टेलीचिकित्सा और ई-गवर्नैंस के संवर्धन के लिए एक केयू-बैंड नेटवर्क का प्रस्ताव किया है। एक ट्रांसपोंडर की पहचान कर ली गई है। अंतरिक्ष विभाग नेटवर्क की स्थापना के लिए तकनीकी परामर्श प्रदान कर रहा है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

राष्ट्रीय पत्तन नीति तैयार करना

2204. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक राष्ट्रीय पत्तन नीति तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस नीति का मसौदा तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का एक राष्ट्रीय पत्तन प्राधिकरण गठित करने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पुनलूर टेलीफोन एक्सचेंज

2205. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में पुनलूर टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और एक्सचेंज की विस्तारित क्षमता कितनी है;

(ग) इस कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ङ) उक्त एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन हेतु कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(च) प्रतीक्षा सूची के निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्त वर्ष 2000-2001 के दौरान पुनलूर एक्सचेंज की क्षमता का 3000 लाइनों तक विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है। इस विस्तार के पश्चात् क्षमता 10000 लाइनों तक हो जाएगी।

(ग) पुनलूर एक्सचेंज के प्रस्तावित विस्तार के लिए क्रय आदेश प्रस्तुत कर दिया गया है। संस्थापना कार्य उपस्कर की प्राप्ति के पश्चात् शुरू किया जाएगा।

(घ) परियोजना की कुल अनुमानित लागत 12,72,69,000/- रुपये है। बजट प्राक्कलन 2000-2001 के अन्तर्गत आबंटित निधि 1,27,27,000/-रुपये है। इस परियोजना के लिए अतिरिक्त निधि हेतु अनुरोध संशोधित प्राक्कलन 2000-2001 में किया जाएगा।

(ङ) पुनलूर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में 1678 आवेदक के नाम दर्ज हैं।

(च) 3000 लाइनों के प्रस्तावित विस्तार को चालू कर लिये जाने के पश्चात् सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची को क्रमिक रूप से निपटा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास/विस्तार

2206. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति, पाकिस्तान से लगती सीमा और क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य होने के कारण सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को बेहतर बनाने, विकसित और विस्तृत करने और राज्य राजमार्गों के निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो निर्मित किए जा रहे, बेहतर बनाए जा रहे और विकसित किए जा रहे राजमार्गों का ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितना खर्चा आने की संभावना है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को 6 लेन और 4 लेन वाला बनाने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और विभिन्न घोषणाओं के बावजूद इसके निर्धारित समयावधि में पूरा न होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 में विभिन्न कार्यों, गुणवत्ता, विलम्ब, निविदा आदि के संबंध में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में सड़कों के निर्माण में रबड़ मिला कोलतार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) रा०रा०-8 को 6/4 लेन में परिवर्तित करने का कार्य 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है। राजस्थान में रा०रा०-8 के संबंध में हुई प्रगति के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(i) गुड़गांव-कोटपुतली खंड-4 लेन बनाने का कार्य कार्यान्वित किया जा रहा है और इसे दिसम्बर, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ii) कोटपुतली-आमेर खंड-4 लेन बनाने का कार्य 1997 में पूरा हो गया था।

(iii) जयपुर बाइपास — जयपुर शहर के लिए 4 लेन बाइपास दो चरणों में पूरा करने की योजना है। प्रथम चरण का कार्य शुरू हो गया है और इसे दिसम्बर, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दूसरे चरण के लिए विस्तृत इंजीनियरी कार्य प्रगति पर है।

(iv) जयपुर-किशनगढ़ खंड — इस खंड का निजी क्षेत्र की भागीदारी से 6 लेन में उन्नयन करने का प्रस्ताव है। पूर्व-अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं से बोली आमंत्रित की गई हैं।

(v) किशनगढ़-उदयपुर खंड — विस्तृत इंजीनियरी और परियोजना तैयार करने का कार्य हाल में ही शुरू किया गया है। इस खंड में चार लेन बनाने का कार्य विस्तृत परियोजना तैयार करने का कार्य पूरा होने के बाद शुरू किया जाएगा।

(vi) उदयपुर-रतनपुर-अहमदाबाद खंड — विस्तृत इंजीनियरी और परियोजना तैयार करने का कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा और तत्पश्चात् चार लेन बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा।

(घ) और (ङ) अनुरक्षण और मरम्मत कार्यों के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन्हें जांच करके निपटा दिया गया है।

(च) और (छ) जी, हां। सरकार आशोधित डामर के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देती है तथा राज्य सरकारों को आवश्यक मार्गनिर्देश और अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

निजी चिकित्सालयों में ऊंचा शुल्क

2207. श्री जयभद्र सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश के निजी चिकित्सालय और नर्सिंग-होम जो कि वहां आने वाले मरीजों को चिकित्सा-सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करते हैं उन्हें अनावश्यक चिकित्सा-परीक्षणों व शल्य-चिकित्सा, महंगी दवाओं तथा ऊंची शुल्क दरों से त्रस्त किए हुए हैं, और विशेषकर दिल्ली/नई दिल्ली स्थित "बत्रा हॉस्पिटल" तथा "जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल" में ऐसा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो आम आदमी को इन चिकित्सालयों/नर्सिंग-होमों की ऐसी गतिविधियों के कारण पर्याप्त चिकित्सा-सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे निजी चिकित्सालयों की इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वनों के अन्तर्गत भूमि का उपयोग

2208. **श्री साहिब सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संतुलित और सतत विकास करने के लिए महानगरों में कितने प्रतिशत भूमि को वनों के अन्तर्गत लाने की व्यवस्था है;

(ख) महानगरों में वानिकी हेतु भूमि के वांछित प्रयोग के मुकाबले वानिकी हेतु प्रयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है;

(ग) सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में हुई वानिकी का प्रतिशत क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) मंत्रालय द्वारा सूचना का मिलान तथा संग्रहण नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वन विकास योजना

2209. **श्री रामदास आठवले** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को वानिकी योजना के अंतर्गत दी गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान वानिकी विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम, क्षेत्रोन्मुखी ईंधन की लकड़ी और चारा रोपण स्कीम, गैर-इमारती वन उत्पाद परियोजना स्कीम और वनों के विकास हेतु भोगाधिकार हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरोत्पादन में अनुसूचित जातियों और निर्धन ग्रामीण व्यक्तियों को शामिल करना, नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशि और राज्यों की उपलब्धियां सलग्न विवरण I से IV में दी गई हैं।

विवरण-I

क्षेत्रोन्मुखी ईंधन की लकड़ी और चारा रोपण स्कीम

ए०ओ०एफ०एफ०पी० हेतु वित्तीय ब्यौरा

(लाख रु०में)

राज्य का नाम	1997-1998			1998-1999			1999-2000		
	के०स० स्वी०	के०स० जारी	के०स० उप०	के०स० स्वी०	के०स० जारी	के०स० उप०	के०स० स्वी०	के०स० जारी	के०स० उप०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	112.96	144.88	105.75	131.21	89.79	71.41	156.74	69.92	113.60
अरुणाचल प्रदेश	0.00	6.00	0.00	5.22	0.00	0.00	12.73	7.00	6.10
असम	142.25	70.00	70.00	167.89	83.95	56.08	182.51	89.69	76.82
बिहार	41.10	17.40	41.10	134.83	37.18	135.53	199.50	190.94	101.36
गोवा	5.00	5.00	3.00	7.81	3.00	4.55	7.69	5.89	3.93
गुजरात	130.26	135.98	151.21	162.01	157.10	162.01	259.62	212.45	97.42
हरियाणा	250.00	194.38	250.00	261.30	261.00	261.00	265.69	265.69	265.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हिमाचल प्रदेश	142.38	142.08	85.39	160.01	58.20	139.66	157.04	181.78	137.97
जम्मू और कश्मीर	120.33	120.33	38.50	156.70	42.31	39.12	169.07	0.00	0.00
कर्नाटक	141.21	195.31	122.35	104.92	74.45	129.03	178.00	153.70	109.38
केरल	93.67	87.17	85.92	133.73	106.96	63.37	121.48	75.61	40.98
मध्य प्रदेश	437.60	210.18	369.60	625.00	500.50	233.84	660.50	388.13	452.85
महाराष्ट्र	32.92	75.00	32.92	71.30	27.91	67.15	126.61	120.91	68.39
मणिपुर	165.76	100.00	100.00	195.09	128.75	127.54	214.19	127.54	30.62
मेघालय	14.03	0.00	0.00	25.95	0.00	0.00	29.95	0.00	14.02
मिजोरम	244.34	244.12	234.91	233.80	211.91	231.30	165.34	173.22	165.55
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	4.75	4.23	0.00	19.44	10.87	0.00
उड़ीसा	131.82	91.14	73.03	132.68	69.21	68.55	121.75	116.53	137.75
पंजाब	219.15	169.14	120.64	238.93	20.98	0.00	248.41	0.00	0.00
राजस्थान	285.08	304.61	185.00	259.90	263.35	259.95	273.18	160.00	110.98
सिक्किम	69.99	69.99	69.99	67.18	67.18	67.18	68.52	69.52	62.79
तमिलनाडु	138.07	133.45	105.63	126.80	84.24	94.13	136.03	93.03	108.31
त्रिपुरा	46.34	94.3	77.32	34.04	33.19	33.95	41.29	0.00	41.28
उत्तर प्रदेश	217.02	212.44	216.89	298.61	205.62	153.22	343.17	329.02	90.12
पश्चिम बंगाल	158.63	134.68	158.64	168.95	168.99	168.96	198.07	197.10	198.05
कुल	3339.91	2957.6	2697.79	3908.59	2700	2567.53	4356.52	3038.54	2433.89

विवरण-II

स्वीकृत वनीकरण और पारिविकास परियोजना स्कीम (आई०ए०ई०एफ०)

आई०ए०ई०एफ० स्कीमों के बारे में 1997-98 से 1999-2000 के दौरान

(लाख रुपये में)

राज्य के नाम	1997-98			1998-99			1999-2000		
	लक्ष्य			लक्ष्य			लक्ष्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	174.17	143.51	104.16	152.74	149.65	198.60
अरुणाचल प्रदेश	65.21	65.21	27.08	59.57	14.94	46.07	61.04	57.87	43.91
असम	65.35	55.35	0.00	121.65	50.00	85.35	83.95	67.15	44.83
बिहार	69.35	69.35	0.00	65.89	13.20	65.84	60.69	60.69	66.84
गुजरात	36.63	36.63	0.00	65.05	13.00	51.80	67.88	58.94	33.89
हरियाणा	82.21	62.00	39.38	89.72	109.93	132.55	81.29	81.29	81.29
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	65.35	52.28	6.00	75.64	37.92	78.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जम्मू और कश्मीर	179.64	169.66	159.36	344.58	288.37	253.26	415.34	364.09	357.92
कर्नाटक	143.72	143.72	0.00	187.01	37.42	173.15	171.41	160.36	154.95
केरल	135.15	135.15	24.84	345.77	199.35	273.07	363.03	346.14	338.65
मध्य प्रदेश	319.66	279.02	63.04	441.53	231.27	387.47	487.11	352.83	391.64
महाराष्ट्र	174.29	71.46	9.99	257.83	84.28	9.19	268.45	17.18	151.60
मणिपुर	98.30	98.30	74.76	354.89	283.72	283.72	468.73	468.73	439.08
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61	10.21	10.21
मिजोरम	77.11	77.11	0.00	132.43	96.26	154.97	147.66	147.56	154.20
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	59.68	38.60	38.60
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	224.92	176.60	73.31	584.65	239.66	302.19
पंजाब	77.54	57.54	33.27	89.17	37.83	34.47	112.49	28.62	0.00
राजस्थान	242.25	242.25	70.02	343.81	253.39	358.91	466.83	376.57	333.68
सिक्किम	112.73	91.10	54.54	192.96	214.59	221.29	187.38	109.82	151.14
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	22.53	18.02	3.77	35.13	0.00	1.91
त्रिपुरा	79.57	65.00	28.28	70.32	58.57	60.94	94.24	37.77	69.66
उत्तर प्रदेश	223.73	185.42	187.57	405.64	385.00	407.07	493.94	367.71	303.45
पश्चिम बंगाल	21.70	15.64	0.00	168.22	125.60	137.06	186.32	170.64	133.36

विवरण-III

गैर इमारती वन उत्पाद परियोजना स्कीम

(लाख रु० में)

राज्य	1997-98			1998-99			1999-2000		
	स्वीकृत	जारी	उपयोग की गई	स्वीकृत	जारी	उपयोग की गई	स्वीकृत	जारी	उपयोग की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	63.16	46.39	44.34	69.12	36.86	70.52	108.90	119.13	109.15
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	7.29	5.00	0.00	67.53	30.00	10.59
असम	36.43	13.50	0.00	35.75	14.00	28.70	51.62	25.00	22.50
बिहार	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	33.40	0.00	0.00
गोवा	8.22	8.22	8.06	11.03	10.87	10.87	12.45	12.13	12.45
गुजरात	60.92	57.68	60.92	80.26	58.66	80.26	126.25	116.65	81.51
हरियाणा	46.08	36.30	45.58	29.37	38.25	28.67	29.74	29.44	29.74
हिमाचल प्रदेश	28.63	28.63	0.00	30.53	4.00	31.30	33.52	32.19	28.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जम्मू और कश्मीर	110.20	97.05	78.55	167.02	151.35	157.17	207.80	187.85	200.75
कर्नाटक	37.10	43.00	35.68	57.78	57.78	57.78	54.75	51.34	51.12
केरल	14.70	10.35	0.00	18.87	4.00	11.53	17.22	13.10	14.89
मध्य प्रदेश	94.00	71.00	0.00	142.70	69.80	89.36	152.13	77.50	106.21
महाराष्ट्र	77.51	38.51	23.89	90.08	48.66	5.86	102.59	0.00	55.15
मणिपुर	24.45	18.00	18.00	47.24	47.24	47.24	53.94	53.94	11.00
मेघालय	0.00	0.00	0.00	14.80	12.00	0.00	27.72	0.00	12.00
मिजोरम	17.90	17.90	0.00	31.29	25.00	35.43	55.17	53.45	50.92
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	12.89	0.00	5.00
उड़ीसा	103.15	48.00	36.83	119.05	102.88	125.06	124.90	86.08	115.71
पंजाब	29.50	29.50	58.84	31.53	4.00	0.00	32.61	0.00	0.00
राजस्थान	75.80	58.61	63.80	119.60	130.40	94.48	131.70	116.21	113.52
सिक्किम	32.50	32.50	0.00	61.31	61.31	92.30	120.10	102.00	67.51
तमिलनाडु	10.77	0.00	10.77	27.69	33.00	5.54	27.23	0.00	25.11
त्रिपुरा	10.55	6.35	7.86	10.89	10.15	9.15	24.72	17.25	10.20
उत्तर प्रदेश	62.00	53.00	0.00	77.70	0.00	0.00	72.50	5.00	0.00
पश्चिम बंगाल	21.34	21.47	21.34	58.25	59.70	58.25	73.32	71.74	25.11
कुल	964.91	749.96	514.46	1344.15	1000.00	1039.47	1754.70	1200.00	1159.01

विवरण-IV

वनों के विकास हेतु भोगाधिकार हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरोत्पादन में अनुसूचित जातियों और निर्धन ग्रामीण व्यक्तियों को शामिल करना

राज्य	स्वीकृत 97-98	जारी 97-98	स्वीकृत 98-99	जारी 98-99	स्वीकृत 99-00	जारी 99-00
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	0	0	6.55	6.55	19.655	19.655
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	8.18	8.18
बिहार	34.09	34.09	21.528	32.86	46.215	0
गुजरात	0	0	14.04	14.04	29.25	15
जम्मू और कश्मीर	0	0	12.168	12.168	28.08	16
कर्नाटक	5.7	5.7	18.72	18.72	38.72	38.72
मध्य प्रदेश	47.4	47.4	29.51	51.68	64.35	50
महाराष्ट्र	0	0	21.528	5	42.939	37.94
मणिपुर	0	0	9.36	9.36	26.325	26.325
मिजोरम	0	0	6.552	6.552	18.018	18.018

1	2	3	4	5	6	7
नागालैंड	0	0	6.29	6	17.51	0
उड़ीसा	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	0	0	15.912	15.91	32.058	32.06
त्रिपुरा	0	0	4.55	4.55	14.16	8
पश्चिम बंगाल	0	0	8.19	0	12.87	7.06
कुल	87.19	87.19	175.54	183.392	398.331	276.959

[अनुवाद]

सी०जी०एच०एस० के अस्पतालों/औषधालयों में आयुर्वेद की औषधि के आपूर्तिकर्ता

2210. **श्री विष्णुदेव साय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स बैजनाथ फार्मास्यूटिकल्स सी०जी०एच०एस० अस्पतालों और औषधालयों में आयुर्वेद की औषधि के थोक आपूर्तिकर्ता हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सी०जी०एच०एस० अस्पतालों और औषधालयों के चिकित्सकों द्वारा अधिकांशत: मेसर्स बैजनाथ फार्मास्यूटिकल्स के औषधियों के उपयोग की सलाह दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त औषधि वितरक के औषधियों के उपयोग को सलाह देने वाले चिकित्सकों की गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं। सी०जी०एच०एस० फार्यूलरी में शामिल 355 आयुर्वेदिक औषधियों में से 183 औषधियों की मैसर्स आई०एम०पी०सी०एल० द्वारा आपूर्ति की जाती है जो कि भारत सरकार का उपक्रम है। शेष 172 औषधियां 40 पंजीकृत फार्मों से प्राप्त की जाती हैं जिनमें मैसर्स बैजनाथ फार्मेस्यूटिकल भी शामिल है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

खनिजों पर रायल्टी

2211. **श्री त्रिलोचन कानूनगो** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न खनिजों की रायल्टी में अंतिम बार किस वर्ष में संशोधन किया गया था तथा यह रायल्टी पूर्व की तुलना से खनिजवार कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक राज्य को इससे पूर्व रायल्टी में संशोधन किए जाने की संगत अवधि के दौरान की तुलना में खनिजों से कितनी रायल्टी प्राप्त हुई;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक खनिज पर यथामूल्य आधार पर रायल्टी लगाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है और इसका ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा में खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह दिंडसा) : (क) प्रमुख खनिजों (कोयला और लिग्नाइट को छोड़कर) की रायल्टी की दरों को पिछली बार 11.4.97 को जी०एस०आर० 214 (ई०) दिनांक 11.4.1997 द्वारा संशोधित किया गया था। ये दरें (पश्चिम बंगाल, जहां दिनांक 5.5.97 के जी०एस०आर० 458 (ई०) द्वारा अधिसूचित दरें लागू हैं, को छोड़कर) सभी राज्यों में लागू हैं। प्रमुख खनिजों अर्थात् (गौण खनिजों जिन्हें खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ङ) के तहत परिभाषित किया गया है, उन्हें छोड़कर) खनिजों पर रायल्टी की दरों को केंद्र सरकार द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित किया गया है। गौण खनिजों के संबंध में रायल्टी की दरें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने गौण खनिज रियायत नियमों के तहत निर्धारित की जाती हैं। विभिन्न प्रमुख खनिजों (कोयला और लिग्नाइट को छोड़कर) पर वर्ष 1997 के संशोधन के पहले और बाद की रायल्टी की दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र द्वारा रायल्टी सीधे ही संबंधित राज्य सरकारों को दी जाती है इसलिए प्राप्त की गई रायल्टी के आंकड़ों के बारे में सूचना को केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने 5.10.1998 को प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और निर्माण के लिए बालू को छोड़कर) पर रायल्टी और डैड रेंट की दरों के संशोधन के लिए एक अध्ययन दल गठित किया था। इस अध्ययन दल के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ एक विषय रायल्टी की यथामूल्य व्यवस्था के कार्यक्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, रायल्टी की दरों के संशोधन की सिफारिश करना था। अध्ययन दल ने मार्च, 2000 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसकी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। इस संबंध में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	खनिज	अयस्क ग्रेड	रायल्टी की दरी (प्रति टन रु०)	
			1992	1997
1	2	3	4	5
1.	अगेट		73	73
2.	(i) एपेटाइट	(क) 27 प्रतिशत से अधिक P_2O_5 वाला अयस्क	70	80
		(ख) 20 प्रतिशत P_2O_5 से 27 प्रतिशत P_2O_5 वाला अयस्क	40	40
		(ग) 20 प्रतिशत से कम P_2O_5 वाला अयस्क	70	19
	(ii) रॉक फास्फेट	(क) 30% से अधिक P_2O_5	152	25% P_2O_5 से अधिक यथा-मूल्य आधार पर बिक्री कीमत का 11%
		(ख) 25% P_2O_5 से अधिक और 30% तक	96	25% P_2O_5 तक यथामूल्य आधार पर बिक्री कीमत का 5%
		(ग) 20% P_2O_5 से अधिक और 25% P_2O_5 तक	56	
		(घ) 20% P_2O_5 तक	23	
3.	एस्बेस्ट्स	(क) क्रोयसोलाइट	726	726
		(ख) एम्फिबोले	28	31
4.	बेराइट्स	(क) व्हाइट (व्लाइट और सुपन-स्नो व्हाइट सहित)	54	यथामूल्य आधार पर बिक्री कीमत का 5.5 प्रतिशत
		(ख) ऑफ कलर	30	
5.	बाक्साइट	सभी ग्रेड	34	41
6.	ब्राउन इलेमेनाइट (ल्यूकोसीन)		113	यथामूल्य आधार पर बिक्री कीमत का 2%
7.	केडमियम		अयस्क के केडमियम मैटल प्रति टन के 74 रु० प्रति यूनिट प्रतिशत और प्रो-राटा आधार पर	अयस्क के केडमियम मैटल प्रति टन के 82 रु० प्रति यूनिट प्रतिशत और प्रो-राटा आधार पर
8.	केल्साइट		44	48
9.	चाइना क्ले जिसे कॉओलिन भी कहा जाता है (बाल्कले सहित) और व्हाइट शैल	(क) क्रूड	14	18
		(ख) प्रोसेस्ड (चाशड् सहित)	62	68

1	2	3	4	5
10.	क्रोमाइट (लम्पी नान ओर व कंसंट्रेट्स	(क) 47% सी आर$_2$ ओ$_3$ और अधिक अंश वाले	255	सभी ग्रेडों के लिए यथामूल्य आधार पर बिक्री कीमत का 7.5%
		(ख) 47% सी आर$_2$ ओ$_3$ से कम और 40% सी आर$_2$ ओ$_3$ से अधिक अंश वाले	135	
		(ग) 30% से 40% सी आर$_2$ ओ$_3$ वाले अंश	90	
		(घ) 30% सी आर$_2$ ओ$_3$ अंश वाले	23	
11.	तांबा अयस्क		प्रति टन अयस्क अंश वाले तांबा धातु का 17 रु० यूनिट प्रतिशत और प्रो-राटा आधार पर	लंदन धातु विनिमय का 0.7 प्रतिशत उत्पादित सांद्र के प्रभार्थ प्रति टन यथा मूल्य आधार पर धातु कीमत
12.	कोरंडम		210	231
13.	हीरा		खान मुख पर बिक्री कीमत का 26%	यथामूल्य आधार पर बिक्री कीमत मूल्य का 10%
14.	डास्पोर		83	
15.	डोलोमाइट		25	28
16.	फैल्सपार		15	17
17.	फायरक्ले (प्लास्टिक पाइप, लियोग्राफिक और नेचुरल पोजोलेनिक क्ले)		13	17
18.	फ्लोरस्पार (जिसे फ्लोराइट	(क) 85 सी ए एफ$_2$ या	270	यथामूल्य आधार पर बिक्री
19.	भी कहा जाता है)	अधिक अंश वाले		कीमत का 2.5%
		(ख) 70% सी ए एफ$_2$ या अधिक परंतु 85% सी ए एफ$_2$ से कम अंश वाले	170	
		(ग) 30 प्रतिशत सी ए एफ$_2$ परंतु 70 प्रतिशत सी ए एफ$_2$ से कम अंश वाले	113	
		(घ) 30% सी ए एफ$_2$ या कम अंश वाले	45	यथामूल्य आधार पर बिक्री कीमत का 5%
20.	गारनेट (अब्रेसिव)		45	यथामूल्य आधार पर बिक्री कीमत का 1.5%
21.	स्वर्ण	(क) प्राइमरी 11 रु० प्रति एक ग्राम में अयस्क का प्रति टन स्वर्ण अंश होता है और प्रो-राटा आधार पर		यथामूल्य आधार पर बिक्री कीमत का 1.5%

1	2	3	4	5
		(ख) उपोत्पाद : 10 रु० प्रति एक ग्राम स्वर्ण		यथामूल्य आधार पर बिक्री कीमती का 2.5%
22.	ग्रेफाइट	(क) 80% या अधिक नियत कार्बन के साथ	185	205
		(ख) 40% या अधिक नियत कार्बन के साथ लेकिन 80% नियत कार्बन से कम	100	110
		(ग) 20% या अधिक नियत कार्बन के साथ लेकिन 40% नियत कार्बन से कम	40	45
		(घ) 20% नियत कार्बन से कम	25	28
23.	जिप्सम		20	22
24.	लाइमनाइट		34	10%
25.	लौह	(i) लौह लम्प्स		
		(क) 65% लौह या अधिक	18	21.5%
		(ख) 62% लौह या अधिक लेकिन 65% लौह से कम	10	12
		(ग) 60% लौह या अधिक लेकिन 62% लौह से कम	7	8.5
		(घ) 60% लौह से कम		
		(ii) फाइंस (अयस्क के खनन एवं आकार के अनुरूप उत्पादित प्राकृतिक फाइंस सहित)		
		(क) 65% लौह या अधिक	13	15.5
		(ख) 62% लौह या अधिक लेकिन 65% लौह से कम	7	8.5
		(ग) 62% लौह से कम	5	6
		(iii) 40% लौह या कम निम्न ग्रेड अयस्क वाले सांद्र और/या सञ्जीकरण द्वारा तैयार सांद्रक	2.5	2.5

1	2	3	4	5
26.	कायनाइट	(क) 40% तथा अधिक ए एल$_2$ ओ$_3$ वाला	85	10%
		(ख) 40% से कम ए एल$_2$ ओ$_3$ वाला	40	
27.	सीसा-अयस्क		यथा-अनुपात आधार तथा प्रतिटन अयस्क में निहित सीसा धातु का 80 रु० प्रति इकाई प्रतिशत	उत्पादित सांद्र पर प्रतिटन वसूलयोग्य यथामूल्य आधार पर एल०एम०ई० धातु मूल्य का प्रतिशत
28.	लाइमशैल (कैल्सेरियस सैंड तथा चॉक सहित)		25	10%
29.	चूनापत्थर (चूना कंकड़ सहित)	(क) एल डी ग्रेड (1.5% सिलिका अंश से कम)	50	50
		(ख) अन्य	25	32
30.	मैग्नेसाइट		25	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का 3%
31.	मैंगनीज अयस्क	(क) एम एन ओ$_2$ (78% या अधिक एम एन ओ$_2$ तथा 4% या कम लौह)	107	112
		(ख) 46% मैंगनीज या अधिक	40	42
		(ग) 35% मैंगनीज या अधिक लेकिन 46% मैंगनीज से कम	23	25
		(घ) 25% मैंगनीज या अधिक लेकिन 35% मैंगनीज से कम	17	17
		(ङ) 25% मैंगनीज से कम	7	7
32.	अभ्रक	(क) कच्चा अभ्रक	34 रु० प्रति 100 कि०ग्रा०	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का 4%
		(ख) वेस्ट तथा स्क्रैप अभ्रक	14 रु० प्रति 100 कि०ग्रा०	
33.	मोनाजाइट		113	125
34.	निकिल अयस्क		यथा अनुपात आधार तथा प्रति टन अयस्क में निहित निकिल धातु का 2.50 रु० प्रति इकाई %	यथा अनुपात आधार तथा प्रति टन अयस्क में निहित निकिल धातु का 2.50 रु० प्रति इकाई %
35.	ओकर		10	11
36.	बहुमूल्य तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थर (अगेट तथा हीरे को छोड़कर)		कूपमुख पर विक्रय मूल्य का 20%	कूपमुख पर विक्रय मूल्य का 10%
37.	पाइराइट्स		यथा अनुपात आधार प्रति टन सल्फर अयस्क का 0.60 प्रतिटन इकाई %	यथा अनुपात आधार तथा प्रति टन सल्फर अयस्क का 0.65 रु० प्रति इकाई %

1	2	3	4	5
38.	पाइरोफिलाइट		22	24
39.	क्वार्टज, सिलिका सैंड तथा मौल्डिंग सैंड और क्वार्टज़ाइट		12	13
40.	रूटाइल		225	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का 2%
41.	भराव हेतु बालू		0.4	3
42.	सेलेनाइट		50	50
43.	सिलिमेनाइट		90	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का 2.5%
44.	चांदी		340 रु० प्रति किग्रा धातु	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का 5%
45.	स्लेट		40	40
46.	टाल्क, स्टीटाइट तथा सोपस्टोन	(क) इनसैक्टीसाइट ग्रेड	23	25
		(ख) इनसैक्टीसाइट ग्रेड के अलावा अन्य	56	65
47.	टंगस्टन		यथा अनुपात आधार तथा प्रति टन अयस्क में निहित डब्ल्यू ओ, का 33 रु० प्रति इकाई प्रतिशत	यथा अनुपात आधार तथा प्रति टन अयस्क में निहित डब्ल्यू ओ, का 20 रु० प्रति इकाई प्रतिशत
48.	यूरेनियम		(क) यथा अनुपात वृद्धि/कमी वाले 0.05% यू, ओ, अंश वाले सूखे अयस्क हेतु 3.05 रु०	(क) यथा अनुपात वृद्धि/कमी वाले 0.05% यू, ओ, अंश वाले सूखे अयस्क हेतु 5 रुपए
			(ख) 0.01% वृद्धि/कमी हेतु 1 रुपया प्रति मीट्रिक टन अयस्क	(ख) 0.01% वृद्धि/कमी हेतु 1 रु० प्रति मीट्रिक टन अयस्क
49.	वर्मिक्यूलाइट		28	25
50.	वोलास्टोनाइट		80	कूपमुख पर विक्रय मूल्य का 10%
51.	जस्ता अयस्क		यथा अनुपात आधार तथा प्रति टन अयस्क में निहित जस्ता धातु का 16 रु० प्रति इकाई प्रतिशत	प्रतिटन उत्पादित सांद्र पर यथामूल्य आधार पर वसूल योग्य धातु एल०एम०ई० का 3.5 प्रतिशत
52.	जिरकॉन		180	कूपमुख पर विक्रय मूल्य का 2%
53.	यहां पहले नहीं दर्शाए गए अन्य सभी खनिज		कूपमुख पर विक्रय मूल्य का 12 प्रतिशत	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का 10%

मध्य प्रदेश में दूरसंचार और डाक सुविधाएं

2212. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय जिलेवार कितने डाकघर, तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य में कुछ और डाकघर, तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) मध्य प्रदेश में, इस समय काम कर रहे डाकघरों, तारघरों तथा टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या क्रमश: विवरण-I, II और III में दी गई है।

(ख) और (ग) वर्ष 2000-2001 में मध्य प्रदेश के लिए 3 उप डाकघर और 40 शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध रहे और वित्त मंत्रालय द्वारा पदों की मंजूरी दी जाए।

समूचे देश में दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार होने तथा एस०टी० डी० और फैक्स की सुविधाओं की शुरूआत होने से तार की मांग घट रही है। इसलिए, कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तार सुविधा मांग और औचित्य के आधार पर प्रदान की जाती है। वर्ष 2000-2001 के दौरान एक सौ नए टेलीफोन एक्सचेंजों का प्रस्ताव है। इनके लिए स्थानों का अभी निर्धारण नहीं किया गया है। एक्सचेंज मांग के अनुसार खोले जाएंगे।

विवरण-I

31.3.2000 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश सर्किल में डाकघरों की संख्या

क्रम सं०	जिला	शहरी	ग्रामीण	कुल
1	2	3	4	5
1.	बालाघाट	10	216	226
2.	बड़वानी	8	105	113
3.	बस्तर	7	248	255
4.	बेतुल	11	210	221
5.	भिंड	20	235	255
6.	भोपाल	65	68	133
7.	बिलासपुर	27	256	283
8.	छतरपुर	14	221	225
9.	छिंदवाड़ा	15	250	265
10.	दमोह	19	142	161
11.	दनतेवाड़ा	3	165	168
12.	दतिया	5	93	98
13.	देवास	14	155	169
14.	धनतरी	5	105	110
15.	धार	12	200	212
16.	डिंडोरी	6	92	98
17.	दुर्ग	56	271	327
18.	गुना	20	179	199
19.	ग्वालियर	43	152	195
20.	हर्दा	7	66	73
21.	होशंगाबाद	22	152	174
22.	इन्दौर	59	113	172
23.	जबलपुर	69	93	162
24.	जांजगीर	12	251	263
25.	जशपुर	16	153	169
26.	झाबुआ	13	160	173
27.	कांकेर (बस्तर)	2	150	152
28.	कटनी	17	220	237
29.	कावर्धा	2	70	72
30.	खंडवा	21	207	228
31.	खरगौन	11	181	192
32.	कोर्वा	14	100	114
33.	कोरिया	18	77	95
34.	महासमुंद	5	128	133
35.	मांडला	4	118	122
36.	मंदसौर	20	193	213
37.	मुरैना	13	180	202
38.	नरसिंहपुर	11	172	183
39.	नीमच	17	99	116
40.	पन्ना	10	145	155
41.	रायगढ़	8	175	183
42.	रायपुर	31	337	368

1	2	3	4	5
43.	रायसेन	16	91	207
44.	रायगढ़ (बीआईओ)	16	150	166
45.	राजनंदगांव	12	205	217
46.	रतलाम	26	158	184
47.	रीवा	18	319	337
48.	सागर	44	195	239
49.	सरगुजा	4	180	184
50.	सतना	13	276	289
51.	सिहोर	14	154	168
52.	सिओनी	11	186	197
53.	शहडोल	13	219	232
54.	शाजापुर	18	161	179
55.	शिवपुर कलां	4	60	64
56.	शिवपुरी	15	209	224
57.	सीधी	17	187	204
58.	टीकमगढ़	9	176	185
59.	उज्जैन	36	165	201
60.	उनेरिया	5	68	73
61.	विदिशा	12	160	162
	कुल	1065	10311	11376

विवरण–II

मध्य प्रदेश में तारघरों की जिलावार संख्या

स्वतंत्र तारघर

क्रम सं०	जिला	सीटीओ की सं०	टीओ की सं०	टीसी की सं०	सीओ की सं०
1	2	3	4	5	6
1.	बड़वानी	0	0	1	10
2.	बालाघाट	0	1	0	11
3.	बालकंठपुर	0	0	0	8
4.	बस्तर	0	1	0	15
5.	बेतुल	0	1	0	18
6.	भिन्ड	0	1	1	11
7.	भोपाल	1	5	13	6
8.	बिलासपुर	0	1	2	16
9.	छतरपुर	0	1	0	14
10.	छिंदवाड़ा	0	1	1	14
11.	दमोह	0	1	0	13
12.	दांतेवाड़ा	0	0	0	8
13.	दतिया	0	1	0	6
14.	देवास	0	1	1	8
15.	धमतरी	0	1	0	5
16.	धार	0	1	1	7
17.	डिंडोरी	0	0	0	8
18.	दुर्ग	0	2	3	18
19.	गुना	0	1	1	16
20.	ग्वालियर	1	1	3	4
21.	हर्दा	0	0	0	11
22.	होशंगाबाद	0	2	2	14
23.	इंदौर	1	5	4	5
24.	जबलपुर	1	3	9	12
25.	जांनगीर	0	0	0	11
26.	जशपुर नगर	0	0	0	8
27.	झाबुआ	0	1	0	11
28.	कांकेर	0	0	0	14
29.	कटनी	0	1	1	20
30.	कावर्धा	0	0	0	4
31.	खंडवा	0	2	1	19
32.	खरगौन	0	1	3	11
33.	कोरबा	0	1	1	16
34.	महासमुंद	0	0	0	4
35.	मांडला	0	1	1	10
36.	मन्दसौर	0	1	2	17
37.	मुरैना	0	1	1	10
38.	नरसिंहपुर	0	1	1	16
39.	नीमच	0	1	1	14
40.	पन्ना	0	1	0	5
41.	रायगढ़	0	1	2	17

1	2	3	4	5	6
42.	राजगढ़	0	1	1	28
43.	रायपुर	1	1	4	12
44.	रायसेन	0	1	1	8
45.	राजनंदगांव	0	1	2	6
46.	रतलाम	0	1	2	13
47.	रीवा	0	1	1	22
48.	सागर	0	1	2	21
49.	सरगुजा	0	1	0	9
50.	सतना	0	1	1	24
51.	सिहोर	0	1	0	13
52.	सिओनी	0	1	0	14
53.	शहडोल	0	1	1	14
54.	शाजापुर	0	1	2	7
55.	शिवपुर कला	0	0	0	8
56.	शिवपुरी	0	1	0	2
57.	सीधी	0	1	0	14
58.	टीकमगढ़	0	1	0	10
59.	उज्जैन	0	1	3	8
60.	विदिशा	0	1	2	12
	कुल	5	62	78	710

विवरण-III

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिला	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	बालाघाट	44
2.	बड़वानी	44
3.	बस्तर	28
4.	बेतुल	69
5.	भिन्ड	55
6.	भोपाल	50
7.	बिलासपुर	62
8.	छतरपुर	34
9.	छिंदवाड़ा	90
10.	दमोह	28
11.	दांतेवाड़ा	28
12.	दतिया	18
13.	देवास	92
14.	धमतरी	19
15.	धार	120
16.	डिंडोरी	12
17.	दुर्ग	49
18.	गुना	72
19.	ग्वालियर	54
20.	हर्दा	57
21.	होशंगाबाद	78
22.	इंदौर	78
23.	जबलपुर	66
24.	जांनगीर चम्पा	37
25.	जशपुर	23
26.	झाबुआ	46
27.	कांकेर	15
28.	कटनी	29
29.	कावर्धा	7
30.	खंडवा	98
31.	खरगौन	88
32.	कोरबा	22
33.	कोरिया	10
34.	महासमुंद	29
35.	मांडला	26
36.	मन्दसौर	78
37.	मुरैना	50
38.	नरसिंहपुर	62
39.	नीमच	77
40.	पन्ना	19
41.	रायगढ़	69
42.	रायपुर	70
43.	रायसेन	60

1	2	3
44.	राजगढ़	52
45.	राजनंदगांव	29
46.	रतलाम	69
47.	रीवा	40
48.	सागर	67
49.	सतना	43
50.	सिहोर	52
51.	सिओनी	45
52.	शहडोल	38
53.	शाजापुर	81
54.	शिवपुर कला	15
55.	शिवपुरी	51
56.	सीधी	26
57.	सरगुजा	23
58.	टीकमगढ़	20
59.	उज्जैन	103
60.	उमेरिया	10
61.	विदिशा	50
	कुल	2938

एड्स नियंत्रण हेतु नया कार्यक्रम

2213. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने हाल में एड्स नियंत्रण के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया था परन्तु निरोध की कमी के कारण राज्य सरकार द्वारा एड्स नियंत्रण संबंधी नया कार्यक्रम शुरू करने की योजना प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यक्रम निरोध की कमी के कारण प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या जन स्वास्थ्य संगठन (भारत) ने मुम्बई में प्रतिमाह 4-5 लाख निरोध वितरित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र में निरोध की मांग को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ताकि एड्स नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावित न हो?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना के लिए कंडोमों की आपूर्ति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार में मुंबई एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा राज्य के जरिए प्राप्त की जाती है। पीपुल्स हेल्थ आर्गेनाइजेशन सहित सभी गैर सरकारी संगठनों को मुंबई जिला एड्स नियंत्रण सोसायटी से उनकी आवश्यकता के अनुसार कंडोम की आपूर्ति की गई है। नवम्बर 1999 से जुलाई 2000 के दौरान पीपुल्स हेल्थ आर्गेनाइजेशन को की गई कंडोमों की आपूर्ति इस प्रकार है :–

नवम्बर, 1999	–	2,70,000 नग
दिसम्बर, 1999	–	90,000 नग
मार्च, 2000	–	90,000 नग
जून, 2000	–	2,70,000 नग
जुलाई, 2000	–	1,50,000 नग

[हिन्दी]

वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस

2214. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों ने वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस विदेश से प्राप्त किया है तथा इस पर कितनी धनराशि की विदेशी मुद्रा व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इंडियन फ्लाईंग ट्रेनिंग केन्द्रों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) गत 10 वर्षों के दौरान जिन व्यक्तियों को वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी किए गए उनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) गत 10 वर्षों के दौरान विदेशी लाइसेंसों के आधार पर कुल 374 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी किए गए। सरकार इस प्रयोजन के लिए कोई खर्च नहीं करती तथा व्यय संबंधित पायलट द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। देश में उड़ान प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रोन्नत करने के लिए, भारत सरकार की सब्सिडी योजना के अंतर्गत 30 उड़ान क्लबों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। आज की तारीख में देश में प्रशिक्षु पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए 13 निजी उड़ान प्रशिक्षण केन्द्रों को अनुमोदन दिया गया है। सरकार ने उड़ान प्रशिक्षण देने के लिए फुरसतगंज, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी नामक एक स्वायत्त उड़ान प्रशिक्षण अकादमी की भी स्थापना की है।

विवरण

वर्ष	जारी किए गए वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसों की संख्या
1991	176
1992	211
1993	151
1994	175
1995	177
1996	171
1997	169
1998	178
1999	181
2000	89
कुल	1678

[अनुवाद]

चंडीगढ़ में टेलीफोन सेवाएं

2215. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक निजी सेवा प्रदाता ने टेलीफोन केबल बिछाने के लिए उसकी नाली खोदते समय दूरसंचार विभाग द्वारा पहले ही से डाली गई केबलों को क्षतिग्रस्त कर दिया जिससे चंडीगढ़ में टेलीफोन सेवाएं बाधित हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) क्षतिग्रस्त केबलों की मरम्मत प्राइवेट सेवा प्रदाताओं द्वारा सामग्री एवं श्रम सहित उनकी अपनी लागत से की गई थी।

लाभ में चलने वाली खानें

2216. **श्री सुनील खां** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी खानें लाभ में चल रही हैं और गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इनमें से प्रत्येक ने कितना लाभार्जन किया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक ने कितनी धनराशि का भुगतान किया?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह दिंडसा) : (क) और (ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा खनिज रियायतें किसी भारतीय नागरिक या कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत किसी कंपनी को दी जाती हैं। खनन पट्टा धारियों द्वारा अर्जित किए गए लाभ या उनके अदा किए गए कर का ब्यौरा केन्द्रीयकृत रूप में नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण और टीकाकरण कार्यक्रम

2217. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी राज्यों में परिवार कल्याण और टीकाकरण कार्यक्रम को दक्षतापूर्वक और सही ढंग से चलाया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन राज्यों में उक्त कार्यक्रमों को अभी कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे परिवार कल्याण और रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के प्रभाव का सामान्य आकलन जन्म दर, कुल प्रजनन दर, दम्पति सुरक्षा दर, शिशु मृत्यु दर आदि, टीकाकरण कवरेज के आधार पर किया जाता है जिसमें 1951 से काफी सुधार हुआ है। अखिल भारत स्तर पर उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :–

सूचक	1951	वर्तमान स्तर
– अशोधित जन्म दर (प्रति 1000 जनसंख्या)	40.8	26.5 (1998)
– दम्पति सुरक्षा दर प्रतिशत	9.4 1969-70	45.1 (मार्च 2000)
– कुल प्रजनन दर	6.0	3.3 (1997)
– अशोधित जन्म दर (प्रति 1000 जनसंख्या)	27.4	9.0 (1998)
– शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	146	72 (1998)

टीकाकरण प्रतिशत कवरेज

	1985-86	1999-2000
बी०सी०जी०	29	99.1
डी०पी०टी०	41	92.8
पोलियो	36	93.4
खसरा	44 (1987-88)	87.0

वर्ष 1971 और 1998 के दौरान अशोधित जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को अब व्यापक रूप से पुन: संगठित और सुदृढ़ किया गया है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरक्षित मातृत्व, बच्चों की जीवन रक्षा के साथ-साथ गर्भ निरोधक उपायों की एक मिलीजुली नीति है, जिसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :–

I. परिवार नियोजन विधियों का प्रचार जिसमें पुरुष और महिला नसबन्दी दोनों शामिल हैं, जन्म में अन्तर रखने के तरीके मामत: आई०यू०डी० निवेशन, खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक गोली और कण्डोम।

II. ग्राम स्तर पर एकीकृत सेवा प्रदानगी की व्यवस्था करके गर्भनिरोधकों की अपूर्ण आवश्यकता को पूरा करना।

III. छोटे परिवार के लोगों के बारे में जागरूकता लाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यक्रम।

कमजोर राज्यों/जिलों में अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था।

विवरण

राज्यवार अशोधित जन्म दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर–पिछली अवधि की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत

क्रम सं०	बड़े राज्य	अशोधित जन्म दर			अशोधित मृत्यु दर			शिशु मृत्यु दर			कुल प्रजनन दर		
		1971	1998	71 की तुलना में 98 में प्रतिशत परिवर्तन	1971	1998	71 की तुलना में 98 में प्रतिशत परिवर्तन	1971	1998	71 की तुलना में 98 में प्रतिशत परिवर्तन	1971	1998	71 की तुलना में 98 में प्रतिशत परिवर्तन
1.	आंध्र प्रदेश	34.8	22.4	-35.6	14.6	8.8	-39.7	106	63	-40.6	4.6	2.7	-41.3
2.	असम	38.5	27.9	-27.5	17.8	10.0	-43.8	139	76	-45.3	5.7	3.5	-38.6
3.	बिहार	32.8	31.1	-5.2	14.2	9.4	-33.8	अनुपलब्ध	71	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	4.5	अनुपलब्ध
4.	गुजरात	40.0	25.5	-36.3	16.4	7.9	-51.8	144	62	-56.9	5.6	3.2	-42.9
5.	हरियाणा	42.1	27.6	-34.4	9.9	8.2	-17.2	72	68	-5.6	6.7	3.7	-44.8
6.	कर्नाटक	31.7	22.0	-30.6	12.1	7.9	-34.7	95	53	-44.2	4.4	2.7	-38.6
7.	केरल	31.7	18.3	-42.3	9.0	6.4	-28.9	58	12	-79.3	4.1	1.8	-56.1
8.	मध्य प्रदेश	31.7	30.7	-3.2	15.6	11.2	-28.2	135	94	-30.4	5.6	4.2	-25.0
9.	महाराष्ट्र	31.7	22.5	-29.0	12.3	7.7	-37.4	105	47	-55.2	4.6	2.9	-37.0
10.	उड़ीसा	31.7	25.7	-18.9	15.5	11.1	-28.4	127	96	-24.4	4.7	3.3	-29.8
11.	पंजाब	31.7	22.4	-29.3	10.4	7.7	-26.0	102	51	-50.0	5.2	2.9	-44.2
12.	राजस्थान	31.7	31.6	-0.3	15.6	8.8	-43.6	123	85	-30.9	6.3	4.4	-30.2
13.	तमिलनाडु	31.7	19.2	-39.4	14.4	8.5	-41.0	113	53	-53.1	3.9	2.2	-43.6
14.	उत्तर प्रदेश	31.7	32.4	2.2	20.1	10.5	-47.8	167	85	-49.1	6.6	5.0	-24.2
15.	पश्चिम बंगाल	31.7	21.3	-32.8	अनुपलब्ध	7.5	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	55	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2.8	अनुपलब्ध
16.	हिमाचल प्रदेश	37.3	22.6	-39.4	15.6	7.7	-50.6	113	—	—	5.2	2.7	-46.1
17.	जम्मू व कश्मीर	32.3	19.9	-39.5	10.6	5.4	-49.1	71	—	—	4.8	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	अखिल भारत	36.9	26.5	-28.2	14.9	9.0	-39.6	129	71	-45.0	5.2	3.5	-32.7

स्वतंत्र नौवहन लाइन का विकास

2218. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्याप्त नौवहन सुविधाओं का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो स्वतंत्र नौवहन लाइन के विकास के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार देश में पर्याप्त नौवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है। सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :–

(i) पोतों के अधिग्रहण के लिए स्वत: अनुमोदन की शुरूआत।

(ii) जहाज मरम्मत की स्लाटिंग संबंधी समिति, जो जहाजों की मरम्मत के लिए यार्डों के बारे में निर्णय लेती थी, को समाप्त कर दिया गया है। जहाज-मरम्मत के लिए यार्ड के बारे में निर्णय लेने का काम पोत मालिकों पर छोड़ दिया जाता है जो उनकी व्यापारिक निर्णय क्षमता पर निर्भर करता है।

(iii) नौवहन कंपनियों को विदेश में भारतीय पोतों की बिक्री से होने वाली आय को नए अधिग्रहण के लिए अपने पास रखने की अनुमति दे दी गई है।

(iv) भारतीय नौवहन कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रॉस ट्रेड में कार्य करने के लिए भारतीय पोतों को विदेशी कंपनियों को टाइम चार्टर आउट पर देने की आजादी।

(v) नौवहन कंपनियों को बेयरबोट चार्टर एवं डिमाइज पद्धति (हायर परचेज प्रणाली के समान) के आधार पर जलयान अधिग्रहण की अनुमति।

(vi) पुराने जलयानों के अधिग्रहण के लिए आयु मानकों में छूट दी गई है।

(vii) पुराने/नए पोतों के अधिग्रहण की प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैंसर और हृदय रोगियों के लिए अस्पताल

2219. **श्री तरूण गोगोई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को इस क्षेत्र में कैंसर और हृदय की शल्य चिकित्सा हेतु कोई अस्पताल न होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वे इलाज के बिना मर जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो असम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अस्पतालों में बेकार पड़े उपकरण

2220. **श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश के सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपये की वस्तुएं/उपकरण बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके उपयुक्त निपटान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन वस्तुओं/उपकरणों को कब तक निपटान किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) उपस्करों और अन्य वस्तुओं को बेकार घोषित करना एक सतत प्रक्रिया है। दिल्ली में तीन केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों नामत: डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडीहार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पताल में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बेकार घोषित मदों का निपटान किया जाता है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए उनके अस्पतालों में बेकार घोषित की गई वस्तुओं के निपटान पर निगरानी और मानीटरिंग करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का काम है।

पी०जी०आई०, चंडीगढ़ में बेकार पड़े उपकरण

2221. **श्री रामसागर रावत** :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी०जी०आई० चण्डीगढ़ में करोड़ों रुपये मूल्य के उपकरण अनुप्रयुक्त और खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये उपकरण कब से खराब पड़े हैं तथा उनमें कितनी धनराशि लगी हुई है और उन्हें किन-किन तिथियों को खरीदा गया;

(ग) क्या इस मामले में उत्तरदायी व्यक्तियों की कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने हेतु मामले की जांच करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसका तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पैथोलॉजी – लैब

2222. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैथोलॉजी का समुचित सुरक्षित और स्वस्थ कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु उन्हें विनियमित करने के लिए कोई नियम और विनियम बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन लैबरेट्रियों का "सर्वसुलभ" ढंग का कार्य-प्रचालन उपयोगकर्ताओं मरीजों और उपभोक्ताओं के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी लैबों के लिए उपयुक्त विनियमन लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए सूचना एकत्र की जा रही है सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मलेरिया प्रवण शहर

2223. **श्री चितेन्द्र प्रसाद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ समिति ने देश भर में ऐसे 29 शहरों की पहचान की है जो मलेरिया प्रवण क्षेत्र हैं और जिनमें छह महानगर भी शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इस खतरे का मुकाबला करने और मलेरिया के फैलने से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) 1994 में गठित की गई मलेरिया की विशेषज्ञ समिति ने महानगरीय शहरों सहित 15 शहरों का पता लगाया तथा शहरी मलेरिया योजना के अन्तर्गत कवरेज के कार्य में तेजी लाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में मलेरिया के रोगियों को दर्ज किया। इस समिति ने शहरी मलेरिया योजना के अंतर्गत कवरेज को तेज करने के लिए 1991-93 के दौरान 10 प्रतिशत से अधिक स्लाइड पाजिटिविटी दर दर्ज करते हुए 14 शहरों/कस्बों का भी पता लगाया। 29 शहरों/कस्बों में से मलेरिया नियंत्रण के लिए अतिरिक्त निवेशों सहित प्रदान की जा रही विश्व बैंक की सहायता से उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत 19 शहरों/कस्बों को कवर किया गया है।

(ग) शहरी मलेरिया योजना के अंतर्गत मलेरिया नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :–

- उपयुक्त लार्वानाशकों से साप्ताहिक अन्तराल पर बार-बार लार्वा-रोधी उपाय करना।
- जैव-पर्यावरणिक और स्रोतों की कमी करने संबंधी विधियों के जरिए मच्छर पलने वाले स्थानों का पता लगाना और वैक्टरों का नियंत्रण।
- घर के आस पास 50 घरों में पाइरेथ्रम एक्सट्रेक्ट से उस स्थान पर छिड़काव करना जहां मलेरिया पाजीटिव मामले का पता लगाया गया है।
- अस्पतालों, क्लीनिकों, औषधालयों इत्यादि के माध्यम से रोगी का पता लगाना और शीघ्र उपचार।
- मच्छर पैदा करने वाली स्थितियों और मलेरिया की रोकथाम कैसे की जाए, के बारे में जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सूचना, शिक्षा व संचार संबंधी कार्यकलापों को तेज करना।

कन्याकुमारी में केन्द्र सरकार के अस्पतालों की स्थापना

2224. **श्री पोन राधाकृष्णन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी में मानव जीवन के रक्षार्थ आधुनिक और सर्वसुविधापूर्ण केन्द्र सरकार का कोई अस्पताल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कन्याकुमारी में अस्पताल खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) कन्याकुमारी में केन्द्रीय सरकार का कोई अस्पताल नहीं है।

(ख) और (ग) भारत के संविधान के अन्तर्गत "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है इसलिए अपनी आवश्यकता और उपलब्धता संसाधनों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना तमिलनाडु राज्य सरकार का दायित्व है।

एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ० बूथ लगाना

2225. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान गुलबर्ग जिले में एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ० बूथ लगाने के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित थे;

(ख) सरकार द्वारा ऐसे सभी आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान गुलबर्ग जिले में कितने एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ० बूथ लगाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) गुलबर्ग दूरसंचार जिले में एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ० बूथ की संस्थापना के लिए 2276 आवेदन लम्बित हैं।

(ख) लम्बित आवेदनों को निपटाने के लिए किए जाने वाले उपायों में क्षमता वृद्धि, एस०टी०डी० जंक्शन तथा आउटडोर नेटवर्क का विस्तार शामिल है।

(ग) इस समय लम्बित आवेदन अर्थात् 2276 का वर्ष 2000-2001 के दौरान निपटान कर दिया जाएगा।

मुम्बई हवाई अड्डे के निकट झोपड़पट्टियों का स्थानांतरण

2226. **श्री किरीट सोमैया** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई हवाई अड्डे के निकट झोपड़पट्टियों को स्थानांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो मुम्बई में विमानपत्तन प्राधिकरण भूमि के पास स्थित झोपड़पट्टियों और मलिन बस्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और महाराष्ट्र सरकार ने हवाईपट्टी के निकट झोपड़पट्टियों के पुनर्वास कार्यक्रम को शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पुनर्व्यवस्थापन कार्यक्रम पर कुल कितना खर्च आने की संभावना है; और

(च) मुम्बई हवाईअड्डे के निकट झोपड़पट्टियों/मलिन बस्तियों के लोगों को कब तक पुनर्वास किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) मुम्बई हवाई अड्डे के निकट हटमेंटों को एक चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) 1995 में की गई गणना के अनुसार मुम्बई हवाई अड्डे के चारों ओर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर लगभग 85000 हटमेंट फैले हुए/स्थित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा महाराष्ट्र सरकार ने जारी मारी क्षेत्र में 2500 हटमेंटों के पुनर्वास के लिए चरण-1 के अधीन एक कार्यक्रम बनाया है जो तत्काल सूक्ष्म प्रचालनों के लिए अपेक्षित है। राज्य सरकार एजेंसी की इस क्षेत्र की सर्वेक्षण करने की योजना है। इस समय, सर्वेक्षण पूरा होने तक इसका कोई समय-ढांचा नहीं दिया जा सकता।

कासावा वृक्ष का कैंसर के लिए औषधि के रूप में उपयोग

2227. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कासावा वृक्ष का कैंसर रोग के लिए औषधि के रूप में उपयोग किए जाने के रूप में न तो कोई पहल की है और न ही किसी अनुसंधान का समन्वय किया है जो केरल का एक प्रमुख वृक्ष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भूमिगत केबल बिछाने में अनियमितताएं

2228. **श्रीमती सुशीला सरोज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार राज्य दूरसंचार-सर्किल, पटना द्वारा दरभंगा शहर और अन्य जिलों में भूमिगत केबल बिछाने में अनियमितताएं बरतने और निर्धारित मानदंडों का पालन न करने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने, केबल बिछाने के लिए खोदी गई भूमि को न भरने के कारण काम रोक देने के लिए कोई निदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ठेकेदारों द्वारा केबल बिछाने के संबंध में कोई जांच कराई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 5 जून, 2000 के दैनिक "हिन्दुस्तान" के पटना संस्करण में एक शिकायत प्रकाशित की गई थी, जिसमें "दरभंगा गौण

स्विचन क्षेत्र'' में भूमिगत केबल बिछाने में हुई अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। केबल बिछाने के लिए खोदी गई भूमि को न भरने का कोई मामला नहीं पाया गया।

(ङ) से (छ) जी, हां। जांच से पता चला है कि कुछ मामलों में मौजूदा केबलों तथा अन्य कारणों से, निर्धारित प्रतिमानकों की अपेक्षा वास्तविक गहराई कम पाई गई है। तथापि, खोदी गई वास्तविक गहराई को मापकर ही भुगतान किया गया है। इसमें किसी प्रकार की बदनीयती देखने में नहीं आई है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में टेलीफोन कनेक्शन

2229. **श्री समर चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के गांवों सहित पूर्वोत्तर राज्यों में टेलीफोन-कनेक्शन हेतु, प्रतीक्षा-सूची में दर्ज आवेदकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) प्रतीक्ष-सूची में दर्ज आवेदकों को उक्त टेलीफोन कनेक्शन कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या राज्यों में अधिकांश ''ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन'' और उपमंडल और मुख्यालय के टेलीफोन गत दो वर्षों से समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) त्रिपुरा के गांवों सहित पूर्वोत्तर राज्यों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची के लोगों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है :–

राज्य	30.6.2000 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
अरुणाचल प्रदेश	1215
मणिपुर	6065
मेघालय	2799
मिजोरम	3227
नागालैण्ड	1617
त्रिपुरा	14895
पूर्वोत्तर का जोड़	29818

(ख) चालू वित्त वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है।

(ग) 4338 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों में से 1258 चालू नहीं हैं, जो कुल वी०पी०टी० का 29% है।

उप मंडलीय मुख्यालयों, जिला-मुख्यालयों व अन्य कस्बों के टेलीफोन ठीक से काम कर रहे हैं। जब भी किसी खराबी की रिपोर्ट मिलती है, उस पर तत्परता से ध्यान दिया जाता है।

(घ) दोष-सुधार में विलम्ब के मुख्य कारण हैं :– खराब मार्ग-संचारण, दूरस्थती व पहाड़ी भूमि के कारण अगम्यता, बाढ़-सरीखी प्राकृतिक आपदाएं, भारी वर्षा के कारण भू-स्खलन आदि।

(ङ) इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :–

1. नेटवर्क में टी०डी०एम०ए० पी०एम०पी०, सैटेलाइट-वी०पी०टी० तथा डब्ल्यू०एल०एल० जैसी नई प्रणालियां शुरू की जा रही हैं।
2. विनिर्माताओं द्वारा खराब यूनिटों की मरम्मत की जा रही है।
3. वार्षिक अनुरक्षण करार पहले ही मै० श्याम टेलीकॉम के साथ किया जा चुका है।
4. शिलांग व अगरतला में एम०ए०आर०आर० के मरम्मत केन्द्र खोले गए हैं।
5. एम०ए०आर०आर० वी०पी०टी० तथा भू-केन्द्रों की दैनिक मॉनिटरिंग शुरू की गई है।
6. सभी एस०एस०ए० के स्टाफ का अनुरक्षण व एम०ए० आर०आर० का संस्थापन-विषयक प्रशिक्षण दिया गया है।

बंध्याकरण आपरेशन

2230. **श्री जय प्रकाश** :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंध्याकरण की असफलता के लिए डाक्टरों को जिम्मेदार ठहराने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद देश के विभिन्न अस्पतालों में डाक्टर बंध्याकरण आपरेशन करने से इंकार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कितने आपरेशन किये गये?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संवेदनशील रोगों के मामले

2231. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी रेखा से नीचे और ठीक ऊपर के कितने प्रतिशत व्यक्ति संवेदनशील रोगों से पीड़ित हैं;

(ख) ऐसे रोगों के शिकार होने से उन्हें रोकने के उद्देश्य से उन्हें पर्याप्त रूप से भोजन देने हेतु अनुमानित कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विभिन्न रोगों के उपचार हेतु केन्द्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कितना धन खर्च किया गया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान और अधिक सरकारी अस्पताल खोलने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। संसाधनों को बढ़ाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए बाह्य सहायता प्राप्त की गई है। ये कार्यक्रम निर्धन और सुविधाओं से वंचित लोगों सहित, सभी की जरूरतों को देखते हुए बनाए गए हैं। प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर राज्यवार व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज की गई और खर्च की गई धनराशि

(रु० लाख में)

राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000	
	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
विश्व बैंक परियोजना राज्य						
आंध्र प्रदेश	461.34	534.63	533.50	423.49	434.40	273.25
मध्य प्रदेश	593.40	884.09	976.67	654.32	740.81	933.61
महाराष्ट्र	412.27	477.35	449.25	738.12	664.88	1097.35
उड़ीसा	516.20	263.26	551.08	353.46	420.25	513.47
राजस्थान	289.60	261.37	324.50	560.51	314.18	209.95
तमिलनाडु	663.47	715.07	866.85	1050.43	1,009.82	454.08
उत्तर प्रदेश	702.28	790.35	806.75	593.81	789.32	636.58
उप-योग	3,638,56	3,926.12	4,508.60	4,374.14	4,373.66	4,118.29
अन्य राज्य						
अरुणाचल प्रदेश	9.04	6.41	9.50	5.64	18.00	6.43
असम	90.04	88.69	107.15	43.69	86.75	52.74
बिहार	174.94	225.83	204.00	171.42	165.00	110.15
दिल्ली	12.75	11.68	24.70	6.89	42.52	15.14
गोवा	8.75	10.84	63.15	21.04	14.50	9.30
गुजरात	129.51	139.39	154.14	125.76	396.52	153.66
हरियाणा	57.47	54.50	101.00	73.32	170.27	33.15
हिमाचल प्रदेश	32.47	49.64	83.53	38.59	86.25	47.79

1	2	3	4	5	6	7
जम्मू और कश्मीर	39.66	19.00	92.00	14.31	40.75	8.17
कर्नाटक	170.78	151.72	258.01	201.44	352.20	225.67
केरल	61.34	152.19	91.57	105.83	222.59	143.39
मणिपुर	10.27	14.81	25.91	10.30	7.00	6.72
मेघालय	22.06	18.93	26.83	19.81	24.00	18.76
मिजोरम	6.54	9.96	25.75	19.05	29.50	19.54
नागालैंड	6.35	12.75	64.10	12.99	14.00	2.27
पंजाब	56.65	55.50	56.60	34.22	199.61	44.26
सिक्किम	7.92	11.61	38.30	4.82	18.25	6.35
त्रिपुरा	20.27	22.97	50.89	34.77	35.39	23.14
पश्चिम बंगाल	57.25	90.41	141.70	125.66	204.10	85.97
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.00	4.50	7.80	3.71	10.67	0.50
चंडीगढ़	7.00	3.49	10.60	6.45	11.24	6.58
दादरा एवं नगर हवेली	7.00	4.14	6.70	0.91	2.50	0.50
दमण और दीव	4.00	4.00	7.70	0.87	9.40	5.09
लक्षद्वीप	7.04	1.17	17.70	0.18	5.72	0.00
पांडिचेरी	4.00	0.95	5.30	0.55	20.82	14.39
उप-योग	1,010.10	1,165.08	1,674.63	1,082.22	2,187.55	1,039.66
कुल योग	4,648.66	5,091.20	6,183.23	5,456.36	6,561.21	5,157.95

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में राज्यवार आवंटन और व्यय

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	539.07	391.83	291.10	538.63	374.11	334.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	47.00	57.85	163.09	132.35	59.86	97.24
3.	असम	292.65	252.87	240.50	245.96	194.30	188.84
4.	बिहार	455.21	335.25	493.70	707.76	844.44	821.52
5.	गोवा	8.80	4.22	10.00	1.94	0.49	6.28
6.	गुजरात	196.27	197.47	120.15	153.85	119.14	209.20
7.	हरियाणा	22.57	16.66	20.00	53.73	38.35	36.86
8.	हिमाचल प्रदेश	18.00	46.18	101.77	90.72	54.34	70.81
9.	जम्मू और कश्मीर	89.83	46.30	141.00	92.51	54.79	47.25

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक	379.01	245.56	284.50	349.86	226.44	157.95
11.	केरल	199.24	210.39	231.40	226.63	130.41	122.61
12.	मध्य प्रदेश	649.77	350.68	597.13	1210.57	643.54	527.15
13.	महाराष्ट्र	391.15	447.22	398.50	284.77	312.44	290.03
14.	मणिपुर	35.22	45.47	129.86	137.61	95.71	332.51
15.	मेघालय	19.00	42.55	69.72	62.84	40.84	46.68
16.	मिजोरम	61.00	62.93	75.43	91.81	49.60	17.64
17.	नागालैंड	128.49	139.28	48.50	70.38	106.09	78.53
18.	उड़ीसा	444.65	411.94	322.10	420.30	447.67	271.73
19.	पंजाब	37.00	96.04	131.00	117.32	98.46	238.81
20.	राजस्थान	35.00	233.30	485.51	263.37	148.37	116.88
21.	सिक्किम	48.40	49.99	64.00	94.58	71.36	22.82
22.	तमिलनाडु	117.00	179.22	285.00	635.76	231.18	147.31
23.	त्रिपुरा	20.00	9.90	74.35	39.41	47.98	18.23
24.	उत्तर प्रदेश	779.95	414.01	608.00	1110.29	1311.54	884.79
25.	पश्चिम बंगाल	397.81	185.91	252.80	724.07	444.33	713.55
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6.50	8.88	6.50	6.47	2.00	4.46
27.	चंडीगढ़	0.50	3.01	6.00	6.79	9.21	3.00
28.	दादरा और नगर हवेली	6.46	0.50	1.00	7.47	1.00	4.52
29.	दमण और दीव	4.50	13.73	9.50	15.63	0.50	1.93
30.	दिल्ली	0.50	0.11	52.65	8.12	11.00	37.87
31.	लक्षद्वीप	2.00	0.00	11.53	54.20	1.00	0.00
32.	पांडिचेरी	16.45	8.40	1.85	4.42	9.50	3.01
	कुल	5449.00	4507.65	5728.14	7960.21	6179.99	5854.32

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	482.00	172.01	198.62	521.06	482.76	350.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.00	1.45	1.66	1.66	2.54	18.37
3.	असम	251.00	44.20	51.03	91.55	114.13	196.15

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	626.00	258.76	298.79	357.63	1054.73	589.93
5.	गोवा	13.00	1.80	2.07	2.07	3.17	2.87
6.	गुजरात	270.00	86.23	99.58	184.30	1203.88	252.68
7.	हरियाणा	122.00	44.86	51.80	63.69	79.13	118.20
8.	हिमाचल प्रदेश	33.00	7.84	9.06	39.47	133.64	52.58
9.	जम्मू और कश्मीर	60.00	21.15	24.42	26.65	37.30	63.12
10.	कर्नाटक	315.00	102.93	118.85	214.00	701.35	315.01
11.	केरल	182.00	38.48	44.43	165.04	885.69	95.71
12.	मध्य प्रदेश	485.00	174.33	201.30	222.54	418.17	578.11
13.	महाराष्ट्र	538.00	171.76	198.34	361.94	852.84	857.43
14.	मणिपुर	14.00	0.28	0.32	8.67	31.66	16.38
15.	मेघालय	21.00	4.88	5.63	5.91	8.60	15.45
16.	मिजोरम	7.00	1.97	2.28	2.31	3.48	5.15
17.	नागालैंड	14.00	1.57	1.81	1.81	2.77	15.79
18.	उड़ीसा	238.00	73.69	85.09	215.52	325.38	262.24
19.	पंजाब	152.00	54.41	62.83	96.11	95.98	64.22
20.	राजस्थान	325.00	107.62	124.27	158.91	397.40	435.75
21.	सिक्किम	6.00	1.08	1.24	1.51	1.90	8.14
22.	तमिलनाडु	403.00	138.22	159.61	258.94	660.48	273.16
23.	त्रिपुरा	34.00	7.57	8.75	8.75	13.36	21.19
24.	उत्तर प्रदेश	1021.00	349.35	403.39	660.42	897.57	1130.63
25.	पश्चिम बंगाल	459.00	133.56	154.22	381.33	2083.18	386.94
26.	दिल्ली	45.00	56.69	2.77	2.77	0.00	100.00
27.	पांडिचेरी	99.00	3.31	1.82	1.82	2.78	2.61
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18.00	14.27	0.82	0.82	1.25	1.17
29.	चंडीगढ़	66.00	39.67	2.27	2.27	3.47	3.52
30.	दादरा और नगर हवेली	9.00	7.70	0.44	0.44	0.67	0.63
31.	दमण और दीव	7.00	5.51	0.32	0.32	0.49	0.45
32.	लक्षद्वीप	4.00	2.85	0.16	0.16	0.25	0.23
	एक्स-रे फिल्मों का प्रापण				82.00		23.00
	परामर्शी सेवाएं			0.00	35.55		
	योग (सामान्य घटक)	6330.00	2130.00	2317.99	4177.94	10500.00	6257.54

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000	
		रिलीज अनुदान	सूचित व्यय	रिलीज अनुदान	सूचित व्यय	रिलीज अनुदान	सूचित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	425.00	425.39	650.00	843.51	1219.67	1024.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.00	50.86	30.00	4.78	159.00	103.07
3.	असम	100.00	103.60	100.00	155.60	322.00	314.78
4.	बिहार	50.00	1.21	110.00	60.37	55.00	124.03
5.	गोवा	50.00	17.20	35.00	28.00	98.00	69.11
6.	गुजरात	250.00	271.06	230.00	333.66	721.00	673.46
7.	हरियाणा	75.00	65.79	160.00	73.62	270.00	194.29
8.	हिमाचल प्रदेश	225.00	196.77	115.00	58.24	318.00	210.38
9.	जम्मू और कश्मीर	25.00		25.00		25.00	0.00
10.	कर्नाटक	175.00	218.42	335.00	391.94	801.67	555.03
11.	केरल	100.00	229.37	65.00	233.97	280.00	301.65
12.	मध्य प्रदेश	150.00	185.40	315.00	147.28	352.31	335.50
13.	महाराष्ट्र	950.00	844.67	800.00	439.15	998.35	1111.37
14.	मणिपुर	150.00	42.17	245.00	212.84	352.38	567.33
15.	मेघालय	25.00	34.76	30.00	17.35	70.14	43.88
16.	मिजोरम	100.00	67.98	100.00	115.99	168.00	170.55
17.	नागालैंड	155.00	176.59	227.00	251.96	380.00	379.07
18.	उड़ीसा	75.00	59.80	100.00		200.00	34.47
19.	पंजाब	75.00	324.54	150.00	150.91	312.39	258.26
20.	राजस्थान	225.00	186.57	100.00	133.85	150.00	120.91
21.	सिक्किम	50.00	26.76	50.00	36.71	25.00	44.37
22.	तमिलनाडु	2000.00	1681.71	800.00	1642.37	883.09	1762.32
23.	त्रिपुरा	50.00	40.00	20.00	20.09	50.00	36.60
24.	उत्तर प्रदेश	495.00	307.96	200.00	192.47	851.00	992.23
25.	पश्चिम बंगाल	100.00	158.58	350.00	354.20	425.00	581.00
26.	दिल्ली	25.00	135.15	110.00	144.12	283.00	369.54
27.	पांडिचेरी	0.00	34.11	40.00	14.14	25.00	46.96

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	31.09	6.05	20.00	13.38	50.00	64.84
29.	चंडीगढ़	28.00	39.97	60.00	48.90	115.00	122.02
30.	दादरा एवं नगर हवेली	16.00	7.92		5.25	25.00	25.00
31.	दमण और दीव	24.22	17.82	15.00	14.98	95.00	26.02
32.	लक्षद्वीप	15.42				25.00	25.00
33.	एम०डी०ए०सी०एस०, मुंबई			350.00	110.12	670.00	728.92
34.	अहमदाबाद एम०सी०			5.00		75.00	37.43
35.	चेन्नई एम०सी०					125.00	43.65
	कुल	6239.73	5958.18	5942.00	6249.75	10975.00	11498.03

मलेरिया नियंत्रक कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन (नकद एवं सामग्री) और कार्य का राज्यवार विवरण

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
		बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	779.03	617.00	464.91	482.93	322.86	663.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	258.74	297.50	270.43	186.61	303.27	229.22
3.	असम	2207.29	2618.00	2435.18	2170.42	2267.01	2616.72
4.	बिहार	588.52	348.98	508.90	403.05	481.35	578.66
5.	गोवा	10.26	5.18	21.72	7.72	10.93	4.54
6.	गुजरात	684.25	726.77	998.62	611.11	489.04	349.95
7.	हरियाणा	448.17	291.08	293.48	260.39	259.03	160.95
8.	हिमाचल प्रदेश	112.06	90.84	62.33	51.47	46.11	92.45
9.	जम्मू और कश्मीर	92.78	78.62	18.55	72.57	52.73	103.39
10.	कर्नाटक	542.97	568.62	494.50	264.47	662.66	229.29
11.	केरल	86.30	63.60	122.58	102.73	117.72	49.63
12.	मध्य प्रदेश	1115.47	1072.77	335.81	454.49	893.40	443.28
13.	महाराष्ट्र	913.05	1028.44	680.47	260.26	282.97	181.51
14.	मणिपुर	324.52	273.91	435.75	377.34	403.05	219.53
15.	मेघालय	239.15	196.96	261.44	231.55	306.70	212.27
16.	मिजोरम	195.47	132.00	286.17	172.53	309.56	190.05
17.	नागालैंड	193.37	212.62	192.33	183.34	240.83	308.33
18.	उड़ीसा	421.84	233.43	392.47	385.44	329.67	436.17

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	पंजाब	356.58	183.26	437.50	290.67	288.96	148.45
20.	राजस्थान	1449.38	1799.74	2015.38	1994.15	1146.16	1075.71
21.	सिक्किम	0.94	1.77	10.06	8.47	11.65	7.90
22.	तमिलनाडु	427.25	204.88	268.29	240.72	392.31	114.19
23.	त्रिपुरा	322.71	414.05	413.64	356.97	375.89	379.31
24.	उत्तर प्रदेश	881.62	505.73	825.01	1121.92	622.18	527.80
25.	पश्चिम बंगाल	465.28	125.71	454.92	330.90	296.36	501.99
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	126.19	93.83	99.44	155.68	116.46	111.28
27.	चंडीगढ़	23.81	48.53	13.15	41.30	47.25	44.95
28.	दादरा एवं नगर हवेली	76.42	24.75	24.98	21.90	25.94	34.85
29.	दमण एवं दीव	34.15	12.37	15.80	10.08	16.42	12.97
30	दिल्ली	49.16	66.04	69.56	37.21	75.40	20.10
31.	लक्षद्वीप	12.55	3.48	4.96	5.24	5.81	5.89
32.	पांडिचेरी	7.72	12.48	11.08	6.15	10.32	11.28
	कुल	13447.00	12352.94	12999.20	11305.48	11210.00	10055.44

पुनः वनारोपण योजना के लिए विश्व बैंक की सहायता

2232. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक का विचार देश में पुनः वनारोपण योजना के लिए वित्त उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना के लिए किन-किन राज्यों का चयन किया गया है;

(ग) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान विभिन्न राज्यों को पुनः वनारोपण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) क्या सभी राज्यों ने इस धनराशि का उपयोग नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यों द्वारा इस धनराशि का उपयोग न किए जाने का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) छः राज्यों की एकीकृत वानिकी परियोजना प्रोफाइलें विश्व बैंक के निधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत की गई हैं। विश्व बैंक ने इनमें से किसी भी परियोजना के निधिकरण के बारे में निर्णय नहीं लिया है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) वर्ष 1999-2000 और वर्ष 2000-2001 के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पुनर्वनीकरण योजनाओं हेतु आबंटित और उपयोग की गई राशियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विश्व बैंक को भेजी गई एकीकृत वानिकी परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रु० में)	परियोजना अवधि
1.	मध्य प्रदेश वानिकी प्रोजेक्ट चरण-II	1380.00	5 साल
2.	आंध्र प्रदेश वानिकी प्रोजेक्ट चरण-II	1272.00	6 साल
3.	महाराष्ट्र वानिकी प्रोजेक्ट चरण-II	600.00	7 साल
4.	प० बंगाल वानिकी प्रोजेक्ट चरण-II	300.00	5 साल
5.	अरुणाचल प्रदेश वानिकी प्रोजेक्ट	360.00	5 साल
6.	असम वानिकी प्रोजेक्ट	685.03	10 साल

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वनीकरण योजनाओं के लिए राज्यवार आबंटित और उपयोग की गई धनराशि

राज्य	आई०ए०ई०पी०एस०			ए०ओ०एफ०एफ०पी०		
	1999-2000		2000-01	1999-2000		2000-01
	आबंटन	उपयोग की गई	आबंटन	आबंटन	उपयोग की गई	आबंटन
आन्ध्र प्रदेश	152.74	198.60	308.06	156.74	113.60	162.09
अरुणाचल प्रदेश	61.04	43.91	63.20	12.73	6.10	12.78
असम	83.95	44.83	89.55	182.51	76.82	204.87
बिहार	60.69	66.84	66.69	199.50	101.36	210.18
गोवा	0.00	0.00	0.00	7.69	3.93	8.62
गुजरात	67.88	33.89	349.85	259.62	97.42	278.58
हरियाणा	81.29	81.29	90.13	265.69	265.62	249.74
हिमाचल प्रदेश	75.64	78.62	89.19	157.04	137.97	152.03
जम्मू और कश्मीर	415.34	357.92	397.78	169.07	0.00	174.25
कर्नाटक	171.41	154.95	193.76	178.00	109.38	282.95
केरल	363.03	338.65	527.32	121.48	40.98	96.50
मध्य प्रदेश	487.11	391.64	500.64	660.50	452.85	636.50
महाराष्ट्र	268.45	151.60	267.22	126.61	68.39	153.51
मणिपुर	468.73	439.08	460.52	214.19	30.62	249.65
मेघालय	13.61	10.21	19.60	29.95	14.02	31.95
मिजोरम	147.66	154.20	154.27	165.34	165.55	148.00
नागालैण्ड	59.68	38.60	98.18	19.44	0.00	30.06
उड़ीसा	584.65	302.19	1732.90	121.75	137.75	108.46
पंजाब	112.49	0.00	113.02	248.41	0.00	248.82
राजस्थान	466.83	333.68	482.55	273.81	110.98	397.49
सिक्किम	187.38	151.14	178.02	68.52	37.12	69.43
तमिलनाडु	35.13	1.91	195.54	136.03	108.31	146.08
त्रिपुरा	94.24	69.66	97.46	41.29	41.28	113.07
उत्तर प्रदेश	493.94	303.45	504.67	343.17	90.12	365.13
पश्चिम बंगाल	186.32	133.36	196.74	198.07	198.05	223.27
कुल	5139.23	3880.22	7176.86	4356.52	2408.22	4754.01

आई०ए०ई०पी०एस० — एकीकृत वनीकरण और पारिविकास परियोजना स्कीम।

ए०ओ०एफ०एफ०पी०एस० — क्षेत्रोंमुखी ईंधन की लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम।

राज्य	एन०टी०एफ०पी०			ए०एस०टी०आर०पी०		
	1999-2000		2000-01	1999-2000		2000-01
	आबंटन	उपयोग की गई	आबंटन	आबंटन	उपयोग की गई	आबंटन
आन्ध्र प्रदेश	108.90	109.15	328.90	19.66	19.66	21.76
अरुणाचल प्रदेश	67.53	10.59	134.20	8.18	0.00	45.63
असम	51.62	22.50	49.47			
बिहार	33.40	0.00	57.75	46.22	2.00	54.52
गोवा	12.45	12.45	32.06			
गुजरात	126.25	81.51	268.58	29.25	14.00	33.93
हरियाणा	29.74	29.74	29.56			
हिमाचल प्रदेश	33.52	28.87	41.00			
जम्मू और कश्मीर	207.80	200.75	203.27	28.08	16.00	34.28
कर्नाटक	54.75	51.12	114.27	38.72	25.68	44.93
केरल	17.22	14.89	30.08			
मध्य प्रदेश	152.13	106.21	182.94	64.35	0.00	75.58
महाराष्ट्र	102.59	55.15	237.59	42.94	16.51	51.06
मणिपुर	53.94	11.00	120.39	26.33	0.00	30.40
मेघालय	27.72	12.00	35.02			
मिजोरम	55.17	50.92	106.56	18.02	15.19	19.89
नागालैण्ड	12.89	5.00	94.89	17.51	0.00	19.89
उडीसा	124.90	115.71	174.15	0.00	0.00	41.65
पंजाब	32.61	0.00	33.12			
राजस्थान	131.70	113.52	228.15	32.06	31.60	36.27
सिक्किम	120.10	67.51	187.14			
तमिलनाडु	27.23	25.11	28.49			
त्रिपुरा	24.72	10.20	38.35	14.16	0.93	16.61
उत्तर प्रदेश	72.50	0.00	100.28			
पश्चिम बंगाल	73.32	25.11	102.65	12.87	0.00	12.00
कुल	1754.70	1159.01	2958.86	398.33	141.57	538.41

एन०टी०एफ०पी० — औषधीय पादप सहित गैर इमारती वनोत्पाद का संरक्षण और विकास स्कीम।

ए०एस०टी०आर०टी० — भोगाधिकार हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरोत्पादन में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को शामिल करना।

आन्ध्र प्रदेश में 'डब्ल्यू०एल०एल०' — टेलीफोन-सुविधा

2233. **श्री ए० ब्रह्मनैया :**
श्री पोन राधाकृष्णन् :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के मछलीपट्नम और कृष्णा जिलों में 'वायरलेस लोकल लूप प्रौद्योगिकी (डब्ल्यू०एल० एल०)' पर आधारित टेलीफोन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य हेतु कितनी राशि आबंटित की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में "वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल० एल०) प्रणाली" के टेलीफोन चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजनार्थ, सर्किलों को चालू वित्त वर्ष में उक्त प्रणाली की 30,000 लाइनें पहले ही आबंटित कर दी गई हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान ऐसा और आबंटन किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष के दौरान मछलीपटणम् में डब्ल्यू०एल०एल०-प्रणाली की कोई योजना नहीं हैं। तथापि, आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिलागत नुज्वुड, तिरूवुरू तथा नंदीग्राम में उक्त प्रणाली की योजना है। इस प्रयोजनार्थ निधियां आबंटित कर दी गई हैं।

गंभीर प्रो-मायलोसिटिक ल्यूकेमिया का उपचार संबंधी अध्ययन

2234. **श्री एन०एम० कृष्णदास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गंभीर प्रो-मायलोसिटिक ल्यूकेमिया के उपचार में धातु आधारित तैयार की गई औषधि के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु वर्ष 1997 में कोई अध्ययन समूह गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या उपरोक्त परियोजना के प्रिंसिपल इन्वेस्टीगेटर ने उपरोक्त औषधि को बड़े पैमाने पर विकसित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार हेपेटाइटिस मल्टीपल सिलेरोसिस और अन्य प्रकार के कैंसर आदि रोगों के उपचार के लिए इन्वेस्टीगेटर की नवीन स्वदेशी खोजों का उपयोग करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दमन और दीव को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सहायता

2235. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दमन और दीव में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने तथा गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के कल्याण हेतु 50 लाख रुपये जारी किये हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा की परिभाषा के अनुसार दमन और दीव में केवल 10-20 व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप यह राशि अप्रयुक्त रह गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा में बाहर के गरीब तबकों के कल्याण के लिये इस राशि के उपयोग के संबंध में राज्य प्रशासन को अनुदेश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) सरकार ने दमण और दीव में गरीबी रेखा से नीचे वाले रोगियों के लिए जो कि बड़े प्राणघातक रोगों से पीड़ित हैं, किसी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल/संस्थान या अन्य सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने और इलाज करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि से दमण और दीव संघ राज्य प्रशासन को 50 लाख रुपए रिलीज किए हैं। यह परिव्यय ऊपर उल्लिखित प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य पर उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार दमण और दीव में 18,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और ये कुल आबादी का 15.80 प्रतिशत हैं।

(ग) और (घ) ऊपर (क) में उल्लिखित विशिष्ट प्रयोजन के विचार से दमण और दीव प्रशासन को इस राशि को अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने के लिए अनुदेश देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र की खानों को बंद किया जाना

2236. **श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और 30 जून, 2000 की तिथि तथा विभिन्न खनिजों की सरकारी क्षेत्र की राज्यवार कितनी और कौन कौन-सी खानें बंद कर दी गयी हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन खानों को पुन: खोलने के लिए कोई प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) खानों सहित औद्योगिक उपक्रम औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 ओ० के अधीन बंद किए जाते हैं, जिसका संचालन श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 1.1.1997 और 30.6.2000 के बीच, प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर आर्थिक कारणों की वजह से जिन सार्वजनिक क्षेत्र की खानों को श्रम मंत्रालय ने बन्द करने की अनुमति दी है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (घ) खनन एक ह्रासकारी उद्योग है और खनिजों के निष्कर्षण के अव्यवहार्य हो जाने पर खानों को बंद करना पड़ता है। तथापि, जब खानें मांग की कमी के कारण बंद होती हैं तो यह महसूस किया जाता है कि अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए उठाए गए कदमों और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी करने से खनिजों की मांग बढ़ेगी और खानें व्यवहार्य होंगी।

विवरण

क्रम सं०	खान का नाम व पता
1	2
1.	मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, डेगाना टंगस्टन प्रोजेक्ट, डाकघर डेगाना, जिला, नागोर, राजस्थान।
2.	मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, मोसाबानी खान डाकघर मोसाबानी, जिला सिंहभूम, बिहार।
3.	मैसर्स मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड कैम्प लापंगा डाकघर भडानी नगर, जिला हजारीबाग, बिहार।
4.	मैसर्स भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, फुटका पहाड़ खान, डाकघर बालको नगर, जिला कोरबा, मध्य प्रदेश।
5.	मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, पाथरगोड़ा खान, डाकघर घाट-शिला, जिला सिंहभूम, बिहार।
6.	मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, केन्डाडीह खान, डाकघर घाट-शिला, जिला सिंहभूम, बिहार।

तमिलनाडु में मेडिकल कालेजों की स्थापना

2237. **श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयप्पन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु में कुछ मेडिकल कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये किन स्थानों को विनिर्धारित किया गया है;

(ग) क्या तमिलनाडु के शिवगंगा और रामवेद जिलों में किसी मेडिकल कालेज की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार से वेल्लौर में एक नया मेडिकल कालेज खोलने के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव पर स्वीकृति आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और उनके बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर निर्भर करती है।

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(घ) ऊपर (ग) के विचार से प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोनों का स्थानांतरण

2238. **डॉ० वी० सरोजा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक शहर में एक ही दूरभाष केंद्र और एक से दूसरे दूरभाष केंद्र में टेलीफोनों को स्थानांतरित करने में लिए जाने वाले समय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) शहर के उसी एक्सचेंज-क्षेत्र तथा अन्य एक्सचेंजों के भीतर टेलीफोनों को शिफ्ट करने के लिए क्रमश: 7 दिनों/15 दिनों के प्रतिमानक निर्धारित किए गए हैं। तथापि, तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होने के कारण कुछ मामलों में विलंब हो जाता है।

(ख) टेलीफोनों को प्रतिमानकों के भीतर शिफ्ट करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। तथापि, इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :-

I. जहां-कहीं आवश्यक हो, अपेक्षित क्षमता उपलब्ध कराने के लिए योजनाबद्ध तरीके से भूमिगत केबल बिछाना तथा टेलीफोन-एक्सचेंजों का विस्तार करना;

II. समय की बचत के लिए रिकॉर्डों तथा वाणिज्यिक प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण; और

III. उन मामलों को नियमित रूप से मॉनीटर करना तथा सुधारात्मक कार्रवाई करना, जहां टेलीफोनों को शिफ्ट करने में सामान्य अवधि से अधिक की देरी हो।

शहतूस शालों का प्रसंस्करण

2239. श्री अली मोहम्मद नायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व प्रसिद्ध शहतूस शालों के प्रसंस्करण/विपणन में लगे हजारों दस्तकारों और व्यक्तियों की समस्याओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा यह मामला विगत में पहले अनेक बार इस बात पर बल देते हुए उठाया जा चुका है कि वध किए गए पशुओं से शहतूस ऊन के निकाले जाने से संबंधित पर्याप्त प्रमाण के अभाव में शहतूस ऊन के प्रसंस्करण और व्यापार की अनुमति पहले की भांति जारी रहनी चाहिए;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या वध किए गए पशुओं से ऊन निकाले जाने संबंधी सत्यता का सत्यापन करने हेतु विशेषज्ञों की एक नई समिति गठित की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) जम्मू और कश्मीर सरकार को अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि शहतूस तिब्बती बारह सिंगे को मार कर प्राप्त किया जाता है। राज्य सरकार ने शहतूस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की सार्वजनिक घोषणा भी कर दी है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

औषधीय पौधों का व्यापार

2240. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष और औषधीय पौधों की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और इससे कितने रुपयों की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या इन पौधों के देश से निर्यात के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र और अनुपयोगिता संबंधी प्रमाण पत्र लिये गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान औषधीय पादपों का भारतीय निर्यात इस प्रकार था :

1. 1997-98 — 254.64 करोड़
2. 1998-99 — 268.75 करोड़
3. 1999 — 90.55 करोड़ (अप्रैल, 99-सित०, 99)

निर्यात किए गए प्रत्येक औषधीय पादप का मात्रा-वार ब्यौरा वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय से "भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े" नामक प्रकाशन में उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) वाणिज्य मंत्रालय ने दिनांक 14.10.1998 की अधिसूचना सं० 24 (आर०ई०-98) 1997-2002 के तहत जंगल से प्राप्त किए गए 29 औषधीय पादपों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के आदेश अधिसूचित कर दिए गए।

क्षेत्रीय उपनिदेशक (वन्य जीवन) अथवा मुख्य वन संरक्षक अथवा संबंधित राज्य, जहां से इन पादपों और पादप के भागों की अधिप्राप्ति की जाती है, के मंडलीय वन अधिकारियों से वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 11.4.2000 की अद्यतन अधिसूचना सं० आई०सी० (आर० ई०-2000)/1997-2000 के अनुसार "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करने पर जंगल से प्राप्त किए गए अन्य पादपों और पादप के अंगों के निर्यात की अनुमति दी जाती है।

[अनुवाद]

टी०आर०ए०आई० के कर्मचारी वर्ग को सुविधाएं

2241. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिनियम के अंतर्गत टी०आर०ए०आई० के अध्यक्ष और सदस्यों की अपनी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या टी०आर०ए०आई० के अध्यक्ष और सदस्यों ने केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ही अपनी सेवा शर्तें निर्धारित की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन अधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन तथा भत्तों से भी अधिक धनराशि प्राप्त है;

(ङ) यदि हां, तो इन अधिकारियों द्वारा लिए गए अतिरिक्त वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उनके द्वारा ली गयी अतिरिक्त धनराशि को वसूल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (छ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी०आर०ए०आई०) अधिनियम, 1997 के अनुसार केवल केंद्र सरकार को टी०आर०ए०आई० के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है। इस संबंध में संशोधित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में नियुक्त अध्यक्ष तथा पूर्ण कालिक सदस्यों के बारे में कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। इसलिए, उनके द्वारा अपनी सेवा शर्तें निर्धारित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

पत्तन न्यासों की आवश्यकता से अधिक धनराशि

2242. श्री रघुनाथ झा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि पत्तन न्यासों के पास आवश्यकता से अधिक धनराशि होने के बावजूद उनके द्वारा विश्व बैंक के ऋण की अदायगी करने में चूक की गई जिससे दंडस्वरूप ब्याज दर का भुगतान करना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो पत्तन न्यासों के पास आवश्यकता से अतिरिक्त उपलब्ध धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा ऋण की कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक पत्तन न्यास द्वारा ब्याज स्वरूप कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऋणों की समय पर अदायगी नहीं किए जाने के जिम्मेवार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) किसी भी पत्तन न्यास ने विश्व बैंक से सीधे ऋण नहीं लिया है और इसलिए भुगतान में चूक का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

फर्जी चिकित्सा उपाधियों को बेचा जाना

2243. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है जो फर्जी चिकित्सा उपाधियों की खरीद-फरोख्त में लिप्त था;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान सरकार के ध्यान में राज्यवार ऐसे कितने मामलों को लाया गया है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) भविष्य में ऐसी हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ब्रिटिश कंपनी की पेशकश

2244. श्री मोहन रावले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश कंपनी "एवियेशन एंड एयरपोर्ट सिक्योरिटी कन्सलटैन्ट्स" ने विमान अपहरण की बढ़ती आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए तथा विमानों और यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एयरलाइनों को गहन प्रशिक्षण प्रदान करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इंटरनेट कनेक्शन

2245. श्रीमती रेणुका चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रति मिलियन जनसंख्या पर कितने इंटरनेट कनेक्शन हैं और यह उत्तराखंड, शेष उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम और अन्य राज्यों के संगत आंकड़ों की तुलना में राज्य-वार कितना है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु इस संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) देश में प्रति मिलियन जनसंख्या, इंटरनेट कनेक्शनों की अनुमानित संख्या

945 है। राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) (i) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा देश में स्थापित किए जाने हेतु योजित इंटरनेट नोड्स की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ii) वर्ष 2002 में समग्र रूप से देश के लिए इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 38 लाख प्रक्षेपित की गई है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान दूरसंचार सेवा विभाग द्वारा, देश में इंटरनेट सेवाओं के उन्नयन के लिए 107.46 करोड़ रु० की राशि आबंटित की गई है।

विवरण-I

राज्य-वार तुलनात्मक आंकड़े

क्रम सं०	राज्य का नाम	31 मार्च 2000 के अनुसार इंटरनेट उपभोक्ताओं की सं०	मार्च 2000 के अनुसार जनसंख्या (हजारों में)	प्रति मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान व निकोबार	78	386	202
2.	आंध्र प्रदेश	50119	75467	664
3.	असम	2044	26197	78
4.	बिहार	3627	99916	36
5.	गुजरात	39117	48567	805
6.	हरियाणा	1539	19836	78
7.	हिमाचल प्रदेश	932	6711	139
8.	जम्मू-कश्मीर	1492	9945	150
9.	कर्नाटक	86852	52092	1667
10.	केरल	19669	32333	608
11.	मध्य प्रदेश	15649	79767	196
12.	महाराष्ट्र	305855	92711	3299
13.	उत्तर पूर्व (मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय और मिजोरम)	664	12562	53
14.	उड़ीसा	3184	35858	89
15.	पंजाब	16214	24413	664
16.	राजस्थान	11074	53559	207
17.	तमिलनाडु	146485	62886	2329
18.	उत्तर प्रदेश	11991	170125	70
19.	पश्चिमी बंगाल	61920	79566	778
20.	दिल्ली	164000	13964	11744
	कुल योग	942505	996861	945

विवरण-II

इंटर नोड की सूची

क्रम सं०	शहर का नाम
1	2
	1. अंडमान एवं निकोबार
	2. पोर्ट ब्लेयर
II.	आंध्र प्रदेश
	1. हैदराबाद
	2. विजयवाड़ा
	3. विशाखापट्टनम
	4. इलूरू
	5. गुंटूर
	6. राजामुंदरी
	7. तिरूपती
	8. वारांगल
	9. अदिलाबाद
	10. आन्ध्रापुर
	11. कुड्प्पा
	12. करीमनगर
	13. खमाम
	14. करनूल
	15. नेलोर
	16. संगारेड्डी
	17. महबूबनगर
	18. नालगोंडा
	19. आंगोल
	20. श्रीकाकूलम
	21. विजयांगरम
III.	असम
	1. गुवाहाटी
	2. जोरहाट
	3. सिल्चर
	4. बेंगाइगांव
	5. बारापेटा
	6. धुबरी
	7. डिबरूगढ़
	8. गोलाघाट
	9. करीमगंज
	10. नगांव
	11. उत्तरी लखीमपुर
	12. सिबसागर
	13. तेजपुर
	14. तिनसुकिया
IV.	बिहार
	1. पटना
	2. जमशेदपुर
	3. रांची
	4. भागलपुर
	5. बोकारो
	6. धनबाद
	7. दरभंगा

1	2
8.	गया
9.	मुजफ्फरपुर
10.	आरा
11.	छपरा
12.	डाल्टनगंज
13.	डुमका
14.	हजारीबाग
15.	कटिहार
16.	मोतीहारी
17.	मुंगेर
18.	सासाराम
19.	बेगुसराय
20.	हाजीपुर
21.	खगड़िया
22.	सहरसा
23.	समस्तीपुर
24.	सुपौल
25.	सिवान
V.	गुजरात
1.	अहमदाबाद
2.	सूरत
3.	बड़ोदरा
4.	राजकोट
5.	भावनगर
6.	जामनगर
7.	गांधीनगर
8.	भड़ूच
9.	भुज
10.	जूनागढ़
11.	मेहसाना
12.	सुरेन्दरनगर
13.	वलसाद
14.	पालमपुर
15.	हिम्मतनगर
16.	गोधरा
17.	दमन
18.	अमरेली
19.	सिलवासा
20.	दियु
21.	आनंद
22.	नवसारी
VI.	हिमाचल प्रदेश
1.	शिमला
2.	सोलन
3.	मंडी
4.	धर्मशाला
5.	हमीरपुर
6.	कुल्लू
VII.	हरियाणा
1.	फरीदाबाद
2.	गुड़गांव
3.	अम्बाला
4.	पानीपत
5.	हिसार
6.	रोहतक
7.	सोनीपत
8.	वाई नगर
9.	करनाल
10.	केकेआर
11.	सिरसा
12.	भिवानी
13.	बहादुरगढ़
14.	जींद
15.	रिवाड़ी
16.	कैथल
17.	फतेहबाद
18.	नारनौल
VIII.	जम्मू एवं कश्मीर
1.	जम्मू
2.	श्रीनगर
3.	राजौरी
4.	उधमपुर
5.	लेह
IX.	कर्नाटक
1.	बेंगलोर
2.	मैसूर
3.	धनवाड
4.	मंगलोर
5.	बेलगाम
6.	बेलारी
7.	देवानगिरी
8.	गुलबर्गा
9.	हासन
10.	शिमोगा
11.	टमकूर
12.	उदुपी
13.	उत्तर कन्नड़
14.	बागलकोट
15.	बिदार
16.	बिजापुर
17.	छमराजनगर
18.	चित्रदुर्ग
19.	चिकमंगलूर
20.	गदग
21.	हवेरी
22.	कोलार
23.	कोप्पल
24.	मंडया
25.	मेरकारा
26.	रायचूर
X.	केरल
1.	इरनाकुलम
2.	त्रिवेंद्रम
3.	कन्नौर
4.	कोल्लम
5.	कोट्याम
6.	कोजिकोड
7.	क्योलोन
8.	आरटीटीसी त्रिवेंद्रम
9.	त्रिचूर
10.	अल्लेपी
11.	कासरगोड़
12.	पालक्काड
13.	पत्तनंतिट्टा
14.	इडुक्की
15.	कलपेट्टा
16.	कवरती
17.	मलपुरम
XI.	मध्य प्रदेश
1.	इंदौर
2.	भोपाल
3.	ग्वालियर
4.	जबलपुर
5.	रायपुर
6.	दुर्ग
7.	उज्जैन
8.	बिलासपुर
9.	रतलाम
10.	सागर
11.	देवास
12.	सतना
13.	रीवा
14.	खंडवा
15.	मंदसौर
16.	छिंदवाडा
17.	गुना
18.	कटनी
19.	विदिशा
20.	धार
21.	छतरपुर
22.	रायगढ़

1	2
23.	खरगौन
24.	शिवपुरी
25.	मुरैना
26.	भिंड
27.	बेतुल
28.	राजनंदगांव
29.	जगदलपुर
30.	शिओनी
31.	कौरबा
32.	होशंगाबाद
33.	बालाघाट
34.	दामोह
35.	सरगुजा (अम्बिकापुर)
36.	टीकमगढ़
37.	सिहोर
38.	शहडोल
39.	नरसिंहपुर
40.	शहजापुर
41.	शियोपुरकलां
42.	दतिया
43.	मांडला
44.	झाबुआ
45.	बारवानी
46.	पन्ना
47.	सिधी
48.	रायसेन
49.	राजगढ़
50.	कानकेर
51.	जानीगिर
52.	जश्मेनीर
53.	डिडोरी
54.	दांतेवाड़ा
55.	कोरिमा (मानेन्द्रगढ़)

1	2
XII.	महाराष्ट्र
1.	पूना
2.	नासिक
3.	नागपुर
4.	कल्यान
5.	अहमदनगर
6.	पांण्जीम
7.	मैगांव (गोवा)
8.	अकोला
9.	लातूर
10.	चनदरपुर
11.	अमरावती
12.	धुले
13.	सतारा
14.	रत्नगिरी
15.	जालना
16.	बार्धा
17.	परभनी
18.	येऊतमाल
19.	पेन
20.	बीड
21.	भंडारा
22.	उसमानाबाद
23.	खामगांव (बुलादाना)
24.	गढ़चिरोनी
XIII.	उत्तर पूर्व
1.	शिलांग
2.	अगरतला
3.	एजावल
4.	इम्फाल
5.	ईटानगर
6.	कोहिमा
7.	दीमापुर
8.	तुरा

1	2
9.	लुंगलई
10.	आ०के० पुर
11.	पासाघाट
XIV.	उड़ीसा
1.	भुवनेश्वर
2.	कट्टक
3.	बेरहमपुर
4.	राउरकेला
5.	सांमापुर
6.	बालासौर
7.	वारीपाड़ा
8.	धेनकेनाल
9.	किलोनभार
10.	कोरापुट
11.	फुलबानी
12.	बोलनगीर
13.	भवानीपटना
XV.	पंजाब
1.	लुधियाना
2.	चंडीगढ़
3.	जालंधर
4.	अमृतसर
5.	पटियाला
6.	होशियारपुर
7.	भटिंडा
8.	कपूरथला
9.	संगरूर
10.	फिरोजपुर
11.	फरीदकोट
12.	मुक्तासार
13.	मानसा
14.	गुरदासपुर
15.	नावांशहर
16.	रोपड़
17.	मोगा

1	2
18.	फतेहगढ़ साहिब (मंडी गोबिन्दगढ़ में संस्थापित किया जाए)
XVI.	राजस्थान
1.	जयपुर
2.	जोधपुर
3.	उदयपुर
4.	कोटा
5.	अजमेर
6.	भीलवाड़ा
7.	बीकानेर
8.	अलवर
9.	श्रीगंगानगर
10.	सीकर
11.	पाली
12.	भरतपुर
13.	चितौड़गढ़
14.	बांसवाड़ा
15.	हनुमानगढ़
16.	झुंझुनु
17.	सवाईमाधोपुर
18.	बूंदी
19.	नागपुर
20.	बारमेर
21.	चुरू
22.	दौसा
23.	टोंक
24.	राजसामांद (केकंरोली)
25.	डूंगरपुर
26.	जैसलमेर
27.	धौलपुर
28.	बारन
29.	झालावाड़
30.	सिरोही

1	2
31.	जालोर
32.	करौली
XVII.	**तमिलनाडु**
1.	कोयमबटूर
2.	मदुरै
3.	कुडडालोर
4.	डिंडीगल
5.	इरोड़
6.	होसुर
7.	कांचीपुरम
8.	करूर
9.	कराईकुड़ी
10.	नागाकेयाल
11.	नामाकोयल
12.	पांडिचेरी
13.	सेलम
14.	तंजोर
15.	तिरूनालवेल्ली
16.	त्रिची
17.	टुटीकोरिन
18.	वैल्लोर
19.	सिवाकासी
20.	कुम्बाकोनम
21.	नागापट्नम
22.	पुडुकोटई
23.	ऊटी
24.	थेरूवारूर
25.	थिरूवानामलाई
26.	तिरूवेल्लूर
27.	तिरूपुर
28.	विल्लूपुरम
29.	रामानाथपुरम
30.	धर्मापुरी

1	2
XVIII.	**उ०प्र० (पूर्व)**
1.	लखनऊ
2.	कानपुर
3.	वाराणसी
4.	इलाहाबाद
5.	गोरखपुर
6.	झांसी
7.	फरूखाबाद
8.	मऊ
9.	शाहजहांपुर
10.	फैजाबाद
11.	इटावा
12.	सीतापुर
13.	उन्नाव
14.	रायबरेली
15.	मिर्जापुर
16.	सुल्तानपुर
17.	आजमगढ़
18.	जौनपुर
19.	ललितपुर
20.	प्रतापगढ़
21.	बस्ती
22.	बाराबंकी
23.	बान्दा
24.	देवरिया
25.	बलिया
26.	गोंडा
27.	लखीमपुर
28.	भदोही
29.	गाजीपुर
30.	मैनपुरी
31.	बहराइच
32.	फतेहपुर

1	2
33.	कन्नौज
34.	औरैया
35.	हरदोई
36.	पाड़रौना
37.	बलरामपुर
38.	अम्बेडकर नगर (अकबरपुर)
39.	हमीरपुर
40.	सिद्धर्थ नगर
41.	सोनभद्र (राबर्टगंज)
42.	ससान्त (कबीरदास खालीलाबाद)
43.	महाराजगंज
44.	करवी
45.	माहोबा
46.	जलाऊं
47.	कपूर ग्रामीण
48.	चन्दौली
49.	मंभनपुर (कोसांबी)
50.	भीगां (श्रावस्ती)
XIX.	**उत्तर प्रदेश (पश्चिम)**
1.	गाजियाबाद
2.	गौतमबुद्ध नगर
3.	आगरा
4.	मेरठ
5.	देहरादून
6.	सहारनपुर
7.	अलीगढ़
8.	बरेली
9.	मुरादाबाद
10.	मुजफ्फरपुर
11.	मथुरा
12.	हरिद्वार

1	2
13.	फिरोजाबाद
14.	बुलन्दशहर
15.	रामपुर
16.	उधमसिंह नगर (रूद्रपुर)
17.	अल्मोड़ा
18.	महामाया नगर (हाथरस)
19.	जाटी बा फूले नगर (अमरोहा)
20.	एटा
21.	नैनीताल
22.	बिजनौर
23.	पीलीभीत
24.	पिथौरागढ़
25.	बदायूं
26.	पौड़ी
27.	चमोली (गोपेश्वर)
28.	बागपत
29.	उत्तरकाशी
XX.	**पश्चिम बंगाल**
1.	सिलीगुड़ी
2.	दुर्गापुर
3.	खड़गपुर
4.	बर्दवान
5.	बांकुरा
6.	बेहरमपुर
7.	कूचबिहार
8.	गंगटोक
9.	जलपाईगुड़ी
10.	कृष्णनगर
11.	मालदा
12.	रायगंज
13.	सूरी

[हिन्दी]

लद्दाख तक वैकल्पिक सड़क का निर्माण

2246. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :**
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री महेश्वर सिंह :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोहतांग दर्रा के अंतर्गत सुरंग का निर्माण करके हिमाचल प्रदेश से जम्मू-कश्मीर में लद्दाख तक एक वैकल्पिक सड़क मार्ग बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और इसे पूरा करने के लिए संभावित समय-सीमा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) लद्दाख जाने वाली मौजूदा सड़क जम्मू-श्रीनगर-कारगिल-लेह से होकर गुजरती है। एक वैकल्पिक सड़क मार्ग अर्थात् मनाली-सारचू-लेह का भी बार०आर०ओ० द्वारा अनुरक्षण और सुधार किया जा रहा है। इस सड़क की गुणता में सुधार करने के लिए रोहतांग दर्रे के नीचे एक सुरंग का निर्माण करने की आवश्यकता है। इस समय सुरंग के लिए भूवैज्ञानिक जांच और साध्यता अध्ययन किए जा रहे हैं तथा निवेश संबंधी निर्णय साध्यता अध्ययन के परिणाम पर निर्भर करेंगे।

(ख) इस समय कोई निश्चित समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

खाद्य और दवाओं के लिए मानक

2247. **डा० अशोक पटेल :**
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री रामपाल सिंह :
श्री सुरेश पासी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समापन तिथि से पूर्व वस्तु उपभोग के योग्य है, इससे उपभोक्ताओं को अवगत कराने के लिए सभी डिब्बाबंद खाद्य वस्तुओं पर "वेस्ट बिफोर" छापना आवश्यक कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य स्तर पर खाद्य वस्तुओं, औषधियों के मानक का पर्याप्त पर्यवेक्षण नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार कोई निर्देश जारी करने या देश में एक समान स्तर के नियमन और पर्यवेक्षण लागू करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या पूरे देश में रक्त कोषों के निरीक्षण में कड़ाई बरती जा रही है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत शासकीय बजट के जी०सी०आर० सं० 537(ई) दिनांक 13.6.2000 के जरिए एक अधिसूचना जारी करके प्रत्येक डिब्बाबंद खाद्य वस्तु पर बड़े अक्षरों में तारीख/माह से "पूर्व सर्वोत्तम" का लेबल लगाया जाना अनिवार्य कर दिया है।

(ग) से (च) जहां तक खाद्य वस्तुओं, दवाओं और औषधियों का संबंध है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण और औषध नियंत्रण प्राधिकरणों को क्रमश: खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। उन्हें पर्याप्त निगरानी उपाय करने और अपराधियों के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करने की समय-समय पर सलाह दी जाती है। सभी दवाओं और औषधियों का निर्माण करने वाली इकाइयों को श्रेष्ठ विनिर्माण प्रक्रियाओं से संबंधित वैधानिक शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है।

(छ) से (झ) सरकार ने रक्त बैंकों पर और अधिक कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अंतर्गत रक्त बैंकों से संबंधित प्रावधानों को अधिसूचित किया है, जिसमें व्यावसायिक वैतनिक दाताओं से रक्त लेने पर पाबंदी, श्रेष्ठ विनिर्माण प्रक्रियाओं को रक्त और उसके अवयवों आदि के लिए निर्धारित करना शामिल है। इसके अलावा, रक्त बैंकों के लाइसेंसों की स्वीकृति/नवीकरण केंद्र को राज्य औषध नियंत्रण अधिकारियों द्वारा की गई जांच के आधार पर केन्द्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद राज्य द्वारा विनियमित किया जाता है।

[अनुवाद]

हीरो का अवैध खनन

2248. **श्री शंकर प्रसाद जायसवाल** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत और आस-पास के क्षेत्रों में गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में हीरे के लिए अवैध खनन-कार्य जोरो पर है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप 1998-99 और 1999-2000 में राज्यवार कितना अनुमानित घाटा हुआ;

(ग) ऐसे खनन-कार्य को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या हीरे के भंडारों के लिए विशेषकर गोलकुंडा क्षेत्र में नवीन अन्वेषण किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हीरों के और अधिक भंडार खोलने का वायदा कहां तक पूरा हुआ है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (ग) हीरे सहित खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकारों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए दिसम्बर, 1999 में खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 में, हाल ही के संशोधनों के दौरान राज्य सरकारों को अवैध खनन को रोकने, खनिजों के परिवहन तथा भंडारण तथा इससे सम्बद्ध उद्देश्यों के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अवैध खनन के कारण होने वाली हानियों के आंकड़ों को केन्द्रीय रूप में नहीं रखा जाता है।

(घ) से (ङ) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों सहित देश के कई भागों में हीरे की चट्टानों के लिए नए गवेषण कार्य शुरू किए हैं। गोलकुंडा में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) ने फील्ड सत्र (एफ०एस०) 1999-2000 से हीरे (किम्बरलाइट/लेम्प्रोआइट) की प्राथमिक स्रोत चट्टानों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण आरंभ किए हैं। लैंडसेट इमेजरी और हवाई फोटो इन्टरप्रेटेशन का उपयोग करते हुए आधुनिक तकनीकों को लगाकर भू-वैज्ञानिक अनुप्रम्थों के लिए अनुकूल प्रक्षण्डों (ब्लाकों) का चयन किया गया था। इन ब्लाकों में विस्तृत बहुविषयक सर्वेक्षणों से आंध्र प्रदेश के कृष्णा और नालगोंडा जिलों में 8 कलस्टरों में लगभग 20 नए लम्प्रोटाइज प्राप्ति स्थलों का पता चला है और इससे आंध्र प्रदेश में एक नए लैम्प्रोराइट प्रीविन्स की खोज की जा रही है। इन छोटे आयतन वाले पिंडों की हीरक लोह प्रकृति का पता लगाने का कार्य यथासमय शुरू किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के खम्माम, नालगोंडा और कृष्णा जिलों में लैम्प्रोराइट/किम्बरलाइट का पता लगाने हेतु गवेषण कार्यक्रम फील्ड सत्र (एफ०एस०) 2000-2001 के लिए निर्धारित किया गया है। इन सभी निकायों का उनकी हीरक लोह प्रकृति के उद्देश्य से अध्ययन किया जाएगा।

अभ्रक का उत्पादन/उपभोग/निर्यात

2249. **श्री सवशीभाई मकवाना** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 की तुलना में वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान अभ्रक का कितना उत्पादन, उपभोग और निर्यात हुआ;

(ख) क्या इसमें कमी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 की तुलना में, वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान अभ्रक का उत्पादन तथा निर्यात इस प्रकार हैं :–

(इकाई : टन में)

	वर्ष		1988-89 के मुकाबले 1998-99 के दौरान वृद्धि/कमी	वर्ष		1989-90 के मुकाबले 1999-2000 के दौरान वृद्धि/कमी
	1988-89	1998-99		1989-90	1999-2000	
1. उत्पादन						
अभ्रक (कच्चा)	3949	1484	(-) 2465	4140	1273	(-) 2867
अभ्रक (अपशिष्ट एवं स्क्रेप)	3440	1607	(-) 2373	3557	1039	(-) 2518
2. निर्यात						
कुल	47794	50245	(+) 2451	39253	उपलब्ध नहीं	

खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ संगठन भारतीय खान ब्यूरो (आई०बी०एम०) द्वारा, सूचना देने वाली खानों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, अभ्रक के उत्पादन अनुमान तैयार किये जाते हैं। तथापि, अभ्रक गौण स्रोतों तथा पछेड़नों से भी प्राप्त किया जाता है जिसका ब्यौरा नहीं रखा जाता है। अभ्रक के निर्यात संबंधी आंकड़ों में अभ्रक का सभी रूप में निर्यात शामिल है। अभ्रक की खपत संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप में नहीं रखे जाते हैं।

(ख) अभ्रक उद्योग में गिरावट की प्रवृत्ति के मुख्य कारण हैं :–

(i) अभ्रक के प्रतिस्थापनों के विकास के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अभ्रक शीटों के मांग का न होना; (ii) अभ्रक खानें आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश बहुत गहरी हो गई हैं; (iii) नए अभ्रक मिश्रित क्षेत्रों को तलाशने हेतु अपर्याप्त गवेषण कार्य; तथा (iv) खानों में वृहद आकार शीट अभ्रक की उपलब्धता का कम होना।

(ग) भारत सरकार ने अभ्रक उद्योग की समस्याओं की जांच करने के लिए समय-समय पर अभ्रक संबंधी कार्य दल/समितियां गठित की हैं। भारत में अभ्रक की मौजूदा तथा भावी मांगों के सर्वेक्षण हेतु

कार्य दल तथा अभ्रक पर उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया था जिन्होंने क्रमश: 1989 तथा 1990 के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इन रिपोर्टों के अनुसार, जब तक घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अभ्रक की मांग नहीं सुधरती, देश में अभ्रक उद्योग के पुनरुद्धार की संभावना सीमित ही रहेगी। सिल्वरड अभ्रक तथा कैपसिटर्स; माइक्रोनाइज्ड अभ्रक पाउडर; मशीनीकृत संविघटन प्रक्रिया पर आधारित अभ्रक पेपर तथा इनसुलेटिंग सामग्री पर आधारित अभ्रक पेपर जैसे मूल्यवर्धित अभ्रक उत्पादों के विकास तथा संवर्धन की मार्फत, अभ्रक निर्यात तथा आंतरिक खपत की व्यवहार्यता को सुधारा जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय खान ब्यूरो (आई०बी०एम०) के अधिकारी मार्गदर्शन तथा समुचित खान विकास के लिए अभ्रक खानों का दौरा करते हैं। भारतीय खान ब्यूरो ने अनुसंधान तथा विकास कार्य भी किये हैं। जैसे (i) अभ्रक अयस्क पिंडों की खोज हेतु गाइडों की पहचान करना; (ii) अभ्रक अयस्क पिंडों के लिए मॉडल खनन योजना तैयार की गई है जोकि खान मालिकों के संदर्भ हेतु भारतीय खान ब्यूरो के अजमेर, नैल्लोर तथा रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध है। भारतीय खान ब्यूरो ने अभ्रक खानों हेतु खनन योजनाएं बनाने के लिए अलग दिशानिर्देश भी परिचालित किये हैं।

एल्यूमीनियम संयंत्र की स्थापना

2250. श्री के०पी० सिंह देव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा के दोरागुढ़ा में एक नई एल्यूमीनियम संयंत्र को स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे रोजगार के कितने अवसर सृजित होने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह डिंडसा) : (क) सरकार का उड़ीसा में दोरागुढ़ा में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई नया एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन सुविधा

2251. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश के इटावा और औरैया जिलों में ब्लाक-वार कौन-कौन से गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार को टेलीफोन सुविधा हेतु उक्त जिलों के कुछ गांवों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) फिलहाल उत्तर प्रदेश के इटावा और औरैया जिलों के 1078 गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। अभिरक्षक/पंचायत से अनुरोध/सिफारिश प्राप्त होने पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराए जाते हैं। पंजीकरण के बाद टेलीफोन दिए जाते हैं।

(घ) 1461 गांवों में से 1078 को पहले ही दूरसंचार सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। शेष सभी गांवों को मार्च, 2002 तक उत्तरोत्तर रूप से दूरसंचार सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।

विवरण

क्रम सं०	राजस्व जिले का नाम	ब्लॉक मुख्यालय का नाम	ब्लॉक में कुल गांवों की सं०	ब्लॉक में टेलीफोन सुविधा-युक्त गांव	टेलीफोन-सुविधा-रहित गांव
1.		जसवंत नगर	118	111	7
2.	इटावा	बासरेहर	134	95	39
3.		बारपुरा	84	57	27
4.		माहेवा	106	86	20
5.		घकर नगर	83	67	16
6.		भरथना	95	82	13
7.		तखा	77	63	14
8.	औरैया	औरैया	150	94	56
9.		अजीतमल	102	72	30
10.		भाग्यनगर	126	78	48
11.		सहर	85	61	24
12.		अचोड़ा	107	85	22
13.		एराकतरारा	93	60	33
14.		बिधूना	101	67	34
	कुल		1461	1078	383

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार और सुधार

2252. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33, 34 और 35 के सुधार और उनके विस्तार के लिए कितना योजना धन का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस तथ्य से अवगत है कि कुलिक और नागर पुलों की हालत खराब है और राष्ट्रीय मार्ग

संख्या 34 पर दलखोला रेल फाटक पर सड़क उपरिपुल की अत्यंत जरूरत है; और

(ग) यदि हां, तो मान्दा जिले के गाजोल और उत्तर दिजापुर जिले के दलखोला के बीच जो बाढ़ के दौरान पानी में डूबे रहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 की ऊंचाई बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) 9वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 33, 34 और 35 के संबंध में विभिन्न कार्यों के लिए जारी की गई स्वीकृति इस प्रकार है :–

(लाख रु०)

	1997-98	1998-99	1999-2000
रा०रा०-33	295.86	34.13	51.14
रा०रा०-34	139.01	785.644	592.62
रा०रा०-35	487.22	509.26	67.725

9वीं योजना के शेष 2 वर्षों के लिए योजनागत प्रावधान इस प्रकार हैं :–

(लाख रु०)

	2000-01	2001-02
रा०रा०-33	756.00	1500.00
रा०रा०-34	1468.02	8800.00
रा०रा०-35	236.80	1800.00

*2000-01 में अब तक जारी स्वीकृति

रा०रा०-33	425.48
रा०रा०-34	2251.08
रा०रा०-35	236.80

(ख) रा०रा० 34 का यह खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है लेकिन यह पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को सौंपा गया है। वार्षिक योजना 2000-01 में 2.00 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से कुलिक पुल की मरम्मत के लिए प्रावधान है। नागर पुल जून, 1998 में यातायात के लिए खोल दिया गया है। दलखोला बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही है जिसमें दलखोला में आर०ओ०बी० के लिए प्रावधान भी शामिल है। भूमि अधिग्रहण पूरा करने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) यह मंत्रालय सबसे पहले खराब सड़क खंडों की गुणता में सुधार के उपाय कर रहा है। मालदा जिले में गजोल और उत्तर दीनाजपुर जिले के दलखोला के बीच रा०रा० 34 का स्तर ऊंचा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विभागीय टिकट विक्रेता

2253. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सर्किल के किन-किन डाकघरों में विभागीय टिकट विक्रेता तैनात हैं;

(ख) क्या इन विक्रेताओं को अपना पद बनाये रखने के लिए टिकटों की न्यूनतम बिक्री (थोक बिक्री के अलावा) लगभग 2500 रुपए या इससे अधिक रखनी होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रत्येक डाकघर जहां टिकट विक्रेता तैनात हैं, के टिकट बिक्री के आंकड़े प्रत्येक माह के दौरान मंडलीय कार्यालय आदि को भेजे जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 2000 रुपए के आसपास अथवा इससे कम मूल्य के टिकटों की बिक्री के अतिरिक्त विभागीय टिकट विक्रेता तैनात किए जाते हैं जिनका वेतन इत्यादि विभागीय टिकट विक्रेता से कहीं कम है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उन डाकघरों, जहां बिक्री अपेक्षा से कम थी, में विभागीय टिकट विक्रेताओं के पद बनाए रखे गए हैं, वहां इससे विभाग को वित्तीय घाटा नहीं होता है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या सरकार का विचार उक्त विक्रेताओं की डाकिए के रूप में नियुक्त करने का है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) दिल्ली सर्किल ने उन डाकघरों की सूची संलग्न विवरण में है जिनमें विभागीय डाक-टिकट विक्रेता हैं।

(ख) जी नहीं। डाक-टिकटों की बिक्री जब औसत 1000/-रु० प्रतिदिन से अधिक हो जाती है, तभी एक विभागीय डाक-टिकट विक्रेता का औचित्य बनता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) पैरा (ग) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) अतिरिक्त विभागीय डाक-टिकट विक्रेता का औचित्य 3 घंटे कार्यभार के लिए डाक-टिकटों की कुल औसत बिक्री 600/-रु० तथा 5 घंटे कार्यभार के लिए 1000/-रु० तक होने पर बनता है। अतिरिक्त विभागीय डाक-टिकट विक्रेताओं को टाइम रिलेटिड कन्टीन्यूटी एलाउंस दिया जाता है, जो विभागीय डाक-टिकट विक्रेता के वेतन से कम है।

(छ) विभागीय कर्मचारी को फिर भी पूरे आठ घंटे काम करना होता है चाहे उसको थोड़े समय के लिए डाक-टिकट बेचने के लिए क्यों न तैनात किया गया हो। विभाग को घाटा होने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पद को बनाए रखने के लिए मानदंड निपटाया गया कुल कार्यभार होता है।

(ज) उपर्युक्त पैरा (छ) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(झ) पोस्टमैन और डाक-टिकट विक्रेता के पद एक ही संवर्ग के होते हैं तथा कर्मचारियों को व्यक्तिगत तौर पर कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित किया जाता है।

(ञ) उपर्युक्त भाग (झ) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन डाकघरों के नाम जिनमें विभागीय डाक-टिकट विक्रेताओं के एक या अधिक पद हैं

1.	अंसारी रोड डाकघर	2.	आनन्द नगर
3.	अजमेरीगेट एक्सटेंशन	4.	भगत सिंह मार्किट
5.	कनाट प्लेस	6.	देशबन्धु गुप्ता रोड
7.	दरियागंज	8.	ईस्टर्न कोर्ट
9.	इन्द्रपुरी	10.	इन्द्रप्रस्थ एस्टेड
11.	जनपथ	12.	करौल बाग
13.	माडल टाउन	14.	मुल्तानीढांडा
15.	पहाड़गंज	16.	पटेल नगर (मेन)
17.	पटेल नगर (ईस्ट)	18.	राजेन्द्र नगर
19.	सचिवालय (नार्थ)	20.	सुप्रीम कोर्ट
21.	सत नगर	22.	कान्सीट्यूशन हाउस
23.	एस०आर०टी० नगर	24.	डी०आई०जैड० एरिया
25.	कर्मपुरा	26.	नजफगढ़
27.	पंजाबी बाग-III	28.	पंजाबी बाग
29.	राजौरी गार्डन	30.	तिलक नगर
31.	मायापुरी	32.	जनकपुरी
33.	एन०आई० एस्टेट	34.	उत्तम नगर
35.	डेसू कालोनी	36.	जेल रोड
37.	जे०जे० कालोनी	38.	शॉपिंग सेंटर मायापुरी
39.	रमेश नगर	40.	अशोक विहार
41.	बारा टूटी	42.	बिरला लाइन्स
43.	चांदनी चौक	44.	चावड़ी बाजार
45.	दरीबा	46.	दरीबा एक्सटेंशन
47.	डी०सी० मिल्स	48.	कश्मीरीगेट
49.	सदर बाजार	50.	दिल्ली यूनिवर्सिटी
51.	डिस्ट्रिक्टकोर्ट	52.	फतेहपुरी
53.	गुरू तेग बहादुर नगर	54.	हमदर्द दवाखाना
55.	हौजकाजी	56.	इन्दरलोक
57.	जामा मस्जिद	58.	कमला नगर
59.	लोहिया इन्डस्ट्रियल एरिया	60.	माडल टाउन-II
61.	मेडन्स होटल	62.	रोशनारा रोड
63.	आर०पी० बाग	64.	रूप नगर
65.	एन०एस० मंडी	66.	दिलशाद गार्डन
67.	गांधी नगर	68.	तेलीवाड़ा
69.	झिलमिल	70.	शाहदरा
71.	गीता कालोनी	72.	विवेक विहार
73.	आई०पी० प्रधान डाकघर	74.	दिल्ली जी०पी०ओ०
75.	कृष्ण नगर प्रधान डाकघर	76.	अमर कालोनी
77.	एन्ड्यूजगंज	78.	डिफेन्स कालोनी
79.	दिल्ली हैड क्वार्टर	80.	दिल्ली हाई कोर्ट
81.	ईस्ट ऑफ कैलाश	82.	ग्रेटर कैलाश (एम)
83.	गोल्फ लिंक	84.	हजरत निजामुद्दीन
85.	जंगपुरा	86.	कृष्णा मार्किट
87.	कालका जी	88.	कैलाश कालोनी
89.	लाजपत नगर	90.	नेहरू प्लेस
91.	निर्माण भवन	92.	ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट
93.	साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-II	94.	उद्योग भवन
95.	सरोजिनी नगर प्रधान डाकघर	96.	लोधी रोड प्रधान डाकघर
97.	संसद मार्ग प्रधान डाकघर	98.	अशोक होटल
99.	चाणक्यपुरी	100.	दिल्ली कैंट
101.	हौज खास	102.	हौज खास मार्किट
103.	जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी	104.	मेहरौली
105.	नानकपुरा	106.	पालम एयरपोर्ट
107.	आर०के० पुरम (मेन)	108.	आर०के० पुरम (वैस्ट)
109.	सफदरजंग एन्क्लेव	110.	युसुफ सराय
111.	मल्चा मार्ग	112.	नई दिल्ली प्रधान डाकघर

[हिन्दी]

बिहार में पर्यावरणीय परियोजनाएं

2254. श्री ब्रह्मानंद मंडल :
श्री राजो सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा बिहार में केन्द्रीय प्रायोजित पर्यावरणीय परियोजनाएं कितनी शुरू की गई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना के संबंध में अब तक प्राप्त उपलब्धियों और दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में राज्य में ऐसी कितनी परियोजनाओं को शुरू किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में कार्यान्वित की गई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का ब्यौरा और उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक स्कीम की उपलब्धियों तथा प्रत्येक स्कीम को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सभी जारी स्कीमों को निकट भविष्य में राज्य में जारी रखे जाने की संभावना है।

विवरण

क्रम सं०	स्कीम का नाम	1997-98 से 1999-2000 के दौरान उपलब्धियां	
		वित्तीय (लाख रुपये में)	भौतिक
1.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	158.95	–
2.	अवक्रमित वन के पुनरूद्धार में अनुसूचित जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों की सहभागिता	36.09	–
3.	स्वीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजनाएं	143.24	1510 है० क्षेत्र शामिल किया गया
4.	क्षेत्रोन्मुख जलाऊ लकड़ी और चारा परियोजना	245.52	3029 है० क्षेत्र शामिल किया गया
5.	गैर इमारती लकड़ी वनोपज	28.00	अग्रिम कार्य
6.	आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धतियां	38.76	–

कैंसर के मरीजों की चिकित्सा हेतु नए केन्द्र

2255. **योगी आदित्यनाथ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों में इनके उपचार हेतु कुछ नए केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) "स्वास्थ्य" राज्य का विषय होने के कारण ऐसी बीमारियों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, इस मंत्रालय ने देश में 17 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता दी है। ये केंद्र कैंसर के क्षेत्र में तृतीयक स्तर का उपचार और अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

17 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची

असम

1. डा० बी०बी० कैंसर इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी

आंध्र प्रदेश

2. एम०एन०जे०आई०ओ०, हैदराबाद

बिहार

3. आई०जी०आई०एस०एस०, पटना

दिल्ली

4. इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल (एम्स), नई दिल्ली

गुजरात

5. गुजरात कैंसर रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद

हरियाणा

6. पी०जी०आई०एम०एस०, रोहतक

हिमाचल प्रदेश

7. आई०जी०एम०सी०, शिमला

कर्नाटक

8. किदवई मैमोरियल इंस्टीट्यूट आफ आन्कोलाजी, बैंगलोर

केरल

9. रीजनल कैंसर सेंटर, थिरूवनन्तपुरम

महाराष्ट्र

10. टाटा मैमोरियल हॉस्पिटल, मुम्बई

11. आर०एस०टी० कैंसर हॉस्पिटल, नागपुर

मध्य प्रदेश

12. कैंसर हास्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्वालियर

उड़ीसा

13. रीजनल सेंटर फार कैंसर रिसर्च एण्ड ट्रीटमेंट सोसाइटी, कटक

राजस्थान

14. एस०पी० मेडिकल कालेज, बीकानेर

तमिलनाडु

15. कैंसर इंस्टीट्यूट, चेन्नई

उत्तर प्रदेश

16. कमला नहरू मेमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद

पश्चिम बंगाल

17. चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता

[अनुवाद]

उड़ीसा में दूरसंचार सुविधाएं

2256. श्रीमती हेमा गमांग : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उड़ीसा में दूरसंचार और डाक नेटवर्क के विस्तार, उन्नयन और मजबूती हेतु शुरू की गई परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है और प्रतिवर्ष कितना वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा प्राप्त किया गया है; और

(ग) राज्य में, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में डाक और दूर-संचार के विस्तार, उन्नयन और मजबूती के संबंध में नौवीं पंचवर्षीय योजना में और वर्ष 2000-2001 हेतु प्रस्तावित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में दूरसंचार विभाग से संबंधित वित्तीय, तथा वास्तविक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, उड़ीसा में खोले गए विभागीय उप डाक-घरों तथा शाखा डाक-घरों के जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 2000-2001 तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उड़ीसा से संबंधित कार्य योजना प्रस्ताव के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

दूरसंचार विभाग के लिए

मद	2000-2001 के लिए योजना		नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना (1997-2000)	
	सर्किल	जनजातीय क्षेत्र	सर्किल	जनजातीय क्षेत्र
निवल स्विचन क्षमता	116000	17000	440828	97338
सीधी एक्सचेंज लाइनें	100000	12000	352138	70982
वी०पी०टी०	14000	120	29239	13424
विश्वसनीय माध्यम	95	34	मार्च 2002 तक सभी एक्सचेंजों के लिए	—

डाक विभाग के लिए

वर्ष 2000-2001 के लिए, उड़ीसा के लिए 2 नए उप डाक घर, 10 नए शाखा डाक-घर तथा 60 नए पंचायत संचार सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य में से 2 शाखा डाक-घर तथा 5 पंचायत संचार सेवा केंद्र राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में खोलने हेतु आबंटित किए गए हैं।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान डाक नेटवर्क के विशेषत: जनजातीय क्षेत्रों में विस्तार हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य तथा उपलब्धियां :–

योजना वर्ष	खोलने के लक्ष्य			इनके खोलने के द्वारा प्राप्त उपलब्धि		
	एसओ	बीओ	पीएस एसके	डीएसओ	बीओ	पीएस एसके
1997-98	—	12	—	—	12	—
1998-99	—	4	5	—	4	5
1999-00	1	2	16	1	2	13

विवरण-I

दूरसंचार विभाग के लिए

वर्ष 1997-98

दूरसंचार जिला	निवल स्विचन क्षमता		सीधी एक्सचेंज लाइनें		वीपीटी		वित्तीय उपलब्धि (करोड़ रु० में)
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8
बालासोर	3236	4352	1750	3874	302	303	13.41
बाड़ीपाढ़ा	583	1560	942	1855	242	242	7.73
बहरामपुर	4222	5680	4227	9259	249	249	14.63
भवानीपटना	जिला खोला नहीं गया है।						
भुवनेश्वर	11879	9994	8077	15902	206	206	22.72
बोलनगीर	2885	2784	1831	2987	124	124	5.61
कटक	4987	7624	6182	11522	302	302	20.96
धेनकनाल	6930	5452	4685	5469	300	300	15.36
कोरापुट	2005	1776	2315	3297	323	324	6.45
राउरकेला	2849	4896	1858	6165	52	52	7.67
सम्बलपुर	4644	6236	3123	6828	300	300	10.85
वर्ष 1998-99							
बालासोर	6316	8048	4276	5527	200	228	6.95
बाड़ीपाढ़ा	2792	2608	2130	1738	220	198	5.17
बहरामपुर	9106	11104	5701	5927	460	366	18.48
भवानीपटना	2208	916	1211	910	220	217	3.51
भुवनेश्वर	20000	19952	13539	17141	200	184	26.85
बोलनगीर	2148	1312	1425	1610	80	72	1.95
कटक	9150	7964	9976	11310	270	210	29.56
धेनकनाल	8732	9460	6057	6744	200	209	10.72
कोरापुट	6764	8200	4276	4703	330	302	6.3
राउरकेला	8528	11592	5700	5900	80	83	9.14
सम्बलपुर	6556	8060	5701	6785	140	173	12.74
वर्ष 1999-2000							
बालासोर	8000	10628	5600	8526	140	203	14.46
बाड़ीपाढ़ा	4000	2980	3000	2668	500	142	4.96
बहरामपुर	11000	10284	9000	8097	570	401	15.26
भवानीपटना	4000	7072	2500	4405	100	209	7.05

1	2	3	4	5	6	7	8
भुवनेश्वर	20000	30160	18000	16980	150	163	44.95
बोलनगीर	6000	6056	3400	3459	90	142	5.82
कटक	22000	23864	18000	13093	200	230	44.32
धेनकनाल	16000	16496	9000	9219	250	110	15.11
कोरापुट	7000	7028	4500	6226	700	238	16.26
राउरकेला	9000	9512	7000	8735	150	90	11.32
सम्बलपुर	9000	9160	7000	7628	150	174	16.77

विवरण-II

डाक विभाग के लिए

क्रम सं०	जिले का नाम	लक्ष्यानुसार स्वीकृत व खोले गए डाकघर														
		1997-98					1998-99					1999-2000				
		ईडीबीओ आरटीएच			डीएसओ यूआर		ईडीबीओ आरटीएच			डीएसओ यूआर		ईडीबीओ आरटीएच			डीएसओ यूआर	
1	2	3			4		5			6		7			8	
1.	अंगुल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
2.	बलसौर	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—
3.	बारगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	बौध	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	भद्रक	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
6.	बोलनगीर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
7.	कटक	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
8.	देवगढ़	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
9.	धेनकनॉल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
10.	गाजापाटी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	गंजम	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	जगतसिंहपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	जाजपुर	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
14.	झारसुगुडा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	कालाहांडी	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
16.	केन्द्रपाड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	कुमझर	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	खुरदा	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
19.	कोरापुट	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3			4		5			6		7			8	
20.	मलकनगिरि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	मयूरभंज	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—
22.	नौरंगपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	नयागढ़	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—
24.	नुआपारा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	फुलबानी	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
26.	पुरी	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—
27.	रायगढ़	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	सम्बलपुर	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	सोनपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	सुंदरगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल योग	9	12	—	3	—	6	4	—	2	—	12	2	—	2	—

[हिन्दी]

चेन्नई पत्तन पर कंटेनर टर्मिनल का निर्माण

2257. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री जे०एस० बराड़ :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चेन्नई पत्तन पर कंटेनर टर्मिनल के निर्माण का कार्य आस्ट्रेलिया की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब और किस कंपनी को सौंपा गया था;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कार्य को सौंपने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों की प्रक्रिया अपनाई थी;

(घ) यदि हां, तो इस प्रक्रिया में अन्य कौन-कौन सी कंपनियों ने भाग लिया और अन्ततः उक्त कंपनी को ही कार्य सौंपने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त कंपनी द्वारा अनुमानतः कितना प्रतिशत लाभांश अर्जित करने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छुम्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार "प्रमुख" पत्तनों के विकास के लिए पश्चिमी तट पर जवाहर लाल नेहरू पत्तन के साथ-साथ पूर्वी तट पर चेन्नई पत्तन की भी पहचान की है। पत्तन क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी की नीति के तहत जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पत्तन सुविधाओं के विकास और प्रचालन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी हेतु नवीन (अयाचित) प्रस्ताव रूट पर विचार करने का भी प्रावधान है, सरकार ने चेन्नई पत्तन में विद्यमान कंटेनर टर्मिनल के विकास और प्रबंधन के लिए विश्व स्तर के अग्रणी कंटेनर टर्मिनल विकास कर्ताओं/प्रचालकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मै० पी एंड ओ आस्ट्रेलिया पोर्ट्स प्रा०लि०, आस्ट्रेलिया, मै० पोर्ट आफ सिंगापुर अथोरिटी, सिंगापुर और मै० हचीसन इंटर-नेशनल पोर्ट होल्डिंग्स लि०, हांगकांग से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए। सरकार ने इस मामले पर आगे विचार किया और पत्तन के हितों की सुरक्षा के लिए अपरक्राम्य शर्तों को सैट तथा निविदादाताओं द्वारा दी जाने वाली गारंटियों के पैकेज को अंतिम रूप दिया गया तथा निविदा दाताओं के लिए जारी किया गया। प्रत्युत्तर में दो पक्षकारों ने अर्थात् मै० पी एंड ओ आस्ट्रेलिया पोर्ट्स प्रा०लि० और मै० हचीसन इंटरनेशनल पोर्ट होल्डिंग्स लि० ने अपनी संशोधित वित्तीय निविदाएं पेश की।

शुल्क लगाकर जिसमें पत्तन न्यास की हिस्सेदारी होगी, परियोजना के प्रचालन से अर्जित सकल राजस्व का अधिकतम प्रतिशत निविदादाता के चयन का अंतिम मापदंड था। दो निविदाताताओं अर्थात् मै० पी एंड ओ आस्ट्रेलिया पोर्ट्स प्रा०लि० और मै० हचीसन इंटरनेशनल पोर्ट होल्डिंग्स लि० से प्राप्त अंतिम निविदाओं में से मै० पी एंड ओ पोर्ट्स का प्रस्ताव अधिक आकर्षक पाया गया क्योंकि उन्होंने सकल राजस्व के 37.128% की पेशकश की थी और इसलिए, सरकार ने मै० पी एंड ओ पोर्ट्स का प्रस्ताव स्वीकार किया है तथा दिनांक 4.7.2000 को उन्हें स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया है।

[अनुवाद]

चेन्नई में दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

2258. श्री पी० कुमारासामी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चेन्नई में दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रदूषण नियंत्रण और उसकी रोकथाम

2259. श्री रामजी मांझी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय तथा उसके सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और संरक्षण के क्षेत्र में तथा प्रदूषण नियंत्रण और उसकी रोकथाम करने के लिए शुरू किए गए मुख्य क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रदूषण निवारण और नियंत्रण वानिकी और वन्य जीवन की सुरक्षा तथा संरक्षण के प्रभावशाली क्रियान्वयन करने के लिए मौजूदा निधियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और संरक्षण तथा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के क्षेत्र में प्रमुख रूप से निम्नलिखित गतिविधियां चलाई गई हैं :–

– भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणि सर्वेक्षण देश के क्रमश: वनस्पतिजात और प्राणिजात के सर्वेक्षण और सूचीकरण का कार्य करते हैं। इन संगठनों द्वारा अब तक देश के लगभग 70 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर लगभग 46,000 वनस्पति प्रजातियों और 81,000 प्राणिजात प्रजातियों को रिकार्ड किया गया है। सर्वेक्षण और सूचीकरण एक सतत प्रक्रिया है।

– 17 अत्यधिक प्रदूषित उद्योगों के श्रेणी के उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए थे। 1991 में पहचान किए गए कुल 1551 उद्योगों में से अब केवल 67 औद्योगिक इकाइयां ऐसी हैं जिनके पास निर्धारित मानकों के अनुपालन के क्रम में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इन इकाइयों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यह निदेश दिया गया है कि वे प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं में वृद्धि करें।

– 24 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान की गई है और कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं।

– प्रदूषित क्षेत्रों और उनके प्रदूषण स्रोतों की पहचान के लिए नदी बेसिन सर्वेक्षण आयोजित किए गए। नदी कार्य योजना के अंतर्गत 14 प्रमुख नदियों को शामिल किया गया है।

उद्योगों के लिए स्थान निर्धारण और उनके प्रचालन के लिए पर्यावणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

– ई०आई०ए० प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक के रूप में लोक सुनवाई/गैर सरकारी संगठनों की प्रतिभागिता को शामिल करते हुए विशिष्ट श्रेणी की विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावणीय मंजूरी लेना अनिवार्य बना दिया गया है।

– पर्यावरणीय विवरण के रूप में पर्यावरणीय लेखा परीक्षा सभी प्रदूषक उद्योगों के लिए आवश्यक कर दी गई है।

– लघु स्तर के उद्योगों में प्रदूषण निवारण को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में 15 अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्किल स्थापित किए गए हैं और स्वच्छ प्रौद्योगिकी, बेहतर कार्य पद्धतियां और ऊर्जा संरक्षण तकनीकें अपनाने के लिए ऐसे लगभग 100 और सर्किलों की स्थापना की जा रही है।

– मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रभाव का पता लगाने के लिए और प्रदूषण का स्तर कम करने के संबंध में देश के विभिन्न भागों में पर्यावरणीय मारक रोग अध्ययन शुरू किए गए हैं।

– आटोमोबाइल्स से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सारे देश में कठोर उत्सर्जन मानक, सीसा रहित पेट्रोल की शुरूआत, कैटालिटिक कनवर्टरों की स्थापना, कम सल्फरयुक्त डीजल की शुरूआत करना और ईंधन की गुणवत्ता में सुधार करना आदि जैसे कदम उठाए गए हैं।

– देश के विभिन्न जिलों में पर्यावरणीय बातों के आधार पर उद्योगों के स्थल निर्धारण के लिए जोनिंग एटलस तैयार करने का काम शुरू किया गया है। अभी तक ऐसे 19 जिलों को शामिल किया गया है।

– लघु स्तर की औद्योगिक इकाइयों में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने की एक स्कीम शुरू की गई है। लगभग 89 साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों को अनुमोदित किया गया है और ये प्रचालन के विभिन्न चरणों में हैं।

– सारे देश में परिवेशी वायु (290) और जल गुणवत्ता मानीटरी स्टेशनों (480) का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

– पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अंतर्गत लगभग 80 श्रेणी के उद्योगों के लिए बहिस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। इसके अलावा, परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता मानक भी अधिसूचित किए गए हैं।

– वाहन प्रदूषण में कमी करने के लिए उत्सर्जन मानक और ईंधन गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं। निर्माणकारों को अब अपने विज्ञापनों में इस बात का उल्लेख करना अपेक्षित है कि उनके वाहन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हैं।

– पिट हैड से 1000 कि०मी० से दूर स्थित विद्युत संयंत्रों (कोयला आधारित) से 01.06.2001 से कम राख वाले कोयले का प्रयोग करना अपेक्षित है (34 प्रतिशत से अधिक नहीं)। संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित विद्युत संयंत्रों से भी कम राख वाले कोयले का प्रयोग करना अपेक्षित है चाहे पिट हैंड से उनकी दूरी कुछ भी हो।

– दिल्ली में प्रदूषण पर स्थिति पत्र तथा इसके नियंत्रण के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है और इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे क्रमशः मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता के बारे में कार्य योजनाएं तैयार करें। तीन में से एक मुम्बई कार्य योजना तैयार की गई है और केन्द्र और राज्य स्तर पर सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ इस पर विचार-विमर्श होने के पश्चात् इसे अंतिम रूप दे दिया गया है।

– राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण सहित ई०पी०ए० के अंतर्गत 6 पर्यावरण प्राधिकरण गठित किए गए हैं।

– ताज सुरक्षा मिशन-प्रदूषण से ताजमहल की सुरक्षा से संबंधित एक स्कीम माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर चालू की गई है जिस पर 600.00 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

(ख) प्रदूषण निवारण और नियंत्रण तथा वानिकी और वन्यजीव संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए मौजूदा कानून निम्नलिखित हैं :–

– भारतीय वन अधिनियम, 1927

– वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972

– 1998 में यथासंशोधित अनुसार जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

– जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977

– वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

– वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित 1987

– पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986

– लोक देयता बीमा अधिनियम, 1991

नकली औषधियों की बिक्री

2260. श्री गुम्मा सुकेन्दर रेड्डी :
डा० मन्दा जगन्नाथ :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान हरियाणा और दिल्ली के बाजार में बेची जा रही नकली औषधियों को जब्त करने के लिए कितने छापे मारे गए हैं;

(ख) ऐसे अभियान के क्या परिणाम निकले; और

(ग) उनमें शामिल लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) राज्यों से मिली सूचना के अनुसार 1.7.99 से 30.6.2000 की अवधि के दौरान घटिया और नकली दवाओं का पता लगाने के लिए दिल्ली में 27 छापे मारे गए और हरियाणा में खुदरा और थोक-विक्रेता की दुकानों पर 4602 निरीक्षण किए गए/छापे मारे गए।

(ख) हरियाणा में नकली/पूर्णतः घटिया/अपमिश्रित औषधों के 33 मामलों का पता लगाया गया जबकि दिल्ली में 8 मामलों का पता लगाया गया।

(ग) हरियाणा में 33 मामलों में से 7 मामलों में मुकदमा शुरू किया गया है और 11 मामलों में मुकदमा शुरू करने की अनुमति दी गई है, जबकि 15 मामलों की सक्रिय रूप से जांच की जा रही है।

दिल्ली में 8 मामलों में से दो मामलों में मुकदमा शुरू किया गया है, जबकि अन्य मामलों की जांच की जा रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों का पुनर्वास

2261. श्री पी०आर० किन्डिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में ''लागिंग'' गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद वहां के लोगों का पुनर्वास करने हेतु सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के वनों में वृक्षों की कटाई का काम भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजनाओं के अनुसार किया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में वृक्षों की कटाई व लागिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के पुनर्वास के लिए कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किया जाना

2262. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किए जाने के संबंध में इसका व्यवहार्यता अध्ययन कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इन राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या कतिपय राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन/छः लेन में बदलने संबंधी कार्य शुरू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इन राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्य-वार और क्षेत्र-वार नाम क्या-क्या हैं तथा कार्य शुरू किए जाने से अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 में उपर्युक्त (ग) के समान अन्य प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो इन राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्य-वार और क्षेत्र-वार नाम क्या-क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बाघ परियोजनाएं

2263. श्री चिन्मयानंद स्वामी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार कितनी बाघ परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है तथा इनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य बाघ परियोजनाओं का विकास करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) देश में बाघ परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार ने निम्नलिखित नए बाघ रिजर्व स्थापित करने की स्वीकृति दी है :–

1. अरुणाचल प्रदेश और असम में पाकुई-नमेरी अन्तर्राष्ट्रीय बाघ रिजर्व (क्षेत्रफल 1206 वर्ग कि०मी०)
2. मध्य प्रदेश में बोरी-सतपुड़ा-पंचमढ़ी बाघ रिजर्व (क्षेत्रफल 1206 वर्ग कि०मी०)
3. कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय पार्क शामिल करके बांदीपुर बाघ रिजर्व का विस्तार (क्षेत्रफल 643 वर्ग कि०मी०)
4. उत्तर प्रदेश में कतारनियाघाट वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल करके दुधवा बाघ रिजर्व का विस्तार (क्षेत्रफल 551 वर्ग कि०मी०)

विवरण

बाघ रेंज राज्यों में बाघ रिजर्व के नाम के साथ-साथ इनके सृजन का वर्ष एवं क्षेत्र

रिजर्वों का नाम

क्रम सं०	सृजन का वर्ष	बाघ रिजर्व का नाम	राज्य	कुल क्षेत्र हेक्टेयर में किमी
1	2	3	4	5
1.	1973-74	बान्दीपुर	कर्नाटक	866
2.	1973-74	कारबेट	उत्तर प्रदेश	1316
3.	1973-74	कान्हा	मध्य प्रदेश	1945
4.	1973-74	मानस	असम	2840
5.	1973-74	मेलघाट	महाराष्ट्र	1677
6.	1973-74	पलामू	बिहार	1026
7.	1973-74	रणथम्भौर	राजस्थान	1334
8.	1973-74	सिमलीपाल	उड़ीसा	2750
9.	1973-74	सुन्दरबन	पश्चिम बंगाल	2585
10.	1978-79	पेरियार	केरल	777

1	2	3	4	5
11.	1978-79	सारीस्का	राजस्थान	866
12.	1982-83	बक्सा	पश्चिम बंगाल	759
13.	1982-83	इन्दरावती	मध्य प्रदेश	2799
14.	1982-83	नागर्जुन सागर	आंध्र प्रदेश	3568
15.	1982-83	दामदाफा	अरुणाचल प्रदेश	1985
16.	1987-88	दुधवा	उत्तर प्रदेश	811
17.	1988-89	कलाकड़ मुण्डनथुराई	तमिलनाडु	800
18.	1989-90	वाल्मिकी	बिहार	840
19.	1992-93	पेन्च	मध्य प्रदेश	758
20.	1993-94	ताड़ोबा अंधेरी	महाराष्ट्र	620
21.	1993-94	बांधव गढ़	मध्य प्रदेश	1162
22.	1994-95	पन्ना	मध्य प्रदेश	542
23.	1994-95	दम्फा	मिजोरम	500
24.	1998-99	भद्रा	कर्नाटक	492
25.	1998-99	पेन्च	महाराष्ट्र	257
			योग	33875

[अनुवाद]

उपयोग किए गए डिस्पोजेबल सिरींजों के पुन: प्रयोग पर प्रतिबंध

2264. श्रीमती कांति सिंह :
मोहम्मद शहाबुद्दीन :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 मई, 2000 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "प्लास्टीक इज कन्वेनीएन्ट बट ग्लास इज सेफर, एडमिट डाक्टर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मृत्यु की घटनाओं को टालने के लिए उपयोग किए गए डिस्पोजेबल सिरिंजों के पुन: प्रयोग के बदले शीशे की सिरिंजों के उपयोग हेतु सभी चिकित्सा वृत्तिकों को निर्देश जारी करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उपयोग किए गए डिस्पोजेबल सिरिंजों के पुन: प्रयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

टी०एच०क्यू० प्रकार की एक मंजिले भवनों के निर्माण हेतु धनराशि

2265. डा० बलिराम : क्या संचार मंत्री 6 दिसम्बर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान टी०एच०क्यू० प्रकार की एक मं. ले भवनों के लिए कुछ धनराशि जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू किए जा रहे हैं या शुरू किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) टीएचक्यू टाइप एक मंजिला भवनों के लिए अलग से निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं तथा ऐसे भवनों पर होने वाला व्यय तकनीकी भवनों के लिए कुल अनुदान में से पूरा किया जाता है। इस प्रकार ऐसी श्रेणी के भवनों के लिए अलग से राशि देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं।

(ग) और (घ) दि० 16.12.99 के प्रश्न सं० 1151 के उत्तर में सूचीबद्ध स्थानों पर निर्माण कार्य की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

6.12.99 के प्रश्न सं० 1151 के उत्तर में सूचीबद्ध खाली प्लॉटों का ब्यौरा तथा उनकी वर्तमान स्थिति

आजमगढ़ जिला

क्रमसं०	स्टेशन का नाम	एस०डी०सी०सी०*	स्थिति
1.	अंजान सहीद	सगड़ी	विवादास्पद भूमि।
2.	कोइलसा	बुरानपुर	सी टाइप टेलीफोन एक्सचेंज भवन निर्माणाधीन।
3.	निज़ामाबाद	आज़मगढ़	टीएचक्यू टाइप टेलीफोन एक्सचेंज निर्मित।
4.	संजेर पुर	आज़मगढ़	भूमि उपलब्ध है, सीमांकन कार्य लंबित है।
5.	लाटघाट	सगड़ी	टीएचक्यू टाइप भवन निर्माणाधीन।
6.	चांद पट्टी	सगड़ी	भूमि का सीमांकन कर दिया गया है।
7.	बिंदवल	सगड़ी	भूमि उपलब्ध है, सीमांकन कार्य लंबित है।
8.	बरडीहा	सगड़ी	टीएचक्यू टाइप भवन निर्माणाधीन।
9.	मेहनगर	लालगंज	-वही-
10.	हरैया	सगड़ी	-वही-
11.	नैनीजोर	बुरानपुर	-वही-
12.	दीदारगंज	फूलपुर	भूमि का सीमाकंन किया जाना है।
13.	माहुल	फूलपुर	भूमि का सीमाकंन किया जाना है।
14.	कटार (बिलारमऊ)	फूलपुर	भूमि सीमांकित कर दी गई है।
15.	अमुवारी	सगड़ी	टीएचक्यू टाइप भवन निर्माणाधीन।
16.	मदारपुर	लालगंज	भूमि सीमांकन कर दी गई है।
17.	सिंधपुर	लालगंज	चार दिवारी बनाई जा रही है।
18.	करिहानी	लालगंज	भूमि विवादास्पद।
19.	पलहना	लालगंज	भूमि प्राप्त करने का कार्य चल रहा है।

*एस०डी०सी०सी० – कम दूरी के प्रभारण केंद्र।

[अनुवाद]

घरेलू विमानपत्तनों को पट्टे पर देना

2266. श्री राजैया मल्याला : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महत्वपूर्ण घरेलू विमानपत्तनों को पट्टे पर देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अर्जित राजस्व का उपयोग किस ढंग से किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों का जैसे और जब उपयुक्त हो दीर्घावधिक पट्टे के जरिए पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इस समय, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कलकत्ता में मौजूदा अंतर-राष्ट्रीय हवाई अड्डों को ही इस प्रक्रिया हेतु हाथ में लिया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

इमारती लकड़ी की मांग और उत्पादन

2267. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादन की तुलना में इमारती लकड़ी की मांग अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इमारती लकड़ी की मांग और उत्पादन को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) 1996 में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार देश में इमारती लकड़ी की मांग और उत्पादन क्रमशः 64 और 43 मिलियन घन मीटर है।

(ग) इस संबंध में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं :—

(i) राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा उनके अपने सभी संसाधनों और भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से वनीकरण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

(ii) वनों की सुरक्षा और विकास के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(iii) अवक्रमित वनों के संरक्षण और पुनरुद्धार में ग्रामीण समुदायों को शामिल करने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

(iv) खुले सामान्य लाईसेंस के अंतर्गत इमारती लकड़ी के आयात की अनुमति प्रदान की गई है।

(v) हाल ही में मंत्रालय ने वन संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए निवेश में बढ़ोतरी करके पारिस्थितिक स्थिरता और लोक केन्द्रित विकास के लिए वानिकी और वृक्ष संसाधनों के योगदान को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना तैयार की है।

[अनुवाद]

अनुबंध आधार पर विमानचालक

2268. श्री पी०एच० पांडियन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चेन्नई पत्तन न्यास के अधीन अनुबंध आधार पर कितने पायलट नियुक्त किए गए हैं;

(ख) ऐसे अनुबंधों की शर्तें क्या हैं;

(ग) पायलटों को अनुबंध आधार पर नियुक्त करने के क्या कारण हैं; और

(घ) नियमित पायलट और अनुबंध आधार पर नियुक्त पायलटों पर अलग-अलग कितना वार्षिक व्यय किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) चेन्नई पत्तन न्यास ठेके के आधार पर कार्य पर लगाने के लिए 10 पायलटों का एक पैनल तैयार रखता है। इनमें से एक दिन में अधिकतम 3 ठेके पर लिए गए पायलट पोत हैंडल करने के लिए (चक्रानुक्रम आधार पर) कार्य पर लगाए जाते हैं।

(ख) ठेके के आधार पर पायलटों को कार्य पर लगाने के लिए संक्षिप्त रूप में शर्तें इस प्रकार हैं :—

(i) यथानुपात आधार पर 25,500/- रु० प्रति माह के समेकित प्रतिधारण शुल्क की अदायगी की जाएगी जोकि उन कार्य दिवसों की संख्या पर आधारित है जितने दिन ठेके के आधार पर पायलट को कार्य में लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त उसे 0600 बजे और 2200 बजे के बीच किए गए पायलटेज कार्य के लिए 1000/- रु० प्रति कार्य के हिसाब से शुल्क और 2200 बजे तथा 0600 बजे के बीच किए गए पायलटेज कार्य के लिए 1250/- रु० प्रति कार्य के हिसाब से शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(ii) वह असज्जित क्वाटर आवास का हकदार है जिसके लिए उससे वही दर वसूल की जाएगी जो पत्तन अधिकारियों पर लागू होती है। पत्तन क्वाटर के बदले में वह गेस्ट हाउस आवास का भी विकल्प दे सकता है।

(iii) वह द्विमासिक आधार पर 750 कॉल की सीमा तक टेलीफ़ोन सुविधा का हकदार है।

(iv) वह अपने और अपने परिवार के लिए पत्तन न्यास अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का हकदार है।

(v) उसे दो वर्ष की अवधि के लिए पत्तन न्यास में सेवा करने संबंधी बांड निष्पादित करना होगा। इस अवधि में प्रशिक्षण की अवधि शमिल नहीं है। ठेका समाप्त करने के मामले में किसी भी ओर से 30 दिन के नोटिस की आवश्यकता होगी।

(vi) वह ठेके में यथाउल्लिखित सुविधाओं को छोड़कर अन्य किसी भत्ते, भुगतान, लाभ अथवा सुविधा का हकदार नहीं है।

(ग) चेन्नई पत्तन न्यास में पिछले कुछ वर्षों से नियमित पायलटों की कमी है। रोजगार कार्यालय को रिक्त पदों की सूचना देने और समाचार-पत्रों में खुला विज्ञापन देने के बावजूद पत्तन न्यास को पायलटों के रिक्त पदों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल सके। इस स्थिति में सुधार होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, चेन्नई पत्तन न्यास ने ठेके के आधार पर पायलट लेने की प्रणाली शुरू करने का निर्णय किया।

(घ) एक नियमित पायलट के लिए वार्षिक व्यय लगभग 6.3 लाख रु० प्रति पायलट है। जिसमें सभी भत्ते और लाभ शामिल

हैं। जहां तक ठेके के आधार पर लिए गए पायलटों पर होने वाले वार्षिक व्यय का संबंध है, यह लगभग 6 लाख रु० प्रति वर्ष है।

दिल्ली-वाराणसी-भुवनेश्वर विमान बस सेवा

2269. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-वाराणसी-भुवनेश्वर एयर बस सेवा दैनिक आधार पर शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) इस समय, इंडियन एयरलाइंस की कम यातायात संभाव्यता की वजह से दिल्ली-वाराणसी-भुवनेश्वर एयर बस सेवा प्रारंभ करने संबंधी कोई योजना नहीं है।

राष्ट्रीय-राजमार्गों के दोनों ओर की पटरी में विकास कार्य

2270. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर की पटरी की मानक-चौड़ाई के बारे में एकरूपता रखने और वहां पर से अतिक्रमण हटाने के लिए राष्ट्रीय-राजमार्गों के दोनों ओर की पटरी पर विकास कार्य करने के संबंध में कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर की पटरी के विकास को लेकर बड़ी असमानता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कमोबेश एकरूपता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि पर अतिक्रमण की बढ़ती प्रवृत्ति और राष्ट्रीय राजमार्गों से सीधे तौर पर सटी हुई भूमि के अनियंत्रित उपयोग और विकास पर नियंत्रण रखने के लिए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का दो विधान अधिनियमित करने का प्रस्ताव है क्योंकि इन सबसे यातायात के निर्बाध आवागमन पर प्रभाव पड़ता है। पहले विधान का संबंध राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्गाधिकार के भीतर में भूमि के नियंत्रण और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चले रहे यातायात के विनियमन से है। इस समय विधि मंत्रालय के परामर्श से एक केन्द्रीय विधान का मसौदा, तैयार किया जा रहा है। जिसमें अनधिकृत कब्जे रोकने और अतिक्रमण हटाने, प्रवेश पर नियंत्रण, विभिन्न प्रकार से यातायात के विनियमन इत्यादि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। दूसरे विधान का संबंध मार्गाधिकार के बाहर राष्ट्रीय राजमार्गों की निकटवर्ती भूमि पर विकास कार्यों पर नियंत्रण रखने से है। इसे राज्यों द्वारा अधिनियमित किया जाना होगा क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्गाधिकार के बाहर की भूमि के विनियमन का अधिकार राज्य सरकारों में निहित है। कुछ राज्यों जैसेकि असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान ने ऐसा विधान पहले ही अधिनियमित कर दिया है। शेष राज्यों से भी इसी प्रकार का विधान अधिनियमित करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

निर्माण रेखा और नियंत्रण रेखा संबंधी मानक

यह वांछनीय है कि राजमार्ग से निर्धारित की गई दूरी के भीतर किसी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है अथवा कोई निर्माण कार्य न किया जाए। सड़क से इस दूरी को "निर्माण रेखा" नाम की काल्पनिक रेखा द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह वांछनीय है कि इस रेखा के आगे की दूरी में, जिसे "नियंत्रण रेखा" नाम से परिभाषित किया गया है, सड़क से 13 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों का निर्माण न किया जाए। विभिन्न प्रकार की सड़कों के लिए "निर्माण रेखा" और "नियंत्रण रेखा" संबंधी न्यूनतम वांछनीय मानक निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं :–

सड़क की श्रेणी	मैदानी और घुमावदार भू-भाग			पर्वतीय और सीधी चढ़ाई वाले भू भाग			
	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी और औद्योगिक क्षेत्र	निर्माण रेखा और सड़कभूमि सीमा के बीच की दूरी			
				ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
	निर्माण रेखाओं के बीच की चौड़ाई (समग्र चौड़ाई) (मीटर)	नियंत्रण रेखाओं के बीच की चौड़ाई (समग्र चौड़ाई) (मीटर)	निर्माण रेखा और सड़क भूमि सीमा के बीच की दूरी (सैट बैक दूरी) (मीटर)	सामान्य (मीटर)	आपवादिक (मीटर)	सामान्य (मीटर)	आपवादिक (मीटर)
राष्ट्रीय राजमार्ग	80	150	3·6	5	3	5	

[हिन्दी]

राजीव गांधी यूथ फाउंडेशन पर किया गया व्यय

2271. **श्री विजय गोयल : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के श्रीपेरम्बूदर में राजीव गांधी यूथ फाउंडेशन पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक किन-किन योजनाओं को कार्यान्वित किया गया तथा कितना कार्य किया गया और इन पर कितना खर्च हुआ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु में राजीव गांधी यूथ फाउंडेशन नामक जैसी कोई संस्था नहीं है। तथापि, श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान नामक एक स्वायत्तशासी निकाय विद्यमान है जिसकी स्थापना सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1975 का 27वां, 1993 की क्र०सं० 67 के अंतर्गत की गई थी। केन्द्र सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को अब तक 1757.50 लाख रु० की राशि जारी की है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, योजनागत और योजनेतर के अंतर्गत इस संस्थान को निम्नलिखित राशि जारी की गई है। इसमें पूंजीगत निर्माण कार्यों एवं साथ ही साथ कार्यक्रमों पर हुआ व्यय शामिल है :–

(लाख रु० में)

वर्ष	योजनागत	योजनेतर
1997-98	760.00	4.00
1998-99	417.00	2.50
1999-2000	100.00	5.00

[अनुवाद]

बाघों की मौत

2272. **श्री सुरेश कुरूप : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के नंदनकानन जैविक उद्यान में पैदा हुए 67 बाघ-शावकों में से 66 की मौत वर्ष 1995 से अब तक हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की मौतों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के रिकार्ड के अनुसार नन्दनकानन चिड़ियाघर में 1.4.95 से अब तक 66 बाघों का जन्म हुआ है। इनमें से 24 शावक मर चुके हैं। शावकों की मृत्यु संबंधी वर्ष-वार विवरण निम्नलिखित है :–

वर्ष	शावकों की मृत्यु
1995-96	3
1996-97	2
1997-98	7
1998-99	6
1999-2000	6
जोड़ :	24

(ग) चिड़ियाघर के निदेशक का बाघ शावकों की देखभाल के लिए पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति, अत्यधिक भीड़ न होने देने, प्रजनन कोष्ठ में ऐसा प्रावधान करने जिसमें मां और शावक के रहने में कम से कम व्यवधान हो, सहित तकनीकी निवेश उपलब्ध कराया गया है, जिससे बाघ शावकों की उत्तरजीविता दर में सुधार हो सकता है।

[हिन्दी]

"बालको" में निदेशक (कार्मिक) का रिक्त पद

2273. **श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या खान मंत्री** 12 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7410 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) के चयन हेतु लोक उद्यम चयन बोर्ड के पैनल की सिफारिश को स्वीकार करने में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अब सरकार ने उक्त सिफारिश स्वीकार कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) सरकार को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) के पद के लिए, लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी०ई०एस०बी०) के पैनल की सिफारिश को प्रोसेस करते समय, सिफारिश किए गए उम्मीदवारों के खिलाफ अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सरकार ने शिकायतों की प्रकृति को देखते हुए अंतिम निर्णय लेने से पहले उनकी जांच करने का निर्णय लिया है।

(ग) सरकार ने अभी तक सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कन्याकुमारी में विमानपत्तन का निर्माण

2274. **डा० ए०डी०के० जयशीलन :**
श्री पोन राधाकृष्णन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े शहरों को जोड़ने के लिए और विमानपत्तनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कन्याकुमारी में एक विमानपत्तन की स्थापना हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) केरल में कन्नूर नामक स्थान पर एक नये हवाई अड्डे के निर्माण संबंधी एक प्रस्ताव है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस समय कन्याकुमारी में कोई हवाई अड्डा बनाने संबंधी योजना नहीं है।

विश्व के तापमान में बढ़ती उष्णता

2275. **श्री राशिद अलवी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में हालैण्ड की एजेंसियां अल्पकाल में ही उपज देने वाली चावल की ऐसी किस्मों को विकसित करने का कार्य कर रही है, जो निम्नवर्ती तटीय क्षेत्रों में काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई० सी०ए०आर०) ने बकरी की ऐसी नस्लों का पता लगाया है जो केवल समुद्र के पानी पर ही जीवित रहती है और जो विश्व के तापमान में बढ़ती उष्णता के कारण प्रभावित तटीय क्षेत्रों में बहुत उपयोगिता वाली सिद्ध हो सकती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार विश्व के तापमान में बढ़ती उष्णता से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए उठाये गये कदमों के वर्तमान स्तर से संतुष्ट है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई०सी०ए०आर०) के अनुसार निकाबारी बकरियां निकोबार द्वीप समूह में उच्च लवणीय परिस्थितियों में जीवित रहती है।

(ग) और (घ) विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत ढ़ांचों में पृथ्वी के गरम होने से संबंधित चिन्ताओं के हल के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। इस संबंध में जो कदम उठाए गए हैं उनमें परम्परागत उर्जा सृजन की क्षमता और उसके उपयोग में सुधार, बड़े नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रमों का विकास, साफ कोयला तथा बायोमास उर्जा प्रौद्योगिकों को प्रोत्साहन तथा वनों का संरक्षण करना शामिल है।

वेश्यावृत्ति को सेक्स उद्योग के रूप में मान्यता

2276. **डा० संजय पासवान :**
श्री अशोक अर्गल :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्रीमती आभा महतो :
श्री सालखन मुर्मू :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वेश्यावृत्ति को जैसा कि एन०ए०सी०ओ० द्वारा अपने "कंट्री सिनारियो" (1998-99) में पारिभाषित किया गया है, सेक्स उद्योग के रूप में मान्यता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस उद्योग को सुविधा प्रदान करने या और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने की कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो भविष्य में एन०ए०सी०ओ० जैसे संगठनों द्वारा इन प्रकार की गलती न करने देने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, नाको ने अपने प्रकाशन "कंट्री सिनारियों" 1998-99 में इस बात को उजागर किया है कि वेश्यावृत्ति से एच०आई०वी० संक्रमण के फैलने का भय रहता है। इसमें यौन संचारित रोगों के उपचार, कण्डोम के प्रयोग को बढ़ावा और लक्षित लोगों में जागरूकता तथा परामर्श सेवाओं द्वारा निर्धन और सीमावर्ती आबादी, जिनमें संक्रमण का जोखिम अधिक होता है, में एच०आई०वी० के फैलने को कम करने पर जोर दिया गया है।

[हिन्दी]

इण्डियन टेलीफोन-कार्ड

2277. **श्री थावरचन्द गेहलोत :**
श्री पवन कुमार बंसल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार विभाग में "वरचुअल क्रेडिट कार्ड" और "इण्डियन टेलीफोन-कार्ड" किस तारीख से आरम्भ किए और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यह सेवा राज्य-वार किन-किन शहरों में आरम्भ की गई है;

(ग) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान देश के सभी शहरों में यह सेवा आरम्भ की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या मानदंड अपनाया जायेगा;

(ङ) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस सेवा को आरम्भ करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या विभाग का इन कार्डों की बिक्री विधिवत् रूप से प्राधिकृत एजेंटों के माध्यम से करने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इंडिया टेलीफोन-कार्ड (आई०टी०सी०) के नाम से जाना जाने वाला वर्चुअल क्रेडिट-कार्ड (वी०सी०सी०) नवम्बर, 1998 में तत्कालीन दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किया गया था।

(ख) उन शहरों के राज्यवार नाम, जहां यह सेवा पहले ही शुरू की जा चुकी है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार उन अन्य शहरों में ये सेवा मार्च, 2001 तक प्रदान करने की कोशिश कर रही है, जहां इसकी मांग है, बशर्ते यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो।

(ङ) और (च) यह सेवा सर्विस स्विचिंग प्वाइंट लोकेशन अर्थात् उस क्षेत्र तक, जहां कॉलों को प्रभार स्थानीय कॉल-आधार पर लिया जाता है, से 50 कि०मी० की अरीय दूरी के भीतर आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी दी जा सकती, बशर्ते ऐसा करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो। इस संबंध में कोई पृथक् लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(छ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ज) उपर्युक्त ''छ'' भाग को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

30.6.2000 की स्थिति के अनुसार आई०टी०सी० (वी०सी०सी०) सेवायुक्त स्टेशन

क्रम सं०	राज्य का नाम	प्रचालनात्मक स्टेशन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.		विजयवाड़ा
3.	असम	गुवाहाटी
4.	बिहार	दरभंगा
5.		पटना
6.	गुजरात	अहमदाबाद
7.		राजकोट
8.		सूरत
9.	हरियाणा	अम्बाला
10.		फरीदाबाद
11.		गुड़गांव
12.		हिसार
13.		रोहतक
14.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
15.		सोलन
16.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू
17.		श्रीनगर
18.	कर्नाटक	बंगलौर
19.	केरल	कालीकट
20.		एर्नाकुलम्
21.		क्विलोन
22.		त्रिचूर
23.		त्रिवेन्द्रम्
24.	महाराष्ट्र	कल्याण
25.		मुम्बई
26.		नागपुर
27.		नासिक
28.		पुणे
29.	गोआ	पंजिम्
30.	मध्य प्रदेश	भोपाल
31.		बिलासपुर
32.		छतरपुर
33.		देवास
34.		धार
35.		दुर्ग
36.		गुना
37.		ग्वालियर
38.		इंदौर
39.		जबलपुर
40.		रायपुर
41.		सागर

1	2	3
42.	त्रिपुरा	अगरतला
43.	मिजोरम	ऐज़वाल
44.	मणिपुर	इम्फाल
45.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर
46.	नागालैंड	कोहिमा
47.	मेघालय	शिलांग
48.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
49.		कटक
50.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
51.	पंजाब	जालंधर
52.		पटियाला
53.	राजस्थान	जयपुर
54.	तमिलनाडु	चेन्नई
55.		कोयम्बटूर
56.	पांडिचेरी	पांडिचेरि
57.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	कानपुर
58.		लखनऊ
59.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	आगरा
60.		बरेली
61.		हापुड़
62.		मेरठ
63.		नोएडा
64.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
65.		सिलीगुड़ी
66.	दिल्ली	नई दिल्ली

[अनुवाद]

"सिक्ल सेल" रोग

2278. श्री सुबोध मोहिते :
श्री रामचन्द्र पासवान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में "सिक्ल सेल" रोग के बहुतायत में व्याप्त होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने इस संबध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम रहे;

(ङ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां "सिक्ल सेल" रोग से ग्रस्त रोगियों की संख्या अधिक है; और

(च) इस रोग पर नियंत्रण पाने हेतु क्या निषेधात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (च) सिक्ल सेल रोग अधिकतर देश के जनजातीय जनसंख्या समूहों और अनुसूचित जाति समुदायों में व्याप्त है। जनजातीय समूहों में इसकी बारंबारता 5 से 40 प्रतिशत तक घटती बढ़ती रहती है। भारत में सिक्ल पट्टी को बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों और नीलगिरी पहाड़ियों के निकट दक्षिण भारत के एक पॉकेट सहित देश के केन्द्रीय भागों से होकर गुजरते हुए खींचा जा सकता है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद समस्या के आकार का अध्ययन करने और जीनोटाइप तथा फीनोटाइप एवं नैदानिक गंभीरता का अंतसंबंध स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्यों की जनजातियों के बीच सिक्ल सेल एनेमिया तथा अन्य आनुवंशिक समस्याओं पर अनुसंधान कार्यक्रमों का आयोजन और सहायता करती रही है। देश की जनजातीय जनसंख्या में सिक्ल सेल की व्यापकता के मद्देनजर "भारत की कुछ आदिम जनजातीय जनसंख्या में पोषणिक एनेमिया और अन्य हीमोक्लो वीनोपैथी पर उपचार कार्यक्रम शीर्षक से एक परियोजना चार राज्यों नामत: महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु में शुरू की गई है। अध्ययन के परिणामों के आधार पर सरकार उपयुक्त उपचार करने के लिए पोषणिक रक्तविज्ञान संबंधी समस्याओं का मूल्यांकन करने में समर्थ होगी जिससे इन जनजातियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कार्यनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कुछ क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रही है जो डी०एन०ए० निदान और प्रसव-पूर्व निदान, जो कि काफी उच्च कुशलता वाली प्रक्रिया हैं, पर कार्य करने के लिए उपकरणों से अच्छी तरह से लेस है। ये केन्द्र परिधीय स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ घनिष्ठ अंत:क्रिया करते हुए एक राष्ट्रीय नेटवर्क का निर्माण करेंगे। इसके अलावा ये केन्द्र थैलेसेमिया और सिक्ल सेल रोग वाले रोगियों का आवश्यक चिकित्सा परिचर्या तथा अनुवंशिक परामर्श प्रदान करेंगे।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग

2279. श्री पुन्नु लाल मोहले : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए स्वीकृति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छुब्बदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची

क्र०सं०	रा०रा०सं०	मार्ग
1.	6	महाराष्ट्र सीमा-राजनन्द गांव-रायपुर-उड़ीसा सीमा
2.	16	आन्ध्र प्रदेश सीमा-जगदलपुर-उड़ीसा सीमा
3.	43	रायपुर-जगदलपुर-उड़ीसा सीमा
4.	78	कटनी-अम्बीकापुर-जशपुर नगर-बिहार सीमा
5.	200	रायपुर-विलासपुर-रायगढ़-उड़ीसा सीमा
6.	202	आन्ध्र प्रदेश सीमा-भोपालपट्टनम्

भारतीय सड़क निर्माण निगम

2280. **श्रीमती रीना चौधरी :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड का उपयोग सड़कों, राजमार्गों और एक्सप्रैस राजमार्गों के निर्माण में नहीं जा रहा; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छुब्बदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि० को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार के निर्णय के अनुसरण में आई०आर०सी०सी० के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम का चयन करने की सलाह दी गई है। अधिकांश कर्मचारियों ने 30.6.2000 को स्वै० से० स्कीम का चयन किया है और उनके अनुरोध स्वीकार कर लिए गए हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र

2281. **श्री चिंतामन वनगा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी भागों में स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कौन-कौन से स्थान हैं और उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे केन्द्रों के लिए विश्व बैंक से कोई अनुदान मिला है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान देश के बाकी भागों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में और स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। चूंकि, स्वास्थ्य राज्य का विषय है, केन्द्र सरकार उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दी जाने वाले सेवाओं का ब्यौरा नहीं रखती है। ये ब्यौरे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग भी हो सकते हैं। तथापि, संलग्न विवरण-II इन केन्द्रों के कार्यों को दर्शाता है।

(ग) और (घ) भारत जनसंख्या परियोजनाओं के अंतर्गत विश्व बैंक सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III-क और III-ख में दिया गया है।

(ङ) और (च) वर्ष 2000-2001 के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

देश में कार्य कर रहे उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या व दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उप-केन्द्र	प्रा०स्वा० केन्द्र	सामु०स्वा० केन्द्र	नवीनतम रिपोर्ट की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10568	1636	238	30.06.98
2.	अरुणाचल प्रदेश	245	45	9	28.02.99

1	2	3	4	5	6
3.	असम	5280	619	105	31.03.95
4.	बिहार	14799	2209	148	30.06.99
5.	गोवा	172	17	5	30.06.99
6.	गुजरात	7274	967	206	30.06.99
7.	हरियाणा	2299	401	64	30.06.99
8.	हिमाचल प्रदेश	2069	312	55	30.06.99
9.	जम्मू व कश्मीर	1700	337	53	31.01.98
10.	कनार्टक $	8143	1676	249	31.03.99
11.	केरल	5094	962	80	30.06.99
12.	मध्य प्रदेश *	11947	1690	242	30.06.99
13.	महाराष्ट्र	9725	1699	308	30.04.99
14.	मणिपुर	420	69	16	30.06.99
15.	मेघालय	377	85	13	30.06.99
16.	मिजोरम	336	55	6	31.01.98
17.	नागालैंड	245	33	5	30.04.99
18.	उड़ीसा	5927	1352	157	30.06.99
19.	पंजाब	2852	484	105	30.06.99
20.	राजस्थान	9851	1662	263	30.06.99
21.	सिक्किम	147	24	2	31.05.99
22.	तमिलनाडु	8682	1436	72	31.03.98
23.	त्रिपुरा	537	58	11	30.06.99
24.	उत्तर प्रदेश	20153	3808	310	31.12.98
25.	पश्चिम बंगाल	8126	1262	99	30.06.98
26.	अंडमान व निकोबार द्विपसमूह	97	17	4	31.01.99
27.	चंडीगढ़	13	—	1	31.12.98
28.	दादरा एवं नगर हवेली	36	6	1	28.02.99
29.	दमण व दीव	21	3	1	30.06.98
30.	दिल्ली	42	8	—	30.06.99
31.	लक्षद्वीप	14	44	3	30.04.99
32.	पांडिचेरी	80	39	4	31.03.99
	अखिल भारत	137271	22975	2935	

आंकड़े अनंतिम हैं।

— शून्य

* 124 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन कर दिया गया है।

$ 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का जिला अस्पतालों में उन्नयन कर दिया गया है।

विवरण-II

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के कार्यों को दर्शाने वाला विवरण

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र :

- विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं
- प्रयोगशाला सुविधाएं
- एक्स-रे सुविधाएं
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत औषधियों की आपूर्ति
- मातृ, बाल स्वास्थ्य और प्रतिरक्षण सेवाएं
- नियमित बाह्य रोगी सेवाएं
- आंतरिक रोगी सेवाएं (30 बिस्तर)
- व्यापक परिवार कल्याण सेवाएं
- आपात प्रसूति सेवाएं

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :

- निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं
- संचारी रोगों का नियंत्रण
- परिवार कल्याण सेवाएं
- प्रतिरक्षण सहित मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाएं
- अनिवार्य प्रसूति परिचर्या सेवाएं

उप-केन्द्र :

- प्रसव-पूर्व, प्रसव और प्रसव पश्चात् सेवाएं
- प्रतिरक्षण सेवाएं
- विटामिन ए की कमी के विरुद्ध रोग निरोधन
- अतिसार नियंत्रण
- मामूली रोगों का उपचार
- दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों के लिए प्राथमिक उपचार
- पोषण
- परिवार नियोजन और पारंपरिक गर्भनिरोधकों के वितरण के लिए प्रोत्साहन
- संचारी रोगों, जन्म-मरण और घटनाओं को दर्ज करना

  रक्त स्लाइडों का एकत्रीकरण
- स्वास्थ्य शिक्षा

विवरण-III(क)

भारत जनसंख्या परियोजना

(क) पूरी हो चुकी परियोजनाएं

(रु० करोड़ में)

परियोजना का नाम	राज्य/जिले	अवधि	परियोजना लागत
भा०ज०प०-I	कर्नाटक	1973-80	9.33
	उत्तर प्रदेश		11.87
			21.20
भा०ज०प०-II	आंध्र प्रदेश	1980-88	31.40
	उत्तर प्रदेश		73.33
			104.73
भा०ज०प०-III	केरल	1984-92	53.36
	कर्नाटक		71.31
			124.67
भा०ज०प०-IV	पश्चिम बंगाल	1985-94	117.12
भा०ज०प०-V	बम्बई व न्यू बम्बई	1988-96	71.45
	तमिलनाडु में 23 शहर व मद्रास		89.13
			160.58
भा०ज०प०-VI	उत्तर प्रदेश	1990-97	97.00
	आंध्र प्रदेश		75.66
	मध्य प्रदेश		42.50
			215.16
भा०ज०प०-VII	बिहार	1990-98	58.38
	गुजरात		53.90
	हरियाणा		52.32
	पंजाब		58.56
	जम्मू व कश्मीर		51.54
			274.70

विवरण-III (ख)

भारत जनसंख्या परियोजना-VIII

(ख) चल रही परियोजनाएं

(रु० करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना स्थल	परियोजना लागत	दर्ज किए गए व्यय
1.	बंगलौर	56.57	38.59
2.	कलकत्ता	92.59	65.26
3.	हैदराबाद	53.06	31.01
4.	दिल्ली	73.84	34.65
5.	पंश्चिम बंगाल में अतिरिक्त शहर	41.21	*
6.	आंध्र प्रदेश में अतिरिक्त शहर	47.74	*
7.	कर्नाटक में अतिरिक्त शहर	26.64	*
8.	उत्तर प्रदेश संभार-तंत्र	21.83	*
9.	तमिलनाडु संभार-तंत्र	6.43	*
10.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	2.10	—
	कुल :	422.01	169.51

*अभी तक दर्ज नहीं।

भारत जनसंख्या परियोजना-IX परियोजना

(रु० करोड़ में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	परियोजना लागत	दर्ज किए गए व्यय
1.	असम	135.85	85.72
2.	राजस्थान	124.94	62.70
3.	कर्नाटक	150.84	65.34
4.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	2.43	0.35
	कुल :	414.06	214.11

विवरण-IV

2000-2001 के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों की स्थापना के लिए लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप-केन्द्र
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	55	93	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	19	27	0
4.	बिहार	128	107	257
5.	गोवा	0	1	0
6.	गुजरात	18	17	0
7.	हरियाणा	10	4	46
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
9.	जम्मू व कश्मीर	1	0	0
10.	कर्नाटक	7	0	0
11.	केरल	25	0	0
12.	मध्य प्रदेश	77	52	46
13.	महाराष्ट्र	34	15	202
14.	मणिपुर	0	0	0
15.	मेघालय	2	0	22
16.	मिजोरम	0	0	0
17.	नागालैंड	2	5	20
18.	उड़ीसा	27	0	112
19.	पंजाब	4	0	1
20.	राजस्थान	13	0	0
21.	सिक्किम	1	0	0
22.	तमिलनाडु	59	0	0
23.	त्रिपुरा	3	10	11
24.	उत्तर प्रदेश	155	0	546
25.	पश्चिम बंगाल	86	43	621
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	2
29.	दमण व दीव	0	0	0
30.	दिल्ली	2	6	37
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0
	कुल	727	380	1923

निधियों का उपयोग

2282. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :**
श्री रामसागर रावत :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय पिछले चार वर्षों के दौरान उसे आबंटित निधियों का उपयोग करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले चार वर्षों के दौरान आबंटित निधियों और उनके वास्तविक उपयोग के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) निधियों के पूर्ण उपयोग और उनके मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा शुरू की गई योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) कई कारणों, जिसमें वित्त मंत्रालय द्वारा राशियों के पुन-र्विनियोजन से संबंधित अनुमोदन में विलम्ब शामिल है, के कारण मंत्रालय को आबंटित कुल राशियों का उपयोग नहीं किया जा सका। 1996-97 से 1999-2000 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के योजनागत आबंटन और व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1996-1997	469.40	456.39	429.28
1997-1998	543.70	440.00	406.70
1998-1999	704.09	468.00	498.05
1999-2000	700.00	610.00	551.74

(घ) मंत्रालय की स्कीमों के कार्यान्वयन और आबंटित निधि से पूरे प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए व्यय की मासिक मानीटरिंग, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थल के दौरे, राज्य सरकार से संपर्क बढ़ाने जैसे अनेक उपाय किए जा रहे हैं।

पारादीप पत्तन पर तलकर्षण परियोजनाएं

2283. **श्री प्रभात सामन्तराय :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन पर तलकर्षण परियोजनाएं पूरी करने के लिए कोई कदम उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं में कितनी प्रगति हुई; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरी किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) इस पत्तन के लिए कोई अलग निकर्षण परियोजना नहीं है। अलग-अलग समुद्री ढ़ांचों के लिए कैपीटल निकर्षण मुख्य स्वीकृत स्कीम में शामिल किया जाता है। "दूसरी बहुउद्देश्यीय बर्थ का निर्माण" और "पश्चिमी क्वे का निर्माण" जैसी दो प्रमुख 9वीं योजना स्कीमों के लिए बर्थ खास का निर्माण पूरा कर लिया गया है तथा बर्थ के सामने निकर्षण कार्य मै० भारतीय निकर्षण निगम लि० के माध्यम से शुरू किया गया था। तथापि, नवम्बर, 99 में विनाशकारी चक्रवात के कारण निकर्षण रोक दिया गया था। पत्तन ने खुली निविदा के जरिए शेष निकर्षण कार्य के लिए उपाय किए हैं।

(ग) उपर्युक्त दो परियोजनाओं के लिए निकर्षण कार्य दिसम्बर, 2000 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

"पल्स" दर

2284. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम०टी०एन०एल० का विचार स्थानीय कालों की "पल्स" दर तीन मिनट से बढ़ाकर पांच मिनट तक करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या एम०टी०एन०एल० ने स्वीकृति हेतु इस प्रस्ताव को दूरसंचार विभाग के पास भेजा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव पर दूरसंचार विभाग की क्या प्रतिक्रिया है और कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है; और

(घ) इन्टरनेट प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए पल्स दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप एम०टी०एन०एल० द्वारा कितने अतिरिक्त राजस्व की उगाही किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एन०एच०डी०पी० द्वारा कवर नहीं किए गए पश्चिमी तटक्षेत्र

2285. **श्री जी०एम० बनातवाला :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन०एच०डी० पी०) पश्चिमी तटक्षेत्र को कवर नहीं करती है;

(ख) क्या खनन उद्योगों का एक बड़ा भाग और वृक्षारोपण तथा बड़े पत्तनों के स्थान सहित इसके महत्व और आर्थिक तथा पर्यटन संभावना को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार पश्चिमी तट को एन०एच०डी०पी० के कार्य क्षेत्र में लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केरल सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज के कवरेज को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (च) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन० एच०डी०पी०) में दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुम्बई महानगरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज, कोचीन-सलेम खंड के साथ-साथ श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला उत्तर-दक्षिण गलियारा तथा सिल्चर को सौराष्ट्र से जोड़ने वाला पूर्व-पश्चिम गलियारा शामिल है। एन०एच०डी०पी० के संरेखण के बारे में निर्णय सरकार द्वारा यातायात सघनता, राजमार्गों की लम्बाई तथा क्षेत्र एवं आबादी जिनको ये सेवा प्रदान करते हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। पश्चिमी तट पर एन०एच०डी०पी० संरेखण नहीं है। तथापि सरकार ने विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क/एन०एच०डी०पी० के साथ सभी महापत्तनों का संपर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऐसे संपर्क का आशय तटीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करना है और यह लगभग 1000 कि०मी० की लम्बाई में चार/छः लेन की सड़क के तौर पर प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी तट पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों सहित अन्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का भी विकास किया जाएगा जो धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

अंसतोषजनक टेलीफोन-सेवाएं

2286. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू कश्मीर में बारामुला क्षेत्र में टेलीफोन सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुरक्षा हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जम्मू तथा कश्मीर के बारामुला क्षेत्र में टेलीफोन-सेवाएं सामान्यत: संतोषप्रद हैं। तथापि, चैनलों की संख्या सीमित होने के कारण कभी-कभी कुछ एक्सचेंजों में संकुलन आ जाता है।

(ग) यहां ऑप्टिकल फाइबर केबल शुरू करने की योजना है ताकि बारामुला क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किया जा सके।

[अनुवाद]

दूरसंचार का विकास

2287. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विशेषकर मणिपुर में, दूरसंचार के विकास पर राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की जानी है;

(ख) क्या नई नीति के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाओं के विकास में निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कम्पनियों ने निवेश में रूचि दिखाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) विभाग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यवार व्यय का पूरा आबंटन अभी नहीं किया है। तथापि, वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के लिए राज्यवार व्यय तथा विशेष रूप से मणिपुर के लिए व्यय का ब्यौरा और वर्ष 2000-2001 के दौरान व्यय का प्रावधान संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) इस समय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत असम में पेजिंग सेवा के ऑपरेशन के लिए एक लाइसेंसधारक है।

एन०टी०पी०-99 के अनुसार अधिक ऑपरेटरों का प्रवेश भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी०आर०ए०आई०) की सिफारिशों पर आधारित होना चाहिए। तदनुसार, टी०आर०ए०आई० से अनुरोध किया गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में अधिक ऑपरेटरों के प्रवेश के लिए अपनी सिफारिशें दें। टी०आर०ए०आई० की सिफारिशें 30.9.2000 तक मिल जाने की आशा है। टी०आर०ए०आई० की सिफारिशें प्राप्त होने पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिक ऑपरेटरों के प्रवेश के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक वास्तविक व्यय तथा वर्ष 2000-2001 के लिए व्यय के प्रावधान का विवरण

(रु० करोड़ में)

क्र.सं.	सर्किल का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 प्रावधान
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान-निकोबार	9.95	16.47	27.26	16.48

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश	550.54	696.94	1122.64	1420.60
3.	असम	122.45	112.86	166.45	164.65
4.	बिहार	269.08	325.45	390.12	715.45
5.	गुजरात	565.95	552.24	819.92	935.46
6.	हरियाणा	181.21	207.17	301.03	349.75
7.	हिमाचल प्रदेश	121.59	119.87	170.96	202.10
8.	जम्मू और कश्मीर	52.51	51.04	87.08	129.74
9.	कर्नाटक	654.33	714.02	962.52	1107.97
10.	केरल	631.11	731.50	923.31	1046.44
11.	मध्य प्रदेश	329.84	390.54	481.84	579.45
12.	महाराष्ट्र	846.63	865.52	1230.62	1570.83
13.	पूर्वोत्तर	104.72	182.03	201.14	179.30
14.	उड़ीसा	167.28	174.44	224.44	312.60
15.	पंजाब	463.32	525.99	584.27	689.26
16.	राजस्थान	386.01	374.81	557.29	687.01
17.	तमिलनाडु	652.38	756.35	979.69	1659.48
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	593.94	679.70	676.00	890.20
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	424.15	334.50	491.41	508.77
20.	पश्चिम बंगाल	227.54	306.58	477.64	1044.22
21.	अन्य यूनिटें	1291.57	1332.32	1635.14	868.80
	जोड़	8646.10	9450.34	12510.77	15076.56
	विशेष रूप से मणिपुर के लिए	11.73	16.09	21.64	167.90 मणिपुर सहित पूर्वोत्तर सर्किल के लिए

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े का आधुनिकीकरण

2288. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े के आधुनिकीकरण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) बी-737 तथा ए-300 विमान के पुराने बेड़े की प्रतिस्थापना के लिए तथा साथ ही इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े की क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से फिलहाल एक तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन अध्ययन कार्य किया जा रहा है।

[अनुवाद]

वन्य जीव अपराधों के लिए जुर्माना

2289. श्री वी० वेंकटेस्वरलु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन जीव अपराधों के लिए जुर्माना लगाने के क्या प्रावधान हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत आने वाले अपराधों की जुर्माना राशि में वृद्धि करने का है ताकि अपराधियों में भय व्याप्त हो; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत दण्ड संबंधी विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने संशोधित दण्ड व्यवस्था पर अभी अंतिम निर्णय नहीं किया है।

विवरण

वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर निम्नलिखित दण्ड की व्यवस्था है

(i) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम के किसी उपबंध अथवा किसी नियम अथवा इसके तहत जारी किए गए किसी आदेश (अध्याय-V-ए और धारा 88-जे को छोड़कर) का उल्लंघन करने का दोषी पाए गए किसी व्यक्ति को जेल की सजा हो सकती है अथवा जुर्माना, जो 25,000 रु० तक हो सकता है अथवा दोनों तरह की सजा दी जा सकती है।

(ii) अनुसूची-I अथवा अनुसूची-II के भाग-II में निर्दिष्ट वन्य प्राणियों, अथवा ऐसे किसी प्राणी के अंग से मांस, वस्तु, ट्रोफी, अथवा ऐसे प्राणियों से निकाली गई असंसाधित ट्रोफी और किसी अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय पार्क में शिकार करने अथवा उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने से सम्बन्धित अपराध करने वाले व्यक्तियों को कम से कम एक साल के कारावास की सजा दी जा सकती है जो छः वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और साथ ही कम से कम 5,000 रु० का जुर्माना भी किया जा सकता है। इसके बाद इसी तरह के किए गए अपराधों के लिए कम से कम 2 वर्ष की सजा दी जाएगी और कम से कम 10,000 रु० तक जुर्माना किया जाएगा।

(iii) अध्याय V के अतर्गत अपराधों (अनुसूचित वन्य प्राणियों से संप्राप्त ट्रॉफियों और वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबंध से सम्बन्धित) के लिए सावधिक कारावास की सजा हो सकती है जो एक वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन इसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी किया जा सकता है। जुर्माने की यह राशि 5,000 रु० से कम नहीं होगी।

(iv) चिड़ियाघरों से सम्बन्धित अपराधों के मामले में छः माह के कारावास अथवा जुर्माना, जो 2000 रु० तक बढ़ाया जा सकता है, की सजा अथवा दोनों सजाएं साथ-साथ देने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद इस तरह के अपराधों के लिए कारावास की यह सजा एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और 5000 तक जुर्माना किया जा सकता है।

स्वास्थ्य देख-रेख सेवाएं

2290. श्री नारायण दत्त तिवारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं की उपलब्धता और उपयोगिता तथा जनसंख्या के स्वास्थ्य आंकड़ों के बीच बहुत बड़ा अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं के घटिया निष्पादन के कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) सरकार विशेषकर निर्धनों और सुविधा से वंचित लोगों को बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने हेतु बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाएं सृजित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। गीनवार्म का उन्मूलन किया जा चुका है, कुष्ठ रोग की व्यापतता दर, जो 1981 में प्रति 10,000 पर 57 थी, को घटाकर मार्च, 2000 में प्रति 10,000 पर 5.28 कर दिया गया, मलेरिया के कारण होने वाली रुग्णता और मृत्यु पर नियंत्रण पा लिया गया, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम के अंतर्गत रोगमुक्ति दर में काफी सुधार हुआ, पोलियो का वास्तव में उन्मूलन किया गया, और प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन से मां और बच्चों के कवरेज में काफी वृद्धि हुई है। तथापि, स्वास्थ्य सेवाओं विशेषकर निवारणात्मक उपायों का लाभ उठाने के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी कतिपय दूरस्थ क्षेत्रों, निरक्षरता, गरीबी इत्यादि जैसे तथ्यों से कुछ मामलों में सफलता का वांछित स्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकार मलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ रोग और एड्स के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेन्सियों से बाह्य सहायता जुटाकर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संसाधन बढ़ाने का हर संभव प्रयास करती रही है।

कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए कार्यक्रमों की निरन्तर समीक्षा की जा रही है। सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलापों के जरिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में पेड़ों की कटाई

2291. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मामले में हस्तक्षेप किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। श्री संतोष भारती द्वारा फाइल की गई रिट याचिका संख्या 202/95 के वादकालीन आवेदन सं० 257 के तहत उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(ग) मंत्रालय ने एक ब्यौरेवार शपथ-पत्र उच्चतम न्यायालय में फाइल किया है जिसमें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार माननीय न्यायालय से वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई से प्रतिबंध हटाने की सिफारिश की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डाकघर

2292. श्री अमर राय प्रधान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान पश्चिम बंगाल में उत्तरी बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर/उप डाकघर और डाकघरों की शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सर्किल में वर्ष 2000-2001 के लिए 55 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ई०डी०बी०ओ०) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 15 उत्तर बंगाल परिक्षेत्र के लिए हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के चालू वित्त वर्ष में 07 विभागीय डाकघर (डी०एस०ओ०) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 1 उत्तर बंगाल परिक्षेत्र के लिए है। नए डाकघर खोलना वित्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित पदों की मंजूरी देने के अध्यधीन है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए कोई उत्तर अपेक्षित नहीं है।

एच०आई०वी० के मामले

2293. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी :
श्री प्रभात सामन्तराय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में एड्स और एच०आई०वी० संक्रमित कितने मामलों का पता चला है;

(ख) इन रोगियों को उचित उपचार प्रदान कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए कोई क्रेश कार्यक्रम तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा में क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर-पूर्वी राज्यों में विगत तीन वर्षों के दौरान एच०आई०वी०/एड्स मामलों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) एड्स रोगियों को सभी सरकारी अस्पतालों में अवसरवादी संक्रमणों के लिए बिना किसी भेदभाव के नि:शुल्क उपचार प्रदान किया जाता है।

(ग) से (ङ) भारत में एच०आई०वी०/एड्स को फैलने से रोकने और नियंत्रित करने के लिए इस समय देश भर में (उड़ीसा राज्य सहित) एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :–

- लक्षित लोगों की पहचान करके और प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा परामर्श देने की व्यवस्था करके कण्डोम के प्रयोग को बढ़ावा देकर, यौन संचारित संक्रमणों के लिए उपचार प्रदान करके उच्च जोखिम वाले समूहों में एच०आई०वी० के फैलने को कम करना।
- सूचना, शिक्षा और संचार तथा जागरूकता अभियान, स्वैच्छिक परीक्षण और परामर्श, निरापद रक्ताधान सेवाओं और व्यावसायिक प्रभावन (एक्सपोज़र) की रोकथाम द्वारा जन सामान्य के लिए निवारात्मक उपाय।
- अवसरवादी संक्रमणों, एच०आई०वी०/एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए गृह (होम) और समुदाय आधारित परिचर्या हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय राज्य और नगरपालिका स्तरों पर प्रभावकारिता तथा तकनीकी प्रबंधकीय, वित्तीय समर्थन को सुदृढ़ करना।
- सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाना।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

भारत में (राज्यवार) सूचित एच०आई०वी० संक्रमणों की वार्षिक संख्या वर्ष 1997 (मई) से 1999 (दिसम्बर)

क्र.सं.	राज्य	1997	1998	1999
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र	9048	5435	4575

1	2	3	4	5
2.	तमिलनाडु	7780	2179	4805
3.	मणिपुर	623	1275	848
4.	असम	22	1	71
5.	नागालैंड	128	40	20
6.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
7.	मिजोरम	24	7	30
8.	मेघालय	1	1	1
9.	सिक्किम	2	3	5
10.	त्रिपुरा	0	1	0

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, भारत में एड्स के मामले (नाको को सूचित) वर्ष 1997, 98 और 99 के अंत तक

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एड्स के मामले		
		1997	1998	1999
1.	असम	19	22	33
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	नागालैंड	10	10	29
4.	मणिपुर	301	301	362
5.	मिजोरम	5	5	12
6.	मेघालय	8	8	8
7.	त्रिपुरा	0	0	0
8.	पश्चिम बंगाल	57	57	57
9.	महाराष्ट्र	3315	3379	3409
10.	तमिलनाडु	1624	4354	5741

इंटरनेट सामग्री

2294. डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का विचार इंटरनेट सामग्री की सुरक्षा करने के लिए एक तंत्र बनाने का है; और

(ख) ई-कामर्स को बढ़ावा देने और इस सामग्री का स्तर उठाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) एम०टी०एन०एल० दिल्ली तथा मुम्बई में इन्टरनेट सेवाओं का प्रचालन कर रहा है और एम०टी०एन०एल० के सर्वर पर इन्टरनेट सामग्री की उपयुक्त साफ्टवेयर तंत्र द्वारा सुरक्षा की जा रही है।

(ख) इन्टरनेट वेबसाइट्स के माध्यम से सामग्री अधिकांशत: निजी संगठनों की पहल से उपलब्ध होती हैं। भारत सरकार मल्टी मीडिया, मल्टी लिंगुअल साफ्टवेयर विशेषत: भारतीय भाषाओं को कवर करने वाले क्षेत्रों में परियोजनाओं की सहायता कर रही है। इससे सामग्री में सुधार होने की प्रत्याशा है।

ई-कामर्स को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ई-कामर्स के क्षेत्र में ज्ञान अर्जन कराने, दक्षता तथा तकनीकी सक्षमता में सुधार लाने के लिए अनेक परियोजनाओं की सहायता की जा रही है। उनमें से एक परियोजना द्वारा सी०एम०सी०, हैदराबाद में सेन्टर आफ एक्सीलेंस फार ई-कामर्स स्थापित किये जाने का लक्ष्य है।

ई-कामर्स को बढ़ावा देने के लिए विनियामक एवम् विधिक ढांचों से सम्बन्धित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 15 अगस्त, 2000 से लागू होने जा रहा है।

[हिन्दी]

बकाया देयताएं

2295. श्री अखिलेश यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में सरकारी अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों पर टेलीफोन बिलों की भारी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, उक्त अस्पतालों और पुलिस-स्टेशनों पर अलग-अलग कितनी राशि बकाया है;

(ग) उक्त अस्पतालों और पुलिस-स्टेशनों से बकाया राशि वसूलने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है; और

(घ) इस राशि की वसूली कब तक कर ली जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) समूचे देश में सरकारी अस्पतालों व पुलिस-थानों की ओर क्रमश: 3.4 करोड़ रुपये व 35.7 करोड़ रुपये बकाया हैं।

(ग) और (घ) चूक कर्ता विभागों के प्राधिकारियों से वसूलियों के लिए नियमित रूप से बातचीत की जाती है। अस्पतालों व पुलिस-थानों के मामले में क्रमश: राज्य के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों को भी लिखा जाता है। यद्यपि, कोई समय-सीमा तय करना कठिन है, फिर भी प्राय: उसी वित्त वर्ष के दौरान वसूलियों के लिए प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

लद्दाख के लिए हवाई सेवायें

2296. श्री हसन खान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटकों विशेषकर विदेशी पर्यटकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लद्दाख के लिये हवाई सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) इस समय, लद्दाख क्षेत्र में लेह के लिए/वहां से निम्नलिखित अनुसूचित विमान सेवाएं उपलब्ध हैं :–

सैक्टर	आवृत्ति/सप्ताह
इंडियन एयरलाइन्स	
दिल्ली-लेह-दिल्ली	4 (31.8.2000 तक)
एलायंस एयर	
दिल्ली-लेह-दिल्ली	4
लेह-श्रीनगर-लेह	1
लेह-जम्मू-लेह	2
लेह-चंडीगढ़-लेह	1

एलायंस एयर दिनांक 15.6.2000 से 10.9.2000 तक सप्ताह में 4 उड़ान आवृत्ति सहित दिल्ली-लेह-दिल्ली सैक्टर पर अतिरिक्त विमान सेवाएं प्रचालित कर रही है।

निजी विमानकंपनियों को भी लेह के लिए और अधिक उड़ानें प्रचालित करने के बारे में विचार करने के लिए कहा गया है। तथापि, यह बात एयरलाइनों पर निर्भर करती है कि वे सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी-सिद्धान्तों का अनुपालन करते हुए यातायात मार्ग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मद्देनजर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं मुहैया करे।

टेलीडेंसिटी

2297. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार के प्रसार क्षेत्र को वर्तमान के 2.7 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2005 तक 7 प्रतिशत तथा 2010 तक 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु धनराशि देने के संबंध में आत्मनिर्भर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2005 और 2010 तक कुल कितने नए कनेक्शनों की आवश्यकता होगी और इस उद्देश्य हेतु कुल कितने निवेश की आवश्यकता होगी; और

(छ) सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) नई दूरसंचार नीति, 1999 में 2005 तक 7 का टेलीघनत्व तथा वर्ष 2010 तक 15 का टेलीघनत्व प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है जबकि 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार प्राइवेट बुनियादी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए मोबाइलफोन और टेलीफोनों सहित मौजूदा टेलीघनत्व 2.92 है।

(ख) से (ङ) दूरसंचार सेवा विभाग की संदर्श योजना 2000-2001 में निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित लगभग 386460 करोड़ रुपए की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है। इस निधि की कुल राशि में से, 2000-01 से 2009-10 की अवधि के लिए योजना परिव्यय को पूरा करने हेतु दूरसंचार सेवा विभाग तथा एम०टी०एन०एल० को 254179 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तथापि, निधि जुटाने का ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है, चूंकि, सामान्यत: यह ब्यौरा पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों तथा वार्षिक योजना प्रस्तावों के दौरान तैयार किया जाता। विगत में दूरसंचार-सेवा विभाग और एम०टी०एन०एल० ने योजना परिव्यय को पूरा करने के लिए बाजार ऋणों (बांडों) के माध्यम से आंतरिक संसाधनों में कमी को काफी हद तक पूरा किया है और प्रश्नगत अवधि के दौरान यही प्रक्रिया जारी रहेगी। दूरसंचार सेवा विभाग और एम०टी०एन०एल० 2010 तक की विकासीय योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की पूर्ति अपने आंतरिक संसाधनों तथा बाजार ऋणों (बांडों) से करेंगे।

(च) दूरसंचार सेवा विभाग की संदर्श योजना 2000-2010 में एम०टी०एन०एल० सहित प्राइवेट ऑपरेटरों तथा डी०टी०एस० द्वारा 2005 तक कुल 387.85 लाख फिक्सड टेलीफोन तथा 107.32 लाख मोबाइल टेलीफोन बढ़ाने की परिकल्पना की गई है और वर्ष 2005-2010 के दौरान एम०टी०एन०एल० सहित प्राइवेट ऑपरेटरों तथा डी०टी०एस० द्वारा 271.76 लाख फिक्सड टेलीफोन और 695.24 लाख मोबाइल टेलीफोन प्रदान करने अपेक्षित होंगे।

2000-2010 की अवधि के लिए कुल अनुमानित निधि की आवश्यकता 386460 करोड़ रुपए है।

(छ) आवश्यकता को पूरा करने तथा नई दूरसंचार नीति-1999 में यथा परिकल्पित टेलीघनत्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तरोत्तर रूप से वार्षिक लक्ष्य बढ़ाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सी०जी०एच०एस० के लाभग्राहियों हेतु मान्यता प्राप्त अस्पताल

2298. श्री धर्म राज सिंह पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के उपचार हेतु कौन-कौन से अस्पताल मान्यता प्राप्त हैं;

(ख) क्या इन मान्यता प्राप्त अस्पतालों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न हृदय रोगों के उपचार पर आए सभी खर्च का उनके अपने कार्यालयों द्वारा प्रतिपूर्ति की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कितने मामलों को इन मान्यता प्राप्त अस्पतालों में भेजा गया है जिसके संबंध में विभिन्न हृदय रोगों के उपचार पर आए कुल व्यय को पूर्ण रूप से प्रति-पूर्ति की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) विभिन्न विशिष्टताओं और नैदानिक क्रियाविधियों के लिए के०स०स्वा०यो०/केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अंतर्गत कवर किए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के उपचार के लिए मान्यता प्राप्त अस्पतालों के नाम संलग्न विवरण में हैं।

(ख) संबंधित मंत्रालय/विभाग जहां कर्मचारी कार्यरत है, सरकारी अनुमोदित दरों के अनुसार के०स०स्वा०यो०/केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अंतर्गत कवर किए गए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ग) क्योंकि के०स०स्वा०यो०/ केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1944 के अंतर्गत कवर किए गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनके मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है, इसलिए पूरी प्रतिपूर्ति के भुगतान के मामलों के बारे में सूचना पृथक रूप से नहीं रखी जाती है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिल्ली, दिल्ली से बाहर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

अस्पताल का नाम

दिल्ली

1. नरेन्द्र मोहन अस्पताल
2. बतरा अस्पताल एवं मेडिकल रिसर्च
3. एस्कॉर्ट अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, फरीदाबाद
4. डा० आनन्दस अल्ट्रासाउंड एवं एस०टी० स्कैन
5. आनन्द अस्पताल
6. आरथोनोवा
7. मूलचन्द खैराती राम अस्पताल
8. सर्वोदया मेडिकल रिसर्च सेंटर
9. नार्थ पाइंट अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड
10. आर०जी० स्टोन
11. कैलाश मेडिकल रिसर्च सेंटर
12. जी०एम०आर० इंस्टीट्यूट आफ इमेजिंग, रिसर्च एम०आर०आई० स्कैन सेंटर
13. मेडिकल लेबोरेटरी सर्विसेस
14. साउथ दिल्ली अल्ट्रासाउंड, एक्सरे क्लीनिक
15. जी०एम० मोदी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर
16. जयपुर गोल्डन अस्पताल
17. नौएडा मेडिकल सेंटर लि०
18. इंदिराप्रस्थ अपोलो अस्पताल
19. दिल्ली सी०टी० एवं एम०आर०आई० सेंटर
20. धर्मशिला कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च
21. डा० हांडा एक्सरे एवं डायग्नोस्टिक सेंटर
22. सेंट स्टीफन अस्पताल
23. एस्कॉर्ट हर्ट इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेंटर

चेन्नई

1. के०जे० अस्पातल प्रा०लि०
2. तमिलनाडु अस्पताल, लि०
3. अपोलो अस्पताल इंटरप्राइस लि०
4. राम चन्द्रा मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर
5. बिलिंग्डन अस्पताल
6. त्रिनीति एक्यूट केयर अस्पताल
7. कैंसर इंस्टीट्यूट डब्ल्यू०आई०ई०
8. मद्रास मेडिकल मिशन
9. शंकर नेटराल्या मेडिकल रिसर्च फांउडेशन
10. आर०जी० स्टोन
11. तमिलनाडु यूरोलोजिकल रिसर्च सेंटर
12. सी०एस०आई० रैनी अस्पताल
13. नेशनल अस्पताल
14. सी०एस०आई० कल्याणी अस्पताल
15. आंध्रा महिला सभा
16. वालेयंटरी हेल्थ सर्विस
17. पब्लिक हैल्थ सेंटर
18. शिफा अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर
19. अर्मा क्लीनिकल सर्विस एवं अस्पताल
20. श्री चेन्नई स्कैन एवं रिसर्च सेंटर

कलकत्ता

1. मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विस
2. सुरक्षा डायग्नोस्टिक एवं आई रिसर्च प्रा०लि०
3. बेल बू क्लीनिक
4. क्लीनिकल लेबोरेटरी
5. बंसल हैल्थ केयर सेंटर
6. मां दुर्गा डायग्नोस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट
7. कैंसर सेंटर एवं वेल्फेयर होम ठाकुरपुर
8. रामकृष्णा मिशन सेवा प्रतिष्ठान अस्पताल
9. कलकत्ता हर्ट रिसर्च सेंटर
10. बेहालाबाला नंदा ब्रह्मचारी अस्पताल
11. लाइटिंनक्यूल डायग्नोस्टिक सेंटर
12. हैल्थ केयर एवं अल्ट्रासाउंड स्कैन सेंटर
13. वाकर्ड मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर
14. डा० निहार मुंशी नेत्र प्रतिष्ठान
15. जनप्रिय अस्पताल निगम लि०

बैंगलूर

1. चिन्माया मिशन अस्पताल
2. एम०एस० रमैया चिकित्सा शिक्षण अस्पताल
3. चर्च आफ साउथ इंडिया अस्पताल
4. मेदिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विसेज लि०
5. के०आई०एम०एस० हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर
6. येल्लमा दाप्पा अस्पताल
7. पी०डी० हिन्दूजा सिंधी अस्पताल
8. रिपब्लिकल अस्पताल
9. बैंगलूर बैप्टिस्ट अस्पताल
10. सेवा क्षेत्र अस्पताल
11. मेल्लिगे मेडिकल सेंटर
12. सेंट जानज मेडिकल कालेज हास्पिटल
13. माल्लया अस्पताल
14. मानिपाल अस्पताल
15. वाकहरर्ट हास्पिटल एवं हर्ट इंस्टीट्यूट
16. बैंगलूर हास्पिटल/सुश्रुत मेडिकल एवं रिसर्च हास्पिटल लिमिटेड

जयपुर

1. रूंगटा बाल एवं सामान्य अस्पताल
2. सोनी अस्पताल
3. जैन नेत्र अस्पताल
4. अर्ट एंड जनरल हास्पिटल
5. लक्ष्मी इमेजिन एवं मेडिकल रिसर्च हास्पिटल
6. राजधानी क्लीनिक एवं उपचर्या गृह
7. के०सी० स्मारक नेत्र अस्पताल
8. मूत्र-रोग विज्ञान एवं चिकित्सा परिचर्या केन्द्र
9. शारदा उपचर्या गृह
10. श्री अमर जैन चिकित्सा राहत सोसाइटी

पुणे

1. शारदा क्लीनिक
2. हरदीकार अस्पताल
3. पुणे मेडिकल फाउंडेशन
4. एन०एम० वाडिया इंस्टीट्यूट आफ कारडियोलोजी
5. ट्रियूम्फ न्यूक्लीयर मेडिकल एवं रिसर्च
6. उनी स्केन सेंटर
7. कलोनी नर्सिंग होम
8. लायन्स सस्केन सेंटर
9. मेडवीजन
10. ए०सी० टीस जनरल अस्पताल
11. श्री धर्म लीला डायग्नोस्टिक सेंटर
12. किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल
13. पठक्वेस्ट पैथोलाजी एवं एन्डीक्रिनोलाजी लेबोरेटरी
14. डा० टोकास एक्सरे
15. कोटबागी अस्पताल
16. पीकोना अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर
17. संजीवन अस्पताल
18. लोकमान्य अस्पताल
19. गुलाटी सोनागाफिक क्लीनिक
20. द्वारिका संगमसिकर मेडिकल फाउंडेशन
21. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ आपथालमोलोजी
22. होप फाउंडेशन कल्पना मेनोग्राफि सेंटर
23. दीनदयाल मेमोरियल अस्पताल
24. भारती अस्पताल

25. संचेती इंस्टीट्यूट फार क्रोथोपेडिक रेहाबीलीटेशन
26. कृष्णा जनरल होस्पिटल एवं स्ट्री क्लीनिक
27. एन०एम० वाडिया अस्पताल

हैदराबाद

1. शेरे मेडिकल केयर (मेडिसीटी)
2. मेडविन अस्पताल
3. विजया डायग्नोस्टिक सेंटर
4. गगन महल नर्सिंग होम
5. सी०डी०आर० अस्पताल
6. एपोलो अस्पताल
7. एल०वी० प्रसाद नेत्र अस्पताल
8. मेदिनावा डायग्नोस्टिक केन्द्र
9. यशोदा अतिविशिष्ट अस्पताल
10. श्रवण उपचर्या गृह
11. कैलाश डायग्नोस्टिक एवं पुनर्वास केन्द्र
12. तपादिया डायग्नोस्टिक केन्द्र
13. ईश्वर लक्ष्मी अस्पताल
14. सागर लाल स्मारक अस्पताल
15. न्यू सिटी अस्पताल
16. सीता प्रसव एवं उपचर्या गृह
17. अशोक कुमार अस्पताल
18. सी०सी० श्रोफ स्मारक अस्पताल
19. केन्द्रीय नैदानिक एवं अनुसंधान संस्थान
20. राजकुमारी धररू शेवर बाल अस्पताल
21. हरि प्रसाद स्मारक अस्पताल
22. श्री भगवान देवी प्रसव एवं अस्थि चिकित्सा अस्पताल
23. कामेनिनी अस्पताल

मुम्बई

1. परेमाउंट इमेजिंग केन्द्र
2. राधिबाई वाटुमोल चेस्ट अस्पताल
3. मंगलानाड अस्पताल
4. आर०सी० स्टोन अस्पताल
5. पी०डी० हिन्दूजा अस्पताल
6. डा० बालाभाई नानावती अस्पताल
7. बम्बई अस्पताल

इलाहाबाद

1. कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल
2. चिरंजीव उपचर्या गृह
3. मैसर्स देवराज चिकित्सा केन्द्र
4. कीर्ति स्केनिंग केन्द्र प्रा०लि०
5. सरस्वती हृदय परिचर्या

लखनऊ

1. जीवन रे
2. सेवा अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर
3. जीवन रेखा अस्पताल एवं हृदय केन्द्र
4. अवध अस्पताल एवं हृदय केन्द्र
5. विवेकानन्द पोलिक्लीनिक
6. नैदानिक चिकित्सा केन्द्र
7. उत्तर प्रदेश मेडिकल केन्द्र
8. सरकार अल्ट्रासाउंड केन्द्र
9. ओम नैदानिक केन्द्र

कानपुर

1. रीजेन्सी अस्पताल
2. कानपुर मेडिकल अस्पसेंटर
3. मधुरात नर्सिंग होम प्रा०लि०
4. सुलक्ष्मी नर्सिंग होम
5. डा० आई०आर०एल०डी० नेत्र अस्पताल
6. सरल नर्सिंग होम
7. मधुलोक अस्पताल
8. कुलवन्ती अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र
9. चन्द्रभाल उपचर्या गृह प्रा०लि०
10. लीलामणि स्मारक अस्पताल, प्रा०लि०
11. अभा उपचर्या गृह प्रा०लि०
12. लक्ष्मी देवी किशन चंद मेमोरियल अस्पताल
13. मोहन एक्सरे
14. बी०एल० रोहतागी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर
15. डा० थावनलस चेस्ट क्लीनिक एवं डायग्नोस्टिक सेंटर
16. सिंह एक्स-रे और पैथोलौजी

मेरठ

1. सुप्रिय अस्पताल
2. सरल अस्पताल और नर्सिंग होम
3. मेरठ स्टोन अस्पताल लि०
4. शिवा कार्डियक लेबोरेटरी
5. नीलकंठ डायलिसिस सेंटर

6. यूनाइटेड स्केन्स प्रा०लि०
7. हार्मोन केयर
8. लायन्स पैथालाजी लेब०
9. डा० प्रदीप त्यागी कम्प्यूटरीकृत रोग विज्ञान प्रयोगशाला

जबलपुर

1. जबलपुर अस्पताल और रिसर्च सेंटर
2. एस०सी० गुप्ता मेमोरियल अस्पताल
3. एम०एल० ट्रस्ट अस्पताल और रिसर्च सेंटर
4. जे०के० मेटरनिटी एवं नर्सिंग होम और कार्डियो रिपोपिरेटरी रिसर्च सेंटर
5. प्रकाश गंगा नेत्र अस्पताल
6. शिशु मंगल अस्पताल
7. संजीवन अस्पताल
8. चरक नैदानिक एवं अनुसंधान केन्द्र
9. जबलपुर मेडिकल सेंटर
10. विजय मेमोरियल एवं रिसर्च सेंटर
11. हर्ट केयर
12. मिनोचा एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड
13. मार्डन एक्स-रे सोनोग्राफी और पैथो सेंटर
14. मार्डन डायग्नोस्टिक सेंटर
15. आर्शीवाद एक्स-रे क्लीनिक
16. जबलपुर एक्स-रे और पैथो सेंटर
17. भल्ला पैथोलोजी सेंटर
18. श्वेता डायग्नोस्टिक सेंटर
19. नेमा पैथोलाजी सेंटर
20. पायनीर पैथोलाजीकल

नागपुर

1. सुश्रत अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर
2. पुरश्री जठरान्ज रोग विज्ञान क्लीनिक
3. सुबेदार अस्पताल
4. श्रीवर्धन एक्स-रे एंड अल्ट्रासाउन्ड क्लिनिक
5. डा० क०जी० देशपांडे मैमोरियल सेन्टर
6. रेटिना केयर हॉस्पिटल
7. सेन्टरल इंडिया इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल साइंसज
8. अवन्ति हार्ट क्लिनिक एंड हॉस्पिटल
9. दिनेश हॉस्पिटल एंड यूरोलोजिकल सेन्टर
10. आई इनफरमरी एंड लेजर सेन्टर
11. राउत चिल्डर्न हॉस्पिटल
12. एस०एम० विश्वकर्मा मैमोरियल आई हॉस्पिटल
13. साई नाथ डेग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेन्टर
14. तमसकर क्लिनिक
15. श्री क्लिनिक मेटरनिटी एंड सरजिकल
16. सेन्टरल पैथोलोजी लेबोरेटरी
17. स्नेह नर्सिंग होम
18. सेन्टरल न्यूरोलोजिकल इंस्टीट्यूट
19. जयनीता पैथोलोजी एंड साइक्लोजी लैबोरेटरी
20. श्री राधा कृष्णन हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट
21. मूरे मैमोरियल हॉस्पिटल
22. जनता मेटरनीटि होम एंड हॉस्पिटल
23. लता मंगेशकर हॉस्पिटल
24. क्रिसेन्ट नर्सिंग होम एंड आई०सी०सी०यू०
25. खेमिका एक्स-रे एंड अल्ट्रासाउन्ड क्लिनिक
26. मातरू सेवा संघ मेटरनिटी होम

पटना

1. कुरली होली फैमली हॉस्पिटल
2. दृष्टि आई केयर एंड रिसर्च सेन्टर
3. हॉस्पिटो इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड
4. बी०ई०जी० क्लिनिक
5. बालाजी कार्डिएक डाइग्नोस्टिक सेन्टर
6. राज लक्ष्मी नर्सिंग होम
7. सैन डाइग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड
8. सेन्टरल डाइग्नोस्टिक
9. हलंदा हॉस्पिटल एंड स्केन रिसर्च
10. डा० एस०बी० पांडे बायो-लेबोरेटरी

रांची

1. राजा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर
2. एडवांस्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टर
3. सेंट वरनावस हॉस्पिटल

अहमदाबाद

1. गुजरात रिसर्च एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट
2. लिथोट्रिप्सी एंड एम०आर०आई० सेन्टर

केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) निगम, 1944 के अधीन देश में मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों की सूची

क्र०सं०	राज्य का नाम	मान्यता प्राप्त अस्पताल का नाम एवं पता
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	स्वतंत्र हॉस्पिटल राजामुन्दरी।
2.	अरुणाचल प्रदेश	रामकृष्ण मिसन हॉस्पिटल, न्यू इटानगर।
3.	असम	1. वेल्श मिसन हॉस्पिटल, शिलांग।
		2. गणेश दास हॉस्पिटल फार विमेन एंड चिल्ड्रन।
		3. के०जे० हिल्स प्रेस्वाइटेरियन हॉस्पिटल, शिलांग।
4.	बिहार	1. सेन इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलोजी, पटना (प्रयोगशाला जांच के लिए)
		2. टाटा मेन हॉस्पिटल, जमशेदपुर।
		3. कुरजी होली फैमिली हॉस्पिटल, पटना।
		4. सिन्दरी फर्टीलाईजर एंड केमिकल्स लिमिटेड हॉस्पिटल, सिन्दरी।
		5. सेंट ल्यूक हॉस्पिटल हिरनपुर, बिहार, सिंगरी।
5.	चंडीगढ़	1. पी०जी०आई० चंडीगढ़।
		2. पे क्लिनिक।
		3. हार्ट केयर सेन्टर, मनिमाजरा।
		4. न्यू देलही डाइग्नोस्टिक सेन्टर, चंडीगढ़।
6.	गोवा	डा० पी०एस० ओदिया प्राईवेट लैबोरेटरी, पणजी।
7.	गुजरात	1. कस्तूरबा हॉस्पिटल, बल्सर।
		2. जुबली हॉस्पिटल, भूज, कांडला पोर्ट।
		3. टाटा कैमिकल हॉस्पिटल, मीठापुर।
8.	हरियाणा	1. बादशाह खान हॉस्पिटल, फरीदाबाद।
		2. गूजरलमल को-आपरेटिव हैल्थ ब्यूरो, यमुना नगर, हरियाणा।
9.	हिमाचल प्रदेश	1. धारा 5 के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय के दिनाक 6.4.72 के कार्यालय ज्ञापन सं० एस०-14019/3/73-एम०ए० के अनुसार स्वामी संकलन में कतिपय राज्यों/स्टेशन में व्यवस्था।
10.	जम्मू और कश्मीर	1. श्रीनगर नर्सिंग होम, श्रीनगर।
11.	कर्नाटक	1. कस्तूरबा हॉस्पिटल, मणिपाल।
		2. भारत गोल्ड माइंस (पी) लिमिटेड हॉस्पिटल, उरगांव।
12.	केरल	1. समारिटन हॉस्पिटल, अल्वई (कार्डिएक सर्जरी के लिए)।
		2. इंदिरा गांधी को-आपरेटिव हॉस्पिटल, कोचीन।
		3. श्री रामकृष्ण आश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल, त्रिवेन्द्रम।
		4. आयुर्वेद शाला, कोट्टाकल (आयुर्वेद)।
		5. अगस्त नर्सिंग होम एंड हौम्योपेथिक रिसर्च सेन्टर, कोचीन (होम्यो)।
		6. गोतम हॉस्पिटल, पणेपल्ली, कोची।
		7. लक्ष्मी हॉस्पिटल, कोचीन।

1	2	3
		8. वैद्यरत्नम नर्सिंग होम, ओल्लुरथोइक्काटुसेरी, त्रिसुर, केरल।
		9. लक्ष्मी हॉस्पिटल, अर्नाकुलम, कोचीन।
		10. कोचीन हॉस्पिटल, कोचीन।
13.	मध्य प्रदेश	1. बिरला इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल रिसर्च सेन्टर, ग्वालियर।
		2. कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्वालियर।
		3. रिकागनीशन आफ पौदार हॉस्पिटल, पौदार बेतुल (एम०पी०)।
		4. सेठ मन्नुलाल जगननाथ दास ट्रस्ट हॉस्पिटल, जबलपुर।
		5. जबलपुर हॉस्पिटल, 2 आर०सी० जबलपुर--एम०पी०।
14.	मिजोरम	1. प्रस्बाईटेरियन चर्च सिनोद हॉस्पिटल, आइजॉल जिला।
		2. सिरकावन क्रिश्चियन हॉस्पिटल, लौंगई जिला।
15.	महाराष्ट्र	1. सालवेसन आर्मी इवनजलाईन बूथ हॉस्पिटल, अहमदनगर।
		2. बारसी मेअरनिटी एंड जनरल को-आपरेटिव हॉस्पिटल, बारसी।
		3. एस०के० पाटील अरग्या धाम मल्लाद।
		4. जीजा माता हॉस्पिटल, वसी, नयू मुम्बई।
		5. वेनलेन्स हॉस्पिटल, मिराज मेडिकल सेन्टर, मिराज।
		6. मूरे मैमोरियल हॉस्पिटल, नागपुर।
		7. पुणे मेडिकल फाउंडेशन, पुणे।
		8. एन०एम० वाडिया हॉस्पिटल, पुणे।
		9. सांची हॉस्पिटल, पुणे।
		10. तेलगांव जनरल हॉस्पिटल एंड कान्वैलेशेन्ट होम एंड टी०बी० हॉस्पिटल, सेन्टोरिम तेलगांव।
		11. संजिवनी हॉस्पिटल, उत्तम नगर, पुणे।
		12. हरिदकर हॉस्पिटल, पुणे।
		13. कस्तूरबा जनरल हॉस्पिटल, पुणे।
		14. पूना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर, पुणे।
		15. सेन्चुरी रेयन हॉस्पिटल, शोलापुर।
		16. एन०एम० वाडिया हॉस्पिटल, शोलापुर।
		17. कावदे नर्सिंग होम, पुणे।
		18. दीन दयाल मैमोरियल हॉस्पिटल, पुणे।
		19. एन०एम० वाडिया इंस्ट० आफ कार्डियोलोजी, पुणे।
		20. जसलौक हॉस्पिटल, बम्बई।
		21. बम्बई हॉस्पिटल, बम्बई।
		22. टाटा मैमोरियल हॉस्पिटल, बम्बई।
		23. मधुकर जनरल हॉस्पिटल, पुणे।
		24. कृष्ण जनरल हॉस्पिटल एंड स्त्री क्लिनिक, पुणे।
		25. सिरिया हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड, पुणे।

1	2	3
16.	पंजाब	1. बी०बी०सी० हार्ट केयर पुरूथी हॉस्पिटल, जालन्धर।
17.	तमिलनाडु	1. सर इवान स्टेटफार हॉस्पिटल, अमबट्टूर।
		2. अपोलो हॉस्पिटल, मद्रास।
		3. केटरिंग बूथ हॉस्पिटल, नागिरकोआइल।
		4. सेकरेट हार्ट हॉस्पिटल, तुतिकोरम।
		5. सी०एम०सी० हॉस्पिटल, वैल्लोर।
		6. ट्रिनिटी एक्यूट केयर हॉस्पिटल, मद्रास।
		7. के०जे० हॉस्पिटल, मद्रास।
		8. संकरनेत्रालय, मद्रास।
		9. मिनाक्षी मिसन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर, मदुरई।
		10. ए०वी०एम० हॉस्पिटल, तुतिकोरिन, तमिलनाडु।
		11. के०जी० हॉस्पिटल, कोयम्बटूर, तमिलनाडु।
18.	पश्चिम बंगाल	1. रामकृष्णन मिसन सेवा प्रतिष्ठान, कलकत्ता।
		2. चार्टेटिस हॉस्पिटल, कलिमपौंग, दार्जीलिंग।
19.	उत्तर प्रदेश	1. मुस्लिम यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल-कॉलेज हॉस्पिटल, अलीगढ़।
		2. नरेन्द्र मोहन हॉस्पिटल, गाजियाबाद।
		3. रामाकृष्णन मिशन विवेकानन्द पोलिक्लिनिक।
		4. सीतापुर आई हॉस्पिटल, सीतापुर।
		5. रिजेन्सी हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड, ए-2 सर्वोदय नगर, कानपुर।
20.	दिल्ली	1. नरेन्द्र मोहन हॉस्पिटल।
		2. बतरा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च।
		3. एस्कार्ट्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर, फरीदाबाद।
		4. डा० आनन्द अल्ट्रासाउन्ड एंड सेंट स्केन।
		5. आनन्द हॉस्पिटल।
		6. आर्थोनोवा।
		7. मूलचन्द खेराती राम हॉस्पिटल।
		8. सर्वोदय मेडिकल रिसर्च सेन्टर।
		9. नार्थ पाइंट हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड।
		10. आर०जी० स्टोन।
		11. कैलिश मेडिकल एंड रिसर्च सेन्टर।
		12. जी०एम०आर० इंस्टीट्यूट ऑफ इमेगिंग, रिसर्च एम०आर०आई० स्केन सेन्टर।
		13. मेडिकल लैबोरेटरी सर्विसीज।
		14. साउथ दिल्ली अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे क्लिनिक।
		15. जी०एम० मोदी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर।

1	2	3
		16. जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल।
		17. नौएडा मेडिकल सेन्टर लिमिटेड।
		18. इन्द्रप्रस्था अपोलो हॉस्पिटल।
		19. दिल्ली सी०टी० एंड एम०आर०आई० सेन्टर।
		20. धर्मशीला कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च।
		21. डा० हांडा एक्स-रे डायग्नोस्टिक सेन्टर।
		22. सेंट स्टीफन हॉस्पिटल।
		23. एस्कार्ट्स हार्ट इंस्ट० एंड रिसर्च सेन्टर।
		24. नेशनल हार्ट इंस्ट० एंड रिसर्च सेन्टर।

गुजरात में डाकघर

2299. **श्री मानसिंह पटेल : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले कितने गांव और ग्राम पंचायतें हैं; और

(ख) सरकार द्वारा राज्य के इन गांवों और ग्राम पंचायतों में डाकघर खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) गुजरात में 8 ग्राम पंचायत गांव ऐसे हैं, जो डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। इन गांवों में चालू वर्ष के दौरान नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि वित्त मंत्रालय द्वारा पदों की मंजूरी मिल जाए।

वनों का विकास

2300. **श्री अनन्त नायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वनों के निरंतर विकास हेतु दीर्घावधि के एक कार्यक्रम को क्रियान्वित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस दीर्घावधि के कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर कितनी धनराशि का निवेश किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस कार्यक्रम के पूरा होने पर वन क्षेत्र में किस हद तक वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में अधिदेश अनुसार देश के कुल भूमि क्षेत्र में से 33 प्रतिशत भूमि क्षेत्र को वन/वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने और अगले 20 वर्षों के लिए देश में वनों के सतत विकास हेतु एक संदर्शी योजना राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम – भारत तैयार की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 31 मिलियन हैक्टेयर वन आवरण की सघनता और उत्पादकता में सुधार लाने तथा 3 मिलियन हैक्टेयर वनीकरण/पुनरोत्पादन की वार्षिक दर से 29 मिलियन हैक्टेयर गैर-वन और कृषि भूमियों पर पादप रोपण की संकल्पना की गई है। देश में राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रमों को चलाने हेतु कुल 1339027.8 मिलियन रुपये के निवेश का अनुमान लगाया गया है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए०आई०आई० एम०एस०) में शव परीक्षणों के मामलों को पहले से निर्धारित किया जाना

2301. **श्री रामजीवन सिंह :**
श्री रामचन्द्र पासवान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए०आई० आई०एम०एस०) में हाल ही में शव परीक्षण की रिपोर्टों में फेरबदल करके शव परीक्षणों की रिपोर्टों को पहले से निर्धारित किये जाने के कतिपय मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के लिए डेनिडा द्वारा सहायता

2302. श्री आर०एल० जालप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनिडा कर्नाटक में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कतिपय सुविधाएं प्रदान कर समर्थन प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक डेनिडा की सहायता से कर्नाटक में क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कतिपय उपस्करों की खरीद करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। डानिडा से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1994-95 से कर्नाटक में कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना में क्षेत्र परिचर्या उपस्कर और कार्मिक को प्रशिक्षण प्रदान करके चिकित्सा कालेजों, जिला अस्पतालों, मोबाइल नेत्ररोग चिकित्सा एककों और समुन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करना शामिल है। कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ग) से (ङ) कर्नाटक के विभिन्न नेत्र परिचर्या सुविधाओं के लिए अपेक्षित नेत्र उपस्कर वर्ष 99 से पहले सामग्री सहायता के रूप में प्रदान किए जाते थे। वर्ष 1999-2000 के दौरान भारत सरकार ने कर्नाटक को अपनी सुविधाओं हेतु नेत्र परिचर्या उपस्कर खरीदने के लिए 1.32 करोड़ रुपये जारी किये। राज्य सरकार ने इन उपस्करों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स हेतु जेनरल सेल्स एजेंट

2303. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स हेतु जेनरल सेल्स एजेंटों के लाइसेंस जारी करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे लाइसेंसों को जारी करने संबंधी वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं और इसका वर्तमान लाइसेंसों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स दोनों ही सामान्य बिक्री एजेन्टों को लाइसेंस जारी नहीं करते हैं। तथापि, एयरलाइनें, सामान्य बिक्री एजेन्सी के निर्गम के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाते हैं :–

(1) सामान्य विक्रय एजेंसी सु-व्यवस्थित, हाई प्रोफाइल संगठन, वाणिज्यिक रूप से व्यवस्थित तथा गतिशील होनी चाहिए। (2) सामान्य विक्रय एजेंसी वांछित या बाजार मांग के अनुसार कार्य करने योग्य होना चाहिए। (3) सामान्य विक्रय एजेंसी ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व में होना चाहिए जो एयरलाइनों द्वारा अपने देश में तथा देश से बाहर प्रचालन के लिए अपेक्षित सभी मैनडेटरी क्लीयरेंस प्राप्त करने में सक्षम हों। (4) सामान्य विक्रय एजेंसी समुचित प्रचार करने में सक्षम होनी चाहिए। (5) संबंधित सामान्य विक्रय एजेंसी वित्तीय रूप से सुदृढ़ तथा अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होनी चाहिए। (6) सामान्य विक्रय एजेंसी को ट्रेवल ट्रेड में अनुभव होना चाहिए।

सामान्य विक्रय एजेंसी करार साधारणतया वैधता अवधि के साथ होता है तथा इसके नवीकरण से पहले इसकी पुनरीक्षा की जानी होती है। इसके अतिरिक्त, सामान्य विक्रय एजेंसी के समक्ष प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य रखा जाता है जिसके परिणामस्वरूप सामान्य विक्रय एजेंसी के कार्य-निष्पादन की नियमित पुनरीक्षा होती है।

[हिन्दी]

मुम्बई-नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3 को "सुपर एक्सप्रेस राजमार्ग" के रूप में परिवर्तित करना

2304. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में मुम्बई-नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3 को "सुपर एक्सप्रेस राजमार्ग" के रूप में परिवर्तित करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल यह मंत्रालय सुपर एक्सप्रेस राजमार्ग के निर्माण पर विचार नहीं कर रहा है।

ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज

2305. डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल :
प्रो० दुखा भगत :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार बेतिया और लोहरदग्गा क्षेत्र में प्रखण्ड-वार कितने ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने टेलीफोन एक्सचेंज गत माह से कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) बेतिया तथा लोहरदग्गा क्षेत्र में कार्य कर रहे ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या निम्नानुसार हैं :—

1. **बेतिया क्षेत्र**

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	एक्सचेंज की सं०
1.	बेतिया	1
2.	चनपटिया	1
3.	जोगापट्टी	1
4.	मझौलिया	2

2. **लोहरदग्गा क्षेत्र**

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	एक्सचेंज की सं०
1.	लोहरदग्गा	1
2.	भांदरा	1
3.	सेन्हा	1
4.	किसको	1
5.	कुरू	1

(ख) पिछले एक माह से कोई भी एक्सचेंज खराब नहीं है।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खेल विकास कोष

2306. **श्रीमती रानी नरह** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक राष्ट्रीय खेल विकास कोष में कुल कितनी धनराशि जमा कराई गई है; और

(ख) सरकार, निजी और निगमित क्षेत्र तथा अनिवासी भारतीयों के योगदान का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) राष्ट्रीय खेल विकास निधि के खाते में कुल 2,46,92,477/-रु० की धनराशि जमा है।

(ख) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अंशदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एन०एस०डी०एफ०) के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अंशदानों का ब्यौरा

क्रम सं०	धन प्रदान करने वाली एजेंसी का नाम	एन०एस०डी०एफ० को प्रदान की गई धनराशि
1.	प्रारंभिक धन के रूप में प्रथम सरकारी अंशदान	200.00 लाख रु०
2.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	5.00 लाख रु०
3.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड	0.10 लाख रु०
4.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	5.00 लाख रु०
5.	बामर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड	1.00 लाख रु०
6.	पंजाब नेशनल बैंक	0.50 लाख रु०
7.	1999-2000 के दौरान समतुल्य सरकारी अंशदान	11.60 लाख रु०
8.	नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2.00 लाख रु०
9.	पावर फाइनैंस कारपोरेशन लिमिटेड	2.00 लाख रु०

विशाखापत्तनम में दो और गोदियों (बर्थ) हेतु प्रस्ताव

2307. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन हेतु दो और गोदियों (बर्थ) को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक वित्तपोषित और परियोजना को शुरू किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। विशाखापत्तनम पत्तन की भीतरी बंदरगाह में बी०ओ०टी० आधार पर दो और बर्थ जोड़ने का प्रस्ताव है।

(ख) इन बर्थों का निर्माण-कार्य वर्ष 2001 में शुरू करने की संभावना है और इन बर्थों को वर्ष 2003 में चालू करना निर्धारित है।

मोबाइल ऑपथैलमिक यूनिट्स

2308. **श्री कोलूर बसवनागौड** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में अभी तक अंधेपन पर नियंत्रण पाने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कितने मोबाइल ऑपथैलमिक इकाइयों की स्थापना की गयी है;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान कर्नाटक में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन स्थानों पर ऐसे मोबाइल ऑपथैलमिक एकक स्थापित किए जाने का विचार है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक में 1999-2000 के दौरान इन मोबाइल ऑपथैलमिक एककों के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) 1976 में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत से कर्नाटक में 25 चल नेत्र यूनिटें स्थापित की गई हैं।

(ख) 2000-2001 में कर्नाटक में कोई नई चल नेत्र यूनिट खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) 1999-2000 में चल नेत्र यूनिटों सहित विभिन्न नेत्र परिचर्या सुविधाओं हेतु नगद अनुदान के रूप में कर्नाटक सरकार को दी गई राशि 48 लाख रुपए है।

नसबन्दी ऑपरेशन

2309. श्री के० येरननायडू : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परिवार कल्याण नसबन्दी ऑपरेशन की सफलता या असफलता के लिए चिकित्सक की जिम्मेदारी निर्धारित करने के सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका दायर करने का है; और

(ख) यदि हां, तो गलत आपरेशन के कारण पीड़ितों को देय क्षतिपूर्ति और चिकित्सक की जिम्मेदारी के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) सरकार इस मामले में निर्णय लेने के लिए इस फैसले और राज्य सरकारों से प्राप्त हुए विभिन्न अभ्यावेदनों का अध्ययन कर रही है।

[हिन्दी]

सी०ए०जी० द्वारा लेखा परीक्षण

2310. श्री जे०एस० बराड़
श्री नवल किशोर राय

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निजी क्षेत्र के दूरसंचार ऑपरेटरों की लेखाओं का परीक्षण भारत के नियंत्रक और महालेखपरीक्षक से कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) इस संबंध में भारत के अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डाक व तार) से एक पत्र प्राप्त हुआ है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है। चूंकि इस संबंध में अंतरमंत्रालयी स्तर पर विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक है, अत: अंतिम निर्णय के संबंध में निश्चित समय-सीमा बताना व्यवहार्य नहीं है।

अम्बाला में टेलीफोन एक्सचेंज

2311. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने और हरियाणा के अम्बाला क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) (1) अम्बाला गौण स्विचन क्षेत्र में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता को वर्ष 2000-2001 के दौरान 30,000 लाइनों द्वारा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

(2) अम्बाला में निम्नलिखित सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं :-

(i) इंटरनेट

(ii) आई एन सेवा

(3) वर्ष 2000-2001 के दौरान अम्बाला गौण स्विचन क्षेत्र में निम्नलिखित सुविधाएं और उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है :

(i) आईएसडीएन

(ii) विश्वसनीय माध्यम

(iii) सभी गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

(iv) 2000 से अधिक लाइनों वाले सभी एक्सचेंजों में चरण-बद्ध तरीके से कम्प्यूटरीकृत दोष मरम्मत सेवा।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में पूर्वी तट सड़क का विकास

2312. श्री मणि शंकर अय्यर : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में एशियाई विकास बैंक से वित्तीय सहायता द्वारा तैयार की जाने वाले पूर्वी तट सड़क का पहला चरण पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किन्हीं अन्य चरणों के कार्य की परिकल्पना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो कुड्डालोर और तूतीकोरिन के बीच नागपतिनम जिले में पड़ने वाले खण्ड सहित सड़क की दशा और सम्पर्क व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या इसमें नए राष्ट्रीय राजमार्ग-43ए बनाना भी शमिल है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (छ) पूर्वी तट सड़क एक राज्यीय राजमार्ग है जिसके कुड्डालोर-तूतीकोरिन खंड को जनवरी, 1999 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने एशियाई विकास बैंक की 100 करोड़ रु० की सहायता से चेन्नई-कुड्डालोर खंड को दो-लेन में चौड़ा और सुदृढ़ किया था। तमिलनाडु राज्य सरकार ने कुड्डालोर-तूतीकोरिन खंड के लिए साध्यता रिपोर्ट और विस्तृत इंजीनियरी तैयार करने का कार्य विभिन्न राज्यों में राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी सहायता ऋण में से शुरू किया था। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सूचित किया है कि विस्तृत इंजीनियरी और पर्यावरणीय स्वीकृति का कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना का विश्व बैंक द्वारा अभी मूल्यांकन किया जाना है। उक्त प्रस्ताव में नया रा०रा० 45क (न कि 43क) शामिल है।

वानिकी परियोजनाएं

2313. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चलाई जा रही वानिकी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है, उनका अनुमानित बजट कितना है और लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत कोई नई परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ग) यदि हां, तो शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में व्यापक स्तर पर वन कटाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) तमिलनाडु में वन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है और तमिलनाडु की वर्तमान वानिकी परियोजनाओं और भविष्य में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ङ) वनीकरण परियोजनाएं राज्य सरकारों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत स्वीकृत की जाती हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की प्रमुख वनीकरण स्कीमों के संबंध में नौवीं योजना का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। इनमें कोस्टल शेल्टर बैल्ट प्लांटेशन के लिए 2000-2001 में स्वीकृत परियोजनाएं (एकीकृत वनीकरण एवं पारिविकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत) और औषधीय वस्पतियां उगाने (बांस के पौधों सहित गैर-इमारती लकड़ी वनोत्पाद का संरक्षण एवं विकास स्कीम के अन्तर्गत) शामिल हैं। पहले से चल रही बाह्य सहायता प्राप्त एकीकृत वानिकी परियोजनाओं का विवरण-II में दिया गया है। 2000-01 में बाह्य सहायता प्राप्त कोई नई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गई हैं। वन कटाव को रोकने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है। तमिलनाडु में वनावरण की स्थिति का ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है। तमिलनाडु के संबंध में भविष्य में परियोजनाओं को स्वीकृत करना, संबंधित स्कीमें दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार से उपयुक्त प्रस्तावों की प्राप्ति व निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण-I

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की प्रमुख वनीकरण स्कीमों के तहत नौवीं योजना परिव्यय और भौतिक लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा

परिव्यय लाख रु० में/भौतिक लक्ष्य हैक्टे० में

तालिका-I

राज्य	आई०ए०ई०पी०एस०		ए०ओ०एफ०एफ०पी०एस०		एन०टी०एफ०पी०		ए०एस०टी०आर०पी०	
	परिव्यय	भौतिक लक्ष्य	परिव्यय	भौतिक लक्ष्य	परिव्यय	भौतिक लक्ष्य	परिव्यय	भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	1142.01	14326	670.55	15479	782.40	9136	64.35	550
अरुणाचल प्रदेश	303.55	4015	40.16	1120	317.75	3390	85.40	720

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	459.74	3500	858.31	16800	205.65	2169		
बिहार	386.82	3200	737.98	10609	134.20	1125	157.66	1200
गोवा	0.36	0	38.03	500	101.76	1160		
गुजरात	767.38	5480	1036.94	15365	768.09	4795	99.45	750
हरियाणा	444.58	2995	1243.74	10875	154.50	925		
हिमाचल प्रदेश	344.48	3460	744.62	14015	185.04	1349		
जम्मू और कश्मीर	1642.97	16434	797.81	16110	782.55	6875	98.51	780
कर्नाटक	874.50	6872	900.62	15567	320.90	2246	132.50	1000
केरल	1820.60	12332	517.65	6036	108.85	690		
मध्य प्रदेश	2074.01	22405	2772.6	61125	675.52	5175	219.37	1650
महाराष्ट्र	1150.58	10235	492.23	8488	620.86	6280	148.29	1100
मणिपुर	1699.64	12363	975.23	14400	298.66	3460	89.21	750
मेघालय	50.04	500	123.83	3200	104.63	1200		
मिजोरम	605.25	4500	854.73	14000	300.65	3100	59.67	500
नागालैण्ड	243.80	3850	77.65	2280	185.10	3047	59.67	500
उड़ीसा	3820.38	44380	565.48	16665	662.40	9000		1720
पंजाब	519.74	3270	1204.13	16222	158.75	1075		
राजस्थान	1807.71	14850	1457.15	23800	706.50	5250	107.64	800
सिक्किम	796.13	7500	346.66	5834	536.48	4500		
तमिलनाडु	405.92	2500	663.56	16300	118.88	1155		
त्रिपुरा	408.57	5325	314.51	9461	112.50	1800	48.73	420
उत्तर प्रदेश	2121.43	15634	1444.36	25844	377.87	4270		
पश्चिम बंगाल	806.96	5400	920.79	15442	337.92	2267		200
आठवीं योजना का आगे ले जाया गया कार्य**							230.56	
कुल	24677.15	225326	19799.32	355537	9068.41	85539	1601.01	12640

*स्कीमें

**उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए।

आई०ए०ई०पी०एस० – एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास स्कीम

ए०ओ०एफ०एफ०पी०एस० – क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी व चारा परियोजना स्कीम

एन०टी०एफ०पी० – औषधीय पौधों सहित गैर इमारती वनोत्पाद संरक्षण एवं विकास स्कीम

ए०एस०टी०आर०पी० – समान हिस्सेदारी आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरूद्धार में अनुसूचित जाति एवं ग्रामीण निर्धनों की सहभागिता।

2000-01 में स्वीकृत परियोजनाएं

(i) एकीकृत वनीकरण एवं पारिविकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत कोस्टल शैल्टर बैल्ट प्लांटेशन परियोजनाएं

राज्य	नवीं योजना परिव्यय (लाख रु० में)	नवीं योजना के लिए भौतिक लक्ष्य (है० में)
आन्ध्र प्रदेश	472.44	2050
गुजरात	477.41	2200
कर्नाटक	55.58	200
केरल	408.59	1000
उड़ीसा	1488.51	8000
पांडिचेरी	87.58	448
तमिलनाडु	265.62	1000
कुल	3255.73	14898

(ii) औषधीय पौधों सहित गैर इमारती वनोत्पाद संरक्षण एवं विकास स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत औषधीय वनस्पति एवं बांस रोपण परियोजना

औषधीय वस्पति परियोजनाएं

राज्य	नवीं योजना परिव्यय (लाख रु० में)	नवीं योजना के लिए भौतिक लक्ष्य (है० में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	75.62	500
महाराष्ट्र	73.65	500
हिमाचल प्रदेश	17.24	100
मध्य प्रदेश	59.70	325
राजस्थान	78.65	500
केरल	42.00	200
सिक्किम	37.20	200
गोवा	27.50	200
गुजरात	77.10	400
कर्नाटक	76.70	450
कुल	565.36	3375

बांस रोपण परियोजनाएं

राज्य	नवीं योजना परिव्यय (लाख रु० में)	नवीं योजना के लिए भौतिक लक्ष्य (है० में)
आन्ध्र प्रदेश	258.40	4000
मणिपुर	104.30	1800
उत्तर प्रदेश	90.50	1600
गोवा	16.84	240
गुजरात	119.70	1500
महाराष्ट्र	103.70	1600
नागालैण्ड	148.20	2400
राजस्थान	82.50	1000
कुल	924.14	14140

टिप्पणी* : ऊपर दिए गए आंकड़े तालिका I में भी दर्शाए गए हैं।

विवरण-II

पहले से चल रही बाह्य सहायता प्राप्त एकीकृत वानिकी परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं०	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	वित्त पोषक एजेंसी	परियोजना लागत (करोड़ रु० में)	भौतिक लक्ष्य (है० में)
1	2	3	4	5	6
	राज्य क्षेत्र				
1.	इंदिरा गांधी नहर के निकट वनीकरण एवं चरागाह विकास आई०डी०पी०-73 1990-91 से 99-01	राजस्थान सरकार	जे०बी०आई०सी० (जापान)	107.50	61.50
2.	हिमाचल प्रदेश वानिकी परियोजना, कुल्लू मंडी 1994-95 से 1999-00 2001 तक बढ़ाई जा सकती है।	हिमाचल प्रदेश सरकार	डी०एफ०आई० डी० (यू०के०)	13.92	11
3.	एकीकृत गुजरात वानिकी विकास परियोजना (आई०डी०पी०-112) 1995-96 से 2000-01	गुजरात सरकार	जे०बी०आई०सी० (जापान)	608.50	230

1	2	3	4	5	6
4.	राजस्थान वानिकी परियोजना आई०डी०पी०-104 1995-96 से 1999-00	राजस्थान सरकार	जे०बी०आई०सी० (जापान)	139.18	55
5.	तमिलनाडु वानिकी परियोजना 1996-97 से 2001-02	तमिलनाडु सरकार	जे०बी०आई०सी० (जापान)	499.20	405
6.	पूर्वी कर्नाटक वनीकरण परियोजना 1996-97 से 2001-02	कर्नाटक सरकार	जे०बी०आई०सी० (जापान)	565.54	471
7.	वनों के प्रतिभागीय प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण परियोजना 1997-98 से 1998-99 पूरा किया जाना है	उड़ीसा सरकार	एस०आई०डी०ए० (स्वीडन)	8.50	19
8.	उत्तर प्रदेश वनीकरण परियोजना 1997-98 से 2000-01	उत्तर प्रदेश सरकार	विश्व बैंक	272.00	160
9.	पंजाब वनीकरण परियोजना 1997-98 से वर्तमान ऋण 4 वर्ष के लिए 2004-05	पंजाब सरकार	जे०बी०आई०सी० (जापान)	442.00	59
10.	केरल वानिकी परियोजना 1998-99 से 2001-02	केरल सरकार	विश्व बैंक	183.00	54
	कुल			2839.34	
	केन्द्रीय क्षेत्र				
11.	एफ०आर०ई०ई०पी०	पर्या. एवं वन मंत्रालय	विश्व बैंक	192.47	
12.	पारिविकास परियोजना	पर्या. एवं वन मंत्रालय	विश्व बैंक	294.93	
	कुल जोड़			3326.74	

विवरण-III

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वनों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से किए गए उपाय

किए गए मुख्य उपाय :–

(क) राज्य सरकारों को वनों की सुरक्षा और पुनरुद्धार के लिए संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण समुदायों को शामिल किए जाने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मुख्य वनीकरण स्कीमों के तहत संयुक्त वन प्रबंधन को राज्य सरकारों को स्वीकृत की गई स्कीमों का अभिन्न अंग बना दिया गया है।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत गैर-वानिकी उद्देश्य से वन भूमियों के अपवर्तन संबंधी कार्य को सावधानीपूर्वक विनियमित किया जाता है।

(ग) दावानल के निवारण और नियंत्रण की दृष्टि से केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम ''दावानल नियंत्रण की आधुनिक विधियां'' क्रियान्वित की जा रही है।

(घ) राज्य सरकारों को वन सुरक्षा संबंधी मशीनरी को सुदृढ़ बनाने की सलाह दी गई है।

(ङ) फलोरा और फाउना/वन्यजीव वासस्थलों के संरक्षण की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

विवरण-IV

*तमिलनाडु में वन आवरण की स्थिति**

(दिए गए आंकड़े वर्ग कि० में हैं)

सघन वन	8,659
खुले वन	8,398
कच्छ वनस्पति	21
कुल वन आवरण	17,078
दर्ज किया गया वन क्षेत्र	22,628

*टिप्पणी : भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट, 1999 पर आधारित।

उत्तर प्रदेश में पर्यावरण परियोजनाएं

2314. **श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में कितनी केन्द्र द्वारा प्रायोजित पर्यावरण परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी सहायता प्रदान की गई है और इन परियोजनाओं के अंतर्गत अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में राज्य में ऐसी शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की गई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का ब्यौरा और उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक स्कीम की उपलब्धियों तथा प्रत्येक स्कीम को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सभी जारी स्कीमों को निकट भविष्य में राज्य में जारी रखे जाने की संभावना है।

विवरण

क्रम सं०	स्कीम का नाम	1997-98 से 1999-2000 के दौरान उपलब्धियां	
		वित्तीय (लाख रुपये में)	भौतिक
1.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	18134.01	–
2.	ताज सुरक्षा मिशन	4450.00	–
3.	स्वीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजनाएं	889.45	7200 है० क्षेत्र शामिल किया गया
4.	क्षेत्रोन्मुख जलाऊ लकड़ी और चारा परियोजना	747.09	12051 है० क्षेत्र शामिल किया गया
5.	गैर इमारती लकड़ी वनोपज	58.00	–
6.	आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धतियां	93.93	–
7.	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास	319.49	15 राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों को शामिल किया गया
8.	बाघ परियोजना	558.99	–
9.	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के चारों ओर पारि-विकास	209.52	–
10.	जीवमंडल रिजर्व	94.55	एक जीवमंडल रिजर्व शामिल किया गया

महानगरों में प्रदूषण

2315. **श्री स्वदेश चक्रवर्ती :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर महानगरों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से ठोस अपशिष्ट प्रबंध नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) भारत सरकार का इस समय ठोस अपशिष्ट प्रबंध नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 27 सितम्बर, 1999 को नगरीय ठोस अपशेष (प्रबंधन एवं हथालन) नियम का प्रारूप तैयार किया है। इन नियमों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले इस बारे में जानसाधारण से सुझाव और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए इसे व्यापक रूप से परिचालित किया गया है। नियमों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का उचित रूप से संग्रहण, प्रथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन की प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं जिसमें भूमि भरण स्थलों के लिए विनिर्देश और कम्पोजिटिंग और विक्षालन संग्रहण के मानक शामिल हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंध राज्य का विषय है और शहरी स्थानीय निकायों के महत्वपूर्ण अनिवार्य कार्यों में से एक है। जिन्हें महानगरों और अन्य शहरों में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कदम उठाने होते हैं।

अपराधों के लिए दंड शुल्क में वृद्धि

2316. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों हेतु दंड शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव है कि वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूचित जानवरों के संबंध में किए गए अपराध की सजा वर्तमान में अधिकतम छ: वर्षों की कैद से बढ़ाकर 7 वर्ष की जानी चाहिए।

(ग) भारत सरकार ने शास्तियों के संशोधित स्तर पर अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग

2317. श्री निलिख कुमार चौधरी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है और उनकी अद्यतन स्थिति कैसी है;

(ख) कितने राजमार्गों पर तुरंत मरम्मत की जरूरत है;

(ग) क्या सरकार ग्रांड ट्रंक रोड के पुनर्निर्माण के लिए एक विशेष आकस्मिक योजना तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) बिहार में 20 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिन्हें उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। अनुरक्षण और मरम्मत सदैव चलने वाला कार्य है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 जो ग्रांड ट्रंक रोड के रूप में विख्यात है, स्वर्णिम चतुर्भज का हिस्सा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस सड़क को 4/6 लेन का बनाया जा रहा है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुरूप सुदृढ़ किया जा रहा है। इस कार्य को 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

चेन्नई पत्तन के विकास हेतु लम्बित प्रस्ताव

2318. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतिम समुद्रतट पर चेन्नई पत्तन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंटेनर पत्तन के रूप में विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एक "प्रमुख" पत्तन के रूप में विकसित किए जाने के लिए पूर्वी तट पर चेन्नई पत्तन की पहचान की गई है। परिणामस्वरूप, चेन्नई पत्तन में 890 मी० की कुल क्वे लम्बाई वाले विद्यमान कंटेनर टर्मिनल के विकास और प्रबंधन का लाइसेंस 30 वर्ष की अवधि के लिए मै० पी एंड ओ आस्ट्रेलिया पोर्ट्स प्रा० लि० को देने का निर्णय लिया गया है। प्रचालक, प्रचालन के तीन वर्षों के अंदर मुख्य लाइन जलयानों को लाने के लिए वचनबद्ध है।

इस लाइसेंस में प्रथम वर्ष में 3,50,000 टी०ई०यू० के न्यूनतम यातायात (2,10,000 टी०ई०यू० की विद्यमान क्षमता के मुकाबले में) की गारंटी भी है जिसे क्रमश: बढ़ाकर प्रतिवर्ष 5,00,000 टी०ई० यू० कर दिया जाएगा। यदि लौह अयस्क बर्थ को कंटेनर बर्थ में परिवर्तित करने के लिए अनुमोदन मिल जाता है तो लाइसेंस द्वारा पहले वर्ष में 1,50,000 अतिरिक्त टी०ई०यू० और दूसरे वर्ष से 3,00,000 टी०ई०यू० के कारोबार की भी गारंटी दी जानी है।

लाइसेंस धारक को सिविल निर्माण कार्यों पर और अत्याधुनिक उपस्करों आदि पर 5 वर्षों में 100 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करना है। लाइसेंस धारक को उचित समय पर नए उपस्करों द्वारा विद्यमान उपस्करों का उन्नयन और प्रतिस्थापन भी करना है।

गुजरात में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक की सहायता

2319. श्री जी०जे० चावीया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु विश्व बैंक की सहायता से कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए कुछ अन्य राज्यों की भी पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) सात प्रायद्वीपीय राज्यों, नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मलेरिया के उच्च स्थानिकमारी वाले 100 आदिवासी बहुल जिलों और (मलेरिया की उच्च स्थानिकता वाले इन राज्यों में तथा कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में) मलेरिया के उच्च स्थानिकमारी वाले 19 शहरों/नगरों के लिए विश्व बैंक की सहायता से सितम्बर, 1997 से एक संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना

का उद्देश्य विविध कार्यकलापों के जरिए अतिरिक्त निवेश से मलेरिया नियंत्रण कार्यों को तेज करना है, जो इस प्रकार हैं :–

– नई औषधियों और त्वरित नैदानिक किटों का उपयोग करके रोगियों का आरम्भिक स्थिति में पता लगाना और उन्हें उपचार प्रदान करना।

– चुनींदा रोग नियंत्रण उपाय जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में सिंथेटिक पाइरेथ्राइड्स और शहरी क्षेत्रों में बायोलार्वसाइड्स का प्रयोग करना भी शामिल है।

– औषधयुक्त मच्छरदानियों के प्रयोग से वैयक्तिक सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना।

– महामारी का आरम्भिक स्थिति में पता लगाना और उसे रोकना।

– सक्रिय सामुदायिक गतिशीलता और सहभागिता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलाप।

– सभी स्तरों पर गहन अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से संस्थागत प्रबंध और क्षमता निर्माण, जनशक्ति विकास तथा कुशल प्रबंध सूचना प्रणाली।

"नाल्को" में कार्यरत इंजीनियरों को प्रशिक्षण

2320. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं और नौवीं योजना अवधि के दौरान नाल्को के अनेक इंजीनियरों/अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा गया;

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें से अनेक इंजीनियरों/अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी है;

(ग) क्या प्रशिक्षण हेतु उन्हें विदेश भेजते समय प्रायोजक नाल्को की अनिवार्य सेवा करने की कोई अवधि निर्धारित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या नाल्को की सेवा छोड़ते समय उनसे कोई धनराशि ली जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) नालको ने आठवीं तथा नौवीं योजना अवधि के दौरान 46 अभियंताओं/अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा। उनमें से केवल दो ने नौकरी छोड़ी है।

(ग) से (ङ) चूंकि विदेश में प्रशिक्षण की अवधि छः माह से कम थी अतः नालको द्वारा अधिकारियों/अभियंताओं को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजते समय कोई अनिवार्य सेवा अवधि नियत नहीं गई थी।

(च) नालको को छोड़ते समय उनसे कोई धनराशि नहीं ली गई है।

[हिन्दी]

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के माध्यम से एड्स, कैंसर और अन्य बीमारियों का उपचार

2321. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक और होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से एड्स कैंसर और अन्य संक्रामक बीमारियों की रोकथाम में उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इन चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है, मुम्बई, चेन्नई और नई दिल्ली स्थित अपने क्लिनिकल अनुसंधान केन्द्रों में एच०आई०वी०/एड्स पर अनुसंधान कर रही है। अप्रैल, 2000 तक 1030 एच०आई०वी०/एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को क्लिनिकल अध्ययन के लिए शामिल किया गया है। परिषद के अनुसार अनुसंधान की आरंभिक आधारिक सामग्री (फीड बैक) ने दर्शाया है कि एच०आई०वी०/एड्स रोगियों, जिनका उपचार होम्योपैथी औषधों से किया गया था, के स्वास्थ्य में लाक्षणिक और सामान्य सुधार होने का पता चला है। इस समय 625 एच०आई०वी०/एड्स के रोगी जांच करवाने के लिए नियमित रूप से आ रहे हैं और होम्योपैथी के अधीन दिए जा रहे उपचार का आगे मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) सरकार ने 1995 में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के एक अलग विभाग की स्थापना की है और यह सरकारी कालेजों को शैक्षिक मानकों का उन्नयन करने, औषधों की गुणवत्ता और प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए मानक निर्धारित करने में सहायता करने के लिए कदम उठा रही है ताकि वे भेषज कोशीय मानकों और उत्कृष्ट विनिर्माण पद्धतियों का अनुपालन कर सकें। केन्द्रीय सरकार के एलोपैथिक अस्पतालों में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के विशिष्टता क्लिनिक खोलने के अलावा कुछ आयुर्वेदिक और यूनानी औषधों को प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। प्रत्येक चिकित्सा पद्धति के अधीन औषधों के विकास में इन्ट्राम्युरल और एक्स्ट्राम्युरल अनुसंधान को बढ़ावा देने के अलावा पद्धतियों की प्रभावकारिता के बारे में जागरूकता पैदा करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

नागालैंड में दूरसंचार महाप्रबंधक का कार्यालय

2322. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में रहने वाले नागरिकों को अपनी दूरसंचार संबंधी समस्याओं का निवारण करने के लिए गुवाहाटी जाना पड़ता है क्योंकि दूरसंचार महाप्रबन्धक का कार्यालय गुवाहाटी में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नागालैंड में दूरसंचार महाप्रबंधक का कार्यालय स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) 2 फरवरी, 1999 को टी०डी०एम० नागालैंड के कार्यालय का जी०एम०टी०डी० नागालैंड के कार्यालय में उन्नयन कर दिया गया था।

एम०टी०एन०एल० द्वारा टेलीफोन बिल

2323. श्री नरेश पुगलिया : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/मुंबई में टेलीफोन के उपभोक्ताओं को द्विमासिक टेलीफोन बिल जारी किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली/मुंबई में कुछ टेलीफोन उपभोक्ताओं को प्रतिमाह टेलीफोन बिल जारी किया जा रहा है जबकि अन्य को द्विमासिक जारी किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या टेलीफोन उपभोक्ताओं जिन्हें उनका टेलीफोन बिल द्विमासिक जारी किया जाता है, को इस संबंध में लिखित सूचना दी गई थी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का विचार द्विमासिक टेलीफोन बिल जारी करने की पुरानी प्रणाली को अपनाने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) उन सभी उपभोक्ताओं को द्विमासिक टेलीफोन बिल जारी किए जाते हैं जिनके टेलीफोन पर एस०टी०डी०/आई०एस०डी० सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 70 प्रतिशत है। तथापि, एम०टी०एन०एल० में जिन उपभोक्ताओं के पास एस०टी०डी०/आई०एस०डी० सुविधा हैं उन्हें टेलीफोन बिल मासिक आधार पर जारी किए जा रहे हैं। एम०टी०एन०एल० में मासिक बिल, अधिक कॉल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए इस उद्देश्य से शुरू किए गए थे, ताकि उन पर भुगतान का बोझ कम पड़े और देय राशि की शीघ्र वसूली हो सके।

(घ) सभी उपभोक्ताओं को प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) उपरोक्त भाग (च) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

रेडियो टेलीफोन केन्द

2324. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के सुदूर और पहाड़ी इलाकों में कार्यरत रेडियो टेलीफोन केन्द्रों की संख्या कितनी है और प्रत्येक केन्द्र द्वारा कितने टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं तथा उनका तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये सभी रेडियो टेलीफोन केन्द्र सुचारू रूप से काम कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) राज्यवार रेडियो टेलीफोन केन्द्रों और उपलब्ध कराए गए टेलीफोनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) इन रेडियो टेलीफोन केन्द्रों में से कुछ निम्नलिखित कारणों से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं :–

– रेडियो टेलीफोन प्रणालियों का कार्य-निष्पादन बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं था;

– अविश्वसनीय पॉवर सप्लाई;

– बिक्री पश्चात् खराब सेवा; और

– केन्द्रों पर चक्रवातों और बिजली गिरने से प्रभाव पड़ा था।

(घ) इस संबंध में सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

– अप्रचालनात्मक रेडियो टेलीफोन केन्द्रों को नए प्रौद्योगिकी उपस्कर से बदला जाना;

– रख-रखाव के लिए उड़न-दस्तों का गठन किया गया है;

– केन्द्रों से कार्यरत टेलीफोन कनेक्शनों की बार-बार जांच करना;

– प्रत्येक सर्किल में मरम्मत केन्द्रों की स्थापना की जा रही है; और

– आपूर्तिकर्ताओं के साथ ए०एम०सी० करार किया जा रहा है।

विवरण

क्रम सं०	दूरसंचार सर्किल	रेडियो टेलीफोन केन्द्रों की कुल संख्या	टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	6	132
2.	आंध्र प्रदेश	72	564
3.	असम	370	9,293
4.	बिहार	468	6,575
5.	गुजरात	551	6,138
6.	हरियाणा	192	2,805
7.	हिमाचल प्रदेश	174	564
8.	जम्मू और कश्मीर	127	2,617
9.	कर्नाटक	695	14,443
10.	केरल	61	479
11.	मध्य प्रदेश	1,699	25,602
12.	महाराष्ट्र	1,220	18,750
13.	गोवा	8	98
14.	अरुणाचल प्रदेश	39	596
15.	मणीपुर	34	684
16.	मेघालय	54	1,187
17.	मिजोरम	30	619
18.	नागालैण्ड	24	595
19.	त्रिपुरा	20	657
20.	उड़ीसा	471	12,203
21	पंजाब	शून्य	शून्य
22.	राजस्थान	912	16,911
23.	तमिलनाडु	7	55
24.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1,570	27,398
25.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	258	3,143
26.	पश्चिम बंगाल	516	2,848
27.	सिक्किम	8	72
	जोड़	9,586	1,55,028

[अनुवाद]

तिरूअनन्तपुरम उप-मार्ग का निर्माण

2325. श्री वी०एस० शिवकुमार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूअनन्तपुरम उप-मार्ग का निर्माण पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कार्य पूरा करने में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) त्रिवेन्द्रम बाइपास का निर्माण दो चरणों में किया जाना है। चरण-I का निर्माण कार्य मार्च, 2001 तक पूरा करने का लक्ष्य है। चरण-II के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा नहीं हुआ है। वर्तमान नीति के अनुसार, निर्माण कार्यों पर स्वीकृति के लिए तभी विचार किया जाता है जब समग्र भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया हो और वह राज्य लो०नि०वि० के स्वामित्व में हो। अत: इसके पूरे होने की तारीख के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

'न्यू जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी' के लिए सहायता

2326. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक ने 'न्यू जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी' के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) कर्नाटक राज्य सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, किसी अन्य स्रोत से प्राप्त एक अनुरोध की जांच की जा रही है। संस्थान के लिए कोई निधियां रिलीज नहीं की गई हैं क्योंकि कार्डियो-वास्कुलर रोग नियंत्रण कार्यक्रम के

दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इस संस्थान को तद्नुसार सूचित किया गया था।

एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों को रद्द करना

2327. श्री रमेश चेन्नितला : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान खाड़ी क्षेत्र में एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स की कुल कितनी उड़ानें रद्द की गईं; और

(ख) उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जनवरी, 2000 से जून, 2000 की अवधि के दौरान, एअर इंडिया ने 15 उड़ानें रद्द की थी। जिनमें से 13 उड़ानें इंजीनियरिंग समस्याओं और दो उड़ानें अन्य कारणों की वजह से रद्द की गई थी। इसी तरह, इंडियन एयरलाइन्स ने 25 उड़ानें रद्द की थी। जिनमें से 2 उड़ानें इंडियन एयरलाइन्स के आंतरिक कारणों की वजह से थी जबकि शेष 23 उड़ानें खराब मौसम और परिगामी कारणों की वजह से रद्द की गई थी।

निजी क्षेत्र द्वारा पर्यावरण में सुधार

2328. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्यावरण सुधार हेतु निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई मार्ग निदेश जारी किए गए हैं; और

(ग) सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच हाल में पर्यावरणीय सहयोग संबंधी दक्षिण एशियाई मंच की बैठक में जिन मामलों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए समाज के सभी वर्गों द्वारा मिलकर काम करने की आवश्यकता है। भारत में निजी क्षेत्र के पास ऐसे प्रयासों में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त संसाधन और कार्यक्षमताएं मौजूद हैं। हमारे समाज के एक जिम्मेदार घटक के रूप में पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में उनके योगदान का स्वागत किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकारी अधिकारियों और सार्क देशों की निजी उद्योग एसोसिएशनों को मिलाकर आयोजित एक कार्यशाला में यह सिफारिश की गई कि सरकारी, निजी क्षेत्र की संस्थाओं, शैक्षिक, वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों व मीडिया को संगत सूचना के लिए सहभागी बनाना चाहिए। इससे पर्यावरण अनुकूल विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सार्थक सहभागिता का माहौल तैयार हो सकेगा। इस कार्यशाला में इस प्रकार के प्रयास में मदद के लिए क्षेत्रीय सहयोग का प्रस्ताव भी किया गया अं सभी देशों का समर्थन और उनकी सहायता करने के लिए बहुपक्षी और क्षेत्रीय निकायों का आह्वान किया गया।

राष्ट्र एड्स निवारण और नियंत्रण नीति

2329. श्री ए.चन्द्र वीरप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय एड्स निवारण और नियंत्रण नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में एच०आई०वी० जांच केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन नीति के कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं। सरकार एक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण नीति को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

(ख) नीति दस्तावेज पर चर्चा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद राष्ट्रीय एड्स समिति इत्यादि जैसे विभिन्न मंचों पर की जानी थी।

(ग) और (घ) जी, हां। देश में प्रत्येक जिले में जांच-पूर्व एवं जांचोत्तर परामर्श सेवाओं के साथ एच०आई०वी० जांच केन्द्रों की स्थापना वर्ष 2004 तक एक चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।

(ङ) मंत्रिमंडल का अनुमोदन मिलते ही ब्यौरे तैयार किए जाएंगे।

नागालैंड में कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

2330. श्री के०ए० सांगतम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग ने नागालैंड में कर्मचारियों के लिए कितने क्वार्टरों का निर्माण किया है;

(ख) क्या गत दो दशकों के दौरान डाक विभाग ने राज्य में एक भी आवासीय इकाई का निर्माण नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य में विशेषकर कोहिमा में कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो जिलेवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) नागालैंड में पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन टाइप-III मकान निर्माणाधीन हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। डाक विभाग द्वारा राज्य में कोहिमा, जालुकी तथा तेसीमेन्यू में घरों का निर्माण किया गया है।

(घ) जी, हां। राज्य में, विशेषकर कोहिमा में 2000-2001 के दौरान स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ङ) जिलावार ब्यौरा इस प्रकार है :–

स्थान	टाइप-III	टाइप-II
कोहिमा	2	2
दीमापुर	2	2

(च) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एअर फ्रांस द्वारा हैदराबाद से उड़ानों की शुरूआत

2331. **श्री रामनायडू दग्गुबाटि** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एअर फ्रांस का विचार एक दक्षिण भारतीय स्थान से पेरिस के लिये उड़ान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण भारतीय स्थानों में हैदराबाद का नाम विचाराधीन है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी उड़ानों के लिये हैदराबाद के चयन के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) मौजूदा विमान सेवा करार में, हैदराबाद हवाई अड्डा फ्रांस की नामित विमान कंपनी के लिए एक अवतरण-स्थल के रूप में उपलब्ध नहीं है। फ्रांस सरकार से उनकी नामित विमान कंपनी के लिए हैदराबाद हवाई अड्डे को एक अवतरण-स्थल के रूप में मुहैया कराने संबंधी कोई अनुरोध भी प्राप्त नहीं हुआ है।

चिकित्सा शिक्षा

2332. **श्री जी०एस० बसवराज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चिकित्सा शिक्षा अभी भी आम आदमी की पहुंच के बाहर है क्योंकि एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश अभ्यर्थी की आर्थिक क्षमता पर निर्धारित होता है, न कि उसकी शैक्षणिक योग्यता पर;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में देश की विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष अनेक डाक्टर तैयार किए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार और अधिक नए निजी मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति न देने तथा राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों की सहायता से अपने स्वयं के मेडिकल कालेजों की स्थापना करने हेतु कोई नीति तैयार करने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) यह कथन सही नहीं है कि चिकित्सा शिक्षा आम आदमी की पहुंच से परे है। बहुत अल्प शुल्क लेने वाले राजकीय मेडिकल कालेजों और भुगतान सीटों के लिए निर्धारित शुल्क ढांचे से बहुत ही कम शुल्क देकर मेरिट सीटों पर निजी मेडिकल कालेजों में बहुत से छात्र दाखिला ले रहे हैं। मेडिकल कालेजों में सभी दाखिले शैक्षणिक योग्यता पर दिए जाते हैं। उन्नीकृष्णन मामले में उच्चतम न्यायालय के 1993 में दिए फैसले के अनुसार निजी व्यावसायिक कालेजों द्वारा प्रतिव्यक्ति लिये जाने वाले शुल्कों के चलन को समाप्त कर दिया गया है और भुगतान सीटों के लिए शुल्क ढांचा सरकार द्वारा निश्चित किया जा रहा है।

(ख) 5 लाख से अधिक पंजीकृत एलोपैथिक चिकित्सा व्यवसायियों तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के लगभग 6 लाख पंजीकृत व्यवसायियों को ध्यान में रखें तो ग्रामीण क्षेत्रों समेत समग्र देश में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को प्रदान करने हेतु डाक्टर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा प्रस्ताव नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम को 1992 में संशोधित किए जाने के पश्चात्, इस अधिनियम में प्रदत्त प्रक्रिया का अनुपलान किए जाने तथा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन किए जाने के उपरान्त ही सरकार अथवा निजी प्रबन्धन द्वारा नए मेडिकल कालेज स्थापित किए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में गैर-सरकारी क्षेत्र के नर्सिंग महाविद्यालय

2333. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राजस्थान में गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने नर्सिंग महाविद्यालय खोले गए हैं;

(ख) क्या इन महाविद्यालयों के प्रबंधन समितियों को प्रवेश हेतु 50 प्रतिशत का कोटा दिया गया है;

(ग) क्या इन महाविद्यालयों को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा भी मान्यता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार

सात स्कूलों और एक कालेज ने परिषद को क्रमश: जी०एन०एम० और बी०एस०सी० (नर्सिंग) कार्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन किया है।

(ख) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि प्राइवेट नर्सिंग स्कूलों और कालेजों में प्रवेश की प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्नीकृष्णन जे०पी० बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में निर्धारित किए गए मानदण्डों के अनुसार होगी।

(ग) जी, नहीं। नर्सिंग संस्थाएं भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा समन्वय का अभाव

2334. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में समन्वय का अभाव है और इसकी परियोजनाओं का प्रबंधन भली-भांति से नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में एक पूर्ण रूपेण "परियोजना प्रबंधन सेल" जो सभी प्रमुख परियोजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करता है और किसी गैर-औचित्यपूर्ण समय और अधिक लागत की स्थिति में जिम्मेदारी का निर्धारण करता है।

वयानाड में छंटाई केन्द्र

2335. श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के वयानाड जिले में छंटाई केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस केन्द्र के कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वायनाड रेल से जुड़ा हुआ नहीं है तथा डाक की ढुलाई बस द्वारा की जाती है। इस समय, वायनाड की डाक कालीकट आर०एम०एस० में छंटी जाती है तथा वितरण के लिए वायनाड के डाकघरों को भेजी जाती है। वायनाड का मुख्यालय कलपेट्टा, कालीकट से लगभग 75 कि०मी० दूर है। यदि वायनाड में छंटाई कार्यालय खोला जाता है, तो कालीकट आर०एम०एस० से प्रस्तावित वायनाड छंटाई केन्द्र को और फिर वहां से डाकघरों को डाक भेजने में डाक की जो दो बार ढुलाई होगी, उसकी वजह से वायनाड की डाक के वितरण में विलंब होगा। इसके अलावा, अनन्य रूप से कालीकट से वायनाड तक डाक की ढुलाई के लिए मेल मोटर सेवा शुरूआत करने पर, बिना कोई लाभ पहुंचे, भारी खर्च करना पड़ेगा।

तमिलनाडु में एड्स के मामले

2336. श्री ए० कृष्णास्वामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जुलाई, 2000 के "इंडियन एक्सप्रेस" में (एड्स टी०एन० डिस्ट्रीक्ट रिकार्ड्स 14 डैथ्स इन फोर मंथस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार तमिलनाडु के नमक्कल जिले में एड्स से प्रभावित कुल मामलों का पता लगाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर सर्वेक्षण कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (थ) जी, हां। वर्ष 1999-2000 के दौरान जिला मुख्यालय अस्पताल, नामाक्कल में भर्ती किए गए 150 एड्स रोगियों में से 14 मौतें सूचित की गई।

भारत सरकार प्रतिवर्ष नियमित प्रहरी निगरानी चला रही है जिसमें नामाक्कल जिले में प्रसवपूर्व स्थल भी शामिल हैं।

प्रसवपूर्व स्थलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

1998	3% एच०आई०वी० पॉजिटिव
1999	6.5% एच०आई०वी० पॉजिटिव

(ङ) भारत में एच०आई०वी०/एड्स के फैलाव के निवारण और नियंत्रण के उद्देश्य से पूरे देश में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्य घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

– लक्षित जनसंख्या की पहचान करके और पीयर परामर्श प्रदान करके, कंडोम प्रोत्साहन, यौन संचारित संक्रमणों का उपचार करके उच्च जोखिम वाले समूहों में एच०आई०वी० के फैलाव को रोकना।

– सूचना, शिक्षा और संचार और जागरूकता अभियान, स्वैच्छिक जांच और परामर्श की व्यवस्था, सुरक्षित रक्ताधान सेवाओं और व्यावसायिक प्रभाव की रोकथाम द्वारा सामान्य जनसंख्या के लिए निवारण उपाय।

– एच०आई०वी०/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अवसरवादी संक्रमणों, घरेलू और समुदाय आधारित परिचर्या के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

– राष्ट्रीय, राज्य और नगर स्तरों पर प्रभावकार्यता और तकनीकी, प्रबन्धकीय, सतत् वित्तीय पोषण को मजबूत बनाना। सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।

डाक और दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार

2337. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर मराठवाड़ा क्षेत्र में डाक और दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार करने और उन्नयन करने हेतु नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान क्रियान्वित किए गए उक्त नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन योजना क्या है; और

(घ) आगामी तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में डाक नेटवर्क के विस्तार की जिलावार जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

महाराष्ट्र के ऐसे डाकघरों की सूची विवरण-II में दी गई है, जिनका आधुनिकीकरण करके उन्नयन किया गया है।

(ग) डाकघरों के आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण की योजना के अधीन महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में डाक नेटवर्क के उन्नयन का काम आठवीं पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में शुरू हो गया था और यह नौवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन इस समय भी जारी है। इन योजना कार्यक्रमों के अधीन, बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों, बचत बैंक लोकल एरिया नेटवर्क तथा उपग्रह कर आधारित धनराशि अंतरण को लिया गया है। बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें विभिन्न लेखाशीर्षों के अधीन धनराशि का उचित रेखा-जोखा रखने से संबंधित विभिन्न बैंक ऑफिस कार्य भी कर सकती हैं। लोक एरिया नेटवर्क सभी बचत बैंक कार्यों की अपेक्षाओं को पूरा करता है। ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न आभ्यंतर क्षेत्रों में भी उपग्रह के जरिए मनीआर्डर भेजने तथा प्राप्त करने के प्रयोजन से, कम्प्यूटर संस्थापित किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों में, मराठवाड़ा परिक्षेत्र में डाक नेटवर्क का उन्नयन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

1. निम्नलिखित डाकघरों में बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें (एम०पी० सी०एम०) लगाई गई हैं :

(i)	औरंगाबाद	–	3
(ii)	जालना	–	1
(iii)	सी०आई०डी०सी०ओ०	–	1
(iv)	सी०आई०ए०	–	1
(v)	लातूर	–	1
(vi)	ओस्मानाबाद	–	1

2. औरंगाबाद प्रधान डाकघर में त्वरित मनीआर्डर अंतरण सुविधा के लिए एक वी०एस०ए०टी० प्रदान किया गया है। इससे मराठवाड़ा परिक्षेत्र के भीतर निम्नलिखित स्थानों के सात भू-उपग्रह मनीआर्डर कार्यालय जुड़े हुए हैं :

(i) ओस्मानाबाद

(ii) बीड

(iii) नांदेड़

(iv) जालना

(v) परभनी

(vi) अम्बाजोगई

(vii) तालजापुर

3. मराठवाड़ा में निम्नलिखित डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया है :

(i) औरंगाबाद

(ii) बीड

(iii) जालना

(iv) बजाज नगर

(v) सी०आई०ए०

(vi) मराठवाड़ा विद्यापीठ

(vii) पारले बैजनाथ

(viii) अम्बाजोगई

(ix) अहमदपुर

(x) औरंगाबाद रेल डाक सेवा

4. औरंगाबाद प्रधान डाकघर बिजनैस पोस्ट सेंटर के रूप में काम करता है। मराठवाड़ा में निम्नलिखित डाकघरों में स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध है :

(i) औरंगाबाद

(ii) बीड

(iii) लातूर

(iv) जालना

(v) ओस्मानाबाद

(vi) नांदेड़

5. महाराष्ट्र सर्किल में दूरसंचार सेवाओं के संबंध में पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

मद	97-98	98-99	99-2000
एक्सचेंज	174	59	498
सीधी एक्सचेंज लाइनें	82,144	56,029	1,22,101
निवल एस०डब्ल्यू०जी० क्षमता	1,02,233	80,530	2,12,412

पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वित नेटवर्क का ब्यौरा विवरण-IV और V में दिया गया है।

(घ) समूचे महाराष्ट्र सर्किल के लिए तथा विशेषकर मराठवाड़ा परिक्षेत्र के लिए चालू वर्ष 2000-2001 में डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए योजना लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है। नए डाकघर खोलना, वित्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित पदों की मंजूरी देने पर निर्भर करता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान डाक नेटवर्क के उन्नयन के कार्यकलापों में कराड़, बंगालपुर, सतारा, शोलापुर तथा श्रीरामपुर में कम्प्यूटरों की आपूर्ति, संस्थापना व उन्हें चालू करना शामिल है। चालू वित्त वर्ष 2000-2001 के दौरान कालबादेवी, मांडवी, औरंगाबाद, नागपुर शहर, पुणे शहर तथा मुम्बई सेंट्रल के प्रधान डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। औरंगाबाद कैंट, ओस्मानाबाद, पनवेल, परभनी, सिन्नार और टैंक रोड स्थित डाकघरों का चालू वित्त वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, 2001-2002 के दौरान दस और डाकघरों का आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। मुम्बई जी०पी०ओ०, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद में हाई-एंड वी०एस०ए०टी०/ई०एस०एम०ओ० संस्थापित किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में वर्ष 2000-2001 के लिए एस एण्ड एम एक्सचेंजों का लक्ष्य नीचे दिया गया है :

मद	लक्ष्य
नए एक्सचेंज	800
सीधी एक्सचेंज लाइनें	1,50,000
निवल एस०डब्ल्यू०जी० क्षमता	2,72,727

वर्ष 2000-2001 में, महाराष्ट्र सर्किल में टेलीफोन प्रदान करने की योजना का ब्यौरा विवरण-VI और VII में दिया गया है।

विवरण-I

क्रम सं०	जिले का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
		डी०एस०ओ०	ई०डी०बी०ओ०	डी०एस०ओ०	ई०डी०बी०ओ०	डी०एस०ओ०	ई०डी०बी०ओ०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	औरंगाबाद				1		1
2.	जालना						1
3.	बीड						2
4.	धुले		3		5		
5.	नन्दुरबार				1		3
6.	नासिक	2	1	1			1
7.	नानदेड़				2		5
8.	परभनी		2				1
9.	हिंगोली						
10.	लातूर		1		1		
11.	जलगांव		2		3		2
12.	उस्मानाबाद		1		6		
13.	रत्नागिरि		2		6		6

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	कोल्हापुर		1		6		
15.	सांगली				4		1
16.	सिंधुदुर्ग		3		7		3
17.	थाणे	1			2		4
18.	रायगढ़	1	3		7		2
19.	मुंबई					1	
20.	सतारा		2		2		1
21.	शोलापुर		1	1	1		
22.	अहमदनगर		2		4		2
23.	पुणे		3		1	1	1
24.	अकोला				3		
25.	अमरावती				1		2
26.	बुलदाना		2		1		1
27.	भंडारा		2		1		
28.	चन्द्रपुर		1		1		2
29.	गढ़चिरोली						
30.	नागपुर				1		4
31.	वर्धा						
32.	यवतमाल		1		1		1
33.	वासिम						
	कुल	4	33	2	68	2	46

नोट :— 1 से 12 पर उल्लिखित जिले मराठवाड़ा परिक्षेत्र में हैं।

विवरण-II

महाराष्ट्र सर्किल में 1994-95 से 1996-97 (8वीं पंचवर्षीय योजना) 1997-98 से 1999-2000 (नौवीं पंचवर्षीय योजना) में आधुनिक बनाए गए डाकघरों की सूची

क्र.सं.	डाकघर का नाम	एचओ/एसओ
1	2	3
1994-95		
1.	अंधेरी, मुंबई	एचओ
2.	दादर, मुंबई	एचओ
3.	महिम, मुंबई	एचओ
4.	मंत्रालय, मुंबई	एसओ
5.	नारीमन प्वाइंट मुंबई	एसओ
6.	पिम्परी पीएफ, मुंबई	एसओ
7.	शंकरनगर, मुंबई	एसओ
8.	वोर्लीनाका, मुंबई	एसओ
1995-96		
1.	एयरपोर्ट	एसओ
2.	अकोला	एचओ
3.	अलीबाग	एचओ
4.	अमलनेर	एसओ
5.	अम्बाजोगल	एसओ

1	2	3
6.	अमरौती कैंप	एसओ
7.	अमरावती	एचओ
8.	औरंगाबाद	एचओ
9.	बादमेरा	एसओ
10.	भूसावल	एचओ
11.	चाकाला एमआईओसी	एसओ
12.	चन्द्रापुर सिटी	एसओ
13.	चन्द्रापुर	एचओ
14.	चेम्बूर	एचओ
15.	चिंचबुंदर	एचओ
16.	चिपलून	एचओ
17.	कोलाबा साउथ	एसओ
18.	दक्खन जिमखाना	एसओ
19.	देवलाली	एसओ
20.	घाटकोपर	एचओ
21.	गोखले रोड	एसओ
22.	हिंगनघाट	एसओ
23.	इच्छलकरंजी	एचओ
24.	जलसिंह पुर	एसओ
25.	जुहू	एसओ
26.	काल्बादेवी	एचओ
27.	कोल्हापुर	एचओ
28.	कोथरूध	एसओ
29.	लोनावाला	एसओ
30.	मापुका	एसओ
31.	मारगाव	एचओ
32.	मतुंगा	एसओ
33.	मिराज	एचओ
34.	मोतीलाल नगर	एसओ
35.	मुंबई सेंट्रल	एचओ
36.	नागपुर सिटी	एचओ
37.	नवापुर	एसओ
38.	पंढरपुर	एचओ
39.	पणजी	एसओ
40.	पार्वती	एसओ
41.	पोंडा	एसओ
42.	पुणे कैंट ईस्ट	एसओ
43.	पुणे सिटी	एचओ
44.	पुणे	एचओ
45.	पूसाद	एसओ
46.	रत्नागिरि	एचओ
47.	एस०पी० कालेज	एसओ
48.	शालू	एसओ
49.	सामंतनगर	एसओ
50.	सांगली	एचओ
51.	सतारा	एचओ
52.	सेमिनरी हिल्स	एसओ
53.	शंकर नगर	एसओ
54.	शिर्डी	एसओ
55.	शिवाजी नगर	एचओ
56.	सियोन	एसओ
57.	तजमापथ	एसओ
58.	थाणे	एचओ
59.	थाणे आरएस	एसओ
60.	टाउन हाल	एसओ
61.	तुलजापुर	एसओ
62.	उल्हासनगर-2	एसओ
63.	वासल रोड	एसओ
64.	वासी	एसओ
65.	विष्णुनगर	एसओ
66.	वर्धा	एचओ
67.	वाहिम	एसओ
68.	वर्ल्ड ट्रेड सेंटर	एसओ
69.	यवतमाल	एचओ

1	2	3
1996-97		
1.	अहमदनगर	एचओ
2.	अंधेरी आरएस	एसओ
3.	बजाज नगर	एसओ
4.	बान्द्रा वेस्ट	एसओ
5.	बारामती	एसओ
6.	भंडारा	एसओ
7.	बिचोलिम	एसओ
8.	बोरीवली	एचओ
9.	कानाकोना	एसओ
10.	चालिसगांव	एचओ
11.	चिकाल थाणे आईए	एसओ
12.	चर्च गेट	एसओ
13.	दहिसर	एसओ
14.	डेलिसले रोड	एसओ
15.	धारावती	एसओ
16.	धुले	एचओ
17.	इमोआ	एसओ
18.	एफसीआई	एसओ
19.	गढ़चिरोली	एसओ
20.	गणेशखिन्ड	एसओ
21.	गोरेगांव	एचओ
22.	गोंदिया	एसओ
23.	ग्रांट रोड	एसओ
24.	कागल	एसओ
25.	कन्नड़	एसओ
26.	खाडका	एसओ
27.	खेड	एसओ
28.	कोकन भवन	एसओ
29.	कुराला	एसओ
30.	लातूर	एचओ
31.	मालेगांव	एचओ
32.	मलिकपुर	एसओ
33.	मालवान	एचओ
34.	मांडवी	एचओ
35.	मराठवाड़ा	एसओ
36.	मार्केट यार्ड	एसओ
37.	मॉडल कालोनी	एसओ
38.	मुंबई जीपीओ	एचओ
39.	नोपाड़ा	एसओ
40.	ओपेरा हाउस	एसओ
41.	पंचगनी	एसओ
42.	पनवेल	एचओ
43.	परेल	एसओ
44.	पार्ली बैजनाथ	एसओ
45.	राजापुर	एसओ
46.	राजारामपुरी	एसओ
47.	रामबाड़ी	एसओ
48.	रोहा	एसओ
49.	शान्ताक्रुज वेस्ट	एसओ
50.	सामंतवादी	एचओ
51.	सिराला	एसओ
52.	श्रीरामपुर	एचओ
53.	स्टाक एक्सचेंज	एसओ
54.	तिलक नगर	एसओ
55.	तुलसीबाड़ी	एसओ
56.	यूरान इस्लामपुर	एसओ
57.	वीजापुर	एसओ
58.	वासगो-डिगामा	एसओ
59.	वेनजूरियस	एसओ
60.	विद्या नगरी	एसओ
61.	वागले इंडस्ट्रीयल एस्टेट	एसओ
62.	वोर्ली	एसओ
1997-98		
1.	अहमदनगर कैंप	एसओ
2.	चिंचवाद ईस्ट	एसओ

1	2	3
3.	धानु रोड	एसओ
4.	जालवा	एचओ
5.	जंजीरा मुर्द	एसओ
6.	कालाचौकी	एसओ
7.	कालपोले	एसओ
8.	कराड़	एचओ
9.	कुरूनवाद	एसओ
10.	लोकमान्य नगर	एसओ
11.	महाबलेश्वर	एसओ
12.	मंगरूलपीर	एसओ
13.	मेखर	एसओ
14.	नंद गांव	एसओ
15.	नरोदा	एसओ
16.	नासिक	एचओ
17.	न्यू योगकक्षमा	एसओ
18.	राजापुर	एसओ
19.	राजगुरूनगर	एसओ
20.	शान्ताक्रूज ईस्ट	एसओ
21.	शोलापुर	एचओ
22.	टी०एफ० देवनार	एसओ
23.	विले पार्ले आरएस	एसओ
24.	वीजेवी उद्यान	एसओ
25.	वालपोई	एसओ
26.	वाणी	एसओ
27.	वरूद	एसओ
1998-99		
1.	गोरेगांव	एचओ
2.	कस्तूरचंद चौक	एसओ
3.	नासिक रोड	एचओ
1999-2000		
1.	बीड	एचओ
2.	चिंचपोड ईस्ट	एसओ
3.	डिपोली	एसओ
4.	कल्याण सिटी	एचओ
5.	मालाबार हिल्स	एसओ
6.	नागपुर जीपीओ	एचओ
7.	पुणे सिटी	एचओ
8.	शेहगांव	एसओ

वर्ष	डाकघरों की संख्या
1994-95	8
1995-96	69
1996-97	62
1997-98	27
1998-99	3
1999-2000	8
कुल	177

विवरण-III

क्रम सं०	क्षेत्र	ईडीबीओ			डीएसओ			पीएसएसके
		अ०क्षे०	ज०क्षे०	कुल	अ०क्षे०	ज०क्षे०	कुल	
1.	औरंगाबाद (मराठवाड़ा)	10	3	13	2	0	2	20
2.	नागपुर	10	2	12	0	0	0	20
3.	पुणे	15	2	17	0	0	0	20
4.	गोआ	10	3	13	0	0	0	20
5.	मुंबई	3	2	5	0	0	0	5

अ०क्षे० – अन्य क्षेत्र ज०क्षे० – जनजातीय क्षेत्र

विवरण-IV

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में निवल क्षमता और सीधी एक्सचेंज लाइनों की स्थिति

क्रम सं०	जिले का नाम	31.3.98 की स्थिति के अनुसार		31.3.99 की स्थिति के अनुसार		31.3.2000 की स्थिति के अनुसार	
		निवल क्षमता	सीधी एक्सचेंज लाइनें	निवल क्षमता	सीधी एक्सचेंज लाइनें	निवल क्षमता	सीधी एक्सचेंज लाइनें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अहमदनगर	38836	29415	20212	13772	53050	39663
2.	अकोला	4704	3118	6440	4757	8136	5028
3.	वाशिम	2304	1226	2624	1851	3832	2611
4.	अमरावती	4976	4010	5576	4684	8496	6594
5.	औरंगाबाद	9784	7407	12492	9380	19260	12179
6.	बीड	6260	4266	7080	5036	14664	7883
7.	भंडारा	5120	3774	6648	5116	9664	6481
8.	गोंदिया	4396	3224	5044	3967	18188	12134
9.	बुलधाना	7112	5010	12728	10296	16328	12106
10.	चन्द्रपुर	8160	5264	9160	6961	14440	8523
11.	धुले	7448	6275	9376	7796	13312	9850
12.	नन्दुरबार	5320	4543	7544	5937	6496	4847
13.	गढ़चिरोली	2560	1653	3192	2418	5496	3170
14.	जलगांव	16056	12830	21272	18407	28800	23517
15.	जालना	5072	2904	6304	3473	9888	4855
16.	कल्याण (थाणे)	22632	14360	28472	21301	51952	36413
17.	कोल्हापुर	20616	16265	26792	22743	49048	34670
18.	लातूर	8024	6360	10208	7358	16088	9607
19.	नागपुर	18344	13430	20040	14759	26684	15696
20.	नानदेड़	7224	4956	8912	6333	14064	9495
21.	नासिक	48236	38433	64322	48695	27120	16613
22.	उस्मानाबाद	5296	4477	6592	5458	10128	7617
23.	परभनी	2412	1449	3800	2384	5096	2937
24.	हिंगोली	2756	1794	2944	2041	4664	2514
25.	पुणे	28596	24699	31304	27202	60734	38968
26.	रायगढ़	26264	22814	36192	28399	46960	36458
27.	रत्नागिरि	15314	12340	20297	16000	24888	15232
28.	सांगली	29488	24291	43216	35666	65684	48432

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	सतारा	18528	13855	21888	17415	22720	15017
30.	सिंधुदुर्ग	7368	4948	10080	7214	11680	7381
31.	शोलापुर	15206	10914	20408	13151	33484	20282
32.	वर्धा	6620	4375	7036	5739	11860	7340
33.	यवतमाल	4872	3490	6672	5051	11232	6146
	कुल	415324	319169	504867	390649	718036	490262

विवरण-V

महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा परिक्षेत्र में निवल क्षमता और सीधी एक्सचेंज लाइनों की स्थिति

क्रम सं०	जिले का नाम	31.3.98 की स्थिति के अनुसार		31.3.99 की स्थिति के अनुसार		31.3.2000 की स्थिति के अनुसार	
		निवल क्षमता	सीधी एक्सचेंज लाइनें	निवल क्षमता	सीधी एक्सचेंज लाइनें	निवल क्षमता	सीधी एक्सचेंज लाइनें
1.	औरंगाबाद	9784	7407	12492	9380	19260	12179
2.	बीड	6260	4266	7080	5036	14664	7883
3.	जालना	5072	2904	6304	3473	9888	4855
4.	लातूर	8024	6360	10208	7358	16088	9607
5.	नानदेड़	7224	4956	8912	6333	14064	9498
6.	उस्मानाबाद	5296	4477	6592	5458	10128	7617
7.	परभनी	2412	1449	3800	2384	5096	2937
8.	हिंगोली	2756	1794	2944	2041	4664	2514
	कुल	46848	33613	58332	41463	93852	57090

विवरण-VI

2000-2001 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में नए टेलीफोन एक्सचेंजों, जोड़ी गई निवल क्षमता तथा सीधी एक्सचेंज लाइनों की योजना का ब्यौरा

क्रम सं०	एसएसए	ग्रामीण एक्सचेंज	जोड़ी निवल क्षमता	सीधी एक्सचेंज लाइनें
1	2	3	4	5
1.	अहमदनगर	38	15800	15200
2.	अकोला	10	2000	1000
3.	वाशिम	9	1750	500
4.	अमरावती	19	3750	900
5.	औरंगाबाद	25	4500	3050
6.	बीड	35	2600	1300
7.	भंडारा	8	3300	900
8.	गोंदिया	7	1200	400
9.	बुलदाना	20	4500	1300
10.	चन्दपुर	10	3400	500
11.	धुले	14	4000	1400
12.	नन्दुरबार	6	1200	1550
13.	गढ़चिरोली	6	1900	250
14.	जलगांव	26	7100	6000
15.	जालना	12	1900	800

1	2	3	4	5
16.	कल्याण	28	7100	3200
17.	कोल्हापुर	66	22500	23200
18.	लातूर	30	5600	2600
19.	नागपुर	15	4500	950
20.	नानदेड़	25	5300	1450
21.	नासिक	24	10100	6000
22.	उस्मानाबाद	11	3000	1100
23.	परभनी	10	1600	800
24.	हिंगोली	10	1400	400
25.	पुणे	64	23000	9700
26.	रायगढ़	15	4500	1600
27.	रत्नागिरि	31	5200	1350
28.	सांगली	70	24700	24000
29.	सतारा	40	8200	2600
30.	सिंधुदुर्ग	10	2400	1150
31.	शोलापुर	60	7100	8400
32.	वर्धा	10	2200	500
33.	यवतमाल	27	3000	500
	कुल	791	200300	124550

विवरण-VII

2000-2001 के दौरान मराठवाड़ा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में नए टेलीफोन एक्सचेंजों, जोड़ी गई निवल क्षमता तथा सीधी एक्सचेंज लाइनों की योजना का ब्यौरा

क्रम सं०	एसएसए	ग्रामीण एक्सचेंज	जोड़ी निवल क्षमता	सीधी एक्सचेंज लाइनें
1.	औरंगाबाद	25	0	3050
2.	बीड	35	2600	1300
3.	जालना	12	1900	800
4.	लातूर	30	5600	2600
5.	नानदेड़	25	5300	1450
6.	उस्मानाबाद	11	3000	1100
7.	परभनी	10	1600	800
8.	हिंगोली	10	1400	400

नागपुर को अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित करना

2338. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागपुर को निर्यात किए जाने वाले माल तथा अन्तरराष्ट्रीय यात्रियों के आवागमन को संभालने हेतु एक अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है तथा नागपुर हवाई अड्डे के उन्नयन हेतु क्या कार्यवाही की गई?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नवम्बर, 1997 में 2.00 करोड़ रुपए की लागत से अन्तरराष्ट्रीय, घरेलू कार्गो तथा कूरियर बैग्स की हैंडलिंग हेतु नागपुर हवाई अड्डे पर एक एकीकृत कार्गो तथा कूरियर टर्मिनल का निर्माण कर उसे चालू कर दिया है।

कर्नाटक में दूरसंचार-सुविधाएं

2339. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में जिला-वार टेलीफोन कनेक्शनों और एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों हेतु कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक उक्त कनेक्शन हेतु कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ग) क्या लम्बित आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कोई विशेष प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लम्बित सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 3,13,831 व्यक्ति प्रतीक्षारत हैं तथा एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ के लिए 2746 व्यक्ति प्रतीक्षारत हैं। नए टेलीफोन कनेक्शनों तथा एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ के लिए जिलावार प्रतीक्षासूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) तीन वर्ष से अधिक समय से संस्थापना के लिए प्रतीक्षारत आवेदकों की संख्या इस प्रकार है :

नए टेलीफोन कनेक्शन	:	10,353
एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ	:	शून्य

(ग) और (घ) लंबी दूरी के कनेक्शनों को छोड़कर उपर्युक्त सभी बकाया कनेक्शन मार्च, 2001 तक दे दिए जाने की योजना है। लम्बी दूरी के कनेक्शन, वायरलैस इन लोकल लूप उपस्कर जैसे नई प्रौद्योगिकी के उपस्कर उपलब्ध होने पर वर्ष 2001 तक धीरे-धीरे उपलब्ध कराए जाएंगे।

विवरण

नए टेलीफोन-कनेक्शनों तथा एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ के लिए 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार जिलावार प्रतीक्षासूची

क्रम सं०	जिले का नाम	नया टेलीफोन कनेक्शन	एसटीडी/आईएसडी/ पीसीओ
1.	बंगलौर (यू)	52527	33
2.	बंगलौर (आर)	24337	59
3.	बेलगाम	15692	0
4.	बेल्लारी	1856	40
5.	बिदार	8076	319
6.	बीजापुर	10374	78
7.	बगलकोट	4608	0
8.	चिकमंगलूर	7997	0
9.	द० कन्नड	30907	45
10.	उडुपी	19519	0
11.	दावणगेरे	4207	3
12.	चित्रदुर्ग	6571	15
13.	गुलबर्ग	10821	2045
14.	हासन	11405	46
15.	हुबली	2067	0
16.	गडग	2897	0
17.	हावेरी	4244	0
18.	कोडगु	9533	5
19.	कोलार	14988	0
20.	मंड्या	8406	6
21.	मैसूर	9641	0
22.	चामराजनगर	3752	0
23.	रायचूड़	5984	0
24.	कोप्पल	2678	0
25.	शिमोगा	15761	0
26.	करवर	8840	12
27.	टुमकुर	16143	40
	जोड़	313831	2746

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाने संबंधी परियोजना

2340. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितनी नई परियोजनाओं की मंजूरी दी गई और प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन०एच०ए० आई०) ने राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाने की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाने की व्यवहार्यता को निर्धारित करने वाली समिति के सदस्यों में कौन-कौन हैं; और

(ङ) विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7 के संदर्भ सहित उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अव्यवहार्य माने जाने के कारण समिति द्वारा छोड़ दिया गया?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भा०रा०रा०प्रा० ने चालू वर्ष में अब तक आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, असम और उत्तर प्रदेश में 574 करोड़ रु० की कुल लागत की 5 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं जिनमें 62 कि०मी० में चार लेन बनाना और एक केबल आधारित बड़े पुल का निर्माण शामिल है।

(ख) और (घ) भा०रा०रा०प्रा० उसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो मुख्यत: रा०रा०वि० परियोजना का हिस्सा है, 4/6 लेन बनाने के लिए प्राथमिकता, साध्यता और विस्तृत इंजीनियरी जैसे विभिन्न अध्ययन कर रहा है। परामर्शदाताओं की नियुक्ति करके ये अध्ययन किए जा रहे हैं और अंतिम निर्णय भा०रा०रा०प्रा० बोर्ड द्वारा किया जाता है।

(ङ) मध्य प्रदेश में लखनदन से कन्याकुमारी तक रा०रा० 7 जो उत्तर-दक्षिण गलियारे का हिस्सा है, के सभी खंडों को विद्यमान संरेखण पर अथवा नए संरेखण पर 4/6 लेन का बनाने का प्रस्ताव है तथा किसी भी खंड को छोड़ने का प्रस्ताव नहीं है।

केरल में परिवार कल्याण योजनाएं

2341. श्री के० मुरलीधरन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परिवार कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन योजनाओं पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) केरल के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में निम्नलिखित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :–

(1) उप-केन्द्र योजना;

(2) ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र;

(3) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र;

(4) सहायक नर्सिंग धात्री प्रशिक्षण योजना; और

(5) बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता (पुरुष) प्रशिक्षण।

इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक वित्तपोषित प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना भी केरल में परिचालित है। यूरोपियन आयोग से सहायता प्राप्त सेक्टर निवेश कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य महिलाओं, बच्चों एवं आदिवासियों से संबंधित प्राथमिक एवं रेफरल देखभाल की कार्यकुशलता, लागत प्रभावकारिता तथा अविच्छिन्नता में सुधार लाना है, भी केरल में कार्यान्वियनाधीन है।

(ख) इन परिवार कल्याण योजनाओं को पिछले दो वर्षों के दौरान आबंटित राशि नीचे दी गई है :–

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	योजना का नाम	1998-99	1999-2000
(1)	उप-केन्द्र योजना	1629.00	2410.00
(2)	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	791.00	1040.00
(3)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	29.24	41.00
(4)	सहायक नर्सिंग धात्री प्रशिक्षण योजना	152.00	240.00
(5)	बहु-उद्देशीय कामगार (पुरुष) प्रशिक्षण	21.00	30.00

जालंधर में टेलीफोन कनेक्शन

2342. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री शिवाजी माने :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1999 से लेकर 30 जून, 2000 की अवधि के दौरान विशेष रूप से मास्टर तारासिंह दूरभाष केन्द्र के अन्तर्गत जालंधर शहर में टेलीफोन के लिए आवेदकों को नान-ओवाईटी जनरल श्रेणी के अन्तर्गत नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मास्टर तारासिंह दूरभाष केन्द्र के अन्तर्गत जालंधर शहर के उन सभी आवेदकों को बिना किसी विलंब के नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जिन आवेदकों ने गैर-ओ वाई टी श्रेणी के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1999 से 30 जून, 2000 की अवधि के दौरान मास्टर तारासिंह टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत नाम दर्ज कराए थे उन्हें टेलीफोन कनेक्शन निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं किए जा सके :–

1. भूमिगत केबल पेयर्स की कमी के कारण इस समय यह क्षेत्र तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।

2. मास्टर तारासिंह नगर के कुछ क्षेत्रों में सड़क की खुदाई के लिए नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा अनुमति नहीं दी गई।

(घ) उपर्युक्त आवेदकों को नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(i) केबल की लम्बाई कम करने के विचार से 3000 लाइनों, 3000 लाइनों तथा 2000 लाइनों की क्षमता वाली 3 दूरस्थ स्विचन यूनिटों की योजना बना ली गई है। वर्ष 2000-2001 के दौरान उपर्युक्त एक्सचेंज क्षेत्र में इनके चालू किए जाने का कार्य चल रहा है।

(ii) इस क्षेत्र को तकनीकी रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए भूमिगत केबल बिछाए जा रहे हैं।

(iii) नगर निगम प्राधिकारियों से सड़क की खुदाई की अनुमति लेने के कड़े प्रयास किए जा रहे हैं जिसे चरणबद्ध तरीके से करने की स्वीकृत मिल गई हैं।

[हिन्दी]

बिहार में एम०ए०आर०आर० टेलीफोन

2343. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गांवों में पंचायत स्तर पर एम०ए०आर० आर० टेलीफोन उपलब्ध कराए गए थे;

(ख) क्या यह योजना सुचारू रूप से चल रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) बिहार के प्रत्येक जिले में जून, 2000 की स्थिति के अनुसार एम०ए०आर०आर० प्रणाली के अंतर्गत कितने टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का इस योजना में सुधार करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा अभी तक खराब टेलीफोन सेवाओं के स्थान पर वैकल्पिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वी०पी०टी० प्रदान करने संबंधी महत्वपूर्ण उपलब्धियां की गई। तथापि, निम्नलिखित कारणों में एम०ए०आर०आर० प्रणालियों का कार्य-निष्पादन काफी संतोषजनक नहीं रहा है :–

– एम०ए०आर०आर० उपस्कर विश्वसनीय नहीं है।

– बेस स्टेशन में अस्थिर विद्युत आपूर्ति।

– एम०ए०आर०आर० प्रणालियों के अनुरक्षण के लिए आपूर्ति दाताओं द्वारा खराब कार्य-निष्पादन।

(घ) एम०ए०आर०आर० प्रणालियों पर 13,637 एम०ए०आर०आर० टेलीफोन प्रदान किए गए हैं। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। सरकार ने स्कीम में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

– उड़न दस्ते गठित किए गए हैं।

– निवारक उपायों के रूप में एक्सचेंजों में एम०ए०आर०आर० टेलीफोनों की बार-बार जांच की जाती है।

– प्रत्येक सर्किल में मरम्मत केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

– आपूर्ति दाताओं के साथ ए०एम०सी० पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(छ) नॉन ऑपरेशनल एम०ए०आर०आर० टेलीफोनों को नई प्रौद्योगिकी के उपस्कर से बदलने की योजना बनाई गई है।

विवरण

क्रम सं०	दूरसंचार जिले का नाम	30.6.2000 की स्थिति के अनुसार एम०ए०आर०आर० पर वी०पी०टी० की संख्या
1	2	3
1.	आरा	692
2.	भागलपुर	847
3.	छपरा	556
4.	डालटनगंज	433
5.	दरभंगा	766
6.	धनबाद	861
7.	दुमका	895
8.	गया	901
9.	हज़ारीबाग	1006
10.	हाज़ीपुर	218
11.	जमशेदपुर	596
12.	कटिहार	1109
13.	खगड़िया	441
14.	मोतीहारी	627
15.	मुन्गेर	661
16.	मुजफ्फरपुर	371
17.	पटना	861
18.	रांची	828
19.	सहरसा	591
20.	सासाराम	377
	कुल	13637

हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण और विस्तार

2344. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है जिनका गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आधुनिकीकरण और विस्तार संबंधी कार्य किए गए;

(ख) इस पर कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ और हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण और विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) ऐसे विमानपत्तन जहां गत तीन वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण तथा विस्तार का कार्य किया गया है, निम्नवत् हैं :–

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे – अहमदबाद, बंगलौर, कलकत्ता, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, मुम्बाई तथा त्रिवेन्द्रम।

अंतर्देशीय हवाई अड्डे – अगरतला, भुवनेश्वर, भुंतर, कालीकट, कोयम्बतूर, डिब्रुगढ़, दीमापुर, इम्फाल, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जोधपुर, लखनऊ, लुधियाना, मदुरै, मंगलौर, नागपुर, पटना, राजकोट, सिल्चर, तिरूपति, उदयपुर, बडोदरा, वाराणसी, विजयवाड़ा तथा विशाखापट्टनम।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण तथा विस्तार हेतु किया गया व्यय 1997-98 में 338.54 करोड़ रुपये, 1998-99 में 319.87 करोड़ रुपये, तथा 1999-2000 में 360.63 करोड़ रुपये हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। विभिन्न हवाईअड्डों पर विभिन्न आधार-संरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार तथा आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है तथा आवश्यकताओं तथा संसाधनों के आधार पर आवधिक रूप से इसका निष्पादन किया जाता है। चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त, आधुनिकीकरण तथा विस्तार के प्रयोजन के लिए अभिज्ञात किए गए हवाईअड्डे अमृतसर, बागडोगरा, बेहरामपुर, भोपाल, भुज, जम्मू, जोरहाट, करगिल, खजुराहो, लेह, पोर बन्दर, पोर्टब्लेयर, व श्रीनगर तथा तेजपुर हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग की शाखा का निर्माण

2345. **श्री जगन्नाथ मलिक** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार और संसद सदस्यों से क्वाखिया से भद्रक तक राष्ट्रीय राजमार्ग की एक शाखा का निर्माण करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। क्वाखिया से भद्रक सड़क खंड पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 का हिस्सा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय नौवहन लिमिटेड का तेल पूल खाता

2346. **श्री आर०एस० पाटिल** :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन लिमिटेड (एस०सी०आई०) को तेल पूल खाते के संबंध में अभी भी 400 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि वसूल करनी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त धनराशि के इतना अधिक होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त धनराशि को वसूल करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) "लागत जमा" तंत्र की समाप्ति के बाद, भाड़े, विलंब शुल्क इत्यदि का भुगतान अलग-अलग रिफाइनरी के जरिए सरणीबद्ध किया जा रहा है। जिन्हें अपने भुगतान का तरीका और स्वीकृत पत्र तैयार करने होते हैं, जिसमें समय लगता है। तेल उद्योग के साथ माल संविदा की शर्तों को अंतिम रूप देने में भी विलंब हुआ।

(ग) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल कंपनियों को अनुदेश दिया है कि वे भारतीय नौवहन निगम लि० को बकाया भुगतान तत्काल जारी करें।

बी०ओ०टी० योजना के अंतर्गत विदेशी भागीदारी

2347. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा यह घोषणा करने के बाद से कि "बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो" (बी०ओ०टी०) योजना के अंतर्गत अपनाई आने वाली प्रक्रिया "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग" (यू०एन०सी०आई०टी०आर०ए०एल०) के अनुसार ही होगी–इस योजना में विदेशी भागीदारी की कोई संभावना बनती है; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक विदेशी निवेशकों द्वारा बी०ओ०टी० के अन्तर्गत कितने निवेश का आश्वासन दिया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी निवेशकर्त्ताओं ने बी०ओ०टी० के अंतर्गत अभी तक किसी विदेशी निवेश का आश्वासन नहीं दिया है।

मेघालय में नए मेडिकल कालेजों/क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान का खोला जाना

2348. **श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग (मेघालय) स्थित नार्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज की तरह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर बोडोलैण्ड स्वायत्तशासी परिषद के मुख्यालय – कोकराझार में एक नया मेडिकल कालेज/रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज तथा अस्पताल स्थापित करने का सरकार का विचार है, जिससे बोडोलैण्ड क्षेत्र के सभी प्रकार से वंचित और दलित और अत्यधिक उपेक्षित और मैदानीक्षेत्र के जनजातीय लोगों को चिकित्सा शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराई जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) कोकराझार में मेडिकल कालेज/क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने का केन्द्र सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) केन्द्र सरकार, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के उपबन्धों एवं उनके अधीन बने विनियमों के अन्तर्गत नये मेडिकल कालेजों को खोलने की अनुमति देती रही है। इन उपबन्धों के अंतर्गत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने के लिए अनुमति हेतु आवेदन करने के पात्र हैं।

लाइसेंसिंग-प्रक्रिया

2349. श्री ताराचन्द भगोरा :
श्री भेरुलाल मीणा :
श्री दीपक कुमार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंसिंग की पूरी प्रक्रिया कुछेक कम्पनियों तक ही सीमित और प्रतिबंधित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का पूरे देश के लाभ की दृष्टि से दूरसंचार-सेवाओं को मुक्त और निर्बाध प्रतिस्पर्धा की अनुमति देकर उदारीकरण करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सरकार ने प्रवेश करने वालों की संख्या पर कोई प्रतिबंध लगाए बिना इंटरनेट-सेवा, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सेवा (जी०एम०पी०सी०एस०), पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा (पी०एम०आर०टी०एस०) तथा राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालनों जैसी कुछ दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है। स्पेक्ट्रम की उपलब्धता की सीमाओं के कारण सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी०एम०टी०एस०) जैसी कुछ सेवाओं के मामले में प्रवेशकों की संख्या सीमित है।

[हिन्दी]

जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण कानून में संशोधन

2350. डा० जसवंत सिंह यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण कानून के संबंध में प्रक्रिया को सरल बनाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है; और

(घ) इससे लोगों को जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण कराने में कितनी मदद मिलेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) इस मामले की राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से परामर्श करके जांच की जा रही है।

(ग) इस अवस्था में प्रस्तावित संशोधन के लिए विशिष्ट समय सीमा देना संभव नहीं होगा।

(घ) इसका उद्देश्य जन्मों और मौतों के पंजीयन की क्रिया-विधियों को सरल बनाना है।

[अनुवाद]

प्रदूषणकारी चर्मशोधनशालाएं

2351. श्री सुरेश रामराव आधव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चर्मशोधनशालाओं से घातक चर्मशोधक अपशिष्ट बह कर उनके आसपास स्थित जल निकायों में जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितनी प्रदूषणकारी चर्मशोधनशालाओं ने अभी तक "क्रोम रिकवरी प्लांट्स" तथा अपशिष्ट निस्सरण शोधक संयंत्रों (ई०टी०पी०) की स्थापना नहीं की है; और

(ग) सरकार द्वारा चर्मशोधनशालाओं के लिए "क्रोम रिकवरी प्लांट्स" और अपशिष्ट निस्सरण शोधक संयंत्रों की स्थापना अनिवार्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जल निकायों में बहिस्राव छोड़ने वाली चर्म-शोधनशालाओं के रूप में पहचानी गई कुल 92 चर्मशालाओं में से पांच इकाइयों ने अभी तक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाए हैं। इस प्रकार की चर्मशालाओं का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :–

राज्य	ईटीपी लगाई गई	बन्द कर दी गई	दोषी
आंध्र प्रदेश	8	3	5
हरियाणा	2	1	0
केरल	2	0	0
पंजाब	1	0	0
तमिलनाडु	4	7	0
उत्तर प्रदेश	43	16	0
जोड़	60	27	5

(ग) सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को चर्मशालाओं द्वारा "क्रोम पुनर्प्राप्ति प्लांट्स" तथा बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाया जाना सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

शमशाबाद अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन

2352. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद शहर के बाहरी किनारे पर शमशाबाद अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन का निर्माण कार्य दिसम्बर, 2000 तक शुरू हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस विमानपत्तन को निजी क्षेत्र में संचालित करने की अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रयास तेज कर दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो परियोजना की अद्यतन प्रगति स्थिति क्या है और यह विमानपत्तन कब तक पूरा होकर अपना काम करना शुरू कर देगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) सरकार ने हैदराबाद के निकट शमशाबाद में निजी भागीदारी से संयुक्त उद्यम आधार पर अंतरराष्ट्रीय मानकों पर एक नए विमानपत्तन के निर्माण हेतु आंध्रा प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे दिया है। राज्य सरकार प्रीक्वालिफाईड बिडरों को जारी, किए जाने वाले प्रस्ताव अनुरोध दस्तावेजों को तैयार करने की प्रक्रिया में है जिनमें परियोजना के डिजाइन, निर्माण, वित्त-पोषण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए संयुक्त उद्यम पार्टनर चयन तथा उसे शामिल किया जाएगा। चूंकि परियोजना प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है, अत: इस समय परियोजना के पूरा होने की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 208

2353. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल और तमिलनाडु में नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 208 को चौड़ा करने/विस्तार करने हेतु धनराशि आवंटित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 के दौरान इसके लिए कितनी राशि अनुमानित की गई है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 208 से किसी कस्बे को उपमार्ग द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा सड़क निर्माण संबंधी परियोजनाएं

2354. प्रो रासासिंह रावत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान उपमार्गों, सड़कों, उपरिपुलों इत्यादि के निर्माण संबंधी कितनी विभिन्न छोटी परियोजनाएं गैर-सरकारी कंपनियों को सौंपी गई हैं;

(ख) इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित हैं;

(ग) इस संबंध में अब तक गैर-सरकारी कंपनियों का कार्यनिष्पादन कैसा रहा है और इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी और इस समय ऐसी कितनी परियोजनाएं लंबित हैं;

(घ) इन कंपनियों द्वारा सरकार को अब तक कितने उपमार्गों और उपरिपुलों का निर्माण करके इन्हें सौंप दिया गया और इन परियोजनाओं में से प्रत्येक पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ङ) इन कंपनियों को सौंपे गए कार्यों हेतु क्या नियम और शर्तें लागू हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों और उन पर बने पुलों/बाइपासों के विकास और अनुरक्षण के लिए ही जिम्मेदार है। गत तीन वर्षों में राजस्थान में रा०रा० 8 पर किशनगढ़ बाइपास पर केवल क्रासिंग के स्थान पर 17 करोड़ रु० की लागत से आर०ओ०बी० के निर्माण से संबंधित एकमात्र परियोजना निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी०ओ०टी०) आधार पर गैर-सरकारी कंपनी को दी गई है। इस परियोजना के करार पर तीन वर्ष की रियायत अवधि के साथ नवम्बर, 1998 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अतिरिक्त, रा०रा०-8 पर उदयपुर बाइपास (चरण-II) के निर्माण के लिए 23.99 करोड़ रु० लागत की एक और परियोजना 140 माह की रियायत अवधि के साथ बी०ओ०टी० आधार पर अगस्त, 96 में एक गैर-सरकारी कंपनी को दी गई थी। दोनों ही परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और गैर-सरकारी कंपनियों ने सरकार द्वारा नियत दरों पर अब पथकर वसूल करना शुरू कर दिया है। रियायत अवधि पूरी होने के बाद सरकार द्वारा इन परियोजनाओं का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। गैर-सरकारी कंपनियों का कार्य-निष्पादन कुल मिलाकर संतोषजनक रहा है।

(ङ) ये परियोजनाएं प्रयोक्ता के लिए न्यूनतम लागत के सिद्धान्त पर प्रतियोगी निविदा के बाद कंपनियों को सौंपी गई हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में बाधाएं

2355. श्री साहिब सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रत्येक 10-15 किमी० के बाद शहरी/ग्रामीण बस्तियों से गुजरते हैं जिससे उनके निर्माण कार्य में बाधा आती है;

(ख) यदि हां, तो प्रभावित लोगों के पुनर्वास के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ग) क्या मामले की जांच करने के लिए कृतक दल गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग शहरी और ग्रामीण बस्तियों से गुजरते हैं किन्तु यह उनके विकास और अनुरक्षण में गंभीर रूकावट नहीं हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जब भी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, प्रभावित लोगों को लागू बाजार दर पर मुआवजा दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जुड़ी-बूटी उद्यान

2356. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जड़ी-बूटी उद्यान के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं योजना अवधि के गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं, वित्तीय आवंटन, निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) निम्नलिखित योजनाएं जड़ी-बूटी उद्यानों का विकास करने हेतु आरम्भ की गई हैं :–

1. **औषधीय पादपों के विकास और खेती के लिए केन्द्रीय स्कीम :**

   यह स्कीम औषधीय पादपों के उद्यानों की स्थापना करने हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग द्वारा चलाई जा रही है। नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार विगत तीन वर्षों में प्रदान की गई सहायता :–

वर्ष	संगठन का नाम	निर्गत सकलराशि
1997-98	5	40.134 लाख रुपये
1998-99	11	55.28 लाख रुपये
1999-2000	3	15.28 लाख रुपये
सर्व योग :	19	110.694 लाख रुपये

   कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं। प्राप्त प्रस्तावों की जांच-पड़ताल की जाती है और योजना के दायरे में आने वाले प्रस्तावों की हिमायत की जाती है।

2. **औषधीय तथा एरोमेटिक पादपों के विकास हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना :**

   यह योजना कृषि विभाग तथा सहकारिता विभाग द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 14.50 करोड़ रुपयों के परिव्यय से कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य बागवानी/कृषि विभागों तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत आने वाले तीन क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं के जरिए कार्यान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार में स्वास्थ्य योजना

2357. श्री राजो सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों में कोई व्यापक स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) बिहार राज्य समेत समूचे देश में मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता, एड्स और प्रजनक और बाल स्वास्थ्य संबंधी अनेक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा, दूर-दराज और पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों के सभी वर्गों हेतु बुनियादी न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए निवारक, संवर्धक, रोगहारक, और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु पूरे देश में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अधीन ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

छोटे विमानों का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विमानपत्तनों पर उतरना

2358. श्री अशोक अर्गल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे विमानों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विमानपत्तनों पर बिना *वाच आवर्स* के उतरने की अनुमति नहीं दी जाती है जबकि इन विमानों को राज्य सरकारों के विमानपत्तनों पर किसी भी समय उतरने के अनुमति प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) विमानपत्तनों पर *वाच आवर्स* की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसा नागर विमानन महानिदेशालय (डी०जी०सी०ए०) की नागर विमानन संबंधी अपेक्षा के अनुसार है।

(ग) अलग-अलग हवाई अड्डों पर *वाच आवर्स* संबंधी निर्णय क्षेत्रीय स्थिति, व्यवहार्यता आदि को दृष्टिगत रखते हुए डी०जी० सी०ए० तथा अनुसूचित आपरेटरों के बीच परामर्श करके लिया जाता है। तथापि, नॉन-आपरेशनल हवाई अड्डे के लिए छोटे विमानों के प्रचालनों के बारे में, *वाच आवर्स* की उपलब्धता पूर्व सूचना मिलने पर की जाती है।

हिमाचल प्रदेश में जड़ी-बूटियों की खेती

2359. श्री सुरेश चन्देल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार के आयुर्वेद निदेशालय ने मई, 1999 में राज्य में जड़ी-बूटी उगाने के लिये 26.34 लाख रुपए की योजना की मंजूरी के लिये उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक फैसला ले लिया जायेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) जी, हां। बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु "आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी में प्रयुक्त कृषि तकनीकों के विकास और औषधीय पादपों की खेती करने की केन्द्रीय योजना" के अधीन निदेशक, आयुर्वेद, हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम दिनांक 2 जून, 2000 के पत्र संख्या जैड० 18017/18/99-एम०पी० सेल के द्वारा सहायता की दूसरी किस्त के रूप में 5.00 लाख रुपये का अनुदान पहले ही मंजूर कर दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन-एक्सचेंज

2360. श्री महेश्वर सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान हिमाचल प्रदेश में, विशेषकर लाहौल-स्पीति, मंडी, किन्नौर, शिमला और चम्बा ज़िलों में स्थान-वार कितने टेलीफोन लगाये जाने का लक्ष्य है;

(ख) राज्य में अभी तक ज़िले-वार कितने-कितने टेलीफोन-एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में "एम०सी० पी०सी०" की अनुपलब्धता के कारण लक्ष्य हासिल करना असंभव हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) वर्ष 2000-01 के दौरान हिमाचल प्रदेश में 75 नए टेलीफोन-एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है। स्थान-वार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान अब तक कुल छः एक्सचेंज खोले गए हैं। राज्य-वार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां। जनजातीय क्षेत्रों में 11 एक्सचेंज एम०सी०पी०सी० के बिना नहीं खोले जा सकते हैं।

(घ) 14 एम०सी०पी०सी०-उपस्करों का आदेश दे दिया गया है और आशा है कि उपस्कर शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा।

विवरण-I

वर्ष 2000-2001 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे

क्रम सं०	जिला	एक्सचेंजों की संख्या	एक्सचेंज का स्थान
1	2	3	4
1.	लाहौल-स्पीति	4	1. किब्बेर
			2. धानकार
			3. कोकसार
			4. चिरोट
2.	मंडी	10	1. चिऊनी
			2. जस्साल
			3. सैंज बागरा
			4. सोझा
			5. गाडा गुसैन
			6. सुधारवी
			7. गंगोटी
			8. खजूर
			9. सुधार
			10. पटरीघाट

1	2	3	4
3.	किन्नौर	2	1. चिटकुल
			2. ग्याबुंग
4.	शिमला	11	1. गोमा
			2. सैंज खुद
			3. पुलबहाल
			4. मनिओटी
			5. धामबारी
			6. सरपारा
			7. देवपी
			8. छाजपुर
			9. संधोडघाट
			10. गिलटारी
			11. किआरनू
5.	चम्बा	4	1. हरसार
			2. हलटी
			3. बलेरा
			4. होबार
6.	बिलासपुर	2	1. हरनोरा
			2. तारसू
7.	कांगड़ा	17	1. सलेटी
			2. नहालियान
			3. साकरी
			4. त्योरा
			5. नादहोली
			6. डीएमए-मैकलेवडगंज
			7. कांछी
			8. बीजेएन-पाथरोला
			9. पीएलपी-मरान्डा
			10. छोटा भंगाल
			11. सुल्लाह
			12. धीरा
			13. घराना
			14. टुहक
			15. कोटलू
			16. राजाल
			17. लाहरू
8.	ऊना	4	1. गोंदपुर मलौन
			2. हंडोला
			3. जोवार
			4. ऊना – रक्कर कॉलोनी
9.	कुल्लू	6	1. शियाह
			2. छरोड नुल्लाह
			3. स्पांगनी
			4. थलूटी बीड
			5. बालू पधार
			6. बंडरोल
10.	सिरमौर	6	1. बीरबिक्रम बाग
			2. सुंदरघाट
			3. बराग
			4. डहन
			5. डिलमान
			6. टिम्बी
11.	सोलन	9	1. सनाना/गडयार
			2. रामपुर
			3. दुन्नू
			4. कुंडलू
			5. बेवनखारी (डोली)
			6. लोहारघाट
			7. छिपाछी
			8. बाथालांग
			9. बाखलाग

विवरण-II

वर्ष 2000-2001 के दौरान अब तक खोले गए नए टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे

क्र.सं.	जिला	खोले गए एक्सचेंजों की संख्या
1.	चम्बा	1
2.	लाहौल स्पीति	1
3.	शिमला	2
4.	कुल्लू	1
5.	मंडी	1
	कुल योग	6

[अनुवाद]

केरल में कर्मचारियों की कमी

2361. **श्री टी० गोविन्दन्** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल दूरसंचार सर्किल में कर्मचारियों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) केरल दूरसंचार सर्किल को, दूरसंचार तकनीकी सहायक व ड्राईवर के तकनीकी संवर्ग में भर्ती की मंजूरी दे दी गई है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में वनों का विकास

2362. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में वनों के विकास हेतु कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त राज्य वानिकी कार्य योजनाओं पर आधारित अगले 20 वर्षों के लिए देश में वनों के सतत विकास के लिए एक सन्दर्शी योजना "राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम-भारत" तैयार की गई है। राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम के अनुसार 3.36 मिलियन हेक्टेयर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार और वन आवरण की सघनता तथा उसकी उत्पादकता में सुधार लाने हेतु महाराष्ट्र राज्य के लिए अपेक्षित कुल 84914.2 मिलियन रुपये के निवेश का आकलन किया गया है।

[अनुवाद]

रोगमुक्ति का वैकल्पिक उपाय

2363. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू०एच०ओ०) और हमारे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एन०आई० एम०एच०ए०एन०एस०) ने "सुदर्शन क्रिया" नाम से जानी जाने वाली रोगमुक्ति के इस वैकल्पिक उपाय का समर्थन किया है;

(ख) क्या सरकार ने रोगमुक्ति की इस तकनीक को लागू करने अथवा इसका उपयोग करने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) "सुदर्शन क्रिया" नाम से ज्ञात विरोहण (हिलिंग) के वैकल्पिक तरीके का राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा समर्थन नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर में अवसाद से पीड़ित 30 रोगियों का प्रारंभिक अध्ययन करने में सुदर्शन क्रिया को एक उपचार तरीके के रूप में आजमाया गया था। यद्यपि इसके परिणाम कुछ लाभकारी प्रभाव दर्शाते हैं तथापि और अधिक रोगियों को शामिल करने और इमिप्रेमिन तथा फ्लोक्सेटाईन जैसी अवसादरोधी औषधों से उपचार करने के मौजूदा तरीके से तुलना करने के लिए इस अध्ययन का विस्तार करने की आवश्यकता है।

कन्याकुमारी में कोलाचल बंदरगाह का विकास

2364. **श्री पोन राधाकृष्णन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी में नए बंदरगाह के विकास की कोई नई परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कन्याकुमारी जिले में कोलाचल बंदरगाह की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या तमिलनाडु सरकार और मलेशियन कंपनी के बीच हुआ समझौता फलीभूत हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार का बंदरगाह के विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अनुसार लघु पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकार की है जिनका ऐसे पत्तनों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है। चूंकि कोलाचल तमिलनाडु में स्थित एक लघु पत्तन है, इसलिए इसके विकास की जिम्मेदारी तमिलनाडु सरकार की है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वन नीति

2365. श्री समर चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च स्तरीय समिति ने इस क्षेत्र के विशिष्ट प्रकृतियों, आवश्यकताओं और सामाजिक राजनीतिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत उपर्युक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र वन नीति का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और प्रस्ताव के क्रियान्वयन से कितनी प्रगति हासिल किए जाने की संभावना है; और

(ग) आयोगों/सिफारिशों पर सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों का क्या रुख है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) श्री एस०पी० शुक्ला की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने श्री एस०सी० डे, अपर वन महानिदेशक (सेवानिवृत्त) और "ग्लोबल टाइगर फोरम" के महासचिव श्री एस०सी० डे की अध्यक्षता में 13.11.1998 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उपयुक्त वन नीति सुझाने के लिए एक समिति गठित की है। चूंकि राज्यों को झूम खेती के नकारात्मक प्रभावों की जानकारी थी इसलिए वे अवक्रमित झूम भूमियों की उत्पादकता की बहाली के लिए झूम खेती को बन्द करने के उद्देश्य से इसे नियंत्रित करने के संबंध में एक एकीकृत विकास पद्धति अपनाना चाहते थे। इसके अलावा, मौजूदा वनों की सुरक्षा उनके समेकन और सतत विकास तथा जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित मामले पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप के मकसद से उठाये गये। स्थानीय लोगों के अधिकारों और उन्हें दी जाने वाली रियायतों का मूल्यांकन करने और राज्य योजना केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें दोनों से तथा अन्य संसाधनों से वानिकी क्षेत्र में वित्तीय निवेश बढ़ाने के साथ-साथ वनों तक लोगों की अगम्यता एवं वनों पर उनकी निर्भरता को ध्यान में रख कर विभिन्न जाति समुदायों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वानिकी विस्तार हेतु कार्यान्वयन योग्य मॉडलों से संबंधित मुद्दे को भी राज्य प्रतिनिधियों और अन्य स्टेक होल्डरों के साथ हुई चर्चा में शामिल किया गया।

[हिन्दी]

संयुक्त वन प्रबंध योजना

2366. श्री जय प्रकाश : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आरक्षित क्षेत्रों में संयुक्त वन प्रबन्ध योजना क्रियान्वित करने का है ताकि देश में वन विकास के क्षेत्र में पंचायतों की भूमिका को सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जलगांव परियोजना को संयुक्त वन प्रबंध योजना के अंतर्गत लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अपने निर्णय की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार भारत सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत अवक्रमित वन भूमियों के पुनरुद्धार और उनकी सुरक्षा के काम में ग्रामीण समुदायों को शामिल करने के लिए 1 जून, 1990 को राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए थे। 21 फरवरी, 2000 को स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात् सरकार ने राज्य सरकारों को संयुक्त वन प्रबन्धन को सुदृढ़ बनाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 22 राज्यों ने इस संबंध में सरकारी संकल्प जारी किए हैं और संयुक्त वन प्रबन्धन के अंतर्गत 10.249 मिलियन हैक्टेयर वन क्षेत्र शामिल किया गया है जिसमें अधिसूचित रिजर्व वन क्षेत्र भी शामिल है। इन 22 राज्यों में 36,130 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां गठित की गई हैं। संयुक्त वन प्रबंधन समितियां पंचायतों से अलग संस्थाएं हैं लेकिन उनका पंचायतों के साथ कार्यों का संबंध है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने वन भूमियों की सुरक्षा और उनके पुनरुद्धार के कार्य में लोगों की उद्देश्य परक एवं वास्तविक सहभागिता के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि जलगाम परियोजना वन क्षेत्रों में चलाई जा रही है तो राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त वन प्रबन्धन संबंधी उनके संकल्प के अनुसार उक्त परियोजना को आरंभ किया जा सकता है।

[अनुवाद]

चेचक का उन्मूलन

2367. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चेचक का पूरी तरह उन्मूलन हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में राज्यवार कितने मामलों की पहचान की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस रोग के पूर्ण उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) 1975 के बाद इस देश के किसी भी राज्य में चेचक का कोई भी मामला सूचित नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नालको द्वारा मूल्य वृद्धि

2368. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको) ने अपने तैयार उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बार-बार मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (ग) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने, 1 फरवरी, 2000 के बाद, अपने एल्यूमिनियम उत्पादों के मूल मूल्य नहीं बढ़ाए हैं। तथापि, दी जा रही विभिन्न छूटों में, समय-समय पर समायोजन किये गए हैं। ऐसे पिछले परिवर्तन 1 जुलाई, 2000 से प्रभावी बनाए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एल्यूमिनियम के मूल्य विभिन्न विश्वस्तरीय बाजार घटकों के मांग और आपूर्ति परिदृश्य के अलावा, लंदन धातु विनिमय (एल०एम०ई०) मूल्य सूचकांक पर आधारित होते हैं। नालको अपने घरेलू मूल्यों की समीक्षा करते समय, अन्य वैकल्पिक स्रोतों से क्रेताओं की तुलनात्मक उतराई लागत तथा कम्पनी की समग्र वस्तु सूची स्थिति के अलावा, उपरोक्त मदों को भी ध्यान में रखता है। नालको द्वारा एल्यूमिनियम उत्पादों के मूल मूल्यों में बार-बार बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में वनों का विकास

2369. श्री विष्णुदेव साय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में वनों के अंतर्गत कितना क्षेत्र है और राज्य के कुल क्षेत्र का यह कितना प्रतिशत है;

(ख) किसी राज्य के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन आच्छादित होना आवश्यक समझा जाता है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में वनों के विकास पर वर्षवार कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) कुल धनराशि में से राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और विदेशी एजेंसियों द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई और उनका तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र और वन आवरण 154,497 और 131,830 वर्ग कि०मी० है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्रमशः 34.84 और 29.70 प्रतिशत है।

(ख) राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई भाग वन/वृक्ष आवरण क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए।

(ग) और (घ) सूचना इस प्रकार है :–

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	वर्ष	उपलब्ध कराई गई राशि			उपलब्ध कराई गई धनराशि की तुलना में व्यय		
		राज्य	भारत सरकार	विदेशी अभिकरण	राज्य	भारत सरकार	विदेशी अभिकरण
1.	1995-96	4016	1848	1650	4450	1299	1445
2.	1996-97	5419	2497	6000	4286	2422	3137
3.	1997-98	8969	1994	5926	9390	1269	4686
4.	1998-99	4910	2938	7095	4692	2242	7605
5.	1999-2000	4919	3830	7752	4216	3064	8226

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस में लागत कम करने के उपाय

2370. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा लागत में कमी करने संबंधी सुधारों को शुरू करके इसके किराये में कमी करने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की कोई पेशकश की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किन-किन क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक स्टाफ है;

(ङ) क्या इंडियन एयरलाइंस की लागत कम और इसके लाभ में और अधिक वृद्धि करने के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) इंडियन एयरलाइंस ने अपनी लागतों में कमी लाने के दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

- ओवरटाइम, कैजुअल लेबर, होटल/यात्रा व्यय पर नियंत्रण।
- भर्ती पर प्रतिबंध, जब तक प्रचालन संबंधी कारणों की वजह से नितांत आवश्यक न हो।
- सेवा निवृत्ति की आयु फिर से कम करना।
- ईंधन मानिटरिंग तथा टेंकरिंग।
- सामग्री खपत पर नियंत्रण।
- प्रचार तथा बिक्री संवर्धन संबंधी व्यय में कटौती।
- गैर किफायती उड़ानों की पुनरीक्षा।
- इंवेंटरी प्रबंधन।
- क्रू ले-आवर व्यय पर कड़ा नियंत्रण।
- साध्य सीमा तक सेवाओं संबंधी खर्चे कम किए जाएं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इंडियन एयरलाइंस में सरप्लस के बतौर किन्ही कर्मचारी वर्गों की पहचान नहीं की गई है।

(ङ) और (च) गत हाल के वर्षों में इंडियन एयरलाइंस ने अपनी उत्पादकता तथा वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

- बेहतर विमान-बेड़ा उपयोग
- उत्पाद गुणवत्ता में सुधार
- विपणन पहल
- लागत नियंत्रण उपाय

उद्योगों से निकलने वाला खतरनाक कचरा

2371. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चार क्षेत्रों में स्थित लगभग 449 औद्योगिक इकाइयों से प्रतिवर्ष 31868 टन खतरनाक औद्योगिक कचरा निकलता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चार क्षेत्रों में परिसंकटमय अपशिष्ट पैदा करने वालों के लिए एक विशेषज्ञ परामर्शक संगठन के माध्यम से एक अध्ययन प्रायोजित किया है। तथापि, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा किए गए क्षेत्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से रिपोर्ट के परिणामों को सत्यापित किया जाना है।

(ख) औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पन्न परिसंकटमय अपशिष्टों का उचित संग्रहण, उपचार, भण्डारण, परिवहन और निपटान सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत "परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) विनियम, 1989" नामक नियमों को 28 जुलाई, 1989 को अधिसूचित किया गया। परिसंकटमय अपशिष्टों को पुन: परिभाषित करने, रिसाइकलेबल अपशिष्टों के आयात हेतु पद्धति दर्शाने और वेसल कन्वेंशन के अंतर्गत दायित्व के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपबन्धों में समन्वय स्थापित करने के कारण जनवरी, 2000 में इन नियमों में और संशोधन किया गया। नियमों के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियां प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियां हैं और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अनुपालन की निगरानी और गतिविधियों को समन्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिसंकटमय अपशिष्टों के निपटान के लिए चार स्थलों को निर्धारित करने के प्रयास शुरू किए गए हैं। एक स्थल दिल्ली में अभिनिर्धारित किया गया है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने के 11 उद्योगों में परिसंकटमय अपशिष्टों के उपचार और निपटान के लिए भस्मकारी यंत्र स्थापित किए हैं।

आन्ध्र प्रदेश में सेलुलर टेलीफोन

2372. **श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 2000-2001 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के सभी गांवों में सेलुलर टेलीफोन सुविधा और वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) दूरसंचार सेवा विभाग (डी०टी०एस०) वर्ष 2000-2001 के दौरान देश के कुछ शहरों में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में सेल्युलर मोबाइल सेवा की शुरूआत कर रहा है। प्रायोगिक परियोजना

के अंतर्गत विजयवाड़ा शहर को कृष्णा जिले के भाग के रूप में शामिल किया जा रहा है। लगभग 100 गांवों को शामिल करने वाले तीन एस०डी०सी०ए० नामत: कृष्णा जिले के न्यूजिड, तिरूवुरू तथा नंदीगामा में स्थानीय लूप में बेतार (डब्ल्यू०एल०एल०) की योजना बनाई गई है।

(ग) ऊपर दिए गए अनुसार सेल्युलर मोबाइल सेवा के लिए प्रायोगिक परियोजना के दिसंबर, 2000 तक पूरा हो जाने की संभावना है। ऊपर उल्लिखित एस०डी०सी०ए० में मार्च, 2001 तक डब्ल्यू० एल०एल० रोजा चालू हो जाने की संभावना है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

पोलियो के मामले

2373. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जून, 2000 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "एक्सपर्ट्स एट डब्ल्यू०एच०ओ० कन्सर्न्ड ओवर इन्क्रीज इन पोलियो केसिज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और गत एक वर्ष के दौरान आज तक, राज्य-वार पोलियो के कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान पोलियो के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) पोलियो के मामलों की संख्या में कुल मिलाकर कमी आई है और यह 1998 में सूचित 4315 मामलों से घटकर 1999 में 2817 रह गई है। वर्तमान वर्ष के दौरान, अब तक केवल 86 वाइल्ड पोलियो मामले (15/7/2000 तक के अनुसार) प्रकाश में आए हैं, जो संलग्न विवरण में राज्यवार दिए गए हैं।

(ग) 1999-2000 के दौरान, देशभर में गहन पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के चार दौर तथा दो और उप-राष्ट्रीय दौर असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान के राज्यों में आयोजित किए गए थे। दिल्ली में, मार्च, 2000 में एक अतिरिक्त दौर आयोजित किया गया। सरकार ने पोलियो सहित वैक्सीन निवार्य रोगों के लिए नेमी प्रतिरक्षण में सुधार लाने के लिए भी कदम उठाए हैं।

विवरण

1997, 1998, 1999 और 2000 (15.7.2000 तक) में राज्यवार पोलियो के मामले

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पोलियो				वाइल्ड पोलियो			
		97	98	99	2000	97	98	99	2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	28	176	61	1	15	96	21	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	3	0	0	0	0	0	0
4.	असम	0	10	20	0	0	1	0	0
5.	बिहार	102	410	402	48	14	158	123	31
6.	चंडीगढ़	3	4	4	0	0	1	2	0
7.	दादरा और नगर हवेली	0	1	0	0	0	1	0	0
8.	दमण और दीव	0	5	0	0	0	5	0	0
9.	दिल्ली	35	94	120	0	12	47	73	0
10.	गोवा	0	7	1	0	0	2	0	0
11.	गुजरात	207	271	80	3	103	162	9	1
12.	हरियाणा	15	140	67	1	2	39	19	1
13.	हिमाचल प्रदेश	4	7	3	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	जम्मू और कश्मीर	4	2	6	0	0	0	0	0
15.	कर्नाटक	117	156	59	4	70	71	21	1
16.	केरल	1	17	12	0	0	0	0	0
17.	लक्षद्वीप	अप्राप्त	0	0	0	अप्राप्त	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	130	237	127	6	22	107	17	2
19.	महाराष्ट्र	162	228	106	5	46	121	18	3
20.	मणिपुर	1	0	1	1	0	0	0	0
21.	मेघालय	2	2	0	0	1	0	0	0
22.	मिजोरम	1	0	0	0	0	0	0	0
23.	नगालैंड	3	6	3	0	2	0	0	0
24.	उड़ीसा	15	114	27	0	4	49	0	0
25.	पांडिचेरी	1	3	0	0	0	2	0	0
26.	पंजाब	13	28	31	0	2	9	4	0
27.	राजस्थान	71	254	163	3	21	62	18	0
28.	सिक्किम	0	1	1	0	0	0	0	0
29.	तमिलनाडु	95	143	30	4	48	91	7	0
30.	त्रिपुरा	5	2	2	0	1	0	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	1154	1898	1397	73	130	881	773	44
32.	पश्चिम बंगाल	105	96	94	9	31	26	21	3
	कुल	2275	4315	2817	158	524	1931	1126	86

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्ग

2374. श्री एन० जनार्दन रेड्डी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव हेतु दी जाने वाली धनराशि के अनुरूप कतिपय मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के कारण इसकी लम्बाई में वृद्धि होने के फलस्वरूप इन्हें अतिरिक्त धनराशि का अनुदान दिया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों की अतिरिक्त लम्बाई के अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त आबंटन आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाता है जो कि संसाधनों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

आंध्र प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों की सूची

क्रम सं०	सड़क का नाम	लम्बाई (कि०मी०)
1	2	3
1.	वारांगल सेजगतयाल वाया हनुमानकोंडा और करीम नगर को जोड़ने वाले रा०रा० 7, 9 और 16	260

1	2	3
2.	विजयवाड़ा-वारांगल नूजविक खम्भामपाडु-त्रिरूवुरू-तलियाका-खम्भाम को जोड़ने वाला रा०रा०-9	345
3.	करनूल से गुंटूर वाया नन्डीकेतूर-आदमपुर-डोरनाला-तिरूपुररनकम-विनूकोन्का और नरसारोपेट को जोड़ने वाला रा०रा०-7 से रा०रा०-5	295
4.	पुंगानुर-पालमनरू को जोड़ने वाला रा०रा०-7 से रा०रा०-4	235
5.	पेनूकोंडा-हिन्दुपुर-हस्सन वाया मधुगिरी-तुमकुर	160
6.	कुप्पाम-गैदीपल्लय-कोलार	70
7.	सूर्यापट-जगदलपुर-कोरापेट	150
8.	हैदराबाद-श्रीसैलेम-नन्दयाल	300
9.	मदनापल्ली-पालमनेरू-कुप्पम-कृष्णागिरी	150
10.	नैदुपेट-पाटलपट्टू	114
11.	वेंकाटपुरम-राजमुंदरी	300
12.	रायाचोटी-रेनीगुंटा	135

दूरसंचार सेवाओं के विभाग का निगमीकरण

2375. **डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री जे०एस० बराड़ :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार सेवाओं को एक निगम में बदलने के लिए विशेषज्ञों की राय लेने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ए०एफ० फर्गूसन को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त एजेंसी द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त एजेंसी को मुआवजा के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार ने किस कारणवश इस एजेंसी को चुना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) जी, हां। दूरसंचार सेवा विभाग (तथा हाल ही में गठित दूरसंचार प्रचालन विभाग) के निगमीकरण के लिए व्यवहार्य कार्यनीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने में सहायता के लिए मैसर्स ए०एफ० फर्ग्यूसन एण्ड कम्पनी के नेतृत्व में परामर्शदाताओं के एक समूह को 1.20 करोड़ रुपए की निर्धारित राशि पर नियुक्त किया गया है। इस समूह में मै० ए०एफ० फर्ग्यूसन एण्ड कपंनी, मै० एन०एम० रोथ्सचाइल्ड एण्ड सन्स, ए०बी०एन० एमरो बैंक ए०वी० तथा मै० जे०डी०बी० दादाचानजी दण्ड कंपनी शामिल हैं। परामर्शदाता ने 31.7.2000 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने 31.8.2000 को अपनी अंतिम रिपोर्ट का खंड-I तथा 15.11.2000 तक अंतिम रिपोर्ट का खंड-II प्रस्तुत करना है। परामर्शदाताओं के समूह का चयन बोली की प्रक्रिया और बाद में, प्राप्त वैध निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन और तत्पश्चात् तकनीकी रूप से मूल्यांकित छंटी गई निविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन के माध्यम से किया गया था।

रैपिड क्लोनल मल्टीप्लीकेशन प्रोजेक्ट

2376. **श्री अली मोहम्मद नायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रैपिड क्लोनल मल्टीप्लीकेशन ऑफ सोर्स इंपोर्टेन्ट कोनीफर्स ऑफ कश्मीर वैली थ्रो टिशु एंड आर्गन्स कल्चर टेक्नीक नामक परियोजना सरकार को प्रस्तुत की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों ने इसको स्वीकार करने के पहले परियोजना की जांच की थी;

(घ) क्या सरकार का विचार इस परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसंधान परियोजना में कश्मीर घाटी के महत्वपूर्ण कोनिफर्स तेजी से वृद्धि करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करना है।

(ग) मंत्रालय में विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों द्वारा परियोजना की जांच की गई थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) परियोजना पर मंत्रालय पुनर्विचार कर रहा है। इस मंत्रालय के वानिकी विंग ने इसे राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान योजना के अनुरूप बनाने के लिए पौधशाला तकनीकों के मानकीकरण सहित कोनिफर्स की उत्पादकता में वृद्धि करने से संबंधित अतिरिक्त पहलुओं को सम्मिलित करके अनुसंधान कार्य योजना को संशोधित करने का सुझाव दिया है। संशोधित परियोजना मंत्रालय में विचाराधीन है।

सार्वजनीन टीकाकरण कार्यक्रम

2377. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम में आये गति-रोध के कारण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता की स्थिति उत्पन्न हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या शुरूआती वर्षों में काफी सफलता मिलने के बाद, 1990 में शुरू हुए इस कार्यक्रम में गतिरोध आ गया है और कुछ बड़े राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में तेजी से गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्य मुख्य कारण क्या हैं,

(घ) क्या 16 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में खसरे के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है जिसके कारण खसरा टीकाकरण के कार्यक्रम का लाभ और लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, जो 1990-91 में 90% से घटकर 1998-99 में 80% रह गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर 90% से अधिक का सूचित कवरेज स्तर हासिल किया गया। उसके बाद सभी एंटीजनों सहित सूचित कवरेज 90% के आस पास स्थिर रही। तथापि कुछ बड़े राज्यों में विशेषत: उत्तर प्रदेश और बिहार में मूल्यांकित कवरेज से पता चला है कि वहां कवरेज की ज्यादा रिपोर्टिंग का एक घटक रहा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर विशेष ध्यान देने के साथ पूरे देश में नैमी रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूत करने का विचार कर रही है।

स्वास्थ्य जागरूकता अभियान

2378. डा० वी० सरोजा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आम लोगों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से बड़े पैमाने पर देश भर में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। प्रजनन मार्ग संक्रमणों और यौन संचारित रोगों तथा एच०आई०वी०/एड्स के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का अन्तिम दौर 1-15 जून, 2000 के दौरान चलाया गया। बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने इस अभियान में भाग लिया।

शिशुओं के लिए दुग्ध उत्पादन

2379. श्री रामसागर रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०एम०एस० अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शिशु दुग्धाहार और उन्हें दूध पिलाने की बोतलों की बिक्री निषिद्ध है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न कम्पनियों द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे सुरक्षा आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण

2380. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुरक्षा आयोग उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या अधिकार क्षेत्र है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) रेल संरक्षा आयोग में आयुक्तों के लिए यह अपेक्षित है कि वे रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 6 में यथा उल्लिखित सांविधिक कर्तव्यों का निर्वहन करे। इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से, रेल संरक्षा आयोग (पूर्व में रेलवे निरीक्षणालय) को रेलवे मंत्रालय से पृथक किया गया था और उसे वर्ष 1941 में पोस्ट्स एवं एयर विभाग के अधीन किया गया था और तदुपरांत, यह नागर विमानन मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। सरकार ने इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया था कि क्या रेल संरक्षा आयोग को नागर विमानन मंत्रालय अथवा रेलवे मंत्रालय के साथ बना रहना चाहिए। इस बारे में जुलाई, 1998 में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान व्यवस्था जो इसके स्वतंत्र कार्य संचालन को सुनिश्चित करती है, चालू रखी जाए।

विमानपत्तनों पर भारत विरोधी गतिविधियां

2381. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विमानपत्तन भारत विरोधी ताकतों के आवागमन के सुरक्षित क्षेत्र बन गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्प्रवास संबंधी मानदण्डों का तथाकथित उल्लंघन करने और देश की गुप्त बातों को प्रकट करने के कार्य में लिप्त विमान-पत्तनों के दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कंप्यूटरीकृत डिजीटल ट्रंक मैनुअल एक्सचेंज

2382. **श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रंक टेलीफोन के उपयोग में भारी कमी आने के बावजूद दूरसंचार विभाग ने 14 उच्च आपरेटरों की सुविधा वाले डिजीटल ट्रंक मैनुअल एक्सचेंजों का आयात किया है जो वास्तविक आवश्यकता से अधिक हैं जिससे आठ एक्सचेंजों की आवश्यकता से अधिक क्षमता वाले उपस्करों की जांच परीक्षण के परिणामस्वरूप इस खरीद पर 24.32 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय हुआ;

(ख) यदि हां, तो आवश्यकता से अधिक क्षमता वाले कंप्यूटरीकृत डिजीटल ट्रंक मैनुअल एक्सचेंजों की खरीद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा सरकार को हानि पहुंचाने हेतु इस मामले के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या दूरसंचार विभाग में चक्रानुक्रम में स्थानांतरण की नीति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा कई अधिकारी एक ही स्थान पर कई वर्षों तक तैनात रहते हैं जिससे सांठ-गांठ होने की संभावना रहती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। वर्ष 90-91 से 92-93 के दौरान दूरसंचार सेवाओं तथा एस०टी०डी० केन्द्रों में अधिक वृद्धि नहीं हुई थी। इन वर्षों के दौरान ट्रंक ट्रैफिक/राजस्व में केवल 10% का ह्रास हुआ था। घटते हुए ट्रंक ट्रैफिक को देखते हुए, नवम्बर, 93 के लिए उपलब्ध ट्रंक ट्रैफिक के आधार पर विक्रेता को उपस्कर के लिए आर्डर दिए जाने की आवश्यकता की पुनरीक्षा की गई। तदनुसार, "एम०एम०" शाखा को अग्रिम खरीद आदेश जारी करने के लिए संशोधित प्रस्ताव भेजा गया। मूल प्रस्ताव तथा संशोधित प्रस्ताव का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

क्रम सं०	मद	जनवरी, 1993 में प्रस्तावित संख्या	मार्च, 1994 में प्रस्तावित संख्या (ट्रैफिक की पुनरीक्षा के बाद)
1.	व्यक्तिगत कम्प्यूटर	2860	1330
2.	वर्सेटाइल मल्टीप्लैक्सर/ प्रणालियां/2 एम०बी० प्रणाली	517	243
3.	डिजीटील मल्टीप्लैक्सर्स/2/8 एम०बी०पी०सी०एम० प्रणाली	136	64
4.	हेडगेयर सैट	5720	2660

दूरसंचार सेवाओं में अधिक वृद्धि दर पिछले पांच वर्षों के दौरान ही आरंभ हुई है और इसलिए यह पूर्वघोषणा करना संभव नहीं था कि विभाग की नीतियां बदल जाएंगी और टेलीकॉम/एस०टी०डी० सेवाओं में बढ़ोत्तरी इतनी अधिक हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप ट्रंक ट्रैफिक/राजस्व में भारी कमी आएगी।

(ख) और (ग) उपर्युक्त "क" के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) किफायत के उपाय के रूप में, विभिन्न संवर्गों में स्टाफ के महत्वपूर्ण अनुपात के संबंध में बारी-बारी किए जाने वाले स्थानान्तरण अभी नहीं किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त "घ" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रदूषण रहित उद्योग

2383. **श्री जसकौर मीणा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों में प्रदूषण रहित उद्योग स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) सरकार चिड़ियाघरों के दर्शनार्थियों में पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करने और प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की युक्तियों का स्वागत करती है।

उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम

2384. **श्री रघुराज सिंह शाक्य** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार ने गंगा और यमुना के किनारे वनों के विस्तार हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्कीमों के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना, जो पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही है, के तहत 99.48 लाख रु० की धनराशि आबंटित की गई थी। इस परियोजना के तहत वृक्षारोपण गतिविधियां भी चलाई जाती हैं।

(ख) और (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के तहत गंगा और यमुना नदियों के किनारों पर वनों के विस्तार संबंधी कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। तथापि, यमुना कार्य योजना के तहत निर्मित शोधन सुविधाओं में तथा उनके आस-पास वृक्षारोपण गतिविधियां की जाती हैं। इस प्रकार के वृक्षारोपण करने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान 22.99 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

विवरण

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्कीमों के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई धनराशि संबंधी विवरण

स्कीम	पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित की गई धनराशि (लाख रु० में)
एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम	938.13
क्षेत्रोंमुखी ईंधन लकड़ी एवं चारा परियोजना स्कीम	746.08
औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती लकड़ी वनोत्पाद का संरक्षण एवं विकास स्कीम	58.00
यमुना कार्य योजना	22.99
जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र स्कीम	23.80

[अनुवाद]

वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति

2385. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होमियोपैथी और योग जैसी चिकित्सा पद्धतियों की घरेलू उपयोगिता और व्यापक निर्यात संभावना तथा कई बीमारियों हेतु इनके प्रभावी इलाज को देखते हुए वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र से कोई सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में निजी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति का विकास और प्रचार-प्रसार करने के लिए सरकार ने 1995 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग ने पहले ही औषधीय पादप उद्यानों, कृषि तकनीकों को तैयार करने, स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर शिक्षण का उन्नयन करने, औषधों का मानकीकरण करने, एक्स्ट्राम्युरल अनुसंधान को बढ़ावा देने और सूचना, शिक्षा और संचार के जरिए सूचना का प्रचार करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं। गुणवत्ता वाली आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधों के विनिर्माण को सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अधीन 23 जून, 2000 को उत्कृष्ट विनिर्माण पद्धतियां अधिसूचित की हैं। प्रत्येक पद्धति की औषधों के औषध कोश चरणबद्ध ढंग से प्रकाशित किए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अधीन विभिन्न चिकित्साओं का विकास करने में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग ने हाल में नई दिल्ली में 6 और 7 अप्रैल, 2000 को भारतीय उद्योग महासंघ के सहयोग से "सहस्राब्दि में उत्कृष्ट स्वास्थ्य भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के लिए चुनौतियां" पर दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया था जिसका उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 6 अप्रैल, 2000 को किया गया था। इस सेमिनार में औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना करने, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी को शामिल करने, एम०बी०बी०एस० की पाठ्यचर्या में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के बुनियादी सिद्धांतों और अवधारणाओं को लागू करने, औषधों के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण का सुझाव दिया गया था। उद्योग अपने प्रतिष्ठानों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी औषधालय शुरू करने, औषधीय पादप उगाने और योग शुरू करने पर सहमत हो गया।

टैलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

2386. **श्री जयभान सिंह पवैया :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री सुन्दर लाल तिवारी

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 2000 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जिलेवार कितने व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में थे;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में जिलेवार कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए;

(ग) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान इन राज्यों में स्थान-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) दोनों राज्यों में प्रतीक्षा सूचियों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 के लिए नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के सर्किलवार वार्षिक लक्ष्य को योजना आयोग द्वारा इन वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं अनुमोदित किए जाने के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

(घ) दोनों राज्यों में मौजूदा प्रतीक्षा सूची उत्तरोत्तर रूप से 31 मार्च, 2001 तक निपटाए जाने की संभावना है बशर्ते कि समय पर उपस्कर उपलब्ध हों।

विवरण

31.7.2000 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची तथा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल

क्रम सं०	दूरसंचार जिला का नाम	सुविधायुक्त राजस्व जिले	31 जुलाई, 2000 के अनुसार प्रतीक्षा सूची	पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए कनेक्शन (1997-98 से 1999-2000)
1	2	3	4	5
1.	बालाघाट	बालाघाट	256	3575
2.	बस्तर	बस्तर, दांतेवाड़ा, कांकेर	1092	7823
3.	बेतुल	बेतुल	346	6483
4.	भोपाल	भोपाल, सिहोर	1459	48624
5.	बिलासपुर	बिलासपुर, जनिगिरचंपा, कोरबा	2531	18997
6.	छतरापुर	छतरापुर, तिकमगर्ग	1064	6722
7.	चिंदवाड़ा	चिंदवाड़ा	158	7095
8.	दामोह	दामोह	172	2682
9.	देवास	देवास	419	7199
10.	धार	धार	523	4822
11.	दुर्ग	दुर्ग, कर्वाधा राजनंदगांव	2110	28485
12.	गुना	गुना	260	6143
13.	ग्वालियर	भिंड, दतिया, ग्वालियर	1110	28114
14.	होशंगाबाद	हर्दा, होशंगाबाद	1555	8505
15.	इंदौर	इंदौर	3734	40455
16.	जबलपुर	जबलपुर, कटनी	4646	15200
17.	झाबुआ	झाबुआ	421	3667
18.	खंडवा	खंडवा	549	7884
19.	खरगोन	बर्वानी, खरगोन	742	7224

1	2	3	4	5
20.	मांडला	दिंदोरी, मांडला	554	1285
21.	मंदसौर	मंदसौर, नीमुख	1396	12376
22.	मोरेना	मोरेना, शियोपुरकलान	1434	6089
23.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	545	4661
24.	रायगर्ग	जशपुर नगर, रायगर्ग	745	6275
25.	रायपुर	धांत्री, महासमुंद, रायपुर	2307	19939
26.	रायसेन	रायसेन	92	2387
27.	राजगर्ग	राजगर्ग	87	2839
28.	रतलाम	रतलाम	1461	9695
29.	रेवा	रेवा	2286	6095
30.	सागर	सागर	1979	5277
31.	सरगुजा	कोरिया, सरगुजा	1405	5385
32.	सतना	पन्ना, सतना	869	41342
33.	सियोनी	सियोनी	209	3086
34.	शहडोल	शहडोल, उमरिया	743	7349
35.	शाजापुर	शाजापुर	223	3074
36.	शिवपुरी	शिवपुरी	42	6518
37.	सिधी	सिधी	876	3110
38.	उज्जैन	उज्जैन	1486	13334
39.	विदिशा	विदिशा	0	5727
II.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) टेलीकॉम सर्किल			
1.	इलाहाबाद	इलाहाबाद, कौशंबी	7620	45410
2.	बहराइच	बहराइच, शावस्ती	3500	14032
3.	बांदा	बांदा, चित्रकूट	350	8136
4.	बस्ती	बस्ती, सिद्धार्थ नगर तथा संत कंबीर नगर	7430	11673
5.	इटावा	इटावा, औरैया	3901	10005
6.	फैजाबाद	फैजाबाद, अंबेडकर नगर	4790	17736
7.	फरूखाबाद	फरूखाबाद, कन्नौज	3200	13170
8.	गोंडा	गोंड़ा, बलरामपुर	1385	13291
9.	गोरखपुर	गोरखपुर, महाराजगंज	7600	33297
10.	हमीरपुर	हमीरपुर, महोबा	350	8599
11.	कानपुर	कानपुर देहात	7400	56696
12.	मिर्जापुर	मिर्जापुर, सोनभद्र	2500	19503
13.	वाराणसी	भदोही, चन्दौली तथा वाराणसी	31995	48680

1	2	3	4	5
14.	झांसी	झांसी, ललितपुर	1725	21526
15.	देवरिया	देवरिया, मऊ तथा कुशीनगर	18700	26328
16.	आजमगढ़	आजमगढ़	6390	19369
17.	बलिया	बलिया	7830	8769
18.	बाराबंकी	बाराबंकी	3850	10449
19.	फतेहपुर	फतेहपुर	677	3594
20.	गाज़ीपुर	गाजीपुर	3154	7100
21.	हरदोई	हरदोई	2600	6929
22.	जौनपुर	जौनपुर	8270	12753
23.	लखीमपुर	लखीमपुर	4145	12916
24.	लखनऊ	लखनऊ	14580	78591
25.	मणिपुरी	मणिपुरी	1550	14969
26.	ओराई	ओराई	2823	8537
27.	प्रतापगंज	प्रतापगंज	2690	10241
28.	राय बरेली	राय बरेली	4806	13182
29.	शाहजहानपुर	शाहजहानपुर	7155	13495
30.	सीतापुर	सीतापुर	5790	10237
31.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	3300	12203
32.	उन्नाव	उन्नाव	3830	12193
III.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) टैलीकॉम सर्किल			
1.	आगरा	आगरा, फिरोज़ाबाद	13688	44883
2.	अलीगढ़	अलीगढ़ हाथरस	2412	27280
3.	अलमोड़ा	अलमोड़ा, पिथोरागढ़, चंपावती, बलेशवर	317	11950
4.	बदायूं	बदायूं	2246	11750
5.	बरेली	बरेली	2696	22332
6.	बिजनौर	बिजनौर	4041	19496
7.	देहरादून	देहरादून	9723	41007
8.	एटा	एटा	2266	8002
9.	गाज़ियाबाद	गाज़ियाबाद, जी०बी० नगर बुलंदशहर	24374	92244
10.	मथुरा	मथुरा	4886	21503
11.	मेरठ	मेरठ, बागपत	15381	30136
12.	मुरादाबाद	मुरादाबाद, जे०पी० नगर	6244	29747
13.	मुज़फ्फर नगर	मुज़फ्फर नगर	7924	27656

1	2	3	4	5
14.	नैनीताल	नैनीताल, यू०एस० नगर	4293	26611
15.	पीलीभीत	पीलीभीत	1667	2098
16.	रामपुर	रामपुर	शून्य	6858
17.	सहारनपुर	सहारनपुर, हरिद्वार	12876	31115
18.	कोटद्वार	पौड़ी, चमोली, रूद्रप्रयाग	1364	12123
19.	उत्तर काशी	उत्तर काशी, न्यू टिहरी	276	5541

पर्यावरण प्रबंधन की बैठक

2387. श्री आर०आर० भाटिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 1 से 3 जून, तक विश्व पर्यावरण प्रबंधन सम्मेलन की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व सम्मेलन का मूलभाव सार्वभौमिक प्रतिस्पर्द्धात्मिकता और जीवन के सुधरते स्वरूप के मुख्य सिद्धांत– पर्यावरण प्रबंधन था;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के विशेषज्ञ शामिल हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कुल कितने विशेषज्ञ और देशों ने भाग लिया था और साथ ही तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां। नई दिल्ली में 2 से 3 जून, 2000 तक विश्व पर्यावरण प्रबंधन सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस सम्मेलन में 14 देशों नामत: कोलम्बिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, भूटान, बंगलादेश, रोमानिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, मलेशिया, चीन, अफगानिस्तान, यूक्रेन और भारत के लगभग 300 विशेषज्ञों ने भाग लिया था।

राष्ट्रीय लम्बी दूरी-क्षेत्र

2388. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय लम्बी दूरी-क्षेत्र खोलने के संबंध में नीति को अंतिम रूप देने के लिए दूरसंचार आयोग की एक बैठक आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) पूरा दूरसंचार आयोग की बैठकें आयोजित की गई थीं। आयोग की प्रमुख नीति-गत विस्तृत सिफारिशें इस प्रकार हैं :–

(i) लंबी दूरी के प्रचालनों के लिए लाइसेंस अखिल भारतीय आधार पर। लंबी दूरी के प्रचालकों को अंत:-सर्किल के लम्बी दूरी में परियात को वहन करना होगा।

(ii) प्रकेराकों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

(iii) लाइसेंसधारकों को एक ही बार दिए जाने वाले नियत प्रवेश-शुल्क व वार्षिक राजस्व-हिस्से का भुगतान करना होगा।

(iv) आधारभूत संरचना के प्रदाताओं की दो श्रेणियां होगी।

(v) विदेशी इक्विटि 49% तक सीमित होगी।

(ग) 15 अगस्त, 2000 तक।

जम्मू कश्मीर में वनों का संरक्षण

2389. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार को वनों के परिक्षण और संरक्षण के लिए स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा वनों के परिरक्षण और संरक्षण पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या राज्य के वन विभाग द्वारा वन सम्पदा को सुरक्षित रखने में नाकाम होने के परिणामस्वरूप राज्य के वन क्षेत्र समाप्त होते जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य के वनों को समुचित रूप से रक्षा हो, क्या कार्रवाई करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) वनों के अनुरक्षण और संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार को स्वीकृत की गई धनराशि तथा राज्य सरकार द्वारा अभी तक उपयोग की गई राशि का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार के पास इस आशय की कोई सूचना नहीं है कि वन सम्पदा को बचाने में राज्य के वन विभाग की असफलता के कारण वन क्षेत्र में कमी आ रही है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के 1997 के अनुमान के अनुसार वन आवरण में 1995 के मूल्यांकन की तुलना में 7 वर्ग कि०मी० की वृद्धि की सूचना है।

(ङ) केन्द्र सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत वन भूमियों के पुनरुद्धार और उनकी सुरक्षा के काम में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे वनों और उनमें रहने वाले प्राणियों की सुरक्षा के लिए वन सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाएं।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	स्कीम*	1999-2000			2000-2001		
		स्वीकृत	जारी की गई	उपयोग की गई	स्वीकृत	जारी की गई	उपयोग की गई
1.	आई०ए०ई०पी०एस०	415.34	364.09	357.92	397.78	195.62	2000-01 के दौरान उपयोग की जानी है।
2.	ए०ओ०एफ०एफ०पी०	169.07	0.00	0.00	174.25	0.00	
3.	एन०टी०एफ०पी०	207.80	187.85	200.75	203.27	60.00	
4.	ए०एस०आर०आर०डी०यू०एस०	28.08	16.00	16.00	34.281	32.80	
5.	ए०सी०सी०एफ०एफ०	100.00	100.00	—	—	—	

* (i) एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम।

(ii) क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी एवं चारा परियोजना स्कीम।

(iii) गैर इमारती वनोत्पाद का संरक्षण और विकास।

(iv) समान हिस्सेदारी आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जाति के लोगों और ग्रामीण निर्धनों की सहभागिता।

(v) दावानल के निवारण और नियंत्रण के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।

[हिन्दी]

ग्राम पंचायतों में प्रसूति केन्द्र

2390. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संबद्ध राज्य सरकारों की सहायता से सभी ग्राम पंचायतों में 23 बिस्तरों वाला एक प्रसूति केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस विषय पर राज्य सरकार से चर्चा के लिए कोई पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो इन केन्द्रों के कब तक खुल जाने के संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तन में खान-पान सेवा

2391. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस के विमान में प्रति यात्री खान-पान सेवा उपलब्ध कराने पर औसतन कितना खर्च आता है;

(ख) क्या अल्प अवधि की घरेलू उड़ानों में भी भोजन का प्रबंध किया जाना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो भोजन की अपेक्षा केवल अल्पाहार का प्रबंध करने में कितना खर्च आने की संभावना है; और

(घ) घरेलू उड़ानों में भोजन प्रबंध को खत्म करने, विमान किराया को भी कम करने और इन सबसे इंडियन एयरलाइंस की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) इंडियन एयरलाइंस नेटवर्क पर कैटरिंग सेवा की औसत लागत लगभग 125 रुपये प्रति यात्री बैठती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भोजन के स्थान पर स्नेक्स परोसने की वजह से बचत पर्याप्त मात्रा में नहीं होती और मौजूदा प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में न ही ऐसा किया जाना व्यवहार्य होगा।

[अनुवाद]

सी०आर०आई०, कसौली द्वारा हैपेटाइटिस "बी" टीकाकरण पर अनुसंधान और विकास

2392. **श्री वीरेन्द्र कुमार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैपेटाइटिस "बी" के टीके के उत्पादन और अनुसंधान तथा विकास कार्य सी०आर०आई०, कसौली को सौंपने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को गुणवत्तापूर्वक कार्य करने की सी०आर०आई० की कार्यक्षमता के बारे में कोई आशंकाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यह कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ङ) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान इस समय हैपेटाइटिस "बी" वैक्सीन को अनुसंधान एवं विकास शुरू करने हेतु एक प्रस्ताव पर कार्य कर रहा है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती। अपेक्षित अवसंरचना और संसाधनों की उपलब्धता के साथ गुणवत्तापूर्वक कार्य निष्पादन करने हेतु केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान की क्षमता के बारे में कोई सन्देह नहीं है।

[हिन्दी]

संचार उद्योग में लाभ

2393. **श्री जोरा सिंह मान**
श्री सुकदेव पासवान

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार उद्योग में वर्ष 1998-99 की अपेक्षा वर्ष 1999-2000 में 22 प्रतिशत का लाभ होने का अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में उद्योग में लाभ होने का अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो इन दोनों क्षेत्रों के उद्योग में लाभ की वार्षिक दर क्या है; और

(ङ) मार्च, 2000 के अंत तक इन दोनों क्षेत्रों के उद्योग में कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ङ) विभिन्न संबंधित यूनिटों से सूचना एकत्र की जा रही है और सूचना प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी अस्पतालों का निजीकरण

2394. **श्री रामजी लाल सुमन**
श्री अजय चक्रवर्ती
श्री नवल किशोर राय
श्री ए० नरेन्द्र
श्री टी०एम० सेल्वागनपति
श्री नरेश पुगलिया

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के प्रमुख सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में निजी क्षेत्र की संस्थाओं से बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या देश में नए बड़े अस्पतालों को खोलने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस नीति को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) इस समय केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों का निजीकरण करने के लिए इस मंत्रालय में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। चूंकि भारत के संविधान के अधीन "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों के अस्पतालों का निजीकरण करने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों/ कर्मचारियों के रिक्त पद

2395. श्री अनंत गुढे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य सेवाओं के पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अस्पताल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) इन पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा सूचित किए गए हैं, डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों मं डाक्टरों एवं अन्य सेवाओं के रिक्त पद विवरण में दिए गए हैं।

(ग) रिक्तियां सेवानिवृत्तियों, त्यागपत्रों, उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नतियों, मृत्यु इत्यादि के कारण उत्पन्न होती हैं तथा इस प्रकार होने वाली रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। इस समय, रिक्त पदों को भरने पर वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 7(3)/ई (समन्वय)/99 दिनांक 5.8.99 के तहत रोक लगा दी गई है। इस कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों के अनुसार, समीक्षा के पूरा होने तक वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अनुमोदन के सिवा, कोई भी रिक्त पद नहीं भरे जा सकते।

(घ) रिक्तियों को भरने के लिए कोई लक्षित तिथि नहीं दी जा सकती है।

विवरण

रिक्त पदों का अस्पताल-वार ब्यौरा

समूह	डा० राम मनोहर-लोहिया अस्पताल	सफदरजंग-अस्पताल	लेडी हार्डिंग-मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल
1	2	3	4
समूह 'ए' –चिकित्सा–	21	58	22
गैर-चिकित्सा			
समूह ''ब'' –राजपत्रित–	14	27	1
अराजपत्रित	9	15	1
समूह ''सी''	107	251	80
समूह ''डी''	56	64	102

[अनुवाद]

बाघों की मौत

2396. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दिनों दिल्ली चिड़ियाघर में दो सफेद बाघ शावकों की मौत हो गई;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जंगल में माता बाघिन द्वारा अपने शावकों को अस्वीकार करना आम बात है। मौजूदा मामले में बाघिन द्वारा तीन नए नवजात शावकों को अस्वीकार कर दिया गया। इसके पश्चात् शावकों की मृत्यु हो गई। हाथों से पालन पोषण कर एक शावक को बचाने के प्रयासों में सफलता नहीं मिली। चूंकि शावकों को बचाने के लिए चिड़ियाघर के स्टाफ द्वारा हर मुमकिन प्रयास किया गया था। इसलिए शावकों की मृत्यु के लिए जिम्मेदारी तय करने हेतु किसी तरह की जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में लंबित सड़क परियोजनायें

2397. डा० बलिराम : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परियोजनाओं की मंजूरी से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिल जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) माननीय सदस्य का आशय उत्तर प्रदेश में रा०रा० से संबंधित लम्बित सड़क परियोजनाओं से है जिनके लिए यह मंत्रालय प्रत्यक्षत: जिम्मेदार है। इस संबंध में, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से लगभग 12.32 करोड़ रु० की लागत से रा०रा०-24 पर बरेली बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसकी जांच की जा रही है और यदि यह तकनीकी रूप

से सही पाया जाता है और पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होती है तो इस पर स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

मद्रास पत्तन न्यास के अधिकारी

2398. श्री पी०एच० पांडियन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन न्यास के वरिष्ठ अधिकारी जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभियोग पत्र तैयार किए गए हैं, अभी भी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें काम जारी रखने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) पत्तन न्यास के दीर्घ हितों को ध्यान में रखते हुए भ्रष्ट अधिकारियों के संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) चेन्नई पत्तन न्यास के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री एम कलैवनम इस मामले में मुख्य अभियुक्त थे। उन्हें दिनांक 23.9.1996 के आदेश के तहत निलम्बित किया गया था। तथापि, माननीय चेन्नई उच्च न्यायालय के दिनांक 17.3.99 और 12.4.99 के आदेश पर दिनांक 7.5.1999 के आदेश के तहत उनका निलम्बन रद्द कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने निदेश दिया था कि उन्हें 12.4.99 से एक सप्ताह के अंदर बहाल किया जाए। इस मामले के अन्य तीनों सह अभियुक्तों के भी निलम्बन का प्रस्ताव था जो चेन्नई पत्तन न्यास में विभागाध्यक्ष हैं। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में इस मामले के मुख्य अभियुक्त को सेवा में बहाल किया गया था, अत: इन्हें निलम्बित करना उचित नहीं समझा गया। सी०बी०आई० से परामर्श करके इन्हें निलम्बित न करने का फैसला किया गया। इन अधिकारियों के विरुद्ध आगे कार्रवाई न्यायाधीन मामले में माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार की जाएगी।

(ग) चेन्नई पत्तन न्यास में एक पूर्ण सुसज्जित सतर्कता प्रकोष्ठ है। अध्यक्ष इस प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं तथा वह पत्तन न्यास के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं। पत्तन न्यास का सतर्कता प्रकोष्ठ ऐसे अधिकारियों के मामले सी०बी०आई० को भेज देता है जिनकी ईमानदारी सन्देहास्पद रही है, और जहां इसके लिए जांच करना संभव नहीं है। ताकि सी०बी०आई० उन पर नजर रख सके और जहां आवश्यक हो उनके खिलाफ मामले दर्ज कर सके और अभियोजन अथवा विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा कर सके।

[हिन्दी]

दिल्ली-उदयपुर-दिल्ली उड़ान

2399. श्री भेरूलाल मीणा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-उदयपुर-दिल्ली के लिए इंडियन एयरलाइंस की केवल एक ही उड़ान सुबह के समय उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का विचार पर्यटन स्थलों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-उदयपुर-दिल्ली के लिए अतिरिक्त उड़ान शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त उड़ान कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय इंडियन एयरलाइंस क्षमता संबंधी कठिनाइयों की वजह से दिल्ली-उदयपुर-दिल्ली मार्ग पर अतिरिक्त उड़ान शुरु करने की स्थिति में नहीं है।

[अनुवाद]

एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/ पी०सी०ओ० बूथ

2400. श्री भर्तृहरि महताब : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कटक, केन्द्रपाड़ा, जाजपुर और जगतसिंहपुर जिलों के गांवों में इस समय एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ० की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जिलों के उन गांवों का ब्यौरा क्या है जहां ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गई हैं; और

(ग) उक्त सुविधाएं वहां कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) उड़ीसा के कटक, केन्द्रपाड़ा, जाजपुर तथा जगतसिंहपुर के 6030 बसे गांवों में से 3274 गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी०पी०टी०) प्रदान कर दिए गये हैं। ग्रामीण सार्वजनिक टलीफोनों में एस०टी०डी०/आई०एस०डी० सुविधा मांग पर प्रदान की जाती है। इन गांवों में 210 एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ० सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

(ग) इन जिलों के शेष सभी गांवों को मार्च, 2002 तक क्रमिक रूप से ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने हैं। यदि मांग होगी, तो एस०टी०डी०/आई०एस०डी० सुविधा प्रदान की जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों/उपमार्गों/पुलों का निर्माण कार्य

2401. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई और उन पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपमार्ग और पुलों का निर्माण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(ङ) किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों को दो लेन और चार लेन वाले बनाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) 18 राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात् सं० 3, 6, 7, 12, 16, 25, 26, 27, 43, 59, 69, 75, 76, 78, 79, 86, 200 एवं 202 मध्य प्रदेश से गुजरते हैं जिनकी कुल लम्बाई 5209 कि०मी० है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए आबंटन और उन पर व्यय इस प्रकार है :–

वर्ष	अनुरक्षण कार्य (लाख रु०)	
	आबंटन	व्यय
1997-98	3313.78	3313.78
1998-99	3945.04	2743.16
1999-2000	5573.14	3711.99 (अनंतिम) +1000 (विशेष मरम्मत)

(ग) से (घ) जी, हां। मध्य प्रदेश में रा०रा० पर 19 पुलों के निर्माण और मरम्मत के लिए वार्षिक योजना 2000-2001 में 40.20 करोड़ रु० का प्रावधान है। वार्षिक योजना 2000-2001 में किसी बाइपास का प्रस्ताव नहीं है किन्तु बी०ओ०टी० के तहत इनका प्रस्ताव किया जा रहा है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3, 7, 26, 75 और 76 पर लगभग 659 कि०मी० की लम्बाई में 2 लेन के विद्यमान खंड को चौड़ा करके चरणबद्ध रूप में चार लेन का विभाजित मार्ग बनाने का प्रस्ताव है। ये खंड उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारे के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3, 6, 7, 12, 27 और 86 पर 904 कि०मी० में चार लेन बनाने का प्रस्ताव है। जहां तक 2 लेन बनाने का संबंध है, वार्षिक योजना 2000-2001 में 53 कि०मी० में 2 लेन बनाने के लिए प्रावधान रखा गया है। देश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को चरणबद्ध रूप में 2 लेन का बनाने का प्रयास है जो धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

गंगा कार्य-योजना

2402. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा कार्य-योजना पर भारी धनराशि खर्च करने के बावजूद भी गंगा के जल की गुणवत्ता में कोई सुधार संरक्षित नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन और प्रचालन में कोई कमियां पाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) गंगा कार्य योजना चरण-1 को 1995 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम को 31.3.2000 से बंद कर दिया गया है। इस कार्यक्रम पर लगभग 452 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। प्रथम चरण के अंतर्गत किए गए कार्यों के पूरा होने पर जहां कहीं कार्यों का संचालन किया गया वहां गंगा नदी में गिरने वाले कार्बनिक प्रदूषण को कम करना संभव हो पाया है। तथापि, नदी में गिरने वाले शोधित मलजल में माइक्रोबियल प्रदूषण के स्तर में मामूली कमी आई है। इसका कारण यह है कि माइक्रोबियल प्रदूषण को कम करने के लिए प्रौद्योगिकियां या तो अधिक लागत की है या इसके लिए बड़े भू-क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा, गंगा कार्य योजना चरण-1 के अंतर्गत नदी के किनारों पर स्थित सभी शहरों से इस समय पैदा हो रहे प्रदूषण की मात्रा का लगभग 35% का ही निपटान किया गया है। शेष प्रदूषण की मात्रा का निपटान गंगा कार्य योजना चरण-2, जो पहले से ही कार्यान्वित की जा रही है, के अंतर्गत किया जायेगा, गंगा कार्य योजना के कार्यों के प्रथम चरण का प्रभाव नदी जल गुणवत्ता पर पर्याप्त रूप से दिखाई नहीं देता है।

(ग) और (घ) गंगा कार्य योजना की मुख्य कमियां सृजित संपत्तियों के संचालन एवं उनके रख-रखाव से संबंधित है। संबंधित राज्य सरकारों विशेषकर बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सरकारें संयंत्रों के संचालन के लिए पर्याप्त एवं समय पर निधियां प्रदान नहीं कर सकी और ना ही ये राज्य संयंत्रों को चलाने के लिए निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर पाए हैं। तथापि, पश्चिम बंगाल में संपत्तियों का संचालन एवं रख-रखाव सामान्यतया संतोषजनक रहा। कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य कमी गंगा कार्य योजना चरण-1 के पूरा होने में लगभग 15 वर्ष का समय लगा। ऐसा मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण, मुकदमेबाजी एवं संविदात्मक विवादों के कारण हुआ है।

(ङ) सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना, चरण-2 के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :–

1. राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे, जहां कहीं भी लागू हो, भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम कार्रवाई करें। इसके पश्चात् संबंधित स्कीमें मंजूरी की जाएं केन्द्रीय अनुदान देने और राज्य सरकारों द्वारा इसके उपयोग की अधिक सक्रियता से निगरानी की जाए ताकि निधियों के अन्यत्र उपयोग को कम किया जा सकेगा।

2. राज्य सरकार से संपत्तियों के संचालन एवं रख-रखाव के लिए पर्याप्त निधियां मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ वचनबद्धता प्राप्त होने तक गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत बिहार को केन्द्रीय अनुदान का बंटन रोक दिया गया था। संपत्ति के संचालन एवं रख-रखाव के लिए पर्याप्त प्रावधान हेतु इस मामले को उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के साथ भी उठाया जा रहा है।

3. राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे, जहां अपेक्षित हो, संबंधित फीडरों के जरिए संपत्तियों के लिए निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें।

4. माइक्रोबियल प्रदूषण की समस्या के निदान के लिए, जहां व्यवहार्य हो, मलजल शोधन के लिए भूमि आधारित प्रौद्योगिकियां अपनाने और सिंचाई प्रयोजनों के लिए शोधित अपशिष्टों को उपयोग करने का निर्णय लिया गया है।

चीतलों की मौत

2403. **श्री कृष्णमराजू :**
श्री सी० कुप्पुसामी :
डा० एस० जगतरक्षकन :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास चीतल (मृग) मृत पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों द्वारा मृग की खाल को संरक्षित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस घटना की जांच के लिए समिति गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(च) रणथम्भौर और सारीस्का राष्ट्रीय उद्यानों में शेष मृगों और अन्य जानवरों की सुरक्षा के लिए क्या अंतरिम उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जांच पूरी होने के बाद पशु शवों को जलाया जाना होता है इसलिए कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जानी है।

(ङ) मुख्य वन्यजीव वार्डन ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसमें यह बताया गया है कि हिरण किसी महामारी से नहीं मरे हैं।

(च) कोई विशेष उपाय नहीं किए गए हैं।

बाघों की मौत

2404. **श्री के०पी० सिंह देव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संरक्षित वन क्षेत्र तथा चिड़ियाघरों में पशुओं विशेषकर लुप्तप्राय: प्राणियों जैसे रायल बंगाल टाइगर और सफेद बाघों की असामयिक मौत की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आज तक सरकार के ध्यान में राज्यवार ऐसी कितनी घटनाएं आई हैं; और

(ग) लुप्तप्राय: प्राणियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) देश में 1998-99 और 1999-2000 से विभिन्न राज्यों में चिड़ियाघरों और अभयारण्यों में बाघों की मृत्यु संबंधी विवरण निम्नलिखित हैं :–

चिड़ियाघरों में बाघों की मृत्यु

क्र.सं.	राज्य	1998-99	1999-2000	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	7	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	0	2
3.	असम	0	1	1
4.	बिहार	1	3	4
5.	गुजरात	5	4	9
6.	कर्नाटक	6	1	7
7.	मध्य प्रदेश	2	3	5
8.	महाराष्ट्र	6	4	10
9.	उड़ीसा	11	11	22
10.	राजस्थान	0	2	2
11.	तमिलनाडु	2	0	2

अभयारण्यों में बाघों की मृत्यु

क्र.सं.	राज्य	1998-99	1999-2000	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	उपलब्ध नहीं	2
2.	असम	1	उपलब्ध नहीं	1
3.	कर्नाटक	5	उपलब्ध नहीं	5
4.	मध्य प्रदेश	11	18	29

1	2	3	4	5
5.	महाराष्ट्र	6	उपलब्ध नहीं	8
6.	मणिपुर	1	उपलब्ध नहीं	1
7.	राजस्थान	1	1	2
8.	तमिलनाडु	1	1	2
9.	उत्तर प्रदेश	6	4	10
10.	पश्चिम बंगाल	1	1	2

बाघों की मौतों के संबंध में अन्य राज्यों से सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) राज्य सरकार और चिड़ियाघर प्रशासन से चिड़ियाघरों में जानवरों की भीड़ कम करने, वास स्थल में सुधार, बेहतर स्वच्छता, सफाई तथा पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रदान करने का अनुरोध किया गया है जिससे मृत्यु दर को कम करने में सहायता मिलेगी।

भारत सरकार द्वारा देश में बाघों और अन्य संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए सीमा-शुल्क, राजस्व आसूचना, सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षकों, राज्य पुलिस आदि जैसी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एक राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन।

2. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी रोकने संबंधी प्रयत्नों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सचिव (पर्यावरण एवं वन), विशेष सचिव (गृह), निदेशक, सी०बी०आई० तथा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय समिति।

3. राज्य सरकारों को, सशस्त्र दलों, वाहनों, संचार नेटवर्क और उद्यानन प्रबन्धकों के बीच समन्वय सहित सुरक्षा संबंधी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को आबंटन बढ़ाने तथा प्रवर्तन संबंधी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए निचले स्तर पर निधियों का तेजी से प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है।

5. संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए वन्यजीव उत्पादों के व्यापार संबंधी रास्तों का पता लगाने और एक फोरेन्सिक जांच संदर्भ पुस्तिका विकसित करने के लिए सहायता कार्यक्रम।

6. राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों के आस-पास के क्षेत्रों में पारि-विकास हेतु तथा लोगों के साथ बेहतर सम्बन्ध स्थापित करने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है।

7. सरकार द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति किए जा रहे प्रयत्नों में गैर-सरकारी संगठनों और अन्यों को सम्मिलित करने के लिए लोक चेतना कार्यक्रम शुरू करना।

[हिन्दी]

मलेरिया, कालाजार और हैजा का उन्मूलन

2405. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री पोन राधाकृष्णन् :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान हैजा, मलेरिया और कालाजार के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रतिशत का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान अलग-अलग राज्यवार कितने लोगों की मौत हुई;

(ग) इन बीमारियों के उन्मूलन में असफलता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केरल में विशेषकर कन्याकुमारी जिले में एवीएम (अनंथन विक्टोरिया मयंडन) नहर के रुके हुए पानी के कारण फाइलेरिया और मलेरिया के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार की मलेरिया और कालाजार के उन्मूलन के लिए कीटनाशकों का आयात करने की योजना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में उन बीमारियों का उन्मूलन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 25.7.2000 तक प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार 1999 की उसी अवधि के मुकाबले 2000 के दौरान मलेरिया की घटना में 8.91 प्रतिशत की कमी आई है।

राज्य सरकारों से प्राप्त हुई रिपोर्टें 2000 के दौरान (25.7.2000 तक) पिछले वर्ष की उसी अवधि के मुकाबले काला आजार के रोगियों में 140.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं।

वर्ष 2000 में हैजा की घटना/मौतों संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1998 के मुकाबले 1999 के दौरान हैजा की घटना में लगभग 86 प्रतिशत की कमी हुई है।

इन रोगों की घटना में हुई प्रतिशत वृद्धि/कमी सहित 1999 (25 जुलाई तक) और 2000 (25 जुलाई तक) के दौरान मलेरिया और काला आजार के रोगियों और मौतों की संख्या विवरण I और II पर देखी जा सकती हैं।

1998 और 1999 के दौरान हैजा के अधिसूचित रोगियों और इस रोग के कारण हुई मौतों की संख्या विवरण-III पर देखी जा सकती है।

(ग) 1997 से संशोधित कार्य योजना को कार्यान्वित करने के साथ मलेरिया की घटना को 1976 में 6.47 मिलियन रोगियों के मुकाबले 1984 से प्रतिवर्ष 2-3 मिलियन रोगियों के बीच नियंत्रित किया जा सका।

1992 से 1995 तक काला आजार के रोगियों की संख्या में कमी दर्ज की गई। तथापि, संचरण को रोकने के लिए डीडीटी का समय से छिड़काव न करना, काला आजार के छुपे हुए रोगियों को ढूंढने के लिए स्टाफ की कमी जैसी प्रचालनात्मक समस्याओं के कारण काला आजार की घटना में वृद्धि हुई है।

हैजा मुख्य रूप से खराब निजी स्वच्छता और पर्यावरणिक सफाई के दौरान एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के सम्पर्क में आने जैसी संचरण की अन्य विधियों के अलावा संदूशित पेय जल के जरिए संचारित होता है। हैजा के उन्मूलन के बारे में पूर्वानुमान विभिन्न जानपदिक रोग विज्ञानी पहलुओं के कारण नहीं लगाया गया है। तथापि, इसकी घटना को कम-से-कम करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षित पानी की आपूर्ति की व्यवस्था और निजी स्वच्छता में सुधार करने के संबंध में हिमायत की गई हैं।

(घ) राज्य सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार 2000 के दौरान (जून तक) पिछले वर्ष की उसी अवधि के संबंध में केरल में मलेरिया के रोगियों की संख्या में कमी देखी गई है। तथापि, तमिलनाडु राज्य द्वारा कन्याकुमारी जिले में 2000 के दौरान (मई तक) पिछले वर्ष की उसी अवधि के मुकाबले मलेरिया के रोगियों की संख्या में मामूली वृद्धि सूचित की गई है यद्यपि राज्य में कुल मिलाकर मलेरिया की घटना में कमी हुई है।

फाइलेरिया के संबंध में केरल और तमिलनाडु में सूक्ष्म मलेरिया वाहकों की संस्था द्वारा 1998 से कमी का रूझान दर्शाने की सूचना मिली है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) इन राज्यों में मलेरिया के नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- नवीनतर औषधों द्वारा जटिल रोगियों सहित मलेरिया के रोगियों का शीघ्र पता लगाने और तत्काल उपचार करने में तेजी लाना।
- उपयुक्त कीटनाशकों और वैकल्पिक तथा एकीकृत वैक्टर नियंत्रण विधियों से चुनिंदा छिड़काव के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान करके वैक्टर नियंत्रण उपायों को तेज करना।
- तकनीकी अपेक्षाओं के अनुसार चुनिंदा इस्तेमाल के लिए सिंथेटिक पाइरेथ्रायड्स जैसे नवीनतर कीटनाशकों का प्रयोग शुरू करना।
- जनजागरूकता और समुदाय भागीदारी के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों को तेज करना।
- सांस्थानिक और प्रबंध क्षमता का निर्माण, सभी स्तरों पर गहन पुनरभिविन्यास (रिओरिएन्टेशन) कार्यक्रम के जरिए जनशक्ति का विकास और दक्ष प्रबंध सूचना पद्धति।
- राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम के अधीन सितम्बर, 1997 के मिले-जुले उपायों के जरिए अतिरिक्त निवेश करके मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों को तेज करने हेतु सात प्रायद्वीपीय राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उच्च मलेरिया स्थानिकमारी वाले जनजातीय प्रधानता वाले 100 जिलों में 1045 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और इन राज्यों तथा कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में मलेरिया की उच्च स्थानिकमारी वाले 19 शहरों/कस्बों को कवर करते हुए विश्व बैंक सहायता से एक संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना का कार्यान्वयन।
- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन 7 पूर्वोत्तर राज्यों को दिसम्बर, 1994 से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करना।

काला अजार :

काला आजार के नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- राज्य सरकारों के जरिए काला आजार रोधी औषधों की मुफ्त आपूर्ति।
- प्रभावित क्षेत्रों में डी०डी०टी० का अवशिष्ट छिड़काव पर वैक्टर नियंत्रण करके संचरण को रोकना।
- शीघ्र निदान और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के जरिए पूरा उपचार करना।
- स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी।
- काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल अधिकारियों के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण का आयोजन।

हैजा के नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. घरों में बनाए गए फ्लूड और ओ०आर०एस० के इस्तेमाल में लगातार फीडिंग के साथ वृद्धि करना।
2. मातृत्व के ज्ञान में सुधार करना।
3. सरकारी चैनल और प्राइवेट क्षेत्र के जरिए उपयुक्त सामाजिक विपणन द्वारा ओ०आर०एस० की पहुंच में वृद्धि करना।

विवरण-I

वर्ष 2000 में (25.7.2000) तक 1999 की इसी अवधि की तुलना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु की संख्या का ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष	पाजिटिव रोगी	1999 के मुकाबले % वृद्धि/ कमी	मलेरिया के कारण हुई मौतें
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1999	37508		6
		2000	26196	(-)30.16	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	1999	2300		0
		2000	2045	(-)10.25	0
3.	असम	1999	16993		4
		2000	13367	(-)20.34	4
4.	बिहार	1999	1719		0
		2000	4402	156.08	1
5.	गोवा	1999	5206		4
		2000	2534	(-)51.33	1
6.	गुजरात	1999	15101		0
		2000	8578	(-)43.20	0
7.	हरियाणा	1999	604		0
		2000	88	(-)85.43	0
8.	हिमाचल प्रदेश	1999	103		0
		2000	67	(-)34.95	0
9.	जम्मू व कश्मीर	1999	413		0
		2000	469	(-)13.56	0
10.	कर्नाटक	1999	31878		2
		2000	27185	(-)14.72	5
11.	केरल	1999	2040		0
		2000	1151	(-)43.58	0
12.	मध्य प्रदेश	1999	88088		0
		2000	95222	8.10	3
13.	महाराष्ट्र	1999	36606		0
		2000	22877	(-)37.5	1
14.	मणिपुर	1999	297		1
		2000	225	(-)24.24	0
15.	मेघालय	1999	862		1
		2000	1137	31.9	3
16.	मिजोरम	1999	1588		13
		2000	1136	(-)28.46	2
17.	नागालैण्ड	1999	285		0
		2000	510	78.95	0
18.	उड़ीसा	1999	118565		96
		2000	100421	(-)15.3	159
19.	पंजाब	1999	324		0
		2000	80	(-)75.31	1
20.	राजस्थान	1999	8156		0
		2000	4327	(-)46.95	0
21.	सिक्किम	1999	3		0
		2000	4	33.33	0
22.	तमिलनाडु	1999	17518		0
		2000	15198	(-)13.24	0
23.	त्रिपुरा	1999	4704		0
		2000	3729	(-)20.73	0
24.	उत्तर प्रदेश	1999	5736		0
		2000	6522	13.7	0
25.	पश्चिम बंगाल	1999	15174		31
		2000	37777	148.96	8
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1999	426		0
		2000	429	0.7	1
27.	चंडीगढ़	1999	147		0
		2000	53	(-)83.95	0
28.	दादरा व नगर हवेली	1999	1097		0
		2000	403	(-)63.26	0
29.	दमन व दीव	1999	81		0
		2000	54	(-)33.33	0
30.	दिल्ली	1999	351		0
		2000	294	(-)16.24	0
31.	लक्षद्वीप	1999	0		0
		2000	1	100	0
32.	पांडिचेरी	1999	37		0
		2000	50	35.14	0
	कुल	1999	414009		158
		2000	377131	(-)8.91	190

विवरण-II

भारत में काला आजार की स्थिति

वर्ष	बिहार				पश्चिम बंगाल				कुल देश			
	रोगी	%वृद्धि/कमी*	मौतें	%वृद्धि/कमी*	रोगी	%वृद्धि/कमी*	मौतें	%वृद्धि/कमी*	रोगी	%वृद्धि/कमी*	मौतें	%वृद्धि/कमी*
1999	10171	-18.05	253	17.67	1091	-1.98	6	0.00	11271	-18.98	280	1504
2000#	2022	204.98	14	-56.25	490	23.74	1	-50.00	2547	140.51	15	-55.88
1999#	663		32		396		2		1059		34	

#25 जुलाई, 2000 तक प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार तुलनीय
*पिछले वर्ष के मुकाबले परिवर्तन
**बाहर के रोगी जिनका उपचार दिल्ली/सिक्किम में किया गया, सम्मिलित हैं।

विवरण-III

भारत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1999 के दौरान सूचित किए गए हैजा (001) के अधिसूचित रोगी और मौतें

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999 की संदर्भ अवधि के दौरान		1998 के उसी अवधि के दौरान	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	43	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
3.	असम	—	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—	—
5.	गोवा	2	0	10	0
6.	गुजरात	80	0	113	0
7.	हरियाणा	27	0	87	0
8.	हिमाचल प्रदेश	16	1	0	0
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	118	3	388	2
11.	केरल	8	0	60	0
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	240	2	2423	8
14.	मणिपुर	0	0	19	0
15.	मेघालय	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0
17.	नागालैण्ड	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	0	0	0	0
19.	पंजाब	13	0	7	0
20.	राजस्थान	1	0	33	0
21.	सिक्किम	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	1630	0	1763	0
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	356	0	448	0
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—
27.	चंडीगढ़	0	0	3	0
28.	दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—
29.	दमण व दीव	0	0	0	0
30.	दिल्ली	1348	0	1754	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0
	कुल	3839	6	7151	10

टिप्पण : 0 = शून्य, — = सूचना नहीं भेजी गई। आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : सी०बी०एच०आई०

[अनुवाद]

समुद्री मार्ग का निर्माण और नौकाएं/जलपोत चलाना

2406. डा० ए०डी०के० जयशीलन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में तिरूचन्दूर और टूटीकोरिन के रास्ते कन्याकुमारी और रामेश्वरम के बीच यात्री और मालवाहक नौकाएं/जलपोत चलाने के लिए समुद्री मार्ग बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जैव-विविधता और कार्य योजना

2407. **डा० संजय पासवान :**
श्री सुबोध मोहिते :
श्री रामदास आठवले :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जैव-विविधता और पारिस्थितिकीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बायोटैक ग्रुप और गैर संगठन को राष्ट्रीय जैव विविधता और कार्य योजना को पूरा करने का कार्य सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सम्भावित व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर जैव-विविधता संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) कार्य योजना को कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) सरकार ने जैवविविधता पर एक राष्ट्रीय नीति और माइक्रोलेवल कार्य नीति तैयार की है। राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर विस्तृत माइक्रोलेवल कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय जैव-विविधिता कार्यनीति और कार्य योजना शुरू की है। पर्यावरण और वन मंत्रालय परियोजना की कार्यानिष्पादन एजेंसी है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बायोटैक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (बी०सी०आई०एल०), नई दिल्ली और एक गैर-सरकारी संगठन कल्पवृक्ष के बीच कंसोर्टियम व्यवस्था की गई है। बी०सी०आई०एल० प्रशासन वित्त और लोजिस्टिक प्रबंधों के लिए समन्वय एजेंसी है। कल्पवृक्ष तकनीकी और नीति कोर ग्रुप का समन्वयक है और परियोजना के तकनीकी निष्पादन के लिए जिम्मेदार है।

(ख) विश्व पर्यावरण सुविधा (जी०ई०एफ०) ने इस परियोजना के लिए 968,200 अमरीकी डालर दिए हैं।

(ग) सरकार ने 15 मई, 2000 को लोक सभा में जैव-विविधता विधेयक 2000 प्रस्तुत किया। इस कानून के मुख्य उद्देश्य जैव-विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग तथा जैविक संसाधनों और सम्बद्ध ज्ञान के प्रयोग से होने वाले लाभों में बराबर की हिस्सेदारी करना है। विधेयक में राज्य जैवविविधिता बोर्ड और स्थानीय निकायों में जैवविविधता प्रबंध समितियां गठित करने का भी प्रावधान है।

(घ) परियोजना को पर्यावरण एवं वन मंत्री द्वारा 11.4.2000 को सरकारी तौर पर शुरू किया गया था। परियोजना की अवधि दो वर्ष है।

[अनुवाद]

हैपेटायट्स-बी टीकाकरण कार्यक्रम

2408. **श्री किरीट सोमैया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से "हैपेटायट्स-बी" टीकाकरण कार्यक्रम के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार को अन्य राज्य सरकारों से भी ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हैपाटाइटिस-बी टीके को शामिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से एक अनुरोध हाल ही में प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) केरल ने हैपाटाइटिस-बी को व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। हरियाणा ने राज्य में यूनिसेफ द्वारा हैपाटाइटिस-बी टीके का वित्त पोषण करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। दिल्ली सरकार ने पांच वर्षों के लिए हैपाटाइटिस-बी वैक्सीन की मुफ्त आपूर्ति करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए दाता (डोनर) सहायता मांगी है।

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हैपाटाइटिस-बी को शामिल करने का निर्णय अभी तक नहीं लिया है। हैपाटाइटिस-बी अपेक्षाकृत एक महंगी वैक्सीन है। वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय की प्राथमिकताएं देश में पोलियो उन्मूलन और नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम की पहुंच और गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार करना है। तथापि, मंत्रालय इस समय चुनिंदा जिलों और शहरों में हैपाटाइटिस शुरू करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना के एक प्रस्ताव की जांच कर रहा है।

[हिन्दी]

उड्डयन कम्पनियों को रियायती दरों पर ईंधन

2409. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे विमानों का उपयोग करने वाली उड्डयन कम्पनियों को आधी कीमत में ईंधन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस कीमत के बाकी आधे हिस्से की प्रतिपूर्ति किस शीर्ष के अंतर्गत किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार अपनी उड्डयन कम्पनियों में छोटे विमानों को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, छोटे विमानों (टर्बो प्रॉप) द्वारा छोटे-छोटे और गैर-महानगरीय नगरों को हवाईमार्ग से जोड़ने के लिए उनकी प्रचालन सेवा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे विमानों को अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों पर एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ए०टी०एफ०) मुहैया करें तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अधीन "घोषित माल" के रूप में ए०टी०एफ० को अधिसूचित करें। इन निर्णयों के कार्यान्वयन संबंधी तरीकों की जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) इंडियन एयरलाइंस छह 50 सीटर विमानों की खरीद के बारे में परियोजना रिपोर्ट का विश्लेषण कर रही है। जेट एयरवेज के पास अपने विमान-बेड़े में 5 ए०टी०आर०-72-500 (62 सीटर) विमान उपलब्ध हैं और उनका ऐसे 3 और विमान आयात करने का प्रस्ताव है। सहारा एयरलाइन्स को पहले ही सात 30 सीटर ई०एम०बी०-120 विमानों को आयात की अनुमति दे दी है।

नई निजी विमानन कंपनियों द्वारा विमान सेवाएं शुरू किया जाना

2410. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में देश में नई विमानन-कम्पनियों द्वारा विमान-सेवाएं शुरू की जाएंगी; और

(ख) यदि हां, तो जिन नई विमानन-कंपनियों को देश में उड़ान सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है, उनका ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) दो नई प्राइवेट कंपनियों अर्थात् मै० क्राउन एक्सप्रेस प्रा०लि० तथा मै० अहमदाबाद एविएशन एंड एयरोनॉटिक्स लि० से देश में अनुसूचित सेवाओं के प्रचालनार्थ अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और जिनकी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

ऑप्टीकल फाइबर केबल

2411. श्री सुनील खां : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के मलियारा टेलीफोन एक्सचेंज में ऑप्टीकल फाइबर केबल बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (ग) जी, हां। मलियारा में 7.7.2000 को आप्टीकल फाइबर कनेक्टीविटी प्रदान कर दी गई है।

विश्व आपदा रिपोर्ट 2000

2412. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री समर चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व आपदा रिपोर्ट (वर्ल्ड डिजास्टर रिपोर्ट) 2000, विशेषत: इसके उन अध्यायों की ओर दिलाया गया है जिनमें देश के कुपोषण के शिकार बच्चों, तपेदिक, मलेरिया जैसी बीमारियों; एच०आई०वी०/एड्स संक्रमण का उल्लेख है और निवारात्मक स्वास्थ्य सुरक्षा और संबंधित समस्याओं, जैसे बढ़ते शहरीकरण, जलवायुवीय बदलाव और पर्यावरणीय क्षति की समस्याओं की ओर इशारा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आपत्ति उठाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) विश्व आपदा रिपोर्ट (वर्ल्ड डिजास्टर रिपोर्ट) 2000, विश्व के विभिन्न भागों जैसे अफ्रीका (एच०आई०वी०/एड्स) और कोरिया डी०पी०आर० (क्षयरोग और मलेरिया) में जन स्वास्थ्य प्रणालियों के संकट की ओर ध्यान केन्द्रित करती है। जहां तक भारत का संबंध है रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या का तीन-चौथाई भाग निजी हाथों में है जो कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 400 मिलियन भारतीयों की पहुंच से बाहर है।

स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को सुधारने के उद्देश्य से सरकार ने 137006 उपकेन्द्रों, 23179 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 2913 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (31.12.98 की स्थिति के अनुसार) वाले ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या को कवरेज और गुणवता को श्रेष्ठ बनाने और लोगों की बढ़ती स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं को पूरा करने की परिकल्पना की है। इनकी संभावना पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में निवारक, संवर्धक और रोगहारक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान में महत्वपूर्ण अन्तराल को भरने के लिए सरकार विभिन्न द्विपक्षी और बहुपक्षी एजेन्सियों से बाह्य सहायता जुटाकर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संसाधनों के संवर्धन के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है ताकि कुष्ठ, क्षयरोग,

दृष्टिहीनता, मलेरिया, एड्स जैसे रोगों के नियन्त्रण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सहायता की जा सके। विश्व बैंक सहायता से चुनिंदा राज्यों में द्वितीयक स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार बाजारी ताकतें (मार्किट फोर्स) आयुर्वेद जैसी पारम्पारिक स्वास्थ्य पद्धतियों को समाप्त कर रही हैं। तथापि सरकार स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास और वृद्धि के लिए विभिन्न कार्यनीतियां अपना रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विश्व आपदा रिपोर्ट 2000 का केन्द्र बिन्दु विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जन स्वास्थ्य प्रणालियों पर है न कि भारत पर। यह रिपोर्ट देश विशिष्ट उदाहरण देते हुए जन स्वास्थ्य प्रणालियों के संकट पर सूक्ष्म विचार व्यक्त करती है और इसलिए इस पर विशिष्ट प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है।

वायुमार्गों की नीलामी

2413. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एयरलाइन ऑपरेटरों को प्रत्यक्ष राजसहायता देने के स्थान पर वायुमार्गों की नीलामी पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एयरलाइन सेवाओं और भू-स्थित बुनियादी सुविधाओं के लिए एक स्वतंत्र नियामक ढांचे का सृजन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नागर विमानन नीति के मसौदे के ओवर आल फ्रेमवर्क के भीतर ही हवाई अड्डे की वित्तीय स्थितियों, एयर नेवीगेशन सेवा मुहैया कराने वालों तथा एयर ट्रांस्पोर्ट ऑपरेटरों पर नजर रखने की दृष्टि से एक स्वायत्त सांविधिक आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (सी०ए०ई०आर०ए०) का गठन विचाराधीन है।

पत्तन और गोदी कामगारों को मकान किराया भत्ता

2414. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पत्तन और गोदी कामगारों को मकान किराया भत्ता देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका भुगतान किस तारीख से किया जाएगा;

(ग) क्या मकान किराया भत्ते का उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित दरों पर भुगतान किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) 1.1.1998 से भुगतान किया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) पत्तन एवं गोदी कामगारों को संशोधित दरों पर मकान किराए भत्ते का भुगतान पूर्व प्रभाव (1.1.1998) से अर्थात् समझौते के लागू होने की तारीख से किया जाएगा।

(ङ) पत्तन प्रबंधन और पांच प्रमुख महासंघों ने महापत्तन न्यासों और गोदी कामगार बोर्डों के श्रेणी III और IV के कर्मचारियों के वेतन समझौते संबंधी एक करार पर दि० 2.8.2000 को हस्ताक्षर किए।

रेबीज के मामले

2415. श्रीमती श्यामा सिंह :
डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति वर्ष रेबीज की वजह से हजारों लोग मर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेबीज-रोधी टीकाकरण को बहुत पुरानी पद्धति पाया गया है और क्या सरकार द्वारा नयी तकनीकों अथवा टीकाकरण प्रणालियों की उपेक्षा की गई है;

(ग) क्या देश में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अस्पतालों के चिकित्सकों ने सरकार से इस संबंध में नई प्रणाली को अपनाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशियायी क्षेत्र में जलातंक की उच्च घटना वाली श्रेणी के अन्तर्गत भारत की पहचान की है।

(ख) और (घ) तंत्रिका ऊतक (न्यूरल टिश्यू) वैक्सीन का 10 केंद्रों में उत्पादन किया जा रहा है और यह समग्र देश में स्थापित जलातंक रोधी उपचार केन्द्रों में नि:शुल्क उपलब्ध है। यद्यपि यह वैक्सीन जलातंक की रोकथाम करने में बहुत ही प्रभावी है, तथापि इसके कुछ पार्श्व प्रभाव भी होते हैं।

नवीनतर प्रौद्योगिकी पर आधारित ऊतक संवर्ध जलातंक रोधी वैक्सीन (टी०सी०ए०आर०वी०) राष्ट्रीय डेयरी विकास मंडल (पशुपालन तथा डेरी उद्योग) के उडमंडलम स्थित सार्वजनिक क्षेत्र

की यूनिट में विनिर्मित की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के शेष जलातंक रोधी वैक्सीन उत्पादन संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाता है कि वे ऊतक जलातंक रोधी वैक्सीन का उत्पादन शुरू करें।

तिरूअनन्तपुरम में एयर कार्गो परिसर

2416. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूअनन्तपुरम, केरल स्थित एयर कार्गो परिसर को केरल राज्य औद्योगिक उद्यम (के०एस०आई०ई०) को पुन: सौंप दिया गया है;

(ख) क्या उक्त एयर कार्गो परिसर को केरल राज्य औद्योगिक उद्यम से लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दिए जाने का भी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार यह मानती है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव एयर कार्गो परिसरों से संबंधित राज्य एजेंसियों के अधीन रहने के विरुद्ध होगा जैसा कि बंगलौर, हैदराबाद, वाराणसी, अहमदाबाद, विशाखापत्तनम इत्यादि में व्यवस्था है;

(ङ) क्या सरकार का विचार केरल राज्य औद्योगिक उद्यम के पास ही एयर कार्गो परिसर को रहने देने की अनुमति देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) केरल राज्य औद्योगिक उद्यम (के०एस०आई०ई०) का पहले से ही त्रिवेन्द्रम अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्गो टर्मिनल है और वह उसे ऑपरेट करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) तक प्रश्न नहीं उठता।

मणिपुर में टेलीफोन एक्सचेंज

2417. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अन्य राज्यों की तुलना में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के संबंध में मणिपुर का प्रतिशत कितना है;

(ख) राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान जिलेवार कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए;

(ग) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राज्य में स्थान-वार कितने नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं या उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के संबंध में देश के अन्य राज्यों की तुलना में मणिपुर की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) मणिपुर राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या इस प्रकार है :–

जिले का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
इम्फाल	1	–	–
सेनापति	–	1	–
बिशनपुर	–	1	–
इम्फाल पूर्व	–	1	–
बिशनपुर	–	–	1
जोड़	1	3	1

(ग) वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान राज्य में प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थानवार संख्या इस प्रकार है :–

वर्ष 2000-2001 के दौरान योजना		वर्ष 2001-2002 के दौरान योजना	
स्थान	कुल	स्थान	कुल
लॉगजिंग	1	लिमाखोंग	1
मणिपुर विश्व-विद्यालय	1	इम्फाल एयरपोर्ट	1
तादुबी	1	काकचिंग खुनोऊ	1
सुग्नू	1	एन्द्रो	1
		सैकुल	1
जोड़	4	जोड़	5

(घ) विभाग ने योजना बनाई है कि यदि पर्याप्त संख्या में पंजीकृत मांगें प्राप्त होती हैं, तो भवन, उपस्कर और विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होने पर नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाएंगे। आवश्यक एक्सचेंज उपस्करों का प्रापण किया जा रहा है। भूमि, भवन तथा अन्य आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

विवरण

क्रम सं०	सर्किल/मैट्रो जिले	30.6.2000 के अनुसार स्थिति	अखिल भारतीय प्रतिशत
1	2	3	4
1.	अंडमान-निकोबार	37	0.13
2.	आंध्र प्रदेश	2426	8.64
3.	असम	420	1.49
4.	बिहार	997	3.55
5.	गुजरात	2200	7.84
6.	हरियाणा	870	3.10

1	2	3	4
7.	हिमाचल प्रदेश	715	2.54
	जम्मू कश्मीर	286	1.01
9.	कर्नाटक	2364	8.42
10.	केरल	923	3.28
11.	मध्य प्रदेश	930	10.44
12.	महाराष्ट्र	3520	12.54
13.	उत्तर पूर्व	338	1.20
14.	उड़ीसा	863	3.07
15.	पंजाब	1189	4.23
16.	राजस्थान	1960	6.98
17.	तमिलनाडु	1634	5.82
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	1043	6.21
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	1053	3.75
20.	पश्चिम बंगाल	938	3.34
21.	मुम्बई	149	0.53
22.	कलकत्ता	194	0.69
23.	दिल्ली	190	0.67
24.	चेन्नई	118	0.42
	अखिल भारत	28057	
	मणिपुर	34	0.12

सरकारी अस्पतालों में शल्य चिकित्सा संबंधी सामग्री/उपस्करों का उनकी मियाद के बाद भी प्रयोग

2418. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी अस्पतालों के प्रशासनिक कर्मचारियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा शल्य चिकित्सा संबंधी सामग्री/उपस्करों का उनकी मियाद के बाद भी जानबूझ कर प्रयोग किये जाने के संभावित प्रयासों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बेकार शल्य चिकित्सा संबंधी सामग्री/उपस्करों का प्रयोग करने को बाध्य करने वाले इन सरकारी अस्पतालों के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) दिल्ली के केन्द्रीय अस्पतालों अर्थात् डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व संबद्ध अस्पतालों में इस्तेमाल की तिथि की समाप्ति के बाद कोई शल्यक सहाय यन्त्र प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं।

संविधान के अन्तर्गत "स्वास्थ्य" राज्य का विषय होने के कारण यह संबद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेवारी है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले अस्पतालों में इस्तेमाल की तिथि समाप्त हुए शल्यक सहाय यंत्रों का प्रयोग न होने देने हेतु कदम उठाएं।

[हिन्दी]

सड़क क्षेत्र में विदेशी निवेशक

2419. श्री राम टहल चौधरी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में सड़कों के निर्माण हेतु विदेशी निवेशकों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1996 से 30 अप्रैल, 2000 तक प्राप्त प्रस्तावों का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) विदेशी निवेश के लिए चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

1. मलेशिया : आंध्र प्रदेश में रा०रा०-5 का टाडा-नल्लौर खंड।
2. मलेशिया : आंध्र प्रदेश में रा०रा०-9 का विजयवाड़ा-नंदीगाम खंड।
3. मलेशिया : आंध्र प्रदेश में नल्लौर बाइपास।
4. अमरीका और हांगकांग : प० बंगाल में दूसरा विवेकानन्द पुल।

क्रम सं० 3 पर उल्लिखित प्रस्ताव अनुमोदित हैं। अन्य प्रस्ताव बातचीत के विभिन्न चरणों में हैं।

[अनुवाद]

निजी एअरलाइन्स के विरुद्ध शिकायतें

2420. श्री दिलीप संघानी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी एअरलाइन्स के कार्यकरण के विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी-वार प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन्हें निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) यात्रियों से विभिन्न मामलों जैसे कनफर्म टिकट पर सीटों की मनाही, यात्रियों के प्रति बुरा-व्यवहार, टिकटों को रद्द करने पर पैसे की वापसी, बैगेज का खोना, उड़ानों के आकस्मिक रद्द करने इत्यादि के बारे में शिकायत प्राप्त होती हैं। जबकि शिकायतों की सटीक संख्या दर्शाना संभव नहीं

है, 1998-2000 की अवधि के दौरान निजी एयरलाइनों के विरुद्ध प्राप्त 8 शिकायतों का विवरण संलग्न है। शिकायतों की प्राप्ति पर शिकायतों के निपटान के लिए संबंधित निजी एयरलाइनों/नागर विमानन महानिदेशालय की टिप्पणी ली जाती है।

विवरण

1998-2000 (आज तक) के दौरान निजी एयरलाइनों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

शिकायकर्ता का नाम	एयरलाइंस	विवरण	की गई कार्रवाई
1. श्री के०एम०आर० जनार्दनन, वित्त राज्य मंत्री	मैसर्स सहारा एयरलाइंस	दिनांक 4.10.98 को मद्रास में सहारा एयरलाइंस के स्टाफ के अ-सहयोग के कारण हुई असुविधा।	मामले को सहारा एयरलाइंस के चीफ एग्जिक्यूटिव के ध्यान में लाया गया है तथा उन्होंने सीधे ही माननीय वित्त मंत्री से अपनी भूल स्वीकार कर ली है तथा माफी मांगी है।
2. सुश्री पूनम राय, सुपुत्री श्री सुरेन्द्र नाथ, अपर सचिव, गृह मंत्रालय	मैसर्स जेट एयरवेज	दिनांक 29.4.2000 को कलकत्ता से दिल्ली की उड़ान में बासी तथा अस्वास्थ्यकर भोजन परोसने से फुड पॉयजनिंग।	मामले को सुलझा लिया गया है तथा सुश्री पूनम नाथ इससे संतुष्ट हैं।
3. श्री दलजीत सिंह, गुलाबी बाग, दिल्ली (प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त)	मैसर्स सहारा एयरलाइंस	दिनांक 15.5.2000 को सहारा एयरलाइंस की उड़ान संख्या 502 के पायलट द्वारा गैर-उत्तरदायित्व व्यवहार।	मामले को दिनांक 7.6.2000 को सहारा एयरलाइंस के ध्यान में लाया गया है।
4. श्री पी०सी० थॉमस संसद सदस्य (लोक सभा)	मैसर्स जेट एयरवेज	दिनांक 4.3.2000 को वाणिज्यिक आधार पर उड़ानों का आकस्मिक रद्दकरण।	एयरलाइंस/डीजीसीए से विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है, जिसकी प्रतीक्षा है।
5. श्री महेश्वर प्रसाद सिंह	सहारा एयरलाइंस	गंतव्य-स्थान से पहले सामानों की ऑफ-लोडिंग (13.5.2000)	एयरलाइंस/डीजीसीए से विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है, जिसकी प्रतीक्षा है।
6. श्री खान गुफरान जाहिदी, संसद सदस्य (लोक सभा)	यू०पी० एयरवेज	विदेशों में रुपयों का प्रेषण (24.5.2000)	वित्त मंत्रालय से विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है, जिसकी प्रतीक्षा है।
7. श्री वी०पी० गोयल, संसद सदस्य (लोक सभा)	जेट एयरवेज	दिनांक 28.4.2000 को एग्जीक्यूटिव श्रेणी सीट की मनाही।	एयरलाइंस के कर्मचारियों ने व्यक्तिगत रूप से माननीय संसद सदस्य से मुलाकात की तथा माफी मांगी।
8. श्री डी०पी० यादव (राज्य सभा)	जेट एयरवेज	एयरलाइन के स्टाफ द्वारा अनियमितताएं तथा दुर्व्यवहार (17.6.2000)	एयरलाइंस/डीजीसीए से विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है, जिसकी प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना

2421. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक नेहरू युवा केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार के ऐसे जिला मुख्यालयों का ब्यौरा क्या है जहां इन केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई है; और

(घ) देश के सभी जिला मुख्यालयों और विशेषकर बिहार के शेष जिलों में नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) जी, नहीं। धनराशि की बाध्यता के कारण, सरकार देश में कोई भी नया केन्द्र खोलने की स्थिति

में नहीं है। बिहार में लखी सराय, शेखपुरा, कोडरमा तथा शिवहर जिलों में नेहरू युवा केन्द्र नहीं हैं।

[अनुवाद]

बकाया टेलीफोन बिल

2422. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार बकाया टेलीफोन बिलों की कुल कितनी धनराशि बकाया है; .

(ख) क्या सरकार का विचार भू राजस्व के बकाया का अक्सर भुगतान न करने वालों से बकाया धनराशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कतिपय दूरसंचार विभाग अधिकारियों को राजस्व अधिकारियों की शक्तियां प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया संचयी राशि 3271 करोड़ रु० थी जिसमें से पिछले तीन माह के दौरान के बिलों की बकाया राशि 1111 करोड़ रु० है।

(ख) और (ग) जी नहीं, विभागीय अधिकारियों को राज्य के राजस्व प्रधिकारियों की शक्तियां प्राप्त नहीं है। तथापि, शीघ्र वसूली में उनकी यथासंभव सहायता लेने का प्रयास किया जाता है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2165/2000]

(3) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2166/2000]

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय डाकघर नियम, 2000 जो 27 अप्रैल 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 357(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2167/2000]

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 2000 जो 17 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 463(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2000 जो 13 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 537(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2168/2000]

(2) (एक) पोस्टग्रेजुएट इन्सटीट्यूट ऑफ मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पोस्टग्रेजुएट इन्सटीट्यूट ऑफ मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) पोस्टग्रेजुएट इन्सटीट्यूट ऑफ मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2169/2000]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : श्री बाबू लाल मरांडी की ओर से, मैं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत ओजोन ह्रास पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 जो 19 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 670(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2170/2000]

[हिन्दी]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत मूल और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता सेवा संबंधी विनियम, 2000 जो 14 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 112-17/98-टी०आर०ए०आई० (टेक्निकल) खंड-III में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2171/2000]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों के सुरक्षित प्रचालन के लिए प्रबंध) नियम 2000 जो 12 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 432(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2172/2000]

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 3 अगस्त, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2000 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं 3 अगस्त, 2000 को राज्य सभा द्वारा पारित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2000 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ तीर्थयात्रियों सहित अनेक व्यक्तियों के मारे जाने की हाल की घटनाओं की न्यायिक जांच के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : माधवराव सिंधिया जी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक सबमिशन करना है। *(व्यवधान)* हमारे देश में जम्मू-कश्मीर में बहुत बड़ी घटना हुई। पिछले हफ्ते हमने इस बात को उठाया था और इसकी न्यायिक जांच की मांग की थी क्योंकि सौ निर्दोष और मासूम लोगों की जानें गई हैं। आज स्पष्ट यह स्थिति उभर रही है कि यह इस सरकार की लापरवाही के कारण हुआ है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। मैं बोलने के लिए आपको भी आमंत्रित करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह जी, मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा लेकिन अभी नहीं।

अब, श्री माधवराव सिंधिया जी के भाषण को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : वहां सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई और इनकी लापरवाही के कारण वहां सौ मासूम लोगों की जाने गई हैं। इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी ह्यूमैन ट्रेजेडी हुई है उसके लिए हमने न्यायिक जांच की मांग की थी। आज अखबारों ने इस बात को भी स्पष्ट सिद्ध किया है किसने, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने ही, स्वयं रक्षा मंत्री ने कहा है कि जनसंहार को रोका जा सकता

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री माधवराव सिंधिया]

था। इतनी बड़ी बात स्वयं रक्षा मंत्री कह गये। इसकी अकाउंटेबिलिटी इस सरकार पर फिक्स होनी चाहिए। हमारे गृह मंत्री को भी अपनी अंतरात्मा को टटोलकर सोचना चाहिए कि जब उनके साथी यह कह रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से उनका मत अभिव्यक्त हो रहा है तो गृह मंत्री को अपने पद पर रहना चाहिए या नहीं, इस बात पर उन्हें गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमने इसके लिए न्यायिक जांच की मांग की है, उस न्यायिक जांच की मांग हम फिर से दोहराते हैं। वहां सौ मासूम लोगों की जानें गई हैं और रक्षा मंत्री

[अनुवाद]

का सर्टिफिकेट है कि इस जनसंहार को रोका जा सकता था, कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी और उसके कारण अमरनाथ यात्री मारे गये। महोदय, हमें इस मुद्दे के संबंध में सरकार का उत्तर चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : इस पर गृह मंत्री के त्यागपत्र की मांग होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, यह सब क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें पिछले गुरूवार को माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ श्रीनगर और पहलगाम जाने का अवसर मिला था। उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बीच में मत बोलिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्दे पर व्यवधान तो होगा ही। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नवल किशोर राय जी, यह कोई तरीका नहीं है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए आप कृपया इस प्रकार टिप्पणी मत कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे हमें साथ लेकर गये, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। लेकिन महोदय, हमने वहां जो कुछ भी थोड़ा-बहुत देखा, वह अत्यधिक चिंता वाली बात है। हममें से जो लोग वहां गये थे, उनमें से अधिकांश लोगों का यह विचार है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक हुई है और जिस कारण मासूम लोग मारे गये, यदि थोड़ी सी भी सुरक्षा दी गई होती तो उन लोगों को बचाया जा सकता था। यह ऐसा मामला है जहां कुछ जवाबदेही निर्धारित करनी होगी।

पता नहीं मेरे कांग्रेसी मित्र न्यायिक जांच की मांग क्यों कर रहे हैं। इससे तो पूरा मामला दब जायेगा; इसमें कई महीने और साल लग जायेंगे और उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : हम यह मांग कर रहे हैं कि यह जांच समयबद्ध कार्यक्रम में की जानी चाहिए, इसे करना होगा और इसे किया जा सकता है। सौ लोग मारे गये हैं, ऐसा किया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को इस पर आपत्ति क्यों है।

उपाध्यक्ष महोदय : माधवराव सिंधिया जी, वे जो कहना चाहते हैं, उन्हें कहने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : संसद में इस पर पूरी तरह चर्चा की जानी चाहिए। न्यायिक जांच हो जाने पर संसद में कोई चर्चा नहीं हो पायेगी। हमें यह आभास कराया गया था, श्री मुलायम सिंह यादव के अलावा कम से कम मुझे तो ऐसा लगा था कि प्रधान मंत्री आज सभा में वक्तव्य देंगे। उसी आधार पर हम अनुपस्थित थे। लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं कि "आप प्रधान मंत्री जी के साथ जम्मू और कश्मीर जाते हैं, प्रधान मंत्री जी वक्तव्य देते हैं और आप सभा से अनुपस्थित हैं।" निश्चित रूप से यह आभास कराया गया था कि सोमवार अर्थात् आज वक्तव्य दिया जायेगा। *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : यह कांग्रेस पार्टी का विचार नहीं है। मुझे यह बात स्पष्ट करने दीजिए कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के साथ यह विशेष सांठ-गांठ करने वाली पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं कांग्रेस पार्टी अथवा विपक्ष के किसी अन्य नेता को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। मैं उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। तो फिर वे क्यों मेरे भाषण में अनावश्यक रूप से व्यवधान डाल रहे हैं?

श्री माधवराव सिंधिया : हमारी पार्टी इस तरह की सांठ-गांठ नहीं करती।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनके भाषण में व्यवधान मत डालिये। वे जो कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें कहने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें ऐसा आभास हुआ है। यह एक ऐसा मामला है जिसे रोज-मर्रा के कार्यों की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। कई लोग मारे गये हैं और यह सुरक्षा में चूक का स्पष्ट मामला है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहां कुछ वक्तव्य दिये हैं। अब रक्षा मंत्री ने उसकी पुष्टि भी कर दी है। हमने यह देखा कि दो व्यक्तियों ने पूरी घाटी को निष्क्रिय कर दिया, पहलगाम में मनमानी चलाई और किसी भी व्यक्ति को वहां मारा जा सकता था और चालीस मिनट तक यह चलता रहा। ये ऐसे मामले हैं जिनके बारे में जनता को और देश को जानकारी होनी चाहिए। यह बड़ी अजीब बात है कि इसके लिए किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। गृह मंत्री जी न तो वहां देखे गये और न ही यहां इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान। वे कहां

हैं, हम नहीं जानते। वे यहां यह बताने नहीं आये कि ये सब कैसे हुआ है *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : गुजरात और जम्मू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों के सम्बंध में सरकार क्या कहना चाहेगी?

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां, मेरे पास ऐसे पत्र हैं जिनसे स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि इस मुद्दे के संबंध में गुजरात में क्या हो रहा है। इस संबंध में दूसरी जगह और भी निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। यह एक गंभीर मसला है। मेरे विचार से यह सरकार – मैंने 'दुर्बल' शब्द का प्रयोग किया था जोकि काफी न्यूनोक्ति है – पूर्णत: निष्क्रिय सरकार है। लोगों की जानें चली गईं और उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। एक यात्री ने हमारे सामने प्रधान मंत्री जी से कहा था कि उन्हें जम्मू में पहचान पत्र दिया गया था लेकिन जम्मू से पहलगाम तक किसी ने भी वह पहचान पत्र नहीं देखा।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : वैस्ट बंगाल में क्या कर दिया? *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : आप क्या कह रहे हैं? आप हिन्दू होने का दावा करते हैं और ऐसे मौके पर वैस्ट बंगाल की बात करते हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए, महोदय मेरी यह मांग है कि प्रधान मंत्री जी अथवा गृह मंत्री जी को दिन की कार्यवाही के दौरान इस संबंध में पूर्ण वक्तव्य देना होगा। वे अब सत्ता में रहने के लायक नहीं हैं। इस संसद को इस तरह लापरवाही के साथ कैसे लिया जा सकता है? वहां स्थिति क्या है, इस संबंध में भी पूर्ण वक्तव्य नहीं दिया गया है।

महोदय, मेरी मांग है कि दिन की कार्यवाही के दौरान वक्तव्य दिया जाना चाहिए अन्यथा तत्काल चर्चा शुरू की जाये *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा का संचालन करने दीजिए। मैं आपको बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रूडी जी, मैंने मुलायम सिंह यादव जी को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बंसल जी, मैंने मुलायम सिंह यादव जी को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रूडी जी, यह क्या हो रहा है? आपको क्या हो गया है? मैंने मुलायम सिंह यादव जी को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० रावत जी, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में विश्व हिन्दू परिषद् के माध्यम से इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। *(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत : ये सब कांग्रेस के बोए हुए बीज हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब क्या है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० रावत जी, मुझे मुलायम सिंह यादव जी की बात सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी, विपक्ष की इसमें कोई राजनीति नहीं है। यह देश का मामला है। यह देश का सवाल है और केवल इंसानियत का सवाल नहीं है। इसलिए इस विषय पर इस सदन को गंभीर होना चाहिए फिर चाहे बी०जे०पी० के लोग हों, बी०जे०पी० के घटक दलों के लोग हों, या विपक्ष के लोग हों या हमारी पार्टी के लोग हों। हम इस विषय पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अगर ये लोग हमें राजनीति करने का मौका देंगे, तो हम राजनीति करेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस इस बात का है कि भले ही नेता, विरोधी दल ने कहा हो कि आप स्टेटमेंट दे दीजिए, या कांगेस के सिंधिया साहब ने कहा हो, लेकिन जहाज में बकायदा हम सब लोगों ने जिनमें सोमनाथ चटर्जी, ममता बैनर्जी, सब लोग गए थे, सबने कहा और यह तय हो गया कि स्टेटमेंट सोमवार को होगा, शुक्रवार को नहीं। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने उठते हुए यही कहा कि जब सब की राय एक है कि इस विषय पर सोमवार को स्टेटमेंट दिया जाए, तो सोमवार को स्टेटमेंट होगा। फिर हम अपना टिकिट लेकर लखनऊ चले गए। सोमनाथ दादा अपना टिकिट बदल कर किसी दूसरे कार्यक्रम में चले गए, लेकिन आपने यहां पर शुक्रवार को स्टेटमेंट दे दिया।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

जबकि प्रधान मंत्री जी को कह देना चाहिए था कि डेलीगेशन में गए लोगों के साथ यह तय हुआ है कि इस विषय पर स्टेटमेंट सोमवार को होगा। अगर हमारा यानी मुलायम सिंह का हवाला नहीं देते, तो सोमनाथ जी का हवाला दे सकते थे, नायडू जी का हवाला दे सकते थे कि डेलीगेशन में गए लोगों ने सोमवार की मांग की है। मैं समझता हूं कि हमारे कांग्रेस के मित्र काफी समझदार हैं और यदि यह बात होती तो, वे कभी भी इस बात पर दबाव नहीं देते। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, यह गलतफहमी है। *(व्यवधान)* हमारी उनके साथ कोई साठ-गांठ नहीं थी। *(व्यवधान)* हमें कभी भी विश्वास में नहीं लिया गया। *(व्यवधान)* आप हर समय कांग्रेस पार्टी को बीच में घसीटने का प्रयास क्यों करते रहते हैं? *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि *(व्यवधान)*

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : महोदय, चूंकि मैं और मेरे सहयोगी श्री गुलाम नबी आजाद जो उस समय भी उपस्थित थे, यह हम दोनों की ओर इशारा किया गया है, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहती हूं। इस निर्णय के संबंध में हमसे कभी सलाह नहीं ली गई। *(व्यवधान)* हमसे कभी सलाह-मशविरा नहीं किया गया। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं विपक्ष के नेता अथवा कांग्रेस पार्टी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। *(व्यवधान)* संभवत: उन्हें यह मालूम न हो। *(व्यवधान)* लेकिन प्रधान मंत्री जी के साथ उनकी सांठ-गांठ थी। *(व्यवधान)* मैंने यही कहा था *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप हमारे बारे में मत बोलिए, नहीं तो मैं पं० नेहरू से लेकर अब तक की पूरी पोल खोल दूंगा। इसके लिए हमको जिम्मेदार मत ठहराइए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी : समझौता उन्हीं लोगों के बीच हुआ था, हमारे साथ कभी नहीं हुआ। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने यह नहीं कहा है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। *(व्यवधान)* मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने यह कहा है कि अगर ये कह देते कि सोमवार को स्टेटमेंट देना है, अगर ये कांग्रेस के मित्रों को बता देते, तो हमारे कांग्रेस के मित्र कभी इस बात पर दबाव नहीं देते कि स्टेटमेंट शुक्रवार को ही दिया जाए। मैंने कांग्रेस के मित्रों पर कोई आरोप नहीं लगाया है। अगर आप इस प्रकार से मेरे बारे में कहोगे, तो मैं बता दूंगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। *(व्यवधान)* अगर इस तरह से कांग्रेस पार्टी प्रहार करेगी तो हम कश्मीर की समस्या को लेकर, पटेल और नेहरू जी तक की सारी बातें बता देंगे। *(व्यवधान)* यह राजनीतिक सवाल नहीं है। इसका इतना महत्व है। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी के त्याग पत्र का क्या हुआ? *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप क्या बात कर रहे हैं? *(व्यवधान)*

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : आप तो शांति से बैठिये। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आज परेशानी यह है कि जो घायल हैं, उन घायलों की देखभाल ठीक से नहीं हो रही है। जब बहस अभी शुरू होनी है, रक्षा मंत्री का बयान आ रहा है, अन्य नेताओं के बयान आ रहे हैं। जहां तक ज्यूडिशियरी का सवाल है, जब ज्यूडिशियरी को देकर यह मामला लटकाना है, इसमें साल दो साल लगेंगे तो बयान बदले जायेंगे। उसके बाद कैबिनेट में जायेगा। मेरा कहना है कि इस पर कार्रवाई हो या न हो लेकिन यह लटकाने वाला काम है, लम्बा खींचने वाला मामला है। जब रक्षा मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया, जब बहस में आयेंगे तब स्वीकार करेंगे। जब स्वीकार कर लिया है तो न्यायपालिका की जांच की कोई जरूरत ही नहीं रह गई। इसलिए बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर हो सकता है कि सदन में बहस हो और देश के सवाल पर एक बहस होगी। एक ऐसा माहौल पैदा होगा, इसमें सर्वसम्मति हो सकती है कि आखिर कश्मीर की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाये। क्या भूलें हो रही हैं, क्या गलतियां हो रही हैं। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, कश्मीर का सवाल नहीं है। इतने लोगों की मौतें और उनके घायल होने का सवाल है। *(व्यवधान)* उसके लिए कौन जिम्मेदार है? *(व्यवधान)* आप बिना जांच किए किसी व्यक्ति पर जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपने विचार बता रहे हैं। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर यह तय करना है तो फिर कोई भी बोलकर देख लेना कि क्या होता है। *(व्यवधान)* आप मुझे बोलने से कैसे रोक लेंगे। *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : हम आपको बोलने से रोक नहीं रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह धमकी दे रहे हैं कि बोलकर देख लेना। (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हम बिल्कुल दे रहे हैं। (व्यवधान) हमारा जो कुछ करना है, कर लीजिए। (व्यवधान) मैं धमकी नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इनको क्या पड़ी है, हम उनसे कह रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह यादव जी, आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें न कि अन्य सदस्यों को।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने न्याय किया था। *(व्यवधान)* इस पर बाकायदा अभी सारे काम छोड़कर बहस शुरू कर देनी चाहिए। *(व्यवधान)* जिससे आज घायलों को मदद नहीं मिल रही, जो मौतें हुई हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, उनके परिवार वालों को कोई संतोष नहीं है और कहां-कहां क्या गलतियां हुई, कहां-कहां भूलें हुईं, यह सब पता चले। *(व्यवधान)* अगर देश को विश्वास में नहीं लिया जाए, पूरे हाउस को विश्वास में नहीं लिया जाये और चोरी-चोरी हिजबुल से बातचीत हो, वहां जो चुनी हुई सरकार है, क्या उसको विश्वास में नहीं लिया जायेगा? झेलम में स्वायत्तता को लेकर कहा गया कि नहीं माना जायेगा तो झेलम में खून बहा दिया जायेगा। उसको भी यह कहेंगे कि यह संविधान की परिधि में है। अगर संविधान की परिधि में है तो खून बहा दिया जायेगा फिर उसके बाद जनता की चुनी हुई सरकार है, श्री फारूख अब्दुल्ला मुख्य मंत्री हैं, उनको विश्वास में नहीं लेंगे, देश को विश्वास में नहीं लेंगे और एक आतंकवादी युद्ध विराम करता है तो उसका स्वागत करते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करिये।

[हिन्दी]

आप भाषण मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : उसकी शर्तों पर अमल होगा। उन्हीं की शर्तों पर स्थान तय होगा, उन्हीं की शर्तों पर तारीख तय होगी, यह सारा होगा। पूरा देश जानना चाहता है, पूरा हाउस जानना चाहता है कि शर्तों में क्या-क्या बातें रखी गयी हैं? आप उसी के कहने पर स्थान तय करेंगे, तारीख तय करेंगे। आप स्वागत करेंगे, वह पाकिस्तान की बात करेगा। कई और भी घटक हैं। यह सारी बहस होनी चाहिए। जब बहस होगी तो कोई न कोई रास्ता निकलेगा। आज हमारे देश में यह एक गंभीर समस्या है इसलिए हम चाहते हैं कि अभी तत्काल सारा काम छोड़कर प्रधान मंत्री जी दोबारा बयान दें और यहां बहस शुरू करायें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : इस मुद्दे पर गृह मंत्री जी को तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, सभी आपके सामने विरोधी दलों के तीन नेताओं के भाषण हुए और तीनों के भाषणों से समझ में आ गया होगा कि क्या हालात हैं। उस दिन कांग्रेस पार्टी ने पूरा दबाव डाला, यह कहा है कि जब तक प्रधान मंत्री यहां नहीं आयेंगे, बयान नहीं देंगे तब तक हाउस नहीं चलेगा। *(व्यवधान)* जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने यह कहा कि इमीजिएटली आकर बयान देंगे। *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : हमने आपके बीच में रूकावट नहीं डाली। महाजन जी ने कहा स्टेटमैंट करेंगे तो हम बैठ गए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा० विजय कुमार मल्होत्रा जी, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : प्रमोद महाजन जी ने कहा कि प्रधान मंत्री जी आकर उत्तर देंगे। विरोधी दल के सारे सदस्य यहां थे। विरोधी दल के किसी सदस्य ने उस समय आपत्ति नहीं की। मुलायम सिंह जी की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और सी०पी०एम० सबने कहा कि प्रधान मंत्री जी आएं। प्रधान मंत्री जी ने इच्छा के मुताबिक उसी समय आकर बयान दिया। बयान के बाद परम्परा नहीं है कि सवाल पूछे जाएं। परन्तु सवाल पूछे गए और उन्होंने उनके उत्तर भी दिए। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि सोनिया गांधी जी गई थीं। ये अपने अधिकार का उपयोग करना चाहती हैं तो सवाल जरूर पूछें। उन्होंने सवाल पूछ लिए। उसी दिन शाम को बहस हुई, एक दिन पहले बहस हुई। *(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : इसके साथ-साथ जब कांग्रेस ने मांग की कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए तो प्रधान मंत्री जी ने कहा कि अगर आवश्यक होगा तो न्यायिक जांच करेंगे *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : वहां सौ व्यक्तियों की हत्या हुई है। बहुत ही भयावह स्थिति थी, बहुत ज्यादा दुखदायी कांड हुआ है। उस दुखदायी कांड के समय में प्रधान मंत्री जी ने पहले दिन आकर, सारे औपोजीशन लीडर्स को साथ लेकर वहां जाने का इसलिए प्रयास किया कि जब औपोजीशन लीडर्स के साथ बैठ कर वे इसके बारे में विचार-विमर्श कर सकें। परन्तु उनके नाम पर यह कहना

[डा० विजय कुमार मल्होत्रा]

कि प्रधान मंत्री जी वहां गए, यह तमाशा था, नाटक था, ठीक नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि विरोधी दल के नेता और दूसरे नेताओं को साथ लेकर जाना क्या तमाशा है। *(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : यह क्रैडिट प्रधान मंत्री जी को नहीं जाता, यह विपक्ष के नेताओं को जाता है कि वे प्रधान मंत्री जी के साथ गए थे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैंने प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दे दिया था। इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। किसी ने तमाशा नहीं बोला है। मैंने कहा है कि, 'मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभारी हूं।'

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : विरोधी दल के नेता का बयान सारे हिन्दुस्तान के अखबारों में छपा है कि यह तमाशा किया गया और नाटक किया गया। आप कहते हैं कि ऐसी बात नहीं की है। *(व्यवधान)* सब औपोजीशन लीडर्स को ले जाना तमाशा है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या तमाशा बना रहे हैं। आप कनक्लूड कीजिए।

(व्यवधान)

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : सौ आदमियों की हत्या होने पर राजनीति करेंगे। *(व्यवधान)* कांग्रेस पार्टी के जमाने में 30,000 नागरिकों की हत्या हुई। कश्मीर में 6,000 सैनिक मारे गए। उस हालात में उस समय किसी को ध्यान नहीं आया कि किसी के ऊपर रिसपौंसीबिलिटी होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : सौ लोगों की मौतें हुई है। आप उसे पूरा वजन नहीं दे रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

क्या वह जो त्रासदी हुई है, उसका कम आंकने का प्रयास कर रहे हैं? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : डा० विजय कुमार मल्होत्रा, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है

[हिन्दी]

कि जब सौ लोगों की हत्या हुई है तो राजनीति करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी घोर निन्दा करते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया क्या है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : चटर्जी साहब ने पूछा कि आडवाणी जी उस दिन कहां थे। हाउस में कश्मीर के मामले में डिस्कशन हो रहा था, उसके लिए यहां उत्तर देना था। आडवाणी जी ने शुरू-शुरू में यह कहा था कि मैं प्रो-ऐक्टिव पॉलिसी करना चाहता हूं तो कांग्रेस पार्टी ने दोनों हाउस में स्टाल किया था कि प्रो-ऐक्टिव पॉलिसी से क्या मतलब है। आतंकवादियों का पीछा करना चाहिए। उन्होंने उनको यह करने नहीं दिया। जब प्रो-ऐक्टिव पॉलिसी की बात करें और आप पूछते हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का जो तरीका है, इस तरह की बात इनको नहीं करनी चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय के महत्व को कम आंकने का यह तरीका नहीं है *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : माननीय गृह मंत्री यहां आएं और ये बताएं *(व्यवधान)* माननीय गृह मंत्री कहां हैं? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, मैंने माननीय मंत्री महोदय को बुलाने से पहले श्री प्रभुनाथ सिंह को बुलाया था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : कश्मीर की समस्या पैदा करने का जिम्मा कांग्रेस पर है। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष जी, यह इस देश का अत्यन्त गम्भीर और संवेदनशील सवाल है। सदन में इस सवाल पर सरकार का बयान हुआ, यानी प्रधान मंत्री जी का बयान भी हो चुका है और यह बयान विपक्ष की मांग पर हुआ। विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाया और इस पर बातें चलीं, चर्चा चली। मुलायम सिंह जी ने ठीक ही कहा था कि कश्मीर पर चर्चा हुई थी और होनी भी चाहिए, चूंकि यह जो भी घटना घटी, यह कश्मीर से जुड़ा हुआ सवाल है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ सवाल है। अपने वक्तव्य के क्रम में प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम जांच करा रहे हैं, आवश्यकता होगी तो न्यायिक जांच भी करा देंगे। जब प्रधान मंत्री जी ने कह ही दिया है कि हम जांच करा देंगे तो जांच होगी। इसमें सरकार पर विश्वास करना चाहिए और जांच के क्रम में कोई कार्रवाई होती है कि नहीं, उसके बाद उसकी समीक्षा करनी चाहिए। अभी इस सवाल को राजनैतिक रंग नहीं देना चाहिए। विपक्ष जान-बूझकर इसे राजनैतिक रंग दे रहा है। लाशों पर यह राजनैतिक सौदा नहीं होना चाहिए, हमारा यह कहना है। *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : प्रदेश सरकार इन्क्वायरी करे तो राजनैतिक रंग है। प्रदेश सरकार जे० एण्ड के० पुलिस की इन्क्वायरी करेगी? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, पिछले सोमवार को, मैंने अमरनाथ यात्रा के संबंध में नियम 377 के अधीन निवेदन किया था। मुझे नहीं मालूम कि यह विचार मेरे अंदर कैसे आया, किन्तु मैंने वह निवेदन इसलिए किया था चूंकि मुझे अमरनाथ यात्रियों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मैं उस निवेदन की तीन पंक्तियों की चर्चा करना चाहूंगा चूंकि यह कार्यवाही-वृत्तांत में पहले से ही सम्मिलित है। मैंने कहा था :

"मुझे उन यात्रियों से कतिपय शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अमरनाथ यात्रा की है। इस संबंध में, मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहूंगा।"

चूंकि सुझाव लम्बे हैं, अत: मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं।

मैंने कहा था कि मुझे यह आशा थी कि सरकार इसका ध्यान रखेगी ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। इसे नियम 377 के अधीन पढ़ा और सभा पटल पर रखा गया।

हम किस उद्देश्य से इस समय यहां एकत्रित हैं? लगभग 2 लाख तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ की ओर प्रस्थान किया है। इसकी चर्चा कुछ दिन पूर्व की गई। डा० नीतिश सेनगुप्ता समिति की रिपोर्ट 1996 में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में यह बात अत्यंत स्पष्ट रूप से कही गई थी कि ऐसी किसी भी यात्रा का आयोजन सेना के सहयोग से करना होगा। सेना के सहयोग के बिना इस प्रकार की यात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस निर्णय का उचित ढंग से पालन नहीं किया गया। हम उसी के अनुरूप मांग करते हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जिसपर हमें एक-दूसरे के साथ मन-मुटाव रखना चाहिए।

यह एक सच्चाई है कि उस दिन विपक्ष के माननीय नेता ने एक अत्यंत स्पष्ट मांग यह की थी कि उसपर इस सभा में चर्चा की जानी चाहिए। यह वांछनीय भी है। यद्यपि माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री मुलायम सिंह यादव उस दिन उपस्थित नहीं थे, अन्य माननीय सदस्य सभा में उपस्थित थे। *(व्यवधान)* यह नहीं हो सकता कि उस कारण से वक्तव्य सभा के पटल पर नहीं रखा जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

मैं मांग करता हूं कि 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मृतकों के परिवारों को दी जाए तथा घायलों को कम-से-कम 50,000 रुपये दिए जाएं। *(व्यवधान)* यह घोषणा सभा में अवश्य की जाए जिससे कि लोगों तक संदेश पहुंच सके। हमें सभी एहतियाती उपाय करने चाहिए ताकि भविष्य में यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहे। *(व्यवधान)*

श्री सोमानाथ चटर्जी : मुझे शुक्रवार को यहां रहना चाहिये था। चूंकि यह निर्णय किया गया था कि प्रधान मंत्री शुक्रवार को वक्तव्य नहीं देंगे, मैंने अपनी टिकट शाम मे बदलकर सुबह की करा ली थी। *(व्यवधान)* यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना चाहिये। अत:, मेरे मित्र सही नहीं हैं *(व्यवधान)* इसलिए, कृपया ऐसी बातें न कहें।

आपने एक अच्छी मांग की है। मैं आपकी मांग का समर्थन करता हूं। परंतु आप ऐसे वक्तव्य क्यों दे रहे हैं? *(व्यवधान)*

श्री जे०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, शुक्रवार को सभा में माननीय प्रधानमंत्री से वक्तव्य की मांग की थी और माननीय प्रधानमंत्री ने वक्तव्य भी दिया था।

अब, निस्संदेह, अमरनाथ यात्रियों के संबंध में सुरक्षा संबंधी गंभीर भूलों के बारे में आलोचनात्मक विचार व्यक्त किए गए हैं।

अत:, सरकार को इस न्यायिक जांच से दूर नहीं हटना चाहिए। उस समय भी, हमने राष्ट्र हित में न्यायिक जांच की मांग की थी। न्यायिक जांच का यह अर्थ नहीं है कि सभा में चर्चा रोक दी जाए। उसका यह अर्थ नहीं है। सभा में चर्चा होगी तथा न्यायिक जांच भी हो सकती है। सभा में होने वाली चर्चा से इस बात को बल मिलेगा कि न्यायिक जांच होगी। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, उन्होंने पहले ही यह मामला उठाया है।

(व्यवधान)

श्री जी०एम० बनातवाला : यात्रियों पर हुई हिंसा के परिणामस्वरूप, देश के कतिपय भागों विशेषकर गुजरात के सूरत, अहमदाबाद और गुजरात के ही विभिन्न अन्य भागों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। *(व्यवधान)* हमें उन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। *(व्यवधान)* महोदय, हम एक बार फिर से न्यायिक जांच कराने की मांग का समर्थन करते हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, श्री मदन लाल खुराना, जो इस सभा में सत्ता पार्टी के सबसे अधिक सम्मानित सदस्य हैं, ने इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा करने हेतु पहले एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने संबंधी नोटिस दिया था। उसे खारिज कर दिया गया। उसके बाद, मंत्रिमंडल के एक जिम्मेदार सदस्य, जो स्वयं रक्षा मंत्री हैं, *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : आपकी पार्टी के दो लोगों ने पहले ही इसे कहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। आपकी पार्टी से उन्होंने पहले ही यह मामला उठाया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, उन्होंने पहले ही कह दिया है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, उसका कारण केवल राजनीति ही नहीं है, बल्कि जो चूक हुई हैं उस संबंध में सच्चाई मालूम करना है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, उन्होंने पहले ही ऐसा कह दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, मैं माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देने को कह रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : उपाध्यक्ष जी, बुधवार की शाम और रात को कश्मीर में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं। गुरूवार को प्रात:काल प्रधान मंत्री जी ने स्वयं वहां जाने का निर्णय किया। सरकार की ओर से हमने विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण दिया। हमारे निमंत्रण पर विपक्ष के नेता प्रधान मंत्री जी के साथ गए, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। जहां तक प्रधान मंत्री जी के सोमवार को वक्तव्य देने का प्रश्न है, सोमनाथ जी और मुलायम सिंह जी ठीक कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी की उस यात्रा में जब सोमनाथ जी से और मुलायम सिंह जी से चर्चा हुई, तब इस चर्चा में यह विषय उठा कि प्रधान मंत्री जी कब वक्तव्य दें। मैं वहां नहीं था। किसने क्या कहा, प्रधान मंत्री जी ने खुद सोमवार की बात की या मुलायम सिंह जी और सोमनाथ जी ने की, मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन वहां मोटे रूप में सोमवार को प्रधान मंत्री जी वक्तव्य देंगे, इस प्रकार की बातचीत सोमनाथ जी से और मुलायम सिंह जी से हुई, यह बात सच है। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते जब मुझ तक यह बात पहुंची, क्योंकि शुक्रवार का दिन बाकी था, मैंने स्वाभाविक रूप से पूछताछ की कि विपक्ष की नेत्री सोनिया जी भी वहां गई थीं और राज्य सभा से कांग्रेस पार्टी के सदस्य गुलाम नबी आजाद जी भी गए थे, क्या इनसे भी बातचीत हुई। अगर सोमवार को वक्तव्य देने का तय हुआ होगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं, वक्तव्य दिया जा सकता है। लेकिन अनौपचारिक रूप से, जब बात हुई तो पता चला कि प्रधान मंत्री जी से सोनिया जी और गुलाम नबी जी की इस विषय पर बातचीत नहीं हुई थी। सोमवार को वक्तव्य दिया जाए, इस प्रकार का कोई औपचारिक निर्णय, जो सदस्य वहां गए थे, नहीं हुआ था।

श्री मुलायम सिंह यादव : येरननायडू जी भी थे।

श्री प्रमोद महाजन : मैं आपके साथ येरननायडू जी का और ममता जी का भी नाम जोड़ देता हूं। इसलिए स्वाभाविक रूप से शुक्रवार की प्रात: सरकार के सामने एक धर्मसंकट खड़ा हुआ कि कुछ नेताओं से बातचीत हुई थी कि सोमवार को वक्तव्य दिया जाए। मुख्य विपक्ष से इस सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं हुई थी। जब मुख्य विपक्ष का आग्रह आया कि सोमवार को, 72 घंटे के बाद, वक्तव्य हो, यह ठीक नहीं होगा, प्रधान मंत्री जी शुक्रवार को ही वक्तव्य करें, इस प्रकार का आभास अनौपचारिक बातचीत में भी हुआ। शुक्रवार को सदन में जब प्रश्न काल शुरू हुआ तो विपक्ष की नेत्री सोनिया जी ने प्रश्न काल में खड़े होकर इस प्रकार की मांग की। उस समय सदन के सामने हम यह कहते कि हमारी कुछ नेताओं से बातचीत हुई है इसलिए हम सोमवार को वक्तव्य करेंगे और कांग्रेस की ओर से यह कहना कि अभी करिए तो, हमें ऐसा लगा कि इस प्रकार की स्थिति सदन के लिए ठीक नहीं होगी। इसीलिए सरकार ने मान लिया और इसलिए मैंने सोचा कि सदन के सामने पूरा विवरण आ जाये। हम सोमवार को भी करने के लिए तैयार थे। कुछ नेताओं से बातचीत हुई थी और इसलिए अगर सोमनाथ जी, येरननायडु जी या मुलायम सिंह जी की शिकायत हो कि शुक्रवार को वे उपस्थित नहीं थे, उनकी शिकायत बिल्कुल जायज है क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रधान मंत्री जी की चर्चा के बाद उनका यह मत हुआ था लेकिन सरकार की भी यह मजबूरी थी कि हम यदि शुक्रवार को सदन में वक्तव्य न करते तो सदन में जो उपस्थित थे, उन्होंने वह मांग की थी और इसलिए हमने उस दिन सदन में वक्तव्य किया। इसलिए वक्तव्य के बारे में एक बात यह है। *(व्यवधान)* सदन यह जानता है कि प्रधान मंत्री जी का कश्मीर के संबंध में दूसरा वक्तव्य है।

जहां तक और किसी वक्तव्य की बात है, जैसा सोमनाथ जी ने कहा कि अब उसी शुक्रवार के वक्तव्य को फिर से आज करना, इसमें कोई तुक नहीं है। अगर उसमें कोई नई जानकारी या नई स्थिति आती है तो माननीय प्रधान मंत्री जी फिर सदन में आकर अपना वक्तव्य कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई नई स्थिति वहां फिर निर्माण हो, उस स्थिति पर अगर सदन को विश्वास में लेने की जरूरत है तो सदन में उस समय भी हम आ सकते हैं। जहां तक सदन में कश्मीर पर चर्चा का सवाल है, जिस दिन से यह सत्र शुरू हुआ है, हम जानते हैं कि कश्मीर पर किसी न किसी रूप से यहां चर्चा हो रही है। हमने कश्मीर की स्वायत्तता पर तीन दिन तक घंटों इस सदन में उस प्रस्ताव पर बहस की थी। कभी प्रश्न पूछने के निमित्त बहस होती है। प्रधान मंत्री जी का जब पहला वक्तव्य हुआ तब उस पर भी अध्यक्ष जी ने खास नियमों में परिवर्तन करके, अपने अधिकार का उपयोग करके विपक्ष के सभी नेताओं को प्रश्न पूछने का अवसर दिया था। स्वाभाविक रूप से वह भी चर्चा का ही एक अंग हुआ। कल भी विपक्ष की नेत्री ने मांग की, उन्होंने भी प्रश्न पूछा। आज वक्तव्य सोमवार को हो या मंगलवार को हो, इस चर्चा में भी बहुत सारे सदस्य अपनी बात कह रहे हैं। इसलिए यह सच नहीं है। कश्मीर की चर्चा हर प्रकार से हर ढंग से आज तक हुई है। विपक्ष और किसी प्रकार की नयी चर्चा चाहता है तो उस चर्चा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में किसी प्रकार की हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं है। किसी नियम के अन्तर्गत अगर विपक्ष उसकी मांग करे तो फिर एक बार कश्मीर पर चर्चा हो सकती है। *(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

आखिरी बात न्यायिक जांच की जो बार-बार उठाई गई है, अब लगता यह है कि विपक्ष में भी न्यायिक जांच हो या न हो, इसमें भी दो प्रकार के मत हैं। विपक्ष के कुछ माननीय नेता हैं, उनका यह कहना है कि न्यायिक जांच से विलम्ब होता है, इसये कुछ अधिक लाभ नहीं होता है। कुछ नेताओं को लगता है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री जी कल ही शुक्रवार को इस सदन में कह चुके हैं कि प्रशासकीय जांच हो रही है। प्रशासकीय जांच के फल सामने आने दीजिए। न्यायिक जांच होनी ही चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह कोई प्रैस्टिज का इश्यू नहीं है। प्रशासकीय जांच के बाद अगर ऐसा लगा कि कुछ अधिक जांच की आवश्यकता है तब उस जांच का विचार किया जा सकता है, मुझे सरकार की ओर से इतना ही कहना है। *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : उस मकसद को समझिए। *(व्यवधान)* जम्मू-कश्मीर की जो गंभीर स्थिति है *(व्यवधान)* मुझे बोलने दीजिए। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में 500 लोग बाढ़ से तबाह हो चुके हैं। *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : जम्मू-कश्मीर का मामला जो एक गंभीर मामला है, उस पर विस्तृत चर्चा हुई है और हमने कई रूल्स के अन्तर्गत उस पर चर्चा की है। सवाल जम्मू-कश्मीर की चर्चा का नहीं है। जो आपकी शांति वार्ता चल रही है, जो आपकी शांति प्रक्रिया *(व्यवधान)* हमने आपकी पूरी बात शांति से सुनी, आप भी सुनिए। जहां तक शांति वार्ता और शांति प्रक्रिया की बात है, कांग्रेस ने उसका स्वागत किया है और हम कभी भी हालांकि ऐसा कोई *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप लोग क्या करते हैं?

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : हम लोगों को कभी बोलने के लिए मौका नहीं दिया जाता क्योंकि हम शांति के साथ सुनते हैं। *(व्यवधान)* हमारा यह कहने का मतलब है कि वहां जो ज्यादती हुई है, 200 मासूम लोगों की जानें गई हैं और जो रक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी कमियां थीं। ऐसा रक्षा मंत्री जी ने कहा है।

हमारा यह कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था में जम्मू-कश्मीर की पुलिस भी शामिल थी, सी०आर०पी०एफ० भी शामिल थी, ऐसी स्थिति में जम्मू-कश्मीर की प्रादेशिक सरकार प्रशासनिक जांच करे, तो उसमें क्या विश्वसनीय रहेगी। हम चाहते हैं कि पूरे देश को इसमें विश्वास में लिया जाए।

[अनुवाद]

जांच की विश्वसनीयता अवश्य होनी चाहिए तथा इसी कारण से हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

ताकि विश्वसनीयता रहे औरा टाइम-बाउन्ड प्रोग्राम रहे। इसको अर्जेंटली डील किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी यह रिपोर्ट आए।

[अनुवाद]

रिपोर्ट की विश्वसनीयता होनी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार एक ऐसी मानव त्रासदी की जांच कैसे कर सकती है जिसमें उसकी अपनी पुलिस ही सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा हो? यह तर्कसंगत नहीं है। इसी वजह से हम एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंदर न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। आज, माननीय रक्षा मंत्री ने और भी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि कुछ बड़ी चूकें हुई हैं तथा हम इस बात को लेकर चिन्तित हैं कि जम्मू और काश्मीर सरकार उनपर पर्दा डालने की कोशिश कर सकती है। अतः, एक विश्वसनीय जांच होनी चाहिए। हम इसी की मांग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि जुडिशियल एन्क्वायरी की अगर जरूरत होगी, तो करायेंगे।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : इस पर उनको निर्णय देना होगा कि उनका निर्णय क्या है। हम यह जानना चाहते हैं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रशासनिक जांच हो रही है और न्यायिक जांच की अगर जरूरत होगी, तब सोचा जाएगा – ऐसा मिनिस्टर ने कहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

***श्री टी० गोविन्दन** (कासरगौड़) : महोदय, मैं इस सभा और सरकार का ध्यान उन लोगों के परिवारों की करूणाजनक स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान महान बलिदान दिया अथवा जो जीवन भर के लिए अपंग हो गए। हमारे राष्ट्र ने उन शहीदों को हाल ही में श्रद्धांजलि दी है तथा उनकी घटनाओं को लेकर हमारी यादें अब भी ताजा हैं। यह सत्य है कि उनके योगदान को हर प्रकार से मान्यता मिली तथा कृतज्ञता के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सरकार ने असहाय परिवारों को समुचित मुआवजा पैकेज तथा आश्रितों को नौकरी देने का वचन दिया था परंतु एक वर्ष के बाद भी, अनेक मामलों में, ये वचन उन लोगों के कुटुम्बजनों और

---

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

संबंधियों के लिए मृगतृष्णा ही बनकर रह गए हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अथवा देश की रक्षा करते हुए नि:शक्त हो गए। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं व्यक्तिगत तौर पर कोजीकोड के सूबेदार मेजर नलिनाक्षन तथा 138 रेजीमेंट के पय्यन्नोर सरत चंद्रन के परिवारों का अनुभव बताना चाहता हूं। यदि उनके परिवार के लोग इस सरकार और समाज पर नैतिक निष्ठाहीनता और मिथ्याचार का आरोप लगाते हैं, तो यह अत्यंत स्वाभाविक है। अत:, महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि जिस मुआवजे का वचन दिया गया था, वह उन्हें बिना किसी विलम्ब के दिया जाए और ऐसा अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं को पीछे रखकर प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए क्योंकि यह किसी भी अन्य बात से अधिक महत्वपूर्ण है। आश्रितों को जो नौकरी का वचन दिया गया था, वह उन्हें तुरंत दी जानी चाहिए। वस्तुत:, केरल की नयनार सरकार इस संबंध में प्रशंसा की पात्र है। परंतु ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार के लिए यह एक अन्य छद्मावरण है तथा कारगिल संबंधी राष्ट्रवाद वोट प्राप्त करने का एक और आसान उपाय है। लेकिन इस बात को याद रखना समझदारी होगी कि कारगिल में शहीद हुए इन जवानों की विधवाओं तथा माताओं के आंसू इस सरकार के लिए एक अभिशाप के रूप में बदल जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री चन्द्रशेखर कुछ कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ०प्र०) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सिंधिया जी ने जो वक्तव्य दिया है, उससे लगता है कि विपक्ष और सरकारी पक्ष में कोई विशेष अन्तर नहीं है। कश्मीर की परिस्थितियां खराब हैं और जिस तरह से बहस हम लोग चला रहे हैं, उससे परिस्थितियां और बिगड़ेगी। मेरा एक सुझाव है, पता नहीं बिना सोचे-समझे दे रहा हूं, प्रधान मंत्री जी कश्मीर गए थे और उनके साथ कुछ प्रमुख नेता भी गए थे। प्रधान मंत्री जी को और इन नेताओं को अध्यक्ष महोदय अपने कमरे में बुला लें, बता कर लें और कश्मीर की समस्या पर जिस तरह से भी विचार हो सके, उसके बारे में चर्चा करके कोई निर्णय लें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से अगर एक-दूसरे पर आक्षेप होता रहेगा, तो इससे लोगों पर बाहर भी बुरा असर पड़ेगा और कश्मीर की समस्या का समाधान भी नहीं होगा।

श्री माधवराव सिंधिया : चन्द्रशेखर जी से मैं अर्ज करूंगा, कश्मीर की समस्या बुनियादी समस्या है, जिसको सरकार ने स्वीकार भी किया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिंधिया, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : न्यायिक जांच क्यों न हो। *(व्यवधान)* जुडिशियल एन्क्वायरी से सब मामले स्पष्ट हो जायेंगे। *(व्यवधान)* हम जानना चाहते हैं, कश्मीर के मामले में सरकार न्यायिक जांच क्यों नहीं कराना चाहती है। *(व्यवधान)* हमें शंका है। *(व्यवधान)* इस बारे में सरकार को बताना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय का बहुत महत्व नहीं है। कांग्रेस पार्टी के मेम्बर्स इतने उत्तेजित हो रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : हम उत्तेजित हैं। *(व्यवधान)* इतने लोगों की जानें गई हैं, इसलिए हम उत्तेजित हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : कश्मीर की समस्या आप लोगों ने पैदा की। *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, वहां सौ लोग मारे गए हैं और हम उत्तेजित न हों।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब जबकि मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है, उन्हें बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : श्री चन्द्रशेखर यह क्या कह रहे हैं? हम जम्मू और कश्मीर की मूल समस्या के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। *(व्यवधान)* हम जनसंहार की बात कर रहे हैं। सौ लोग मारे गए हैं। *(व्यवधान)* रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि सुरक्षा संबंधी चूक हुई थी *(व्यवधान)* और फिर भी वे न्यायिक जांच की बात नहीं कर रहे हैं। वे न्यायिक जांच कराने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? कोई भी जिम्मेदार सरकार इस संबंध में न्यायिक जांच कराने का कार्य करती। वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यह क्यों नहीं हो रहा है, हम जानना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, सारे कश्मीर की समस्या इन लोगों की देन है और ये लोग चिल्ला रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस हाउस की परम्परा यह है, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। तत्पश्चात् आप अपनी बात कह सकते हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे भी बोलने नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, जो लोग मारे गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनके परिवारों को कोई भी राशि देने की घोषणा नहीं की। *(व्यवधान)* आज भी वहां लोग दवा के अभाव में मर रहे हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इंटरप्ट मत करिए, चन्द्रशेखर जी को कम्पलीट करने दीजिए।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के पास इतना भी समय नहीं है कि वे उन लोगों को अस्पताल में जाकर देखें। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : हम निश्चित रूप से भावुक हैं। *(व्यवधान)* उनके छोटे-छोटे बच्चों और महिलाओं की आंखों में से गोली निकाल रहे हैं। *(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि सरकार सामने आए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा करने दें।

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, ये चन्द्रशेखर जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, मुझे भी थोड़ा संसदीय परम्पराओं का अनुभव है। मैं कोई ऐसा इतिहास नहीं जानता, जिसमें किसी मेम्बर के चिल्लाने से यहां न्यायिक जांच हो जाए। निर्णय गवर्नमेंट को करना पड़ेगा और गवर्नमेंट तथा विपक्ष से मिल कर बात करनी पड़ेगी। बिना बात के, केवल शोर मचाने से न्यायिक जांच हो जाएगी? *(व्यवधान)* ऐसी तो संसदीय जनतंत्र में कोई परम्परा नहीं है और अगर कांग्रेस पार्टी समझ रही है? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : वे क्यों छिपा रहे हैं? इस प्रकार छिपाने का क्या कारण है? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.52 बजे

(इस समय श्री कांतिलाल भूरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठ जाइए। कृपया अपने स्थान पर चले जाइए। सरकार ने पहले ही अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.54 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजने के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ तीर्थयात्रियों सहित अनेक व्यक्तियों के मारे जाने की हाल की घटनाओं की न्यायिक जांच के बारे में — जारी

श्री बूटा सिंह (जालौर) : डिप्टी स्पीकर साहब, देश में सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई है जिसमें सरकार का रोल संदिग्ध है। देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि सरकार की कमजोरियों की वजह से बड़ी हत्यायें हुई हैं और उसके लिये हम लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। आप इस विषय पर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। यह बहुत बुरी बात है। हम चाहते हैं कि सदन के अंदर सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाये कि इस मामले की ज्युडिशियल इंक्वायरी होगी।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज-बिहार) : किसी कीमत पर नहीं।

श्री बूटा सिंह : क्यों नहीं? इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : इसमें सरकार को डरने की क्या जरूरत है?

श्री बूटा सिंह : आपकी फोर्सेज ने लोगों को मारा है, इसका कौन जवाब देगा, कौन न्याय करेगा? दुनिया की प्रेस में छप रहा है कि हिन्दुस्तान की फोर्सेज़ ने लोगों को मारा है। हमारी सरकार की बात पर कौन विश्वास करेगा? उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप सरकार को ज्युडिशियल इंक्वायरी के लिये बाध्य करें। इसके बिना इस देश के अंदर न तो इस शासन पर, न मिलिट्री पर और न सैंट्रल फोर्सेज़ पर कोई विश्वास ही पैदा हो सकता है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, रक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि उचित सुरक्षा दी गई होती, तो अमरनाथ तीर्थयात्रियों के नरसंहार से बचा जा सकता था, और यह एक चूक है। एक कैबिनेट मंत्री जिन पर रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है और जो कश्मीर का मामला भी देख रहे हैं, ने यह जनता के सामने कहा है। मर्यादा की यही मांग है कि सच्चाई न्यायिक जांच के माध्यम से सामने आनी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : हम सच्चाई की तह तक जाना चाहते हैं। सच्चाई कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाती। यह खुला और पारदर्शी लोकतंत्र है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : सर, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आज कितने दिन हो गये हैं, जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, सरकार की तरफ से उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया, उनके हास्पीटलाइजेशन का कोई प्रबंध नहीं किया गया। लोगों को लाशें तक नहीं मिल रही हैं। इस प्रकार की सरकार कैसे इस देश का शासन चला सकती है *(व्यवधान)* इस सरकार के गृह मंत्री सदन के सामने आने से कतराते हैं *(व्यवधान)* इस बात की जिम्मेदारी इस देश के गृह मंत्री की है कि वे यहां आकर सदन को विश्वास में ले। लेकिन वह यहां कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, वह कहां चले गये हैं। *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : इस समस्त घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। हमारा लोकतंत्र एक पारदर्शी लोकतंत्र है और एन० डी०ए० तथा उनके सहयोगी पूरे समय पारदर्शिता की बात करते रहते हैं, इनकी वह पारदर्शिता कहां गई, यह जानने का हमें हक है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपने यह मामला सुबह उठाया था, तो सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सर उत्तरी बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है इसलिए उत्तरी बिहार की बाढ़ के सवाल पर चर्चा होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्य लेंगे। चार बजे हम बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करेंगे, जो सूची में है। इसलिए मैं आपसे अपने स्थान पर बैठने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय जी श्री सुदीप बंद्योपाध्याय ने पहले कहा वह ठीक है। नीतिश सेनगुप्ता समिति की सिफारिशों में से एक सेना द्वारा तीर्थयात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना है किन्तु इसके बावजूद यह नहीं किया गया है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : वहां लोगों को हास्पीटलाइजेशन का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, केन्द्र सरकार की है, राज्य सरकार की है या सुरक्षा बलों की है? आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अमरनाथ तीर्थयात्रियों की हत्या के मुद्दे के अलावा कोई और मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विभागीय जांच पहले ही शुरू की जा चुकी है, यदि आवश्यक हुआ तो, बाद में न्यायिक जांच के बारे में सोचा जा सकता है। जब पहले ही आदेश दिया जा चुका है; जब सरकार पहले ही बता चुकी है, तो मेरे लिए और कुछ कर पाना संभव नहीं है। मैं सरकार को आपकी मांग स्वीकार करने के लिए विवश नहीं कर सकता।

अब हम विधायी कार्य लेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह कश्मीर का मुद्दा नहीं है। महोदय, यह सरकार की चूकों के कारण हुई मानव त्रासदी है। इस मामले को इतने हल्के तरीके से और लापरवाही से नहीं लिया जा सकता और श्री जार्ज फर्नान्डीज के वक्तव्य के बाद तो कतई नहीं; शिष्टाचार का तकाजा है कि सरकार को स्वत: ही न्यायिक जांच की घोषणा करनी चाहिए *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे सामने विधायी कार्य है। इसके अतिरिक्त चार बजे नियम 193 के अंतर्गत बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करनी है, जो सूची में है। हमें कार्यों को निपटाने दें। सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैं आगे और कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : क्या इस मामले में भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है *(व्यवधान)*

अपराह्न 2.07 बजे

(इस समय सरदार बूटा सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, जो श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा बताया जाता है मैं उसे उद्धृत करता हूं :

"केन्द्रीय रक्षा मंत्री जार्ज फर्नान्डीज ने आज कहा कि अमरनाथ तीर्थयात्रियों का नरसंहार रोका जा सकता था, यदि सरकार ने आतंकवादियों द्वारा आत्मघाती दस्तों के गठन को ध्यान में रख कर पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की होती।"

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : सर इसकी जुडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

अपराह्न 2.7½ बजे

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : महोदय, लालकृष्ण आडवाणी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सीएच० विद्यासागर राव : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों को लेगी।

(व्यवधान)

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 7.8.2000 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, सुबह से ही हम माननीय अध्यक्षपीठ से जम्मू और कश्मीर में हुई घटनाओं जिसमें इस सरकार के कारण सैकड़ों लोग मारे गए हैं की न्यायिक जांच के आदेश देने के लिए इस सरकार को निदेश देने हेतु कह रहे हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए बूटा सिंह जी। आप सीनियर मैम्बर हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक समय में केवल एक ही माननीय सदस्य बोल सकता है, सभी नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके मैम्बर्स बैठें तो आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले, जो आज के लिए सूचीबद्ध हैं, उन्हें सभा-पटल पर रखा माना जाता है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 4.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) महाराष्ट्र में वसई-दीवा रेल लाइन पर मुम्बई उपनगरीय रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चिंतामन वनगा (दहानू) : महोदय, वसई-दीवा रेल लाइन मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र दहानू में वसई, भिवंडी तहसील से होकर जाती है। इस रेलवे लाइन का अभी हाल ही में निर्माण किया गया है और रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है। यह रेलवे लाइन पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे को जोड़ती है। इस समय इस रेलवे लाइन पर लम्बी दूरी की यात्री, माल और शटल रेलगाड़ियां चल रही हैं।

अभी हाल ही में भिवंडी शहर और उसके आस-पास के क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। भिवंडी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसे भारत का मानचेस्टर माना जाता है। वसई और भिवंडी तालुका को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई महानगर के क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

इस क्षेत्र के जनता के प्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों और सभी राजनैतिक दलों की मुंबई उपनगरीय रेलवे का इस रेलवे लाइन तक विस्तार करने की मांग लम्बे समय से चली आ रही है। यदि मुंबई उपनगरीय रेलवे इस रेलवे लाइन पर गाड़ियां चलाना शुरू करती है, तो पश्चिम रेलवे से दादर होकर मध्य रेलवे को जाने वाले यात्री इस रेलवे लाइन से होकर जा सकते हैं और इससे उपनगरीय रेलों में यात्रियों की भीड़ कम करने में सहायता मिलेगी। अत: मैं सरकार से वसई-दिवा रेलवे लाइन पर मुंबई उपनगरीय रेलगाड़ियां चलाने का अनुरोध करता हूं।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ली जा रही कैपीटेशन फीस में कमी किए जाने की आवश्यकता

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है। निफ्ट दो पाठ्यक्रम चलाता है। पहला फैशन डिजाइन के बारे में है। इसमें छह सेमिस्टर हैं। दूसरा एफ०टी०आई०टी० है। यह फैशन प्रौद्योगिकी के बारे में है। इसके सात सेमिस्टर हैं। पहले पाठ्यक्रम में एक छात्र को कैपीटेशन फीस के तौर पर प्रति सेमिस्टर 17,000 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। दूसरे पाठ्यक्रम में कैपीटेशन फीस शुल्क प्रति सेमिस्टर 50,000 रुपये है। ये कैपीटेशन फीसें बहुत ही ज्यादा हैं। मध्यवर्गीय अभिभावक अत्यधिक कैपीटेशन फीस के कारण इस संस्थान में अपने बच्चों को नहीं भेज सकते। इस प्रकार मेधावी युवा लड़के और लड़कियां आर्थिक कारणों से इस संस्थान में प्रवेश लेने में असमर्थ हैं। यह दिल दुखाने वाला है।

चूंकि यह सरकारी संस्थान है, अत: कैपीटेशन फीस कम की जानी चाहिए। वस्त्र मंत्रालय इसकी जांच करे और आवश्यक निर्देश जारी करे।

(तीन) मध्य प्रदेश के नीमच में स्थित एल्कालाइड फैक्टरी की क्षमता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : वर्तमान में मध्य प्रदेश के नीमच जिले में "अल्कलाइड फैक्ट्री" कार्यरत है, तथा कोडिन व अन्य सह-उत्पादों में लगी हुई है। यद्यपि फैक्ट्री दो पालियों (शिफ्ट) में चल रही है, तथापि यहां ओपियम फैक्ट्री होने व अफीम उत्पादक कच्चा माल क्षेत्र होने से इतना उपलब्ध है कि इस फैक्ट्री को विस्तारित किया जाकर विभिन्न आवश्यक कोडिन व अन्य सहउत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। कोडिन का उत्पादन न केवल विदेश मुद्रा की बचत करता है, वहीं यदि इसका उत्पादन और बढ़ता है तो हम आवश्यकता पर आयात करने के स्थान पर निर्यात कर विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता को देखकर वर्तमान में फैक्ट्री दो शिफ्टों में चलायी जा रही है।

अत: मेरा वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस फैक्ट्री को विस्तारित किया जावे, जिससे हजारों किसान जहां इससे लाभान्वित होंगे, वहीं उनकी आय बढ़ेगी तथा श्रमिकों को काम मिलकर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत व अर्जन कर सकेंगे।

(चार) देश में आई०एस०आई० की बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान बिहार के नेपाल से लगते सीमावर्ती जिलों की ओर दिलाना चाहता हूं। नेपाल सीमा से लगते मोतिहारी और अन्य जिलों में आई०एस०आई० की गतिविधियां पिछले कई सालों से चल रही हैं और इन्होंने पूरे बिहार प्रदेश में अपना जाल फैलाना आरम्भ कर दिया है, जिसके कारण अवैध हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही हैं। अगर समय रहते मोतिहारी और अन्य जिलों में आई० एस०आई० की गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो पूरा बिहार इसकी चपेट में आ जायेगा।

पाकिस्तान लगातार हमारे खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है। आई०एस०आई० के माध्यम से देश के कई राज्यों में इन्होंने घुसपैठ बना ली है और धीरे-धीरे अन्य जगहों पर अपना जाल फैला रहे हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार इनके प्रमुख स्थल बन गये हैं। अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान दे और आई०एस०आई० की गतिविधियों पर अंकुश लगावे।

(पांच) पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की भारी समस्या को हल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : राजस्थान के 32 जिलों में से 26 जिले सूखे और अकाल की चपेट में हैं। पश्चिमी

*सभा पटल पर रखे गए।

राजस्थान, विशेषरूप से बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली और जोधपुर जिले, सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र हैं जो कि लगातार तीसरे वर्ष घोर सूखे का सामना कर रहे हैं। पानी और चारे की इस क्षेत्र में भारी कमी है और रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। अकाल राहत कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार ने कुछ स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है जो कि इस सबसे पिछड़े रेगिस्तानी क्षेत्र के गरीब लोगों के लिये पर्याप्त नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में नौजवान जीविका की तलाश में पास के राज्यों में पलायन कर जाते हैं। इस वर्ष चारे की कमी से बहुत बड़ी संख्या में पशु मर गए हैं।

सीमावर्ती जिलों यथा बाड़मेर और जैसलमेर के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। यद्यपि, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पचास के दशक के प्रारम्भ में शुरू की गई थी परन्तु यह परियोजना अभी तक पूर्ण नहीं हुई। इस राष्ट्रीय परियोजना हेतु सामान्यत: प्रत्येक वर्ष निधियां आवंटित की जाती हैं परन्तु इस वर्ष केन्द्र ने कोई राशि आवंटित नहीं की।

परम्परागत जल स्रोत जिसमें भूमि के नीचे के जल भंडार भी सम्मिलित हैं घट रहे हैं। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि :–

(क) भारत सरकार जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को प्रत्येक वर्ष 60 करोड़ रु० से 100 करोड़ रुपए तक धन मुहैया करा रही है, उसे इस परियोजना के लिए इस वर्ष कम से कम 50-60 करोड़ रुपए आवंटित करने चाहिएं ताकि कार्य बिल्कुल ही रुक न जाए।

(ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड तथा जल संसाधन मंत्रालय को थार रेगिस्तानी जिलों बाड़मेर और जैसलमेर के लिए चिरस्थाई साधनों यथा-इंदिरा गांधी नहर परियोजना और नर्मदा बांध से जल योजनाएं तैयार करने में राजस्थान सरकार की सहायता करनी चाहिए।

(छ:) चण्डीगढ़ के लिए "मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम" की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : चण्डीगढ़, आधुनिक पुनरूत्थानशील भारत का प्रतीक, जैसा कि पंडित नेहरू ने इसके बारे में कहा था, मूल रूप से बनाई गई वास्तविक और भौगोलिक सीमाओं से तेजी से बढ़ रहा है। हरियाणा में पंचकुला और पंजाब में एस०ए०एस० नगर नामक सैटेलाइट शहर चण्डीगढ़ का ही वास्तविक विस्तार हैं। पिछले दशकों में आबादी में वृद्धि से शहर के आधारभूत ढांचे पर गहरा दबाव पड़ा है। सड़कों ने पहले ही अव्यवस्था की तस्वीर प्रस्तुत करनी प्रारम्भ कर दी हैं और दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है।

इसके अलावा पंजाब और हरियाणा की राजधानी और सर्वोत्तम अस्पतालों तथा शैक्षिक संस्थाओं से युक्त होने के कारण शहर में आने-जाने वाले यातायात का बहुत भारी प्रवाह है। इस सबके लिए क्षेत्र के लिए संदर्शी योजना बननी चाहिए और यह अत्यावश्यक है कि चण्डीगढ़-पंचकुला-एस०ए०एस० नगर, मोहाली के लिए एक मेट्रो रेल निर्मित करने हेतु तत्काल कुछ किया जाए और हिमाचल प्रदेश के नजदीकी भागों सहित क्षेत्र के लिए मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की योजना बनायी जाए।

मैं सरकार से इस दिशा में तत्काल कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

(सात) केरल में अड़ूर में बीमा कंपनियों की शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश (अड़ूर) : केरल में अड़ूर एक महत्वपूर्ण स्थान है जो कि पत्तानमतिट्टा जिले के नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत है। अड़ूर कस्बा केरल के तालुका मुख्यालयों में से एक है। इस क्षेत्र में हजारों वाहन हैं। परन्तु वहां अभी तक कोई बीमा कम्पनी नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों को किसी बीमा कम्पनी यथा-यूनाइटेड इंश्योरेंस कम्पनी, जनरल इंश्योरेंस कम्पनी की शीघ्र स्थापना करने की लम्बे समय से मांग रही है। विभिन्न प्रकार के वाहनों के मालिकों को अपने वाहनों के बीमा तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं सरकार, वित्त मंत्रालय से इस मामले में तुरंत कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) भविष्य-निधि पेंशन योजना का लाभ परम्परागत उद्योगों के श्रमिकों के लिए सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी० राजेन्द्रन (क्विलोन) : परम्परागत उद्योगों के हजारों श्रमिकों को भविष्यनिधि पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया गया है। काजू के श्रमिकों को कच्चे माल की कमी के कारण वर्ष में बहुत कम दिन काम मिल रहा है। उन्हें अपनी कुल बचत की बहुत बड़ी राशि भविष्य-निधि योजना के अंतर्गत जमा करने के लिए कहा जाता है। श्रम मंत्री कृपया भविष्य-निधि प्राधिकारियों के गलत कार्य को ठीक करने के लिए कदम उठाएं।

(नौ) आंध्र प्रदेश में पेद्दापल्ली में माइक्रोवेव टी०वी० ट्रांसमीशन टावर को शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता

डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली) : पेद्दापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेद्दापल्ली एक विधानसभा खण्ड है। पेद्दापल्ली माइक्रोवेव टी०वी० ट्रांसमीशन टावर बहुत लम्बे समय से चालू किए जाने के लिए तैयार है। संस्थापन कार्य कर वर्ष पूर्व पूर्ण हो गया था। चूंकि आवश्यक स्टाफ स्वीकृत नहीं हुआ है इसलिए चालू करने में विलम्ब हो रहा है।

कटाराम मण्डल का मुख्यालय कटाराम है। यह मंथानी विधान-सभा खण्ड में तीन मण्डलों का अभिमुख बिन्दु है जिसमें एक टी०वी० माइक्रोवेव ट्रांसमीशन टावर की आवश्यकता है।

मेरा माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से अनुरोध है कि इसके लिए आवश्यक स्टाफ स्वीकृत करने के लिए अथवा अन्य इकाइयों से अस्थाई रूप से स्टाफ की व्यवस्था करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों को निर्देश दें।

(दस) चमड़ा उद्योग को लघु उद्योगों की सूची में बनाये रखने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, गत माहों में आयात के लिए नयी 714 वस्तुओं की खुली स्वीकृति देने के बाद देश के घरेलू उद्योग पर जो कुप्रभाव हुआ उसे सरकार ने मंत्री स्तर की एक निगरानी समिति का गठन कर स्वीकार कर लिया है। आयात से प्रतिबंध हटाने से भारतीय उद्योग को गहरा धक्का लगा है। इसके अतिरिक्त अभी सरकार कुछ वस्तुओं के निर्माण को लघु उद्योग के लिए आरक्षित सूची से बाहर निकालने की मंजूरी देने जा रही है और इन कुछ वस्तुओं में एक चमड़ा उत्पाद भी है। महोदय, आज लाखों करोड़ों परिवार इस उद्योग के माध्यम से रोजी-रोटी कमा रहे हैं। यदि सरकार ने चमड़ा उद्योग को आरक्षण सूची से बाहर निकाल दिया तो न केवल आगरा, कानपुर क्षेत्रों में वरन समूचे देश में फैले चमड़ा उद्योग में लगे परिवार भूखे मरने की हालत में आ जायेंगे। अत: मेरा अनुरोध है कि सरकार इस निर्णय पर नये सिरे से विचार करे और चमड़ा उद्योग को आरक्षित सूची में ही बनाए रखे।

[अनुवाद]

(ग्यारह) उड़ीसा की आंगबांध परियोजना को स्वीकृति दिए जाने और इसके निर्माण कार्य को शीघ्र कराने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : उड़ीसा के बरगढ़ जिले में पदमपुर सब-डिवीजन तथा बोलंगीर जिले में अगलपुर ब्लॉक हमेशा सूखा-ग्रस्त रहता है। पदमपुर सब-डिवीजन के०बी०के० जिलों से जुड़ा हुआ है। यद्यपि कई नदियां इस क्षेत्र से होकर बह रही हैं परन्तु स्वतंत्रता के 52 वर्षों के पश्चात् भी इस क्षेत्र में कोई प्रमुख अथवा मध्यम सिंचाई योजना नहीं है। जल की भारी समस्या को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा सरकार ने आंग नदी, जो कि मध्य प्रदेश से प्रारम्भ होती है और उड़ीसा के इस क्षेत्र से होकर बहती है, पर एक नदी बांध की योजना की शुरूआत की है। इसे आंग डेम परियोजना के नाम से जाना जाता है। आश्चर्य की बात है कि यह परियोजना कई कारणों से पिछले कई दशकों से संबंधित मंत्रालय की मंजूरी के बिना पड़ी हुई है। यदि यह परियोजना जो कि एक प्रमुख सिंचाई परियोजना होगी, लागू होती है तो 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस सब-डिवीजन में, जो कि राज्य में एक पिछड़ा क्षेत्र है और जिसमें अधिकांश आबादी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की है, एक भी उद्योग नहीं है और मूल रूप से लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। यदि आंग डेम परियोजना को निष्पादित किया जाता है तो यह क्षेत्र की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को बदल देगा जो कि समग्र रूप में राज्य के आर्थिक विकास को बल प्रदान करेगा।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस परियोजना को स्वीकृति देने तथा कार्य को तेजी से निष्पादित करने के लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाएं।

(बारह) हिमाचल प्रदेश में शिमला में टी०वी० ट्रांसमीटर का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ० धनी राम शांडिल्य (शिमला) : मैं आपका ध्यान हिमाचल प्रदेश में शिमला संसदीय क्षेत्र के दूर-दराज के क्षेत्रों की दूरदर्शन सुविधाओं से संबंधित समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, एक ओर इन क्षेत्रों की भौगोलिक व प्राकृतिक परिस्थितियां, कठिन जीवन और दूसरी ओर इस क्षेत्र के कर्मठ, भोले-भाले कृषि व फल उत्पादन से जुड़े किसान वर्ग का आधुनिक दूरदर्शन सुविधाओं से पूरी तरह लाभान्वित व संतुष्ट न होना, अपने आप में एक विकट समस्या का रूप बन चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, शिमला दूरदर्शन केन्द्र से जो कार्यक्रम प्रतिदिन आधे घंटे का प्रस्तुत किया जाता है, उसका अवलोकन भी संतोषजनक नहीं है। सम्भवत: इन समस्याओं का निदान तभी हो सकेगा यदि इस केन्द्र की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाये और दूर संचार व्यवस्था को सक्षम बनाने हेतु लगाए टावर्स पर आधुनिक प्रणाली के डिश एंटीना लगा दिए जायें।

महोदय, आपके माध्यम से मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करूंगा कि इस समस्या की ओर विशेष ध्यान दें ताकि इस क्षेत्र के लोग दूरदर्शन की सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकें।

अपराह्न 4.03 बजे

जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ तीर्थयात्रियों सहित अनेक व्यक्तियों के मारे जाने की हाल की घटनाओं की न्यायिक जांच के बारे में – जारी

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : जब शांति वार्ता प्रारम्भ हुई उस समय हमने उसका स्वागत किया और हमने बार-बार कहा पार्लियामेंट में कि कांग्रेस कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहेगी। राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है और उसको हम सदैव महत्व देते रहते हैं।
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके मेम्बर्स वेल में आ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : यह जो नरसंहार हुआ है पहलगाम और दूसरे स्थानों में *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 4.00 बजे हमें देश में बाढ़ की स्थिति के संबंध में एक महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन करना है। देश में बाढ़

की स्थिति बहुत गम्भीर है। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो एक माननीय सदस्य निवेदन कर सकते हैं और इस तरह से नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : पिछले सप्ताह देश ने सबसे अधिक रक्तरंजित नरसंहार देखा है जो कि पिछले दस दिनों में हुआ है। एक सौ निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह सुरक्षा की लापरवाही के कारण नहीं था *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सुबह यहां नहीं था। इसीलिए मैं यह सुन रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है आपको नहीं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : यह बर्बरता और क्रूरता का एक उदाहरण है और हमने वार्ता का स्वागत करते समय सरकार को कहा था बहुत सावधान रहिये, इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है और जो सॉफ्ट टार्गेट्स हैं, विशेषकर हमारे अमरनाथ यात्री, वे सॉफ्ट टार्गेट्स थे और उनके लिए बराबर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था होनी थी। यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार द्वारा पूरी लापरवाही थी।

अध्यक्ष महोदय, देश के रक्षा मंत्री जब ऐसी बात कहें, कोई और मंत्री नहीं, बल्कि जो रक्षा मंत्री हैं, वे कह रहे हैं कि यह जनसंहार रोका जा सकता था। यानी उनका यह कहना है कि इस नरसंहार को यदि चाहते, तो टाला जा सकता था। हमने यह सब टेलीविजन पर सुना है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो जांच हो, वह विश्वसनीय हो। हम जांच की विश्वसनीयता चाहते हैं। प्रिंट मीडिया होता, तो आप कह सकते थे कि उन्होंने गलत अर्थ लगा लिया होगा, लेकिन हमने उनको टेलीविजन पर स्वयं बोलते हुए सुना है। ऐसी स्थिति में खंडन करना बहुत मुश्किल होता है। आखिर यह मामला क्या है? एक तरफ आप कहते हैं कि पारदर्शी लोक तंत्र है। आपने अपने घोषणापत्रों में और मंचों से सदैव इस बात को कहा है और कहते रहे हैं कि हम पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। यदि ऐसा है, तो फिर यह पारदर्शी कैसे हुआ? यह कोई पालीटिकल पाइंट नहीं है। जो वस्तुस्थिति है वह देश के सामने और हम सबके सामने आनी चाहिए। जो लापरवाही हुई है उसका पता चलना चाहिए। यह हम नहीं कहते कि लापरवाही हुई है, बल्कि जो प्रतिनिधिमंडल वहां गया, उसने यह कहा है कि अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा में लापरवाही हुई है। यदि लापरवाही हुई है, तो फिर एकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। हालांकि रक्षा मंत्री ने एकाउंटेबिलिटी गृह मंत्री के सिर पर फिक्स कर दी है। आमतौर पर यह जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है। उन्हें सोचना पड़ेगा कि उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय, यदि प्रशासनिक जांच अपने ही किसी इंस्टीट्यूशन से, जैसे जे० एंड के० राइफल्स है या अपनी कोई और संस्था है, उससे कराई जाती है, तो उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं रहती है। यदि जांच हो, तो वह ऐसी होनी चाहिए जिससे उसमें विश्वसनीयता रहे। इसीलिए हमने जुडीशियल इन्क्वायरी की मांग की है ताकि जो कमियां और खामियां रहीं, वे सामने आ सकें और भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न हो और जो लोग दोषी हैं, जिनको एकाउंटेबल ठहराया जाए, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री माधवराव सिंधिया ने जो कहा है उसका पूरी तरह समर्थन करते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं – यदि आप रिकार्ड देखें तो आप पाएंगे – कि पिछले शुक्रवार को बार-बार किए गए प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि गम्भीर सुरक्षा कमियां रही हैं और यह लोक सभा के रिकार्ड में है। मैंने भी उनसे पूछा था। मैंने कहा था : "माननीय गृह मंत्री जी आप मेरे अनुमान पर खरे उतरेंगे यदि आप सभा में यह स्वीकार करें कि बहुत गम्भीर सुरक्षा कमियां रही हैं" और उन्होंने इसकी पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था: "हां, रही हैं।" इसलिए यदि उतनी गम्भीर सुरक्षा खामियां रही हैं जिसमें 100 लोगों का नरसंहार हुआ तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं है? इसके लिए ही हम आप से कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष जी, आतंकवादियों के जरिए जो नरसंहार हुआ और विशेषकर जो अमरनाथ यात्री मारे गए, उसे लेकर यदि कोई राजनीति होने जा रही है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : यही समस्या है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, यदि उसके बारे में कोई राजनीति होने जा रही है, तो उससे हमारा विरोध है। सदन के अंदर प्रधान मंत्री जी का बयान हुआ है। गृह मंत्री जी का भी बयान हुआ है। जो घटना जम्मू-कश्मीर में हुई है, उससे सारा सदन चिन्तित है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : गीते जी, सदन के बाहर रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, उसकी तरफ भी गौर कीजिए। *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, प्रशासनिक जांच हो या न्यायिक जांच, इससे ज्यादा आवश्यक चीज जो है वह है कि जो लोग उस घटना में निरपराध मारे गए हैं, उनके परिवार के लोगों को मुआवजा दिए जाने की घोषणा की जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : गीते जी, वही तो हम कह रहे हैं कि उनके मुआवजे के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। *(व्यवधान)*

श्री अनन्त गंगाराम गीते : वही तो मांग हम कर रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों को मुआवजा देने की घोषणा करनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, हमारी मांग है कि अमरनाथ यात्रा में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को कम से कम पांच-पांच लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा भारत सरकार को करने की आवश्यकता है।

जो व्यवस्था की बात है। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपने क्यों नहीं किया? *(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : हम वही मांग कर रहे हैं। *(व्यवधान)* लेकिन इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। *(व्यवधान)* वहां 100 से ज्यादा निरपराध लोग मारे गये। मेरा कहना है कि उनकी मृत्यु पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो मृतक हैं, उनके परिवार वालों को मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपये की घोषणा भारत सरकार की ओर से होनी चाहिए। यही मांग हम इस समय इस विषय पर करते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी पीड़ितों के लिए मुआवजे के संबंध में श्री सुदीप बंद्योपाध्याय और श्री अनन्त गंगाराम गीते की बात का समर्थन करता हूं। इसे रिकार्ड किया जाए कि हम न्यायिक जांच का समर्थन नहीं कर रहे हैं। यदि प्रशासनिक जांच हो तो सच्चाई सामने आएगी। *(व्यवधान)* पिछले 40 वर्षों का इतिहास रहा है। इतनी सारी घटनाएं घटी हैं *(व्यवधान)* हमने कभी न्यायिक जांच के लिए जोर नहीं डाला। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत ही गंभीर और संवेदनशील सवाल पर सदन में चर्चा हो रही है। यह चर्चा क्वश्चन ऑवर के बाद से ही शुरू हुई थी। इस संबंध में सरकार ने भी अपने विचार रखे हैं और माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी कांग्रेस पार्टी के आग्रह और दबाव पर अपने विचार कश्मीर से लौटने के बाद रखे हैं। उस दिन न्यायिक जांच की चर्चा भी चली थी। *(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि अभी हम प्रशासनिक जांच करा रहे हैं। अगर इस जांच के बाद कोई आवश्यकता होगी तो न्यायिक जांच पर सोचा जा सकता है। हम यह महसूस करते हैं कि अभी जांच पूरी नहीं हुई यह जांच की शुरूआत है। *(व्यवधान)* कोई नयी बात सामने नहीं आई है। *(व्यवधान)* इसके बाद जान-बूझकर इस तरह का हंगामा करके न्यायिक जांच के नाम पर सदन के समय का नुकसान किया जा रहा है। *(व्यवधान)* मरे हुए लोगों की लाशों पर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। *(व्यवधान)* कांग्रेस पार्टी को मरे हुए लोगों की लाशों पर राजनीति करने का कहीं कोई विशेष अधिकार नहीं है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के लोग यह महसूस करें *(व्यवधान)* मरे हुए लोगों की लाशों पर राजनीति न करें। *(व्यवधान)* हमारा आपसे और इस सदन से यही आग्रह है। *(व्यवधान)*

श्री कांति लाल भूरिया (झाबुआ) : जांच पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? *(व्यवधान)* उन्होंने लापरवाही की है। *(व्यवधान)* आप क्या बात करते हैं? *(व्यवधान)*

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी सारे सदन के नेताओं की बातें सुनी हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री राम नगीना मिश्र को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल, मैंने श्री मिश्र को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : वहां इतने हिन्दू मारे गये हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन से और सदन के सारे सदस्यों से यही निवेदन कर रहा हूं कि यह मामला राजनीति का नहीं है बल्कि देश का है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान) यह देश का सवाल है। कश्मीर ऐसा संवेदनशील मामला है जो शुरू से ही सिरदर्द बना हुआ है।

सैंकड़ों लोग मौत के घाट उतारे गए। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। मेरा पूरे सदन से निवेदन है कि सारे दलों के नेता, सारे सदन के लोग मिल कर ऐसी राय बनाएं जिससे भविष्य में कश्मीर में यह नरसंहार न हो।

मैंने अखबार में पढ़ा है कि जिस समय हमारे सैंकड़ों लोगों की हत्याएं हुईं, वहां की पुलिस मरे हुए लोगों की लाशों से आभूषण छीन रही थी। वहां की पुलिस का सबसे बड़ा अफसर यह कह रहा था कि यह हिन्दुस्तान नहीं है, यहां मेरा राज है। मैं समझता हूं कि जहां की पुलिस इतना अत्याचार कर रही हो, मरे हुए लोगों की लाशों से आभूषण छीन रही हो, अपने को हिन्दुस्तान से अलग समझ रही हो, वहां के प्रशासन से न्याय की आशा नहीं हो सकती। इसलिए वहां के प्रशासन से जांच कराना उचित नहीं है, किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि चाहे किसी दल ने गलती की हो, किसी दल के नेता ने गलती की हो जिससे कश्मीर की यह हालत हो रही है, उसे भूलकर सारे लोगों को बुलाकर पूरा सदन ऐसा प्रबंध करे जिससे कश्मीर में ऐसी गलती दुबारा न हो, पाकिस्तान का आतंकवाद समाप्त हो और कश्मीर भारत का अंग बना रहे। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : उन लोगों की हत्या का खून सरकार के हाथों को लगा हुआ है। ...(व्यवधान) रक्षा मंत्री के बयान के बाद यह साबित हो गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। आप सीनियर मैम्बर हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। न्यायिक जांच में जो कुछ सत्य है, वह निकलेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि सरकार प्रशासनिक जांच कराने के लिए सहमत हो गयी है। प्रशासनिक जांच का मतलब, प्रशासन की ओर से की गयी खामियों को देखना है। इस प्रशासनिक जांच में प्रशासन या सरकार की खामियों को देखा जायेगा। हम किस प्रकार न्याय कर सकेंगे ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हाउस में डिसिप्लिन कम हो गया है और पेशैंस भी कम हो गयी है। क्या करेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद : हम प्रशासन की खामियों की प्रशासनिक जांच किस प्रकार करेंगे? इसलिए, लोगों को विश्वास नहीं होगा। इसीलिए, हम यह मांग करते हैं कि सरकार को एक न्यायिक जांच करनी चाहिए ...(व्यवधान) न्यायिक जांच कराने में क्या बुराई है? प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लोकतांत्रिक दल ऐसी आशा करता है। वामपंथी प्रत्येक बात के लिए न्यायिक जांच कराने की मांग कर रहे हैं। अब, वे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। इससे लोगों में विश्वास ही पैदा होगा, इसलिए सरकार को न्यायिक जांच करानी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, कम से कम हमें इसे देखना चाहिए, सभा में इस पर सर्वसम्मति है। यह अत्यन्त गंभीर मामला है। हम इसपर राष्ट्रीय सहमति चाहते हैं (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, क्या हम हाउस के मैम्बर नहीं हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप मैम्बर हैं इसलिए अन्दर बैठे हैं नहीं तो बाहर रहेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वस्तुस्थिति यह है कि जब हम प्रधान मंत्री महोदय के साथ वहां गये थे तब प्रधान मंत्री महोदय ने कहा था तथा विपक्ष के नेता के माध्यम से हम सभी ने यह विचार व्यक्त किया था कि यह एक राष्ट्रीय मामला है तथा इसे गंभीर प्रश्न के रूप में माना जाना चाहिए। किन्तु वहां हमने अत्यधिक क्षोभ और चिन्ता का अनुभव किया। आज के वक्तव्य के कारण यह समस्या अब विशिष्ट बन गयी है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी शुक्रवार को वक्तव्य दिया था। किन्तु उन्होंने वास्तविक मुद्दे का जिक्र ही नहीं किया है।

सरकार द्वारा मुख्य प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं गया है। उन्होंने यह नहीं बताया है कि यह सुरक्षा चूक कैसे हुई। रक्षा मंत्री के इस वक्तव्य कि इस जनसंहार से बचा जा सकता था, के बाद अब यह मामला बिल्कुल स्पष्ट हो गया है।

महोदय, दो व्यक्तियों के आने से ही इतने सारे भोले-भाले व्यक्तियों की हत्या किस प्रकार हो गयी? इन मामलों पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है। न्यायिक जांच की मांग की गयी है। महोदय, मैं इस मांग की वास्तविकता पर सन्देह व्यक्त नहीं कर रहा हूं। महोदय, मैं और मेरा दल यह महसूस करता है कि न्यायिक कार्यवाहियों पर कोई नियंत्रण न होने के कारण इसमें अत्यधिक विलंब हो जायेगा, इस कारण इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा तथा यदि सत्य सामने आता भी है तो यह कब आयेगा? इसी दौरान, सभी चर्चाएं पूर्वग्रह से प्रभावित हो जायेंगी। हमारे अनुसार ...(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : यह साथ-साथ चल सकती है (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप ऐसा कह सकते हैं किन्तु आपके कहने से न्यायाधीश पर कोई बंधन, कोई पाबंदी नहीं लगायी जा सकती है। नियुक्त किए गए विद्वान न्यायाधीश की मंशा चाहे जो हो, ये विलंबित प्रक्रियायें तो होंगी ही। अत: हम महसूस करते हैं कि न्यायिक निर्णय के लिए इस मामले को लंबित नहीं रखा जाना चाहिए *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : अन्यथा, इस मामले को दबा दिया जायेगा *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम सरकार को इस मामले को दबाने न दें। हमने सुबह एक मांग की थी। सरकार द्वारा इसका पूर्णतया खुलासा करना आवश्यक है।

महोदय, गृह मंत्री की अनुपस्थिति खल रही है *(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : वह मौजूद नहीं हैं *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : शुक्रवार को वे कहां थे और आज वे कहां हैं? *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे वरिष्ठ नेता को ऐसी छींटाकशी नहीं करनी चाहिए *(व्यवधान)* मैं इसे प्रत्यक्ष रूप से देखता हूं *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह कोई आरोप नहीं है *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : कश्मीर पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री उपस्थित थे। यदि आप कल सुबह चर्चा प्रारम्भ करना चाहते हैं तो गृह मंत्री यहां उपस्थित होंगे *(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : वह कहां हैं? *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : वह इतने महान गृह मंत्री नहीं हैं, जितने कि श्री बूटा सिंह थे, कि वे सारे समय सभा में उपस्थित रहें *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : हम केवल न्यायिक जांच चाहते हैं *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : अत: जब भी आपको उनकी आवश्यकता होगी, वह यहां उपस्थित रहेंगे। किन्तु सभी मंत्री हर समय उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार की टिप्पणी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे खेद है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस तरीके से उत्तर दिया है। वास्तव में, मैंने कहा था कि गृह मंत्री यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने खल रही कहा था क्योंकि समय-समय पर जब-जब लोक सभा की बैठक स्थगित की जाती रही है तथा इस मुद्दे को बार-बार उठाया जाता रहा है, यह आशा थी कि कम से कम उन्हें यहां आना चाहिए और सभा को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि सरकार इस बारे में क्या सोचती है तथा सरकार क्या करना चाहती है। अब, हमें विशिष्ट तौर पर उत्तर या संसदीय कार्य मंत्री के अन्यथा उत्तर पर विश्वास करना चाहिए *(व्यवधान)* महोदय, यह तरीका है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उत्तर देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री यहां मौजूद हैं। आप अनावश्यक हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, जब हम यह चाहते हैं कि इसे राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में माना जाये, उस ओर से इस प्रकार के उत्तर प्राप्त हो रहे हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपने स्थान पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि चर्चा तत्काल शुरू की जानी चाहिए तथा गृह मंत्री यहां मौजूद होने चाहिए। अन्यथा, कोई चर्चा जारी नहीं रहनी चाहिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूडी अपने स्थान पर बैठ जायें। माननीय मंत्री उत्तर देने के लिए मौजूद हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री मुलायम सिंह यादव।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव जो कुछ कहते हैं, उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सोमनाथ चटर्जी से हम सहमत हैं. *(व्यवधान)* क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरा डिस्कशन इसलिए हो कि कहां भूल हो रही है, कहां गलती हो रही है। जब बस यात्रा होती है तो कारगिल पर कब्जा होता है और अभी जब आतंकवादियों से बातचीत होती है तो 100 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या होती है। उसकी क्या वजह है, क्या कारण है, कहां भूलें हो रही हैं? दूसरी तरफ यह अफसोस है कि हम घोषणा भर नहीं चाहते, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपया तत्काल देना चाहिए।

खोली घोषणा से काम नहीं चलेगा, उनके परिजनों को तत्काल मुआवजा दें। जो घायल हुए हैं, उनके परिजनों को भी एक लाख रुपये की मदद करनी चाहिए। कश्मीर का मामला काफी गम्भीर है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वहां क्या-क्या बातें हुई हैं, हत्याएं अभी भी जारी हैं। जब तक इस विस्तार के साथ चर्चा नहीं होगी, कुछ पता नहीं चलेगा। देश जानना चाहता है कि कहां-कहां चूक हुई और कहां-कहां गलती हुई है। ये सारी बातें चर्चा में आएंगी। जब न्यायिक जांच शुरू हो जाएगी तो बहस खत्म हो जाएगी, देश पूरी बात नहीं जान पाएगा। न्यायिक जांच का हमें काफी अनुभव है। 1984 के दंगों की न्यायिक जांच के लिए मिश्र आयोग बैठा था। उसकी रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई। इसी तरह हमने पूरी कोशिश की मुरादाबाद का दंगा हुआ, उसकी जांच रिपोर्ट का कुछ नहीं हुआ। मैं जब मुख्य मंत्री बना तब वह सामने आई। हाशिमपुरा की रिपोर्ट सामने नहीं आई। 1994 में मंत्रिमंडल के सामने वह आई, लेकिन आज तक लागू नहीं हुई। देश के सामने गम्भीर समस्या है। आज पूरे कश्मीर की जनता भयभीत है। बहस होगी तो पता चलेगा कि अकेले गृह मंत्री जिम्मेदार हैं या पूरी सरकार जिम्मेदार है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : किस बात पर?

श्री मुलायम सिंह यादव : इन सारी घटनाओं पर। यह कोई मामूली बात नहीं है। बहस से पता चलेगा कि प्रधान मंत्री जिम्मेदार हैं या गृह मंत्री जिम्मेदार हैं या रक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं। तब हम मांग करेंगे और हम तो पूरी सरकार के इस्तीफे की मांग करेंगे। इसलिए बहस हो। न्यायिक जांच हो जाएगी तो हम बंध जाएंगे और सरकार की पोल नहीं खोल पाएंगे। *(व्यवधान)* आप नाराज हो जाते हैं। सरकार की कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जब बहस होगी तो पता चलेगा। अभी राम नगीना मिश्र जी ने जो कुछ कहा, वह ठीक कहा। मैंने देखा तो नहीं लेकिन सच्चाई है, लाइब्रेरी में पढ़ा है कि जब पंडित जवाहर लाल नेहरू जी प्रधान मंत्री थे तो डा० राम सुबक सिंह और फिरोज गांधी जी जैसे सत्ता पक्ष के लोग ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के विरुद्ध बोलते थे। मूंदड़ा कांड से लेकर कृष्णमाचारी के सवाल उठाने वाले ये लोग विपक्ष के नहीं थे, सत्ता पक्ष के थे। इसलिए मुझे खुशी है कि आज उस परम्परा को मिश्र जी ने थोड़ा बहुत निभाया है। प्रभुनाथ सिंह जी हम चाहते हैं कि आप सब बोलें। तेलुगू देशम् पार्टी के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आपके बिना सरकार नहीं चल सकती, आप क्यों चुप बैठे हैं। गम्भीर सवाल है, देश का सवाल है। हम तो यहां तक चाहते हैं कि नायडू जी को प्रधान मंत्री मान लो, सब समर्थन करेंगे और यह सरकार गिर जाएगी।

श्री अनंत गंगाराम गीते : इसीको राजनीति कहते हैं वही हो रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम गम्भीरता से बात कर रहे हैं। इसमें राजनीति को मौका मत दो। हम राजनीति नहीं करना चाहते और आप उल्टे हम पर ही आरोप लगा रहे हैं। सुबह भी कहा, अगर ये कमजोरियां हैं, इन पर बहस नहीं होने देंगे, पूरी सरकार जिम्मेदार है तो राजनीतिक लाभ अपने आप मिलता है। हम राजनीति नहीं लाना चाहते। जो कमजोरियां हैं, जो गलतियां हैं उनको छिपाएंगे तो देश को बर्बाद करेंगे। कश्मीर में क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या शर्तें रखी हैं, क्या गुप्त बातें हुई हैं, कौन सा स्थान तय हुआ, कौन सा समय तय हुआ, यह मामला अब सिर्फ कश्मीर का ही नहीं, पूरे देश का है। जो कश्मीर पाकिस्तान दबाए है, उसको वापस लेने की मांग करिए। आज पाकिस्तान के खिलाफ सारा देश है, वहां के लोगों से बातचीत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, बहस में ये सारी बातें आएंगी तो कोई न कोई रास्ता निकलेगा। हम लोग भी सहयोग करेंगे। देश की एकता का सवाल है, हम विपक्ष के लोग एक होंगे। इसलिए तत्काल इस पर बहस कराइए। प्रधान मंत्री जी का जो बयान है, उसमें कोई दम नहीं है, वह अधूरा है। हम लोग भी वहां गए थे। हमसे राय लेनी चाहिए। हमारी राय यह है कि सबसे पहले सदन में इस पर बहस हो।

श्री माधवराव सिंधिया : बहस तब हो जब हमें कोई जानकारी मिले। जानकारी तब हो सकती है जब न्यायिक जांच हो और उसके माध्यम से पूरे तथ्य सामने आएं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया, आपने पिछले लगभग दो सप्ताहों से कश्मीर मामले पर बहस की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं कि यह भिन्न मामला है। यह एक गंभीर मामला है। यह एक भिन्न मामला है। राष्ट्र को भी इसकी चिन्ता है। इसीलिए, मैंने सभी नेताओं को बोलने की अनुमति दी है।

सरदार बूटा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सरदार बूटा सिंह, आप अनावश्यक रूप से सभा का समय ले रहे हैं। आप सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं। आप जैसे वरिष्ठ सदस्य के लिए यह बिल्कुल ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, सौ लोग मारे गए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप भी बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अब, संसदीय कार्य मंत्री

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रूडी, आप अनावश्यक रूप से दूसरे पक्ष के सदस्यों को उत्तेजित कर रहे हैं। जब उत्तर देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं तो आप वहां क्या कर रहे हैं?

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : मैं कुछ बातें कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कराना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, इतनी दुखदायी घटना हुई है, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं। *(व्यवधान)* मेरा बोलने का मतलब नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष जी, आपने उनको बोलने की परमिशन दे दी। जो बोलना शुरू कर देता है, वह बोलता जाता है। *(व्यवधान)*

श्री जे०एस० बराड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं देश का वाहिद इलैक्टेड एम०पी० हूं जो कि 20 जुलाई से 26 जुलाई तक पदयात्रा करके अमरनाथ जाकर आया हूं। *(व्यवधान)* मेरी बात तो सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : बाद में पूछिए। पहले मंत्री जी को जवाब देने दो। बाद में पूछ लेना।

(व्यवधान)

श्री जे०एस० बराड़ : मैं एक बात कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अभी मुझे लग रहा है कि अच्छा होता अध्यक्ष जी, अगर आपका हवाईजहाज वक्त पर आता। *(व्यवधान)* चर्चा में तीन मुद्दे उठाये गये। बहुत सारे दल के मित्रों ने कहा कि जो निरपराध व्यक्तियों की हत्या हुई है, उनको अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार अभी कश्मीर सरकार की ओर से एक लाख रुपया और भारत सरकार की ओर से पचास हजार रुपये, इस प्रकार डेढ़ लाख रुपया *(व्यवधान)* आप भी सरकार में थे, मुझे आगे बोलने दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम कहां रोक रहे हैं? हम रोक भी नहीं रहे हैं और बोल भी नहीं रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : डेढ़ लाख रुपया देने की व्यवस्था की गई है लेकिन अगर मित्रों को लगता है कि इस परिस्थिति में इससे अधिक धन देना चहिए तो मैं निश्चित रूप से आप सबकी भावनाओं को व्यक्तिगत रूप से प्रधान मंत्री जी तक पहुंचा दूंगा। इसमें हम अधिक और क्या सहायता दे सकते हैं, इस पर जरूर विचार किया जाएगा। *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : बूटा सिंह जी, यह क्या तरीका है, अगर देते हैं तो आप कहते हैं कि खैरात देते हैं और नहीं देते हैं तो आप डिमाण्ड करते हैं। यह क्या तरीका है? *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : मुआवजा शब्द का प्रयोग बन्द करिए। किसी के जीवन की कीमत मुआवजा नहीं हो सकती। हम परिवारों को सहानुभूति दे सकते हैं। यह शब्द इस्तेमाल करिए। मुआवजा शब्द का इस्तेमाल बन्द करें।

श्री प्रमोद महाजन : जो भी शब्द हिन्दी में आपको ठीक लगे, उचित समझें, उसको उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि हिन्दी मेरी मातृभाषा नहीं है। मेरा शब्द पर कोई आग्रह नहीं है। साधारण रूप से जो शब्द उपयोग में आता था, उसी शब्द का मैंने प्रयोग किया है।

[अनुवाद]

मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं कि किसी व्यक्ति के जीवन की पूर्ति धनराशि से नहीं की जा सकती है। इसलिए, मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं *(व्यवधान)*

महोदय, जहां तक उपर्युक्त मुद्दे पर चर्चा का संबंध है, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि सभा को जानकारी है, प्रधानमंत्री महोदय ने एक सप्ताह में दो वक्तव्य दिए हैं। महोदय, पहले वक्तव्य पर, यद्यपि नियमों में सामान्यतया स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं है, तब भी आपने अनुमति देने की कृपा की है तथा लगभग पूरी सभा ने स्पष्टीकरण मांगे हैं, जो लगभग वाद-विवाद में परिवर्तित हो गए हैं। दूसरी बार आपने विपक्ष के नेता को कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी जिसका माननीय प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया था। हमने कश्मीर की स्वायत्ता पर अलग से चर्चा की थी, जहां माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी विचार व्यक्त किए थे तथा माननीय गृह मंत्री ने उत्तर दिया था। उनके उत्तर के बाद भी कुछ प्रश्न उठे थे। यदि इस विषय पर और चर्चा किए जाने की आवश्यकता हो तो सरकार कल तक भी चर्चा करने के लिए तैयार है। अत: हम किसी प्रकार की चर्चा से नहीं बच रहे हैं *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री माधवराव सिंधिया : हम न्यायिक जांच चाहते हैं *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मैं इस विषय पर बात करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने दें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : जहां तक इस सरकार की पारदर्शिता का संबंध है; मैं केवल एक उदाहरण दे सकता हूं कि कारगिल *(व्यवधान)* श्री माधवराव सिंधिया यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं आपकी बात सुनूंगा *(व्यवधान)* महोदय, मैं जानता हूं कौन व्यक्ति इस सभा में बोलकर किसको प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है किन्तु मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूं *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) : मेरे विचार से, आप प्रभावित होने की बजाय हताश हुए होंगे। आप हताश हो रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : जहां तक पारदर्शिता के प्रश्न का संबंध है, मैं केवल एक उदाहरण दे सकता हूं कि कारगिल एक युद्ध था जिसे हमारे देश ने जीता था किन्तु तब भी हमने एक समिति नियुक्त की थी जिसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया था। पिछले सत्र में रक्षा मंत्री ने स्वयं इस पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया था। मैं यह याद करने का प्रयास कर रहा हूं कि हमने चीन के साथ एक युद्ध लड़ा था जिसमें हम बुरी तरह से हारे थे। एक समिति नियुक्त की गयी थी तथा जिसकी रिपोर्ट का कुछ पता ही नहीं क्या हुआ, चर्चा के बारे में जिक्र करना ही बेकार है *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : हमें राजनैतिक दृष्टि से कोई लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप इस विषय पर आइये। एक सौ लोगों ने अपना जीवन गंवा दिया है *(व्यवधान)* आप इस विषय की बात करें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल मंत्री महोदय का वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के अलावा, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, कश्मीर में, हम अत्यन्त गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। यह एक छद्म युद्ध है। वहां जो कुछ भी चल रहा है वह आन्दोलन नहीं है। यह हमारे पड़ौसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद ही है।

देश यह युद्ध लड़ रहा है और मुझे लगता है आज वह समय है कि सभा और यह देश युद्ध से लड़ने के लिए एक हो जाए ना कि इसे बांटा जाए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल मंत्री महोदय का ही उत्तर कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित होगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सरकार से उत्तर चाहते हैं और फिर भी मंत्री महोदय को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : इस वक्त हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए या बात करनी चाहिए जिससे कश्मीर में जो लोग यह छद्म युद्ध लड़ रहे हैं उनका मनोबल टूटे *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, सारी दुनिया आज विपक्ष में बैठे लोगों की योग्यता जानती है उन्होंने इस देश को इस स्तर तक पहुंचाया है, विशेषकर कश्मीर में *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मेरी इच्छा है कि श्री मणि शंकर अय्यर एक दिन अध्यक्ष महोदय बने। तभी मैं विपक्ष में नहीं बैठूंगा *(व्यवधान)* महोदय, प्रधान मंत्री कह चुके हैं कि प्रशासनिक स्तर पर जांच चल रही है जो किसी भी तरह की कमी का पता लगाएगी। जहां तक इस समय न्यायिक जांच का संबंध है मैं जांच आयोग अधिनियम 1952 की जांच करने की कोशिश कर रहा था जिसके अंतर्गत वर्तमान कानून के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक आदेश की किसी जांच के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जाती *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : आप कृपया स्पष्ट करें कि सार्वजनिक आदेश क्या है।

श्री प्रमोद महाजन : अगर आप बैठेंगे तभी मैं स्पष्ट कर सकता हूं *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम भी कानून जानते हैं। आप यह बताइए कि सार्वजनिक आदेश क्या है। *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मैं उतना कानून नहीं जानता जितना आप जानते हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह जेब कतरना नहीं है, यह सेंधमारी नहीं है, यह डकैती नहीं है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी जी, कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, जांच आयोग अधिनियम कहता है : यह पूरे भारत के लिए लागू होगा बशर्ते कि सातवीं अनुसूची की सूची-I और III में दी गई किसी भी प्रवृष्टि से संबंधित किसी भी मामले से संबंधित हो जो जम्मू-कश्मीर पर लागू होगा। सार्वजनिक आदेश *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : यह सार्वजनिक आदेश नहीं है, यह केन्द्र का विघटनीकरण है। कृपया यह समझिए *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : श्री माधवराव सिंधिया मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया उत्तेजित न हों *(व्यवधान)* महोदय, मैं एक साथ दो व्यक्तियों से बहस नहीं कर सकता। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उनके साथ शांति से बहस कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : आप किसी गलत नियम का सहारा नहीं ले सकते *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, जो कुछ राज्य अनुसूची-II के अंतर्गत आता है, वह वास्तव में जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी आयोग हैं, वे राज्य अनुसूची-II के अंतर्गत निपटाए जाते हैं; यह जम्मू-कश्मीर के अलावा सभी जगह किया जा सकता है। यह जम्मू-कश्मीर में नहीं हो सकता। *(व्यवधान)* महोदय, मैं नहीं सोचता *(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : महोदय, यह ठीक नहीं है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल माननीय मंत्री का उत्तर ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी मेरी बात से सहमत होगी। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जी, नहीं *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैंने कुछ नहीं कहा था। *(व्यवधान)* वे मेरी बात से सहमत नहीं हैं। परन्तु मैं यह कहने वाला था कि वे मेरी बात से सहमत होंगे कि हम वहां लड़ रहे सुरक्षा कर्मियों के विरुद्ध कोई जांच नहीं करवा सकते जो उससे भी अधिक खतरनाक होगा *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, सैंकड़ों लोगों की जान चली गई *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कुल मिलाकर यह आपकी सरकार की असफलता है। *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : यह केवल जांच की बात ही नहीं है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 15 — नियम 193 के अधीन चर्चा — पर चर्चा करेंगे। श्री रामजी लाल सुमन बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, हम इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। *(व्यवधान)*

अपराह्न 4.48 बजे

इस समय, श्री क्रांतिलाल भूरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम न्यायिक जांच कराना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझिए। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। सरकार ने उत्तर दे दिया है। बाढ़ की स्थिति एक महत्वपूर्ण विषय है। देश में बाढ़ से चार-पांच राज्य प्रभावित हो रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया मेरी बात समझिए और अपने-अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। राज्य भयंकर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। आप ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील कर रहा हूं। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण विषय है। कई राज्य बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मैं एक बार फिर आपसे आपने स्थान पर जाने का अनुरोध कर रहा हूं। नियम 193 के अधीन चर्चा एक महत्वपूर्ण चर्चा है। बाढ़ के कारण चार-पांच राज्यों को काफी समस्याएं आ रही हैं। वहां लोग मर भी रहे हैं। आप एक महत्वपूर्ण चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने-अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको यह पता होना चाहिए कि सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है। अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो यह फैसला बाद में किया जा सकता है, अभी नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा को देश में आई बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी जाए। देश में बाढ़ की स्थिति काफी खतरनाक है। आपको यह बात समझनी चाहिए। कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 8 अगस्त, 2000 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.50 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार 8 अगस्त, 2000/ 17 श्रावण, 1922 (शक) पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई है।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
सोमवार, 7 अगस्त, 2000/16 श्रावण, 1922 (शक)

का
शुद्धि - पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
22	23	* 230	* 203
116	15	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा में खान मंत्री	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा खान मंत्री
141	19	(क)	(क) से (घ)
209	27	श्री राजैया मल्याला	श्री राजैया मल्याला
231	15	(क)	(क) से (ग)
277	12	श्री निलिख कुमार चौधरी	श्री निखिल कुमार चौधरी
290	24	(क) से (ध)	(क) से (घ)
310	24	(ख) और (घ)	(ख) से (घ)
322	28	(क)	(क) और (ख)
353	9	श्री आर•आर•भाटिया	श्री आर•एल•भाटिया
380	33	(ख) और (घ)	(ख) से (घ)

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।